सत्यमेव जयते

वार्षिक रिपोर्ट
2020-21

✦ हैवी इंजीनियरिंग ✦ मशीन टूल्स ✦ हैवी इलेक्ट्रिकल्स

✦ ऑटोमोबाइल्स ✦ सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम

भारत सरकार

भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय

वार्षिक रिपोर्ट
2020-21

भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय

भारत सरकार

उद्योग भवन, नई दिल्ली–110001

वेबसाइट : dhi.nic.in / dpe.nic.in

विषय–वस्तु

अध्याय	शीर्षक	पृष्ठ
संकेताक्षर		v-vi
भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय का सिंहावलोकन		1-3
भारी उद्योग विभाग (डीएचआई) का विजन, मिशन		5
1.	परिचय	7-13
2.	भारी उद्योग विभाग के अधीन केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम	14-25
3.	हैवी इलेक्ट्रिकल, हैवी इंजीनियरिंग और मशीन टूल उद्योग	26-39
4.	ऑटोमोटिव उद्योग	40-49
5.	प्रौद्योगिकी उन्नयन तथा अनुसंधान एवं विकास	50-64
6.	अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./दिव्यांगों और अल्पसंख्यकों का कल्याण	65
7.	महिलाओं का सशक्तिकरण/कल्याण	66
8.	सतर्कता	67
9.	हिन्दी का प्रगामी प्रयोग	68
10.	सेवोत्तम का कार्यान्वयन	69-73
11.	सूचना का अधिकार	74
भारी उद्योग विभाग अनुबंध (I-XIII)		**75-96**
I.	भारी उद्योग विभाग का कार्य आवंटन	75-76
I-ए.	भारी उद्योग विभाग के अंतर्गत केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की सूची (निनिवेश/बंदी की स्थिति के साथ)	77
II.	भारी उद्योग विभाग के अंतर्गत केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की सूची (लाभ अर्जक/घाटे में चल रहे/परिसमापनाधीन)	78-79
III.	भारी उद्योग विभाग का संगठन चार्ट	80
IV.	भारी उद्योग विभाग के अधीन सीपीएसई के बारे में सामान्य जानकारी	81
V.	31.03.2020 की स्थिति के अनुसार भारी उद्योग विभाग के अधीन केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में अजा, अजजा और अपिव सहित कर्मचारियों की स्थिति	82
VI.	भारी उद्योग विभाग के अधीन केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का उत्पादन निष्पादन	83
VII.	भारी उद्योग विभाग के अधीन सीपीएसई का (कर–पूर्व) लाभ (+)/ हानि (–)	84
VIII.	भारी उद्योग विभाग के अधीन केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के कारोबार प्रतिशत के रूप में वेतन/मजदूरी बिल और सामा. जिक उपरिव्यय	85
IX.	भारी उद्योग विभाग के अधीन सीपीएसई के ऑर्डर बुक की स्थिति	86
X.	भारी उद्योग विभाग के अधीन सीपीएसई का निर्यात निष्पादन	87
XI.	31.03.2020 की स्थिति के अनुसार भारी उद्योग विभाग के अधीन सीपीएसई की प्रदत्त पूंजी, निवल मूल्य और संचयी लाभ	88
XII.	भेल राइट–अप का ब्यौरा	89-94
XIII.	बजट अनुमानों का ब्यौरा	95-96

अध्याय	शीर्षक	पृष्ठ
लोक उद्यम विभाग, विज़न, मिशन		97
	परिचय	99-100
1.	लोक उद्यम सर्वेक्षण	101
2.	केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों को स्वायत्तता	102-103
3.	केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों (सीपीएसईज़) के बोर्डों का कारपोरेट अभिशासन और व्यावसायिकता	104-105
4	केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों में समझौता ज्ञापन प्रणाली	106-109
5.	मंजूरी नीति और श्रमशक्ति यौक्तिकीकरण	110-111
6.	केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों का वर्गीकरण	112
7.	रूग्ण/घाटा उठाने वाले सीपीएसईज़ का पुनरुद्धार एवं पुनर्गठन	113-116
8.	परामर्श, पुनर्प्रशिक्षण तथा पुनर्नियोजन योजना	117-119
9.	स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस)	120
10.	कार्यपालक विकास कार्यक्रम	121
11.	कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)	122
12.	केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों द्वारा अनुपालन रिपोर्ट	123
13.	राजभाषा नीति	124
14.	महिलाओं का कल्याण	125
15.	योजना–वार व्यय का विवरण	126
16.	केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों में अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और अन्य के लिए सेवाओं में आरक्षण	127-128
लोक उद्यम विभाग– अनुबंध (1-10)		129-157
1.	लोक उद्यम विभाग का संगठनात्मक ढांचा	129
2.	2019–20 के दौरान केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों का कार्य निष्पादन	130
3.	महारत्न स्कीम की मुख्य विशेषताएं	131
4.	नवरत्न योजना की मुख्य विशेषताएं	132-134
5.	मिनीरत्न स्कीम की मुख्य विशेषताएं	135-136
6.	मिनीरत्न केंद्रीय सरकारी उद्यमों की सूची	137-138
7.	केंद्रीय सरकारी उद्यमों में कारपोरेट अभिशासन पर दिशानिर्देशों की मुख्य–मुख्य बातें निम्नवत हैं	139-140
8.	केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों की अनुसूची–वार सूची	141-143
9.	"रूग्ण/ शुरूआती तौर पर रूग्ण एवं कमजोर केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों के पुनरूद्धार और पुनर्संरचना हेतु तंत्र को युक्तिसंगत बनानाः पुनर्संरचना हेतु सामान्य सिद्धांत एवं तंत्र" के लिए दिशानिर्देश	144-147
10.	रूग्ण/घाटे में चल रहे केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों (सीपीएसईज़) को समयबद्ध तरीके से बंद करने और उनकी चल एवं अचल परिसम्पत्तियों के निपटान हेतु दिशानिर्देश	148-157

संकेताक्षर

एएआईएफआर	औद्योगिक और वित्तीय पुनर्गठन हेतु अपीलीय प्राधिकारी
एसीएमए	ऑटो कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन
एआरएआई	ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इण्डिया
एवाईसीएल	एण्ड्रू यूल एण्ड कंपनी
बीबीजे	ब्रेथवेट, बर्न एण्ड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड
बीबीयूएनएल	भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड
बीईएमएल	बीएचईएल इलेक्ट्रिकल मशीन्स लिमिटेड
बीएचईएल	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड
बीएचपीवी	भारत हेवी प्लेट एण्ड वेसल्स लिमिटेड
बीआईएफआर	औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड
बीएलसी	भारत लैदर कार्पोरेशन लिमिटेड
बीओजीएल	भारत ऑफ्थैल्मिक ग्लास लिमिटेड
बीपीसीएल	भारत पंप्स एण्ड कम्प्रेशर्स लिमिटेड
बीपीएमई	भारत प्रोसेस एण्ड मैकेनिकल इंजीनियर्स लिमिटेड
बीसीएल	ब्रेथवेट एण्ड कंपनी लिमिटेड
बीडब्ल्यूईएल	भारत वेगन एण्ड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड
बीवाईएनएल	भारत यंत्र निगम लिमिटेड
बीआरपीएसई	लोक उद्यम पुनर्गठन बोर्ड
सीसीआई	सीमेंट कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड
सीसीआईएल	साइकिल कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड
सीईए	केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण
सीसीईए	आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति
सीआईआरपी	कार्पोरेट इंसोलवेंसी रेसल्यूशन प्रॉसेस
सीएनसी	कंप्यूटर न्यूमेरिकली कंट्रोल्ड
सीपीएसई	केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम
ईएफवी	पर्यावरण अनुकूल वाहन
ईओटी	इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड ट्रॉली
ईपीसी	इंजीनियरी अधिप्राप्ति और निर्माण
ईपीआई	इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड
एफसीआरआई	फ्लूइड कंट्रोल रिसर्च इंस्टिट्यूट
एफएफपी	फाउण्ड्री फोर्ज संयंत्र
एचसीएल	हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड
एचएमबीपी	हेवी मशीन बिल्डिंग पलांट
एचएमटी(आई)	एचएमटी (इंटरनेशनल) लिमिटेड
एचएमटीपी	हेवी मशीन टूल्स प्लांट
एचपीसी	हिन्दुस्तान पेपर कार्पोरेशन लिमिटेड
एचएनएल	हिन्दुस्तान न्यूजप्रिण्ट लिमिटेड
एचपीएफ	हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड
एचएसएल	हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड
आईबीसी	इंसोलवेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड
आईएल	इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड
आईसीजीसीसी	एकीकृत कोल गैसीकरण कंबाइंड साइकिल

आईसीईएमए	इंडियन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन
आईएमटीएमए	इंडियन मशीन टूल्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन
जेपीएमएल	जगदीशपुर पेपर मिल्स लिमिटेड
जेवीसी	संयुक्त उद्यम कंपनी
जेसप	जेसप कंपनी लिमिटेड
केवी	किलो वोल्ट
केडब्ल्यू	किलो वाट
लगन जूट	लगन जूट मशीनरी कंपनी लिमिटेड
ओए	प्रचालन एजेन्सी
एमएएमसी	माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कार्पोरेशन लिमिटेड
एमएएक्स	मेन ऑटोमैटिक एक्सचेंज
एमओयू	समझौता ज्ञापन
एमओएचआई एण्डपीई	भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री
एमटी	मीट्रिक टन
एमयूएल	मारुति उद्योग लिमिटेड
एमवीए	मेगा वोल्ट एम्पियर्स
एमडब्ल्यू	मेगा वाट
एनबीसीआईएल	नेशनल बाइसिकल कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड
एनसीटीएल	नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल
नेपा	नेपा लिमिटेड
एनपीसीआईएल	न्यूक्लिअर पॉवर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
एनआईडीसी	नेशनल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड
नैट्रिप	नेशनल ऑटोमोटिव टेस्टिंग एण्ड रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट
एनएबी	नेशनल ऑटोमोटिव बोर्ड
पीएटी	कर पश्चात् लाभ
पीबीटी	कर पूर्व लाभ
पीएसई	सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम
पीएमएमएआई	प्लास्टिक मशीनरी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया
पीपीएमएआई	प्रोसेस प्लांट एण्ड मशीनरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया
पीटीएल	प्रागा टूल्स लिमिटेड
आरएण्डसी	रिचर्डसन एण्ड क्रुडास (1972) लिमिटेड
आरआईसी	रिहैबिलिटेशन इंडस्ट्रीज कार्पोरेशन लिमिटेड
आरटीआई	सूचना का अधिकार अधिनियम
एसआईएल	स्कूटर्स इण्डिया लिमिटेड
एसएसएल	सांभर साल्ट्स लिमिटेड
टीएएफसीओ	टनेरी एण्ड फुटवियर कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड
टीएजीएमए	टूल्स एंड गेज मैन्युफैक्चर्रस एसोसिएशन ऑफ इंडिया
टीसीआईएल	टायर कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड
टीएमएमए	टेक्सटाइल मशीनरी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन
टीएसएल	त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड
टीएसपीएल	तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड
वीआरडीई	व्हीकल रिसर्च डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट
डब्ल्यूआईएल	वेबर्ड (इंडिया) लिमिटेड

भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय का सिंहावलोकन

1.1 भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय, जिसमें भारी उद्योग विभाग तथा लोक उद्यम विभाग शामिल हैं, कैबिनेट मंत्री (भारी उद्योग एवं लोक उद्यम) के अधीन कार्य करता है। यहां भारी उद्योग एवं लोक उद्यम राज्य मंत्री भी हैं। यह मंत्रालय देश में तीन क्षेत्रों अर्थात् पूंजीगत वस्तु, ऑटो और हैवी इलेक्ट्रिकल उपकरणों के विकास और वृद्धि को संवर्द्धित करता है, 29 केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उद्यमों (सीपीएसईज) और 5 स्वायत्त संगठनों को प्रशासित करता है तथा केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उद्यमों एवं इनके सम्पूर्ण प्रशासन हेतु नीतिगत दिशानिर्देश बनाता है।

भारी उद्योग विभाग के कार्य आवंटन में इंजीनियरिंग उद्योग को बढ़ावा देने में निम्नलिखित शामिल हैं, अर्थात्

- **मशीन टूल्स,**
- **हैवी इलेक्ट्रिकल,**
- **औद्योगिक मशीनरी और**
- **ऑटो उद्योग,**
- **29 सीपीएसई और 5 स्वायत्त संगठनों का प्रशासन**

क. भारी उद्योग विभाग (डीएचआई)

केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उद्यमों की सूची और उनकी मौजूदा स्थिति **अनुबन्ध–I(क)** पर है। इस विभाग के अधीनस्थ केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उद्यम विनिर्माण, परामर्शी और संविदाकारी सेवाओं में लगे हुए हैं। इस विभाग के अधीनस्थ केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उद्यम के विनिर्माण में एक व्यापक रेंज शामिल है, जैसे– बॉयलर, गैस/वाष्प/हाइड्रो टर्बाइन, औद्योगिक मशीनरी, मशीन टूल्स, टर्बो जेनरेटर, तिपहिये और कागज से लेकर नमक जैसे उपभोक्ता उत्पाद तक। यह मंत्रालय मशीन निर्माण उद्योग से भी जुड़ा है और इस्पात, खनन, अलौह धातुओं, बिजली, उर्वरक, तेलशोधक, रसायन और पेट्रो–रसायन, कागज, सीमेंट, चीनी आदि जैसे बुनियादी उदयोगों के लिए आवश्यक उपकरणों की पूर्ति करता है। यह विभाग अंतर–माध्यमिक इंजीनियरिंग उद्योग की एक रेंज के विकास में सहायता प्रदान करता है, जैसे– कास्टिंग, फोर्जिंग, डीजल इंजन, टूल्स और डाइज, औद्योगिक गियर्स और गियर बाक्स। यह विभाग निम्नलिखित स्वायत्त संगठनों की देख–रेख करता है:

i. ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एआरएआई) 1966 में और एआरएआई–फोर्जिंग उद्योग प्रभाग, (एआरएआई–एफआईडी) को 2006 में पुणे, महाराष्ट्र में स्थापित किया गया था।

ii. कैलिब्रेशन के लिए फ्लो उद्योग की आवश्यकता पूरी करने के उद्देश्य से फ्ल्यूड कंट्रोल रिसर्च इंस्टिट्यूट (एफसीआरआई), पलक्काड़, केरल की स्थापना जुलाई, 1987 में की गई थी।

iii. राष्ट्रीय ऑटोमोटिव परीक्षण तथा अनुसंधान एवं विकास अवसंरचना परियोजना (नेट्रिप) के मार्गदर्शक कार्यान्वयन हेतु नेट्रिप कार्यान्वयन सोसाइटी (नेटिस) की स्थापना जुलाई, 2005 में की गई।

iv. ऑटोमोटिव क्षेत्र में सरकार के सभी प्रयासों के संचालन, समन्वयन और संयोजन के लिए राष्ट्रीय ऑटोमोटिव बोर्ड (एनएबी) 2012 में स्थापित किया गया।

v. सेन्ट्रल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी इंस्टिट्यूट (सीएमटीआई) अनुसंधान एवं विकास संगठन है जो देश में विनिर्माण प्रौद्योगिकी के विकास और प्रौद्योगिकीय वृद्धि में सहायता करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।

भारी उद्योग विभाग का कार्य–आबंटन **अनुबंध–I** पर है।

1.2 यह विभाग पूंजीगत वस्तुओं, ऑटोमोबाइल और भारी विद्युतीय उपकरण क्षेत्र से जुड़े विभिन्न उद्योग संघों के निरंतर संपर्क में रहता है और इन क्षेत्रों में उद्योग की वृद्धि से जुड़ी पहलों को प्रोत्साहित करता है। यह विभाग नीतिगत समर्थन और अन्य अंतःक्षेपों, जैसे– प्रशुल्कों को तर्कसंगत बनाने, प्रौद्योगिकीय सहयोग तथा निवेश संवर्द्धन और अनुसंधान एवं विकास कार्यों आदि के माध्यम से उनकी वृद्धि योजनाओं की प्राप्ति में भी उद्योगों की सहायता करता है।

1.3 भारी उद्योग विभाग का नेतृत्व भारत सरकार के सचिव द्वारा किया जाता है जिनकी सहायता के लिए, दिनांक 01.12.2020 की स्थिति के अनुसार, अधिकारियों एवं कर्मचारियों की समग्र स्वीकृत संख्या 233 (मंत्री के स्टाफ को छोड़कर) है। इस विभाग में एक एकीकृत वित्त विंग भी है जिसके प्रमुख अपर सचिव एवं वित्त सलाहकार (एएस एंड एफए) हैं। भारी उद्योग विभाग की संगठनात्मक संरचना **अनुबंध–III** में है।

ख. लोक उद्यम विभाग (डीपीई)

1.4 तीसरी लोकसभा (1962–67) की प्राक्कलन समिति ने अपनी 52वीं रिपोर्ट में एक ऐसे केन्द्रीकृत समन्वय एकक की स्थापना की आवश्यकता पर बल दिया था, जो सरकारी उद्यमों के कार्य–निष्पादन का निरंतर मूल्यांकन भी कर सके। इसी के परिणामस्वरूप, वित्त मंत्रालय में वर्ष 1965 में लोक उद्यम ब्यूरो (बीपीई) की स्थापना की गई। सितम्बर, 1985 में संघ सरकार में मंत्रालयों/विभागों के पुनर्गठन के परिणामस्वरूप, बीपीई को उद्योग मंत्रालय का एक हिस्सा बना दिया गया। मई, 1990 में बीपीई को पूर्ण विभाग बना दिया गया जिसे लोक उद्यम विभाग (डीपीई) के रूप में जाना जाता है। इस समय, यह भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय का एक हिस्सा है।

1.5 लोक उद्यम विभाग केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक सभी उद्यमों (सीपीएसई) के लिए एक नोडल विभाग है तथा सीपीएसईज से संबंधित नीति तैयार करता है। यह विशेष तौर पर सीपीएसईज में कार्य–निष्पादन में सुधार एवं मूल्यांकन, स्वायत्तता और वित्तीय प्रत्यायोजन और कार्मिक प्रबंधन संबंधी नीतिगत दिशा–निर्देश निर्धारित करता है। यह केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उद्यमों से संबंधित कई क्षेत्रों के बारे में लोक उद्यम सर्वेक्षण के रूप में सूचना संग्रहण और अनुरक्षण का कार्य भी करता है।

1.6 अपनी भूमिका को पूरा करने के लिए, यह विभाग अन्य मंत्रालयों, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उद्यमों और संबंधित संगठनों के साथ समन्वय करता है। सरकार की कार्य–आबंटन नियमावली के अनुसार, लोक उद्यम विभाग को निम्नलिखित विषय आबंटित किए गए हैं:

- सार्वजनिक क्षेत्रक सभी उद्यमों को प्रभावित करने वाली सामान्य नीति से संबंधित मामलों का समन्वयन।
- औद्योगिक प्रबंधन पूल सहित तत्कालीन लोक उद्यम ब्यूरो से संबंधित अवशेष कार्य।
- समझौता–ज्ञापन तंत्र सहित सार्वजनिक क्षेत्रक उद्यमों के कार्य–निष्पादन का मूल्यांकन और अनुवीक्षण।
- सार्वजनिक क्षेत्रक उद्यमों के लिए स्थायी विवाचन कार्यतंत्र संबंधी मामले।
- केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रमों में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अंतर्गत कर्मचारियों को परामर्श, प्रशिक्षण और उनका पुनर्वास।
- केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उद्यमों में पूंजीगत परियोजनाओं और व्यय की समीक्षा।
- केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उद्यमों के कार्य–निष्पादन तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की क्षमता–निर्माण संबंधी अन्य पहलों में सुधारोन्मुख उपाय।

- सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के पुनरुद्धार, पुनर्संरचना अथवा बंदी तथा उसकी प्रक्रिया के संबंध में सलाह देना।
- लोक उद्यमों के स्थायी सम्मेलन से संबंधित मामले।
- अंतर्राष्ट्रीय लोक उद्यम संवर्धन केन्द्र से संबंधित मामले।
- ''रत्न'' का दर्जा देने सहित केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक लोक उद्यमों का वर्गीकरण।
- लोक उद्यमों का सर्वेक्षण।

1.7 लोक उद्यम विभाग भारत सरकार के सचिव के नेतृत्व में कार्य करता है जिनकी सहायता के लिए अधिकारियों/कार्मिकों की स्वीकृत संख्या 118 है। लोक उद्यम विभाग की संगठनात्मक संरचना **अनुबंध–I** पर है।

भारी उद्योग विभाग (डीएचआई)

विजन

ऑटोमोटिव और पूंजीगत वस्तु क्षेत्र सहित वैश्विक स्तर के प्रतिस्पर्धी, हरित और प्रौद्योगिकी–चालित भारी उद्योग विनिर्माण क्षेत्र का निर्माण करना जिनसे वृद्धि दर तेज हो और रोजगार सृजन हो सके।

मिशन

ऑटो, हेवी इलेक्ट्रिकल तथा पूंजीगत वस्तु क्षेत्र को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी, विकासोन्मुख और लाभकर बनना तथा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उद्यमों को हर संभव सहायता प्रदान करना ताकि वे अपने समग्र निष्पादन में सुधार कर सकें।

परिचय

1.1 उद्योग का कार्य–निष्पादन

1.1.1 औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) मुख्य आर्थिक संकेतकों में से एक है और यह देश में औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि को मापने हेतु एक अल्पावधिक संकेतक है। आधार वर्ष 2011–12 के साथ मापित औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) में चालू वित्त वर्ष अर्थात अप्रैल–नवम्बर, 2020–21 के पहले आठ महीनों में औद्योगिक निष्पादन में (–)15. 5% की वृद्धि दर्ज की गई। इस अवधि के दौरान विनिर्माण, खनन और विद्युत क्षेत्र में क्रमशः (–) 17.3%, (–)12.5% और (–) 4.6% की गिरावट आई।

1.1.2 उपयोग–आधारित वर्गीकरण के अनुसार प्राथमिक वस्तुओं, अंतर–माध्यमिक वस्तुओं, अवसंरचना/ निर्माण वस्तुओं, उपभोक्ता टिकाऊ और उपभोक्ता गैर– टिकाऊ वस्तुओं में अप्रैल–नवम्बर 2020–21 के दौरान क्रमशः (–)11.3%,(–) 31.1%, (–) 17.2%, (–) 17.7%, (–) 28.1%, और (–) 5.4% की नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई।

तालिका 1: औद्योगिक उत्पादन वृद्धि दर (आधार–वर्ष: 2011–12) (प्रतिशत में)

क्रम सं.	क्षेत्रक/समूह	भार	2018–19	2019–20	2019–20 अप्रैल–नवम्बर	2020–21* अप्रैल–नवम्बर
	1	2	3	4	5	6
	क्षेत्रकीय वर्गीकरण					
1	खनन	14.3725	2.9	1.6	-0.1	-12.5
2	विनिर्माण	77.6332	3.9	-1.4	0.4	-17.3
3	विद्युत	7.9943	5.2	1.0	0.8	-4.6
	समग्र आईआईपी	100.00	3.8	-0.8	0.3	-15.5
	उपयोग–आधारित वर्गीकरण					
1	मूलभूत वस्तुएं	34.0486	3.5	0.7	0.1	-11.3
2	पूंजीगत वस्तुएं	8.2230	2.7	-13.9	-11.7	-31.1
3	अर्धनिर्मित वस्तुएं	17.2215	0.9	9.1	10.3	-17.2
4	अवसंरचना/निर्माण सामग्री	12.3384	7.3	-3.6	-2.4	-17.7
5	उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं	12.8393	5.5	-8.7	-6.6	-28.1
6	उपभोक्ता गैर–टिकाऊ वस्तुएं	15.3292	4.0	-0.1	3.5	-5.4
	समग्र आईआईपी	100.00	3.8	-0.8	0.3	-15.5

*स्रोतः राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय,*अनंतिम*

1.1.3 कोविड–19 महामारी की श्रृंखला को तोड़ने के उद्देश्य से सरकार ने 24 मार्च, 2020 को राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की जो मई के महीने में कुछ रियायत के साथ 31 मई, 2020 तक जारी रही। मार्च, 2020 में औद्योगिक उत्पादन में तेजी से गिरावट आई और अप्रैल, 2020 में इसमें और अधिक गिरावट आ गई। जून, 2020 से अर्थव्यवस्था की धीरे–धीरे अनलॉकिंग और उद्योगों के लिए सहायक नीतिगत पहलों, कोविड–19 के मामलों में निरंतर कमी के साथ उपभोक्ता की मांग में उत्तरोत्तर वृद्धि के कारण औद्योगिक वृद्धि दर में लगातार सुधार होने लगा और जैसा कि आरेख 2.1 से स्पष्ट है, सितम्बर 2020 से नवम्बर 2020 (अनंतिम) तक 2.8% की वृद्धि दर दर्ज की गई।

आरेख 2.1: वर्ष 2020 में कोविड–19 के कारण लॉकडाउन से अब तक आईआईपी वृद्धि (प्रतिशत में)

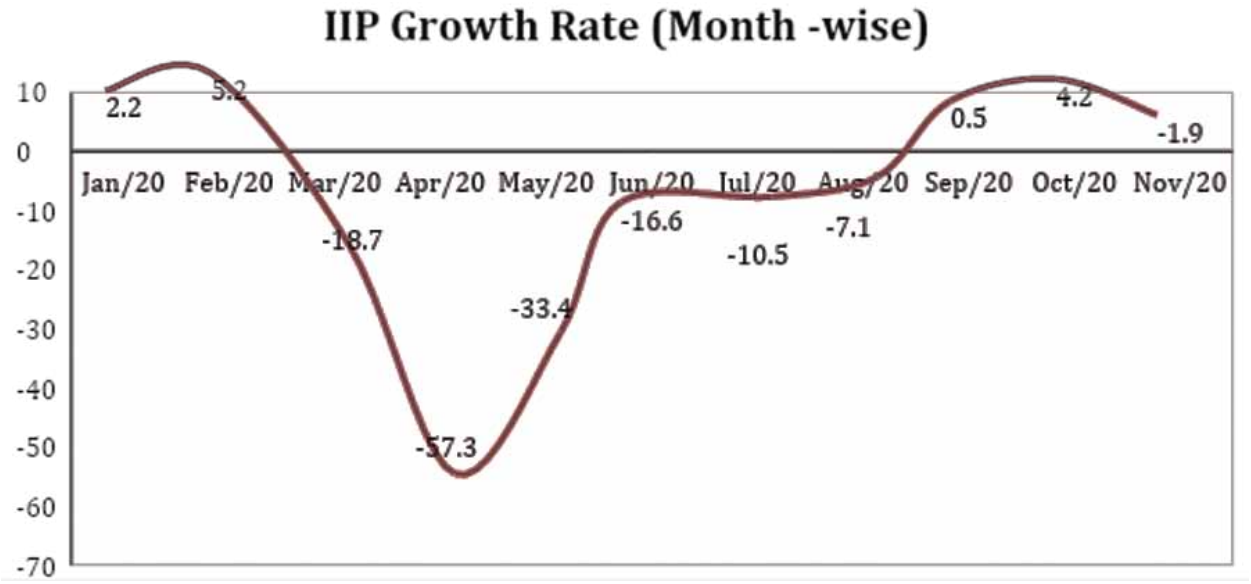

स्रोतः राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय

1.1.4 आठ मुख्य उद्योगों का कार्य–निष्पादन

आठ मुख्य उद्योगों के सूचकांक (आईसीआई) में आठ मुख्य उद्योगों अर्थात कोयला, कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और विद्युत उत्पादन की मासिक वृद्धि का अनुवीक्षण किया जाता है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) में इन आठ उद्योगों का सम्मिलित भार लगभग 40.27% है। आईसीआई को आईआईपी जारी करने के 12 पहले जारी किया जाता है। वर्ष 2012–13 से आठ मुख्य उद्योगों की वृद्धि दर तालिका–2 में दी गई है।

वर्ष 2019–20 के दौरान आठ मुख्य उद्योगों के सूचकांक में 0.4% की वृद्धि दर्ज की गई। रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात और बिजली के उत्पादन में सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई जबकि कोयला, कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस और सीमेंट क्षेत्र में उत्पादन में वृद्धि नकारात्मक रही।

चालू वित्त वर्ष 2020–21 (अप्रैल–नवम्बर) में, आठ मुख्य उद्योगों के सूचकांक में (–)11.4% की गिरावट दर्ज की गई। उर्वरक के अलावा, सभी मुख्य क्षेत्रों की उत्पादन वृद्धि में गिरावट देखी गई। कोविड–19 महामारी के फैलने और बीमारी की रोकथाम के लिए निवारक उपायों (राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन) के कारण ऐसा हुआ। तथापि, उद्योग के लिए सहायक नीतिगत माहौल और उपभोक्ता मांग में बढ़ोतरी से इन प्रभावित उद्योगों की स्थिति में थोड़ा सुधार हुआ है।

तालिका 2: आठ मुख्य उद्योगों के सूचकांक में वृद्धि (प्रतिशत में)

क्षेत्र	भार	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	Apr- Nov 2020-21*
कोयला	10.3335	3.2	1.0	8.0	4.8	3.2	2.6	7.4	-0.4	-2.6
कच्चा तेल	8.9833	-0.6	-0.2	-0.9	-1.4	-2.5	-0.9	-4.1	-5.9	-6.0
प्राकृतिक गैस	6.8768	-14.4	-12.9	-5.3	-4.7	-1.0	2.9	0.8	-5.6	-12.1
रिफाइनरी उत्पाद	28.0376	7.2	1.4	0.2	4.9	4.9	4.6	3.1	0.2	-14.9
उर्वरक	2.6276	-3.3	1.5	1.3	7.0	0.2	0.03	0.3	2.7	3.8
इस्पात	17.9166	7.9	7.3	5.1	-1.3	10.7	5.6	5.1	3.4	-19.4
सीमेंट	5.3720	7.5	3.7	5.9	4.6	-1.2	6.3	13.3	-0.9	-19.5
बिजली	19.8530	4.0	6.1	14.8	5.7	5.8	5.3	5.2	0.9	-4.7
समग्र आई आई पी	100.0000	3.8	2.6	4.9	3.0	4.8	4.3	4.4	0.4	-11.4

*स्रोत: आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, डीपीआईआईटी *अनंतिम*

1.2 भारी उद्योग विभाग को निम्नलिखित विषय/ औद्योगिक क्षेत्र आबंटित किए गए हैं:

(क) सभी उद्योगों के लिए भारी इंजीनियरिंग उपकरण

(ख) भारी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग उद्योग

(ग) मशीन टूल्स और इस्पात विनिर्माता सहित मशीनरी उद्योग

(घ) ऑटोमोटिव क्षेत्र, ट्रैक्टर्स और अर्थ मूविंग उपस्कर

1.3 3 मुख्य क्षेत्रों के अधीन 20 औद्योगिक उप–क्षेत्र निम्नानुसार हैं:–

i. बॉयलर
ii. सीमेंट मशीनरी
iii. डेयरी मशीनरी
iv. विद्युत भट्ठी
v. डीजल इंजन
vi. सामग्री हैंडलिंग उपकरण
vii. इस्पात संयंत्र उपकरण सहित धातुकर्म मशीनरी
viii. अर्थमूविंग और खनन मशीनरी
ix. मशीन टूल्स
x. तेल क्षेत्र उपस्कर
xi. मुद्रण मशीनरी
xii. लुगदी और कागज मशीनरी
xiii. रबड़ मशीनरी
xiv. स्विचगियर और कंट्रोल गियर
xv. प्लास्टिक प्रसंस्करण मशीनरी
xvi. शुगर मशीनरी
xvii. टर्बाइन और जेनरेटर सेट
xviii. ट्रांसफॉर्मर
xix. वस्त्र मशीनरी
xx. खाद्य प्रसंस्करण मशीनरी

1.4 भारी उद्योग विभाग के अधीन केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उद्यम:

1.4.1 भारी उद्योग विभाग (डीएचआई) के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन 29 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रम (सीपीएसई) हैं जिनमें से 6 सीपीएसई लाभ अर्जित कर रहे हैं, 11 सीपीएसई घाटे में चल रहे हैं और 5 प्रचालन में नहीं हैं। शेष 7 सीपीएसईज (और सीपीएसई का

एक प्रभाग) को बंद किया जा रहा है। इसके अलावा, 14 सीपीएसई आधिकारिक परिसमापक के तहत परिसमापनाधीन हैं। भारी उद्योग विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सभी सीपीएसईज की सूची **अनुबंध–II** पर है।

1.4.2 विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक 29 उद्यमों में से प्रचालनरत 17 उद्यमों में 31.03.2020 की स्थिति के अनुसार कुल निवेश (सकल ब्लॉक) रु. 9075.22 करोड़ था। ब्यौरा **अनुबंध–IV** में है। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक इन उद्यमों में सवैतनिक कर्मचारियों की कुल संख्या 58373 है। इनमें अ.जा. के 9339, अ.ज.जा. के 6967, अ.पि.व. के 20720 और पी. डब्ल्यू.डी. कर्मचारियों की संख्या 974 है **(अनुबंध–V)।**

1.4.3 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक प्रचालनरत 17 उद्यमों में से 6 उद्यम लाभ अर्जित कर रहे हैं और शेष 11 घाटे में हैं। वास्तविक और लक्षित उत्पादन तथा लाभ का ब्यौरा निम्नवत है:

तालिका–3: प्रचालनरत सीपीएसईज का उत्पादन/लाभ

(रु. करोड़ में)

	2018–19 (वास्तविक)	2019–20 (वास्तविक)	2020–21 (अनुमानित)	2020–21 (संभावित)
उत्पादन	36071.77	26448.12	24138.09	33330.74
लाभ (+)/ हानि(–)	1844.83	-1052.62	-2736.98	-1022.66

(उत्पादन, लाभ/हानि का केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उद्यमवार ब्यौरा क्रमशः अनुबंध–VI और VII पर है)।

1.4.4 घाटे में चल रहे उद्यमों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे– कम क्रयादेश, कार्यशील पूंजी की कमी, अधिशेष जनशक्ति, पुराने संयंत्र और मशीनरी, परिवर्तनशील बाजार परिस्थितियों के साथ समायोजन में कठिनाई, उत्पाद प्रोफाइल/प्रौद्योगिकी और तीव्र प्रतिस्पर्धा आदि। घाटे में चल रहे केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उद्यमों में से कई में औद्योगिक मानदंडों से कहीं अधिक कार्यबल और अत्यधिक उपरिव्यय की समस्याएं हैं। इस संदर्भ में, कारोबार की प्रतिशतता के रूप में वेतन/मजदूरी बिल और सामाजिक उपरिव्यय अनुबंध–VIII में दिए गए हैं।

1.4.5 दिनांक 01.10.2020 की स्थिति के अनुसार, विभाग के अधीनस्थ केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उद्यमों में क्रयादेश रु 125384.82 करोड़ के हैं (अनुबंध–IX)। केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उद्यमों के निर्यात निष्पादन का ब्यौरा अनुबंध–X पर है। इन केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उद्यमों की सरकारी इक्विटी, निवल मूल्य और संचित हानि/ लाभ का ब्यौरा अनुबंध–XI पर है।

1.5 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उद्यमों के पुनरुद्धार/पुनर्गठन/विनिवेश/बंदी हेतु भारी उद्योग विभाग के कदमः

भारी उद्योग विभाग घाटे में चल रहे केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उद्यमों के पुनरुद्धार की संभावनाओं का आकलन करने के लिए प्रत्येक उद्यम का नियमित मूल्यांकन कर रहा है। इस प्रक्रिया के एक भाग के रूप में, जिन उद्यमों का कायाकल्प होने की संभावना है, उनके पुनरुद्धार/ पुनर्गठन पर विचार किया जाता है और जो क्रमिक रूप से रुग्ण पाए जाते हैं उनके कर्मचारियों को देय प्रतिपूर्ति के भुगतान के पश्चात् उनका विनिवेश अथवा उनकी बंदी कर दी जाती है। इस संबंध में भारी उद्योग विभाग द्वारा उठाए गए कदम निम्नानुसार हैं:

क. सरकार ने तुंगभद्रा स्टील प्रॉडक्ट्स लिमिटेड, होस्पेट, कर्नाटक के कर्मचारियों के लिए एक आकर्षक वीआरएस/वीएसएस की पेशकश तथा चल–अचल आस्तियों का निपटान और बकाया देयताओं का परिसमापन करते हुए 22.12.2015 को कंपनी को बंद करने का अनुमोदन दिया। इसके सभी कर्मचारियों ने वीआरएस ले लिया है और उन्हें कार्यमुक्त कर दिया गया है। कंपनियों के रजिस्टर से कंपनी का नाम हटाने संबंधी अधिकांश कार्य पूर्ण हो गए हैं और केन्द्रीय मंत्रिमंडल के अनुमोदन के अनुसार कंपनी अधिनियम की धारा 248(1) के तहत कार्रवाई आरंभ करने का अनुरोध कारपोरेट कार्य मंत्रालय से किया गया है।

ख. सरकार ने एचएमटी वाचेज लिमिटेड, एचएमटी चिनार वाचेज लिमिटेड और एचएमटी बेयरिंग लिमिटेड के कर्मचारियों के लिए आकर्षक वीआरएस/वीएसएस पैकेज की पेशकश करके तथा उनकी चल–अचल

आस्तियों का निपटान सरकारी नीति के अनुसार करते हुए 6 जनवरी, 2016 को इन्हें बंद करने का अनुमोदन दिया। तद्नुसार, इन कंपनियों को बंद करने की कार्रवाई प्रगति पर है।

ग. सरकार ने एचएमटी लिमिटेड की पिंजौर स्थित ट्रैक्टर इकाई के कर्मचारियों के लिए आकर्षक वीआरएस/वीएसएस पैकेज की पेशकश करते हुए 27 अक्टूबर 2016 को कंपनी को बंद करने का अनुमोदन दिया।

घ. सरकार ने हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड के कर्मचारियों के लिए एक आकर्षक वीआरएस/वीएसएस पैकेज की पेशकश तथा चल एवं अचल आस्तियों का निपटान सरकारी नीति के अनुसार करते हुए, 28.09.2016 को इसे बंद करने का अनुमोदन दिया। तद्नुसार, कंपनी को बंद करने की कार्रवाई प्रगति पर है।

ङ. सरकार ने 30.11.2016 को इंस्ट्रूमेन्टेशन लिमिटेड की कोटा इकाई को बंद करने और इंस्ट्रूमेन्टेशन लिमिटेड की पलक्काड़ इकाई का हस्तांतरण केरल सरकार को करने का अनुमोदन दिया। इस संबंध में, सरकार ने इंस्ट्रूमेन्टेशन लिमिटेड की कोटा इकाई के कर्मचारियों को 2007 के नोशनल वेतनमानों पर आकर्षक वीआरएस/वीएसएस पैकेज का अनुमोदन दिया।

च. सरकार ने, रिचर्डसन एंड क्रूडास (1972) लिमिटेड को दिए गए भारत सरकार के रु. 101.78 करोड़ के ऋण और उस ऋण पर प्रोद्भूत रु. 424.81 करोड़ के ब्याज को इक्विटी में बदलकर कंपनी के वित्तीय पुनर्गठन को 21 सितम्बर, 2016 को मंजूरी दी। सरकार ने रिचर्डसन एंड क्रूडास की मुंबई की भूमि के सर्वोत्तम/ईष्टतम उपयोग करने के लिए एक अंतर–मंत्रालय समूह गठित करने को भी मंजूरी दी।

छ. सरकार ने, 27 अक्तूबर, 2016 को निम्नलिखित का अनुमोदन दिया:

- ब्रिज एंड रूफ कंपनी लिमिटेड, स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड और भारत पंप्स एंड कंप्रेसर्स लिमिटेड का 100% विनिवेश।
- हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट्स लिमिटेड में संबंधित सीपीएसई की 100% शेयरधारिता की द्विस्तरीय नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से कार्यनीतिक क्रेता को विनिवेश।
- सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की इकाइयों का विनिवेश वहां किया जाएगा जहां द्विस्तरीय नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से ऐसा किया जाना रणनीतिक क्रेता को वैधानिक रूप से अनुमत्य है।
- इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड का समतुल्य स्थिति वाले केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उद्यम के साथ विलय।
- विभाग में, इस निर्णय के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक कार्रवाई जारी है।

ज. सरकार ने भारत पंप्स एंड कंप्रेशर्स लिमिटेड (बीपीसीएल) के कर्मचारियों को वीआरएस/वीएसएस की पेशकश कर और इसकी परिसम्पत्तियों का निपटान कर कंपनी को बंद करने की मंजूरी 09 दिसंबर 2020 को दी। तदनुसार, कंपनी की बंदी प्रक्रिया चल रही है।

झ. सरकार ने स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड (एसआईएल) के कर्मचारियों को वीआरएस/वीएसएस की पेशकश कर और इसकी परिसम्पत्तियों का निपटान कर कंपनी को बंद करने की मंजूरी 20 जनवरी, 2021 को दी। तदनुसार, कंपनी की बंदी प्रक्रिया चल रही है।

1.6 सीपीएसईज /नवरत्न और मिनीरत्न कंपनियों को स्वायत्तता

केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक महारत्न उद्यमों को पूंजीगत व्यय, कार्यनीतिक गठबंधन करने और मानव संसाधन नीतियां तैयार करने आदि के संबंध में लचीलेपन के लिए अन्य के मुकाबले स्वायत्तता प्रदान की गई है। भेल एक महारत्न सीपीएसई है। भारी उद्योग विभाग के अधीनस्थ कुछ अन्य केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उद्यमों, नामतः– बीएंडआर, ईपीआई, एचएमटी(आई) और आरईआईएल को मिनीरत्न का दर्जा प्रदान किया गया है। बेहतर प्रचालन संबंधी कार्यों के लिए केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक मिनीरत्न उद्यमों को भी अधिकार

प्रदान किए गए हैं और अधिक शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं।

1.7 समझौता ज्ञापन (एमओयू)

सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को अधिक स्वायत्तता दी जा रही है लेकिन अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उन्हें जवाबदेह बनाने हेतु कार्यतंत्र बनाए गए हैं। विभाग के तहत सभी सीपीएसई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर कर रहे हैं।

1.8 राष्ट्रीय ऑटोमोटिव परीक्षण और अनुसंधान एवं विकास अवसंरचना परियोजना (नैट्रिप)

राष्ट्रीय ऑटोमोटिव परीक्षण और अनुसंधान एवं विकास अवसंरचना परियोजना (नैट्रिप) भारत में अत्याधुनिक ऑटोमोटिव परीक्षण, आधिकारिक प्रमाणन और अनुसंधान एवं विकास अवसरंचना सुविधाओं को स्थापित करने के लिए पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित परियोजना है। इस परियोजना का उद्देश्य ऐसी ऑटोमोटिव परीक्षण अवसंरचना की स्थापना करना है जो सुरक्षा और उत्सर्जन विनियम मानक पर खरी उतरे और जिससे निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए भारत की ऑटोमोटिव अनुसंधान एवं विकास क्षमताओं का भी विस्तार हो:

(क) ऑटोमोटिव परीक्षण संबंधी अत्यावश्यक अवसंरचना तैयार करना ताकि सरकार वैश्विक वाहन सुरक्षा, उत्सर्जन और कार्य–निष्पादन संबंधी मानकों को हासिल करने में समर्थ हो सके;

(ख) भारत में विनिर्माण को सुदृढ़ करना, बृहत मूल्यवर्द्धन को प्रोत्साहन देना जिससे रोजगार क्षमता/अवसरों में महत्वपूर्ण वृद्धि हो तथा सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स में भारत की सुदृढ़ता को अत्याधुनिक ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग के साथ जोड़ा जा सके;

(ग) निर्यात संबंधी बाधाओं को दूर करके इस क्षेत्र में भारत की वैश्विक पहुंच, जो काफी कम है, को बढ़ाना;

(घ) ऑटोमोटिव उद्योग के लिए मूल उत्पाद परीक्षण, सत्यापन और विकास अवसंरचना संबंधी भारी कमियों को दूर करना।

1.8.1 पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए योजना (एनपीपीसी, सीसीआई और एवाईसीएल)

भारी उद्योग विभाग के अधीन, पूर्वोत्तर क्षेत्र में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक निम्नलिखित उद्यम/इकाइयां स्थित हैं:–

i. हिन्दुस्तान पेपर कार्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसी) (नगांव और कछाड़ पेपर मिल्स), असम। राष्ट्रीय कंपनी न्यायाधिकरण(एनसीएलटी), नई दिल्ली के दिनांक 02 मई, 2019 के निदेशानुसार और राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) के दिनांक 29 मई, 2019 के आदेशों के अनुसार, कंपनी फिलहाल परिसमापनाधीन है।

ii. नागालैंड पल्प एंड पेपर कंपनी लिमिटेड (एनपीपीसी), नगालैंड। यह कंपनी प्रचालन में नहीं है।

iii. सीमेंट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीसीआई) (बोकाजन इकाई), असम।

iv. एंड्रयू यूल एण्ड कंपनी लिमिटेड (एवाईसीएल), (चाय बागान), असम।

एचपीसी और एनपीपीसी को कागज के विनिर्माण के लिए स्थापित किया गया था, जबकि सीसीआई और एवाईसीएल सीमेंट और चाय के विनिर्माण में हैं।

1.9 भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की लेखापरीक्षा टिप्पणियां

मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए भारी उद्योग विभाग के संबंध में सीएजी का कोई लेखापरीक्षा पैरा लंबित नहीं है।

2.0 बजट अनुमानों का विवरण

विभाग के तीन वर्षों के लिए बजट अनुमान, संशोधित अनुमान और वास्तविक व्यय का ब्यौरा अनुबंध –XIII पर है।

3.0 भारी उद्योग विभाग में प्रमुख घटनाएं

माननीय मंत्री (भारी उद्योग एवं लोक उद्यम) श्री प्रकाश जावड़ेकर तथा माननीय राज्य मंत्री श्री अर्जुनराम मेघवाल की भारी उद्योग विभाग के सचिव श्री अरुण गोयल और अन्य अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक

स्वच्छता पखवाड़े के दौरान डीएचआई के पदाधिकारियों द्वारा शपथ ग्रहण

माननीय मंत्री (भारी उद्योग एवं लोक उद्यम) संसद भवन सौध में 05.01.2021 को पूंजीगत वस्तु क्षेत्र पर परामर्शी समिति की अध्यक्षता करते हुए

अध्याय 2

भारी उद्योग विभाग के अधीन केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उद्यम

यह विभाग केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के 29 उद्यमों (सीपीएसई) को प्रशासित करता है। इन सीपीएसईज ने देश के औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये सीपीएसईज भारी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग उपस्करों से लेकर असैन्य निर्माण, भारी मशीनरी, परिशुद्ध औजारों, परामर्शी सेवाओं, चाय बागान आदि सहित अर्थव्यवस्था के विविध क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। वर्ष 2019–20 के दौरान विभाग के अधीन प्रचालित सीपीएसईज के निष्पादन के बारे में संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है:

2.1 एंड्रयू यूल एण्ड कम्पनी लिमिटेड (एवाईसीएल)

एंड्रयू यूल एण्ड कं. लिमिटेड (एवाईसीएल) ने समझौता ज्ञापन में किए गए 311.40 करोड़ रुपए के लक्ष्य की तुलना में 174.45 करोड़ रुपए मूल्य का उत्पादन किया, रुपए 153.01 करोड़ के विक्रय लक्ष्य की तुलना में 162.58 करोड़ रुपए मूल्य के बराबर की बिक्री की तथा समझौता ज्ञापन में निर्धारित 30.54 करोड़ रुपए के लाभ की तुलना में सितम्बर, 2020 तक रुपए 30.48 करोड़ का निवल लाभ (पीबीटी) अर्जित किया। एवाईसीएल ने माह सितम्बर, 2020 तक 55.94% उत्पादन लक्ष्य और 106.25% बिक्री लक्ष्य हासिल किया। माह सितम्बर, 2020 तक आर्डर बुक की स्थिति रुपए 18.92 करोड़ है, जबकि लक्ष्य रुपए 23.38 करोड़ का था। पिछले वर्ष के इसी अवधि की तुलना में सीपीएसई ने उत्पादन में नकारात्मक वृद्धि दर्ज की है, हालांकि पीबीटी में सकारात्मक वृद्धि हुई है।

2.2 हुगली प्रिन्टिंग कम्पनी लिमिटेड

हुगली प्रिन्टिंग कम्पनी लिमिटेड (एचपीसीएल), एंड्रयू यूल एंड कं. लिमिटेड (एवाईसीएल) के पूर्ण स्वामित्व वाली कम्पनी है। सचिवों की समिति (सीओएस) ने इसकी एचपीसीएल की धारक कंपनी एवाईसीएल के साथ विलय की सिफारिश की है। इसके प्रचालन बंद कर दिए गए हैं। विलय की प्रक्रिया चल रही है।

2.3 भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल)

भेल ऊर्जा और अवसंरचना क्षेत्रों में भारत का सबसे बड़ा इंजीनियरिंग और विनिर्माण उद्यम है और विश्व का एक अग्रणी विद्युत उपकरण विनिर्माता है जो अपने ग्राहकों को तापविद्युत, जलविद्युत, गैस, परमाणु और सौर पीवी, ऊर्जा भंडारण प्रणाली, पारेषण, परिवहन, ई–मोबिलिटी, रक्षा और एयरोस्पेस, तेल और गैस तथा जल के क्षेत्रों में व्यापक पोर्टफोलियो वाले उत्पाद, प्रणालियां ओर सेवाएं उपलब्ध करा रहा है।

भेल की अखिल भारतीय उपस्थिति में 16 विनिर्माण केंद्र, 2 मरम्मती इकाइयां, 4 क्षेत्रीय कार्यालय, 8 सेवा केंद्र, 1 अनुषंगी, 3 सक्रिय संयुक्त उद्यम, 15 क्षेत्रीय विपणन केंद्र, 4 विदेशी कार्यालय और भारत तथा विदेश में 150 से अधिक मौजूदा परियोजना कार्य–निष्पादन स्थल शामिल हैं।

भेल द्वारा आपूर्तित विद्युत उत्पादक उपकरण का विश्वव्यापी स्थापित आधार 190 गीगावाट से अधिक का है जो इसे भारतीय विद्युत संयंत्र उपकरण विनिर्माताओं में निस्संदेह अग्रणी बनाता है। भेल देश में थर्मल, हाइड्रो, परमाणु, गैस और सौर पीवी आधारित विद्युत उत्पादक 1000 से अधिक सेट स्थापित कर चुका है।

अर्थव्यवस्था में योगदान

विद्युत क्षेत्र

भेल दुनिया की उन चुनिंदा कंपनियों में से है, जिसके पास विद्युत संयंत्र उपकरण की समग्र रेंज के विनिर्माण की क्षमता है। इसकी पेशकश में शामिल हैं:

- 1000 मेगावाट यूनिट आकार तक के वाष्प टर्बाइन, जेनरेटर, बॉयलर और जीवाश्म–ईंधन अनुप्रयोगों के लिए तुलनीय अनुषंगी उपकरण

संस्थापनाधीन सुपरक्रिटिकल विद्युत संयंत्र

- उत्सर्जन नियंत्रक उपकरण जिनमें सल्फर ऑक्साइड उत्सर्जन नियंत्रण हेतु फ्लू गैस विसल्फरीकरण प्रणालियां, पार्टिकुलेट उत्सर्जन नियंत्रण हेतु उच्चक्षम इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसीपिटेटर्स और नाइट्रोजन ऑक्साइड उत्सर्जन नियंत्रण हेतु चुनिंदा उत्प्रेरक उपशमन प्रणालियां शामिल हैं।
- 299 मेगावाट यूनिट आकार के गैस टर्बाइन और जेनरेटर
- 400 मेगावाट यूनिट आकार तक के हाइड्रो टर्बाइन और जेनरेटर
- 220/235/500/540/700 मेगावाट ई–परमाणु टर्बाइन जेनरेटर सेट

उद्योग क्षेत्र

भेल विविध प्रकार की औद्योगिक प्रणालियों और उत्पादों का प्रमुख विनिर्माता है। भेल की प्रमुख पेशकश में शामिल हैं:

- **परिवहन:** इलेक्ट्रिक लोको और एसीईएमयू / एमईएमयू, ईएमयू कोच आदि के लिए आईजीबीटी–आधारित प्रणोदन उपकरण (ट्रैक्शन कन्वर्टर/अनुषंगी कन्वर्टर/वाहन नियंत्रण इकाई), ट्रैक्शन ट्रांसफर्मर।
- **नवीकरणीय:** किलोवाट से मेगावाट तक के आकार वाले संयंत्रों में ग्रिड–संबद्ध और स्वतंत्र सौर पीवी अनुप्रयोगों के लिए अवधारणा से लेकर संस्थापन तक के ईपीसी समाधान।

भेल तीन दशकों से अधिक की सिद्ध विशेषज्ञता के साथ, सभी सौर ऊर्जा जरूरतों के लिए समग्र समाधान प्रदान करता है।

- **ऊर्जा भंडारण समाधानः** इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर, इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन, लिथियम ऑयन बैटरी पैक, इलेक्ट्रिक वाहन।
- **रक्षा और एयरोस्पेसः** इसरो के प्रक्षेपन यानों के लिए समुद्री पोत, प्रणोदक टैंक और इसके पुर्जों के लए सुपर रैपिड गन माउंट और एकीकृत प्लेटफार्म प्रबंधन प्रणाली।
- **पारेषणः** 132 केवी से 765 केवी तक के रेंज वाले ईएचवी और यूएचवी उप–केंद्र तथा ±800 केवी तक के एचवीडीसी कन्वर्टर केंद्र, विद्युत ट्रांसफर्मर आदि।
- **जलः** विद्युत संयंत्रों, उद्योगों और नगरपालिका अनुप्रयोगों के लिए संपूर्ण जल प्रबंधन समाधान।
- **औद्योगिक उत्पादः** तेल रिग, वेलहेड्स और एक्समस ट्री वाल्व, मैकेनिकल पैकेज, फैब्रिकेटेड उपकरण और बॉयलर फीड पंप्स, कंप्रेसर्स तथा एसी मशीनें।
- **कैप्टिव पावर परियोजनाएंः** वाष्प और गैस टर्बाइन–आधारित।

विश्व के हर ऐसे महाद्वीप में भेल की व्यापक उपस्थिति है, जहां मनुष्य की मौजूदगी है। भेल ने विदेशी बाज़ारों में लगभग 11 गीगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता स्थापित की है।

इसके अतिरिक्त, 6 गीगावाट पर काम चल रहा है जिसमें बांगलादेश में 2x660 मेगावाट की मैतेरी सुपर थर्मल पावर परियोजना और नेपाल में 4x225 मेगावाट की अरुण–3 हाइड्रोइलेक्ट्रिक परियोजना शामिल हैं।

निष्पादन विशेषताएं

मुख्यतः वित्त वर्ष की अंतिम तिमाही में कोविड–19 महामारी के कारण, जिसके परिणामस्वरुप अंततः 25 मार्च,2020 से राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन लगाना पड़ा, वर्ष 2019–20 के राजस्व पर प्रभाव पड़ा। कंपनी के प्रचालन पर इस महामारी का प्रभाव काफी पहले से महसूस होना शुरु हो गया था क्योंकि चीन, इटली आदि से सामग्री की आपूर्तियों में व्यवधान आने लगा था जो जनवरी 2020 से शुरु हुआ और जिसने पूरी तिमाही के दौरान निष्पादन को काफी प्रभावित किया।

कंपनी को वित्त वर्ष 2019–20 में 662 करोड़ रुपए का घाटा हुआ जबकि वित्त वर्ष 2018–19 में 2048 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ था जो मुख्यतः कम राजस्व प्राप्ति और अधिक सामग्री लागत का परिणाम था।

वित्त वर्ष 2019–20 के लिए कर के उपरांत घाटा 1473 करोड़ रुपए रहा जो 2018–19 में 1209 करोड़ रुपए था।

कंपनी को वित्त वर्ष 2019–20 में 23547 करोड़ रुपए के आदेश प्राप्त हुए जिनमें से 13784 करोड़ रुपए के आदेश विद्युत खंड में, 8757 करोड़ रुपए के आदेश उद्योग खंड में और 1006 करोड़ रुपए के आदेश अंतरराष्ट्रीय प्रचालनों से संबंधित थे। 31 मार्च,2020 की समाप्ति पर आदेश बही में बकाया लगभग 108443 करोड़ रुपए (88284 करोड़ रुपए का निष्पाद्य आदेश) था जो 31 मार्च, 2019 को 108680 करोड़ रुपए (86953 करोड़ रुपए का निष्पाद्य आदेश) था।

कोविड–19 से उत्पन्न असाधारण परिस्थिति के कारण भेल के निदेशक मंडल ने 13 जून,2020 को आयोजित अपनी बैठक में वर्ष 2019–20 के लिए कोई लाभांश न देने का निर्णय लिया।

विवरण अनुलग्नक–XII पर है।

2.4 बीएचईएल– ईएमएल

बीएचईएल– ईएमएल, बीएचईएल और केरल सरकार की एक संयुक्त उद्यम कंपनी (जेवीसी) है जो अनुसूची 'ग' कंपनी के रूप में वर्गीकृत है। इस कंपनी में बीएचईएल की हिस्सेदारी इक्विटी पूंजी का 51% हिस्सा है और शेष 49% केरल सरकार / केईएल के पास है। बीएचईएल–ईएमएल ने केरल इलेक्ट्रिकल एंड एलाइड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड (केईएल) की कासरगोड इकाई को 28.03.2011 से अधिग्रहित किया है। इसमें अचल संपत्ति (परिसर), अवसंरचना, मानव संसाधन और बौद्धिक संपदा अधिकारों सहित उत्पाद पोर्टफोलियो के अधिकार सम्मिलित हैं। इस जेवीसी को अल्टरनेटर और अन्य रोटेटिंग मशीनों का निर्माण कार्य सौंपा गया था। बीएचईएल–ईएमएल ने 28.03.2011 को अपना प्रचालन शुरू किया। बीएचईएल–ईएमएल वर्तमान में रुग्णता की प्रारम्भिक अवस्था में है।

2.5 ब्रेथवेट, बर्न एंड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (बीबीजे)

द ब्रेथवेट, बर्न एंड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (बीबीजे) को पूर्वी भारत की तीन मुख्य इंजीनियरिंग कंपनियों अर्थात् ब्रेथवेट एंड कंपनी लिमिटेड (40%), बर्न एंड कंपनी लिमिटेड (30%) और जेसप एंड कंपनी लिमिटेड (30%) द्वारा किए जा रहे शेयर निवेश के अंशदान से कंपनी अधिनियम के तहत दिनांक 26.01.1935 को शामिल किया गया था। कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत तत्कालीन धारक कंपनी नामतः भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड (बीबीयूएनएल) के समस्त शेयरों के अंतरण के परिणामस्वरूप बीबीजे ''सरकारी कंपनी'' बन गई और 14.08.1987 से बीबीयूएनएल के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बन गई।

भारत सरकार के आदेश के परिणामस्वरूप, अंतरणकर्ता कंपनी के रूप में इस कंपनी (बीबीजे) का अंतरिती कंपनी के रूप में भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड में 01.04.2015 को विलय कर दिया गया। इसके बाद, बीबीयूएनएल को 18.11.2015 को द ब्रेथवेट बर्न एंड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (बीबीजे) के रूप में पुनर्नामित किया गया।

बीबीजे को बीआईएफआर को नहीं संदर्भित किया गया। तथापि, कंपनी को संधारणीय आधार पर अर्थक्षम उद्यम बनाने के लिए, भारत सरकार ने जुलाई, 2005 में बीबीजे के वित्तीय पुनर्गठन प्रस्ताव का अनुमोदन किया। तब से कंपनी लगातार निवल लाभ और धनात्मक निवल मूल्य प्राप्त कर रही है। वित्त वर्ष 2009–10 से बीबीजे ने अपनी संचित हानि को पूरी तरह से समाप्त कर लिया और अपने प्रोमोटर अर्थात भारत सरकार को लाभांश का भुगतान किया है। भारत सरकार को नियमित रूप से लाभांश का भुगतान करके बीबीजे ''लाभांश का भुगतान करने वाला केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उद्यम'' बन गया है। हाल ही में, दिनांक 31.03.2020 की स्थिति के अनुसार, बीबीजे ने रुपए 120.86 करोड़ की अपनी इक्विटी शेयर पूंजी के 8.54% (लगभग) की दर से रुपए 10.33 करोड़ के लाभांश का भुगतान किया है।

2.6 रिचर्डसन एंड क्रूडास (1972) लिमिटेड (आर एंड सी)

रिचर्डसन एंड क्रूडास (1972) लिमिटेड (आर एंड सी) को वर्ष 1973 में संसद के अधिनियम द्वारा भारत सरकार द्वारा अधिग्रहित किया गया था। यह अनुसूची 'ग' श्रेणी की और भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है। इसकी चार इकाइयां हैं: मुंबई में दो––भायखला और मुलुंड में तथा नागपुर और चेन्नई में एक–एक। यह इस्पात संरचनाओं के फैब्रिकेशन और इरेक्शन, प्रेशर वेसल्स के फेब्रिकेशन, बॉयलर ड्रम्स, हॉट प्रैस्ड डिश्ड एंड्स, ट्रांसमिशन लाइन टॉवर्स, पर्यावरण के अनुकूल इंजीनियरिंग प्रयोगशाला सेवाएं मुहैया कराने और उप–नगरों के अनुरक्षण करने जैसे कार्यों में लगी हुई है। संघीय मंत्रिमंडल ने 21 सितम्बर, 2016 को कंपनी की वित्तीय पुनर्संरचना करने की स्वीकृति दी। मंत्रिमंडल के निर्णय को कार्यान्वित किया जा रहा है।

2.7 ब्रिज एण्ड रूफ कंपनी (इंडिया) लिमिटेड (बी एंड आर)

ब्रिज एण्ड रूफ कंपनी (इंडिया) लिमिटेड (बी एंड आर) को जनवरी, 1920 में बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड की एक सहायक कंपनी के रूप में स्थापित किया गया था। तत्पश्चात्, यह पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन वर्ष 1972 में सरकारी कंपनी बन गई। जून 1986 में, बी एंड आर का प्रशासनिक नियंत्रण भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय को सौंप दिया गया और बाद में इसे 1987 में धारक कंपनी मैसर्स भारत यंत्र निगम लिमिटेड (बीवाईएनएल), इलाहाबाद के नियंत्रण में लाया गया। भारत सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के परिणामस्वरूप, बीवाईएनएल दिनांक 06.05.2008 से बीएंडआर की धारक कंपनी नहीं रही और यह सीधे भारी उद्योग विभाग के नियंत्रणाधीन आ गई। कंपनी की पूंजी पुनर्संरचना और सुदृढ़ीकरण के प्रस्ताव को भारत सरकार ने दिनांक 02.09.2005 को अनुमोदित किया।

पश्चिम बंगाल में सुंदरबन क्षेत्र में राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम उपशमन परियोजना के अंतर्गत 98 बहुप्रयोजनीय चक्रवात आश्रय स्थलों का निर्माण

सीमा सड़क संगठन के लिए लेह में दारबुक श्योक–दौलत बेग ओल्डी सड़क पर 4.25 मी. के 1400 फीट (10X 140) लंबे बेली मालवहन सेतु का विनिर्माण, आपूर्ति, संस्थापन और प्रारंभन*

ब्रिज एंड रूफ कंपनी हाइड्रोकार्बन, विद्युत, एल्यूमिनियम, इस्पात, रेलवे आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में सिविल और मैकेनिकल निर्माण कार्यों तथा तैयारशुदा परियोजनाओं के क्षेत्र में एक प्रमुख निर्माण और इंजीनियरिंग कंपनी है।

ब्रिज एण्ड रूफ कंपनी को 21 सितंबर 2010 को भारत सरकार ने मिनिरत्न वर्ग–I का दर्जा प्रदान किया।

2.8 भारत पम्प्स एंड कंप्रेसर्स लिमिटेड (बीपीसीएल)

भारत पम्प्स एंड कंप्रेसर्स लिमिटेड (बीपीसीएल) को उत्तर प्रदेश के नैनी, इलाहाबाद में विनिर्माण केंद्र सहित वर्ष 1970 में शामिल किया गया था। यह कंपनी तेल अन्वेषण और दोहन, तेल शोधन कारखानों, पेट्रो–रसायन, रसायन और उर्वरक और संबंधित डाउनस्ट्रीम उद्योगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हेवी ड्यूटी पंप्स एंड कंप्रेसर्स तथा उच्च दाब वाले सीवनरहित सीएनजी गैस सिलेण्डरों/कासकेड के विनिर्माण और आपूर्ति का काम करती है।

आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति ने दिनांक 27 अक्तूबर, 2016 को आयोजित अपनी बैठक में बीपीसीएल के संबंध में कार्यनीतिक विनिवेश हेतु ''सैद्धांतिक'' अनुमोदन दिया। किंतु, विनिवेश प्रक्रिया सफल नहीं रही।

सरकार ने दिनांक 09.12.2020 को भारत पम्प्स एंड कंप्रेसर्स लिमिटेड (बीपीसीएल) के कर्मचारियों को वीआरएस/वीएसएस पैकेज देकर और इसकी सम्पत्तियों का निपटान कर कंपनी को बंद करने हेतु अनुमोदन दिया। तदनुसार, कंपनी को बंद करने संबंधी कार्य प्रगति पर है।

2.9 त्रिवेणी स्ट्रकचरल्स लिमिटेड

नैनी, उत्तर प्रदेश में अवस्थित त्रिवेणी स्ट्रकचरल्स लिमिटेड (टीएसएल) (परिसमापनाधीन) को 1965 में शामिल किया गया था। कंपनी विद्युत पारेषण, संचार और टीवी प्रसारण हेतु ऊंचे टावरों और खंभों, हाइड्रो मैकेनिकल उपस्कर, प्रेशर वैसल्स आदि जैसे भारी इस्पात संरचना उत्पादों के विनिर्माण करती थी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के दिनांक 08.10.2013 के आदेशानुसार, कंपनी आधिकारिक परिसमापक द्वारा परिसमापनाधीन है।

2.10 तुंगभद्रा स्टील प्रॉडक्ट्स लिमिटेड

यह कंपनी भारत सरकार, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश सरकारों के साथ होस्पेट (कर्नाटक) में एक संयुक्त उद्यम के रूप में 1960 में स्थापित की गई थी। यह कंपनी हाइड्रोलिक संरचनाओं, पेनस्टॉक्स, भवन संरचना, पारेषण लाइन टावरों, ईओटी और गेन्ट्री क्रेनों आदि की डिजाइन, विनिर्माण और संस्थापन के काम में लगी हुई थी।

सीसीईए ने दिनांक 22.12.2015 को इस कंपनी को बंद करने का अनुमोदन दिया और तदनुसार कर्मचारियों को वीआरएस देते हुए सेवामुक्त करने, चल और अचल परिसंपत्तियों के निपटान करने और कंपनी के सभी लेनदारों और देनदारों के साथ निपटान हेतु दिनांक 18.01.2018 को अनुमोदन प्रदान किया। टीएसपीएल का बंदीकरण अग्रिम चरण में है और अधिकांश विनियामक आवश्यकताओं का पहले ही अनुपालन किया जा चुका है। सभी चल सम्पत्तियों का निपटान पहले ही किया जा चुका है। भारी उद्योग विभाग ने हाल ही में कंपनी

के सभी दावों / देयताओं का निपटान करने हेतु 53.92 करोड़ रुपए की राशि जारी की है।

2.11 हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड

एचसीएल की स्थापना भूमिगत टेलीफोन केबलों (पॉलिथीन इंसुलेटेड जेली फिल्ड केबल और ऑप्टिकल फाइबर केबल) के निर्माण के लिए वर्ष 1952 में रूपनारायणपुर में की गई थी। वायरलेस तकनीक की शुरुआत के कारण कंपनी के कारोबार में तेजी से कमी आई। एचसीएल 1995–96 से घाटे में चलने लगी। चूंकि कंपनी का निवल मूल्य घट गया था, अतः एचसीएल को नवंबर 2002 में बीआईएफआर को संदर्भित कर दिया गया। वर्ष 2005–06 से उत्पादन और आंतरिक निधियों का सृजन पूरी तरह से बंद हो गया था। बीआईएफ़आर ने दिनांक 22.06.2010 की सुनवाई में, 2007 के नोशनल वेतनमान में वीआरएस / वीएसएस का प्रस्ताव देते हुए कंपनी को बंद करने का निदेश दिया। संघीय मंत्रिमंडल ने दिनांक 28.09.2016 को अपनी बैठक में कंपनी को बंद करने का निदेश दिया। मंत्रिमंडल के निर्णय को लागू करने के लिए अचल सम्पत्तियों के निपटान हेतु कार्रवाई की जा रही है।

2.12 हेवी इंजीनियरिंग कार्पोरेशन लिमिटेड

हेवी इंजीनियरिंग कार्पोरेशन लिमिटेड (एचईसी), रांची को 31 दिसम्बर, 1958 को लौह और इस्पात उद्योग तथा खनन, धातुकर्म तथा इंजीनियरिंग उद्योगों जैसे अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए उपस्करों और मशीनरी की डिजाइन और विनिर्माण के क्षेत्र में स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता हासिल करने के मुख्य उद्देश्य से शामिल किया गया था। इसकी तीन विनिर्माण इकाइयां और एक टर्न–की परियोजना प्रभाग है अर्थात्:–

- **हेवी मशीन बिल्डिंग प्लांट (एचएमबीपी)**

  यह यूनिट इस्पात संयंत्रों के लिए उपस्करों की विस्तृत श्रृंखला, जैसे ब्लास्ट फर्नेस व रोलिंग मिल्स आदि, ईओटी क्रेन तथा वैगन टिपलर्स आदि जैसे मेटिरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट, खनन उद्योगों के लिए 5 और 10 घन मीटर के उत्खनक उपकरण, क्रशर्स, ड्रैग लाइन्स और माइन विंडर्स आदि जैसे उपकरणों की व्यापक श्रृंखला का निर्माण करता है। इसके अतिरिक्त यह विभिन्न सेक्टरों से प्रौद्योगिकीय संरचनाओं के आदेशों को भी निष्पादित करता है।

- **हेवी मशीन टूल्स लिमिटेड प्लांट (एचएमटीपी)**

  यह यूनिट सीएनसी हेवी ड्यूटी मशीन टूल्स सहित भारी मशीन टूल्स तथा रेलवे, रक्षा, पावर और अन्य क्षेत्रों के लिए अपेक्षित विशेष प्रयोजन वाले सभी प्रकार के मशीन टूल्स का निर्माण करता है।

- **फाउंड्री फोर्ज प्लांट (एफएफपी)**

  यह रेलवे के लिए बी.जी. क्रैंक शाफ्ट के अलावा, विद्युत, नाभिकीय और अन्य क्षेत्रों के लिए विभिन्न किस्म की भारी एवं मध्यम कास्टिंग्स, फोर्जिंग तथा रोल्स का निर्माण करता है। यह यूनिट एचएमबीपी और एचएमटीपी के लिए फीडर यूनिट के रूप में भी कार्य करता है।

- **टर्नकी परियोजना प्रभाग**

  यह कम तापमान कार्बनीकरण संयंत्रों, कोल हैंडलिंग संयंत्रों, कोल वॉशरीज, सिंटरिंग संयंत्रों, अनवरत कास्टिंग प्लांट्स और कच्चा माल देख–रेख प्रणाली आदि क्षेत्रों में टर्नकी परियोजनाओं का कार्य देखता है।

उपस्करों/सुविधाओं की खराब होती स्थिति के साथ–साथ कार्यशील पूंजी की अत्यधिक कमी से 2013–14 से इसका कार्य–निष्पादन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। इसके अतिरिक्त, पुराने क्रयादेशों को पूरा करने से लागत पर और अधिक प्रभाव पड़ा और कंपनी को प्रचालन हानि होनी शुरु हो गई। वेंडरों को समय पर भुगतान के मुद्दों की वजह से आउटसोर्सिंग जैसे प्रयासों से भी फायदा नहीं हुआ। टर्नओवर में ह्रास के कारण वर्ष 2018–19 की तुलना में वर्ष 2019–20 में प्रचालन हानि में बढोतरी हुई है। वर्ष 2019–20 में उत्पादन और कारोबार क्रमशः रुपए 158.29 करोड़ और रुपए 132.68 करोड़ का रहा जबकि 2018–19 के दौरान यह क्रमशः रुपए 340.22 करोड़ एवं रुपए 356.21 करोड़ का था। कंपनी को 2019–20 के दौरान रुपए 405.37 करोड़ की प्रचालन हानि हुई जबकि 2018–19 के दौरान यह हानि रुपए 256.24 करोड़ थी।

2.13 एचएमटी लिमिटेड

एचएमटी लिमिटेड भारत की प्रमुख इंजीनियरी कम्पनी समूह में से एक है, जिसे भारत सरकार ने 1953 में शामिल किया था। इसका उद्देश्य देश के लिए औद्योगिक इमारतों का निर्माण करने के प्रयोजन से अपेक्षित मशीन टूल्स का निर्माण करना था। स्विटजरलैंड के मैसर्स ऑरलिकोन के सहयोग से बंगलौर में एक विनिर्माण इकाई की स्थापना की गई थी। समय के साथ कम्पनी ने घड़ियों, ट्रैक्टरों, प्रिंटिंग मशीनों, खाद्य प्रसंस्करण मशीनरी, प्रेसों, बेयरिंग्स आदि जैसे विभिन्न उत्पादों का विनिर्माण शुरू किया तथा इन उत्पादों के लिए सम्पूर्ण देश में अर्थात् बंगलौर, हैदराबाद, अजमेर, कोचीन के समीप कलमासेरी, चंडीगढ़ के नजदीक पिंजौर, बंगलौर के निकट तुमकुर, नैनीताल के निकट रानीबाग और कश्मीर में श्रीनगर जैसे स्थानों पर विनिर्माण कम्पनियां स्थापित कीं।

भारत सरकार की नई आर्थिक नीतियों की पहल के फलस्वरूप, वैश्वीकरण की चुनौतियों का सामना करने तथा समकालीन व्यापार मॉडल के साथ–साथ चलने के लिए वर्ष 2000 में कंपनी का पुनर्गठन धारक कम्पनी के तहत अपने विभिन्न व्यापारिक पोर्टफालियो के आधार पर सहायक कम्पनियों का निर्माण करके किया गया था। एचएमटी लिमिटेड (एचएमटीएल) 06 सहायक कंपनियों के साथ धारक कंपनी हो गई, यथा– एचएमटी मशीन टूल्स लि. (एचएमटी एमटीएल), एचएमटी वाचेज लि. (एचएमटी डब्लूएल), एचएमटी चिनार वाचेज लि. (एचएमटी सीडब्लूएल), एचएमटी बेयरिंग्स लि. (एचएमटी बीएल), एचएमटी (इंटरनेशनल) लि. (एचएमटीआई) और प्राग टूल्स लि., जबकि ट्रैक्टर कारोबार और खाद्य प्रसंस्करण मशीनरी कारोबार का सीधे ही प्रबंधन किया जाता था। बाद में, प्राग टूल्स लि. का एचएमटी मशीन टूल्स के साथ विलय कर दिया गया।

सीसीईए ने 06 जनवरी, 2016 को अपनी बैठक में एचएमटी डब्लूएल, एचएमटी सीडब्लूएल और एचएमटी बीएल के बंदीकरण की मंजूरी दी। अक्तूबर, 2016 के दौरान, संघीय मंत्रिमंडल ने भी एचएमटी ट्रैक्टर डिवीजन के बंदीकरण की मंजूरी दी (इन उद्यमों की बंदीकरण प्रक्रिया प्रगति पर है)। बंदीकरण संबंधी उपर्युक्त निर्णयों के परिणामस्वरूप, धारक कंपनी–एचएमटी लि. अब औरंगाबाद में खाद्य प्रसंस्करण मशीनरी डिवीजन तथा बेंगलुरु में सहायक व्यवसाय डिवीजन का सीधे ही प्रबंधन करता है जबकि एचएमटी (इन्टरनेशनल) और एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड इसकी दो प्रचालनरत सहायक कंपनियां हैं।

समय भारती–2020 में एचएमटी घड़ियों का प्रदर्शन

एचएमटी हैरिटेज सेंटर एंड म्यूजियम, जलाहल्ली, बेंगलूरु में 'पुष्प घड़ी'

कंपनी और इसकी प्रचालनरत सहायक कंपनियों का संक्षिप्त ब्यौरा निम्नानुसार है:

एचएमटी लिमिटेड (एचएमटीएल)

धारक कंपनी एचएमटी लिमिटेड खाद्य प्रसंस्करण मशीनरी कारोबार और सहायक व्यवसाय प्रभाग का प्रबंधन स्वयं करती है। खाद्य प्रसंस्करण मशीनरी प्रभाग महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है और यह इकाई विभिन्न प्रकार की डेयरी मशीनरी तथा खाद्य प्रसंस्करण अनुप्रयोगों का विनिर्माण करती है। एचएमटी घड़ियों की ब्रांड इक्विटी का लाभ लेने के लिए कंपनी ने कम्पोनेंट्स को आउटसोर्स करते हुए सहायक व्यवसाय प्रभागों में कलाई घड़ी तथा दीवाल घड़ी की असेम्बली और बिक्री का काम शुरू किया है।

2.14 एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड (एचएमटी एमटीएल)

एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड एक प्रौद्योगिकी– चालित कंपनी है जिसका बैंगलोर में कार्पोरेट मुख्यालय के साथ छः विनिर्माण यूनिटें और एक केन्द्रीकृत विपणन प्रभाग है। छः विनिर्माण यूनिटें बैंगलोर (कर्नाटक), पिंजौर, (हरियाणा), क्लामासेरी (केरल), हैदराबाद (02) (तेलंगाना) और अजमेर (राजस्थान) में स्थित हैं और विपणन प्रभाग का उपभोक्ताओं की बिक्री एवं सेवा आवश्यकताओं को पुरा करने के लिए समुचे देश में विपणन और बिक्री नेटवर्क है। घरेलू तथा निर्यात दोनों प्रकार के बाजारों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए एचएमटी एमटीएल प्रिंटिंग मशीनों और डाई कॉस्टिंग तथा मोल्डिंग मशीनों सहित मेटल कटिंग एवं मेटल फॉर्मिंग मशीनों का विनिर्माण करती है। कंपनी को अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा और रक्षा तथा रेलवे आदि क्षेत्रों में विशेष उपयोग के लिए उपकरणों व मशीनों की आपूर्ति करने में विशेषज्ञता प्राप्त है।

2.15 एचएमटी (इंटरनेशनल) लिमिटेड (एचएमटीआई)

एचएमटी (आई) एचएमटी लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में वर्ष 1974 में शामिल मिनी–रत्न कंपनी है जो एचएमटी समूह की निर्यात शाखा है तथा समूह की आयात आवश्यकताओं को भी पूरा करती है। एचएमटी (आई) को देश की सर्वश्रेष्ठ निर्यात कंपनियों में गिना जाता है जिसका वैश्विक नेटवर्क 38 से अधिक देशों में है। यह अन्य भारतीय विनिर्माताओं के उत्पादों की बिक्री भी करती है, टर्नकी इंजीनियरिंग परियोजनाएं आरंभ करती है और इसने विभिन्न देशों में व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों, आईटी प्रशिक्षण केन्द्रों, एसएमई विकास केन्द्रों, औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों, उद्यमी प्रशिक्षण और विकास केन्द्रों की स्थापना करने में अपना एक स्थान बनाया है। मुख्यतः, टूल रूम्स और प्रशिक्षण केन्द्रों के क्षेत्र में टर्न–की परियोजनाओं के कार्यान्वयन पर बल दिया जाता है।

2.16 इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड,कोटा (आईएलके)

इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड (आईएल), कोटा की स्थापना 1964 में 100% सरकारी स्वामित्व वाले केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उद्यम के रूप में प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों, यथा– विद्युत, इस्पात, तेलशोधक आदि में नियंत्रण एवं इंस्ट्रूमेन्टेशन (सीएंडआई) की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने और इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए की गई थी। कंपनी का पंजीकृत कार्यालय और मुख्यालय कोटा, राजस्थान में तथा विनिर्माणकारी संयंत्र पलक्काड, केरल में है। पलक्काड इकाई प्रसंस्करण उद्योगों के लिए कंट्रोल वॉल्व्स, बटरफ़्लाइ वॉल्व्स, पावर सिलिंडर्स, एक्चुएटर्स आदि का विनिर्माण करती है तथा इसे आईएसओ 9001:2015, आईएसओ 14001:2015 और आईएसओ 45001:2018 प्रमाणनों से प्रत्यायन प्राप्त हैं।

इंस्ट्रूमेन्टेशन लिमिटेड एक रुग्ण इकाई थी और इसके मामले को 1994 में बीआईएफआर को भेज दिया गया था। सभी पहलुओं (पुनरुद्धार और विलय सहित) पर विचार करते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिनांक 30.11.2016 को इंस्ट्रूमेन्टेशन लिमिटेड की कोटा इकाई को बंद करने हेतु अनुमोदन दिया तथा इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड की पलक्काड इकाई को केरल सरकार (जीओके) को हस्तांतरित करने का ''सैद्धांतिक'' अनुमोदन दिया।

इन्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड की कोटा इकाई को 18.04.2017 को बंद कर दिया गया और इसके कर्मचारियों के वेतन, मजदूरी, वीआरएस/ वीएसएस और अन्य स्वीकृत देयताओं का भुगतान कार्य पूरा हो गया है। कोटा इकाई को बंद करने के उपरांत, पंजीकृत कार्यालय और मुख्यालय को जयपुर, राजस्थान में स्थानांतरित कर दिया गाय है।

2.17 राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड (आरईआईएल)

राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड(आरईआईएल), जयपुर अनुसूची 'ग' में शामिल ''मिनिरत्न'' और आईएसओ 9001 तथा आईएसओ 14001 प्रमाणित केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उद्यम है। 1981 में इसकी स्थापना इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, कोटा (आईएलके) और राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड (आरआईआईसीओ) के संयुक्त उद्यम के रूप में क्रमशः 51% और 49% की हिस्सेदारी के साथ की गई थी। कंपनी ने अपनी उत्पाद श्रेणी को वैविध्यपूर्ण बनाया है जिसमें सौर प्रकाश वोल्टीय मॉडयूल/ प्रणाली, औद्योगिक इलेक्ट्रॉनिक्स, सुरक्षा निगरानी प्रणाली और सूचना प्रौद्योगिकी शामिल हैं।

फरवरी, 2016 में भारत सरकार के अनुमोदन के अनुसरण में, सम्पूर्ण अंशधारिता भारत के राष्ट्रपति को अंतरित करके आरईआईएल को आईएलके से अलग कर दिया गया है और इस प्रकार यह एक स्वतंत्र केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उद्यम बन गया है।

आरईआईएल सौर प्रकाश वोल्टीय, दुग्ध परीक्षण और दुग्ध सहकारिता तथा डेयरी उद्योग की गुणवता संबंधी आवश्यकताओं और ई–गवर्नेंस के लिए ऑटोमेशन सॉल्यूशन और सूचना प्रौद्योगिकी तथा संचार अनुप्रयोग, डेयरी वर्टिकल, लघु व्यापार और सरकारी क्षेत्रकों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र की ऊर्जी आवश्यकताओं को पूरा करता है। यह मुख्यतः इलैक्ट्रॉनिक्स, नवीकरणीय इलेक्ट्रॉनिक्स, नवीकरणीय ऊर्जा और सूचना प्रौद्योगिकी समाधानों के माध्यम से ग्रामीण भारत को सहायता प्रदान करता है। हाल के संवर्धन में, भारत सरकार की फेम इंडिया योजना के तहत ई–मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए अवसंरचना स्थापित करना शामिल है।

कंपनी ने अपनी व्यापार गतिविधियों को सरकार के राष्ट्रीय मिशन, जैसे– राष्ट्रीय सौर मिशन, राष्ट्रीय डेयरी मिशन, मेक इन इंडिया, कुशल भारत, फेम इंडिया और डिजीटल इंडिया आदि के अनुरुप कर लिया है।

2.18 स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड (एसआईएल)

इटली के मैसर्स इन्नोसेन्टी से पुराना संयंत्र खरीद कर 1972 में स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड, लखनऊ की स्थापना की गई थी। यह तिपहिया वाहनों के विनिर्माण और विपणन में लगी हुई है।

स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड को 11 अगस्त, 1992 को रुग्ण कम्पनी घोषित कर दिया गया था और इसके मामले को औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्संरचना बोर्ड (बीआईएफआर) को संदर्भित कर दिया गया। मंत्रिमंडल ने इसके पुनरुद्धार प्रस्ताव को दिनांक 31.01.2013 की अपनी बैठक में अनुमोदित किया।

आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति ने दिनांक 27.10.2016 की अपनी बैठक में स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड (एसआईएल) में भारत सरकार की 100% शेयरधारिता के विनिवेश को मंजूरी दी। तदनुसार, डीआईपीएएम के दिशानिर्देशों के अनुसार, कार्यनीतिक विनिवेश प्रक्रिया आरंभ की गई। किंतु, बोलीदाताओं की अनुपलब्धता के कारण विनिवेश प्रक्रिया असफल रही। तत्पश्चात्, सीजीडी ने दिनांक 28.11.2019 की अपनी बैठक में सिफ़ारिश की कि एसआईएल को बंद करने के संबंध में डीआईपीएएम के प्रस्ताव को समुचित प्राधिकारी के अनुमोदन हेतु प्रसंस्कृत किया जाए।

सरकार ने 20.01.2020 को स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड (एसआईएल) के कर्मचारियों को वीआरएस/वीएसएस पैकेज देकर और इसकी परिसंपत्तियों का निपटान करते हुए इसे बंद करने हेतु अनुमोदन दिया। तदनुसार, कंपनी को बंद करने संबंधी कार्य प्रगति पर है।

2.19 सीमेंट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीसीआईएल)

सीमेंट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीसीआई) की स्थापना 1965 में की गयी थी। इसका मुख्य उद्देश्य सीमेंट उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में सीमेंट फैक्ट्रियों की स्थापना करना तथा क्षेत्रीय असंतुलनों को दूर करना था। सीसीआई की इकाइयां 7 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों अर्थात् छत्तीसगढ़ में मंधार और अकलतारा; मध्यप्रदेश में नयागांव, कर्नाटक में कुरकुंटा, असम में बोकाजन, हिमाचल प्रदेश में राजबन, तेलंगाना में आदिलाबाद और तांदूर तथा हरियाणा में चरखी दादरी में स्थित थीं। कंपनी रूग्ण हो गई तथा 1996 में इसे रुग्ण कंपनी के रूप में इसका मामला बीआईएफआर को सौंप दिया गया। सीसीआई के लिए 2006 में पुनरूद्धार पैकेज अनुमोदित किया गया जिसमें तीन प्रचालनरत संयंत्रों, नामतः– हिमाचल प्रदेश में राजबन, असम में बोकाजन तथा तेलंगाना में तांदूर का विस्तार/उन्नयन तथा आधुनिकीकरण करना और प्रचालनरुद्ध सात संयंत्रों की बंदी/बिक्री की व्यवस्था थी। सरकार के अनुमोदन के अनुसार, सीसीआई की नयागांव इकाई के लिए विनिवेश प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है।

इस अवधि के दौरान, बोकाजन इकाई के अंदर आवाजाही की सुगमता, परिवहन घाटे को कम करने और कोयले तथा अन्य कच्चे पदार्थों को हैंडल करने के लिए रेलवे–साइडिंग को बिछाने का काम पूरा हो गया है। तांदूर इकाई में रेलवे–साइडिंग के उन्नयन का कार्य पूर्णता के करीब है। बोकाजन और राजबन इकाई के ट्रक लोडर्स का संस्थापन प्रगति पर है। तांदूर, बोकाजन और राजबन इकाइयों में मैकानिकल पैकर्स के स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक पैकर्स को प्रतिस्थापित करने का कार्य आरंभ हो गया है। तांदूर और राजबन इकाइयों में ट्रक टिप्लर के संस्थापन का कार्य चल रहा है।

2.20 नेपा लिमिटेड

नेपा लिमिटेड (नेपानगर, मध्य प्रदेश) को न्यूजप्रिंट उत्पादन के लिए मैसर्स नायर प्रैस सिंडिकेट लिमिटेड द्वारा ''द नेशनल न्यूजप्रिंट एंड पेपर मिल्स लिमिटेड'' के नाम से 26 जनवरी, 1947 को निजी उद्यम के रूप में शामिल किया गया था। वर्ष 1958 में, भारत सरकार ने इस कंपनी का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। भारत सरकार का

नेपा लिमिटेड की पूंजी में 97.82% इक्विटी शेयर है। तत्पश्चात्, फरवरी–1989 में, कंपनी का नाम बदलकर नेपा लिमिटेड कर दिया गया। कंपनी के पास अखबारी कागज तथा लेखन और प्रिंटिंग पेपर के उत्पादन का लाइसेंस है। नेपा लिमिटेड की संस्थापित क्षमता 88,000 टन प्रति वर्ष (टीपीए) है।

31 मार्च, 1997 के वार्षिक परिणामों के अनुसार, संचित हानियों की वजह से कंपनी की निवल सम्पत्ति पूरी तरह समाप्त हो जाने के कारण 1998 में इस कंपनी के मामले को औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्संरचना बोर्ड (बीआईएफआर) में भेज दिया गया। जुलाई, 2016 से कंपनी का उत्पादन स्थगित कर दिया गया है। फिलहाल, कंपनी में मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित पुनरुद्धार और मिल विकास योजना (आरएमडीपी) योजना चल रही है।

2.21 हिन्दुस्तान पेपर कार्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसी)

हिन्दुस्तान पेपर कॉर्पोरेशन लिमिटेड को भारत में नई लुग्दी और कागज एवं न्यूजप्रिंट मिलों की स्थापना करने के उद्देश्य से भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाले उद्यम के रूप में दिनांक 29 मई, 1970 को शामिल किया गया था। एचपीसी के प्रबंधन एवं नियंत्रणाधीन तीन सहायक कंपनियां और असम में दो बड़ी एकीकृत लुग्दी एवं कागज मिल हैं। ये हैं: (i) हिंदुस्तान न्यूज़प्रिंट लिमिटेड, (ii) नगालैंड पल्प एंड पेपर कंपनी लिमिटेड (एनपीपीसी लिमिटेड), नगालैंड और (iii) जगदीशपुर पेपर मिल्स लिमिटेड। एचपीसी की दो इकाइयां, नामतः नगांव पेपर मिल्स (एनपीएम) और कछाड़ पेपर मिल्स (सीपीएम) हैं।

वर्तमान में, हिंदुस्तान पेपर कार्पोरेशन लि. (एचपीसी) राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी), नई दिल्ली के दिनांक 02.05.2019 के निदेशों और राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय अधिकरण (एनसीएलटी) के दिनांक 29.05.2019 के आदेशों में निहित दिशानिर्देशों के अनुसार परिसमापनाधीन है।

2.22 हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड (एचएनएल)

हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड (एचएनएल), हिन्दुस्तान पेपर कार्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसी) की एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। इसे मुख्यतः एचपीसी की इकाई पूर्ववर्ती केरल न्यूजप्रिंट प्रोजेक्ट (केएनपी) के कारोबार का अधिग्रहण करने के उद्देश्य से 7 जून, 1983 को शामिल किया गया था। एचएनएल का पंजीकृत कार्यालय न्यूजप्रिन्ट नगर, जिला कोट्टयम, केरल में है। यह न्यूजप्रिन्ट नगर, जिला कोट्टयम, केरल में स्थित है जिसकी संस्थापित क्षमता 1,00,000 टन प्रतिवर्ष न्यूजप्रिन्ट (टीपीए) की है। एचएनएल 42 जीएसएम, 45 जीएसएम और 48.8 जीएसएम ग्रेड वाली क्वालिटी के अखबारी कागज का उत्पादन करता है जो बाजार में उपलब्ध सबसे अच्छी गुणवत्ता वाले अखबारी कागज के समान था। विभिन्न कारणो से एचएनएल का प्रचालन 01.01.2019 से स्थगित है। एनसीएलटी कोच्चि पीठ ने दिनांक 28.11.2019 को इंसोल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 के तहत एचएनएल पर कॉर्पोरेट इंसोल्वेंसी समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) आरंभ करने के निदेश दिए और एचएनएल के लिए एक समाधान पेशेवर की नियुक्ति की।

2.23 हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैनुफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड (एचपीएफ)

देश को फोटो सेंसिटिव उत्पादों के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैनुफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड (एचपीएफ) को 30 नवंबर, 1960 को शामिल किया गया। इस कंपनी ने 1967 में वाणिज्यिक उत्पादन करना प्रारंभ किया। 1992–93 से यह कंपनी हानि में चलने लगी और अप्रैल, 2013 से कंपनी का प्रचालन बंद हो गया।

31.03.1994 को इस कंपनी की निवल संपत्ति के ऋणात्मक हो जाने पर इसके मामले को 1995 में औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड (बीआईएफआर) को भेज दिया गया। बीआईएफआर ने दिनांक 30.01.2013 को कंपनी को बंद करने का आदेश दिया। सीसीईए ने अन्य बातों के साथ–साथ दिनांक 28.02.2014 को सभी कर्मचारियों के लिए 2007 के नोशनल वेतनमान पर वीआरएस देने और कंपनी को बंद करने की कार्रवाई करने का निर्णय लिया। सभी कर्मचारियों ने कंपनी छोड़ दी है। माननीय मद्रास उच्च न्यायालय ने दिनांक 29.08.2016 के अपने आदेश में, कंपनी को बंद करने के बीआईएफआर के आदेश को स्वीकार किया। हालांकि, आधिकारिक परिसमापक ने अभी तक कंपनी का प्रभार ग्रहण नहीं किया है।

इस बीच, ऋण–पत्र ट्रस्टी कैनरा बैंक ने माननीय मद्रास उच्च न्यायालय में एक आवेदन सीपी 114/2003 दायर कर कंपनी की वर्तमान याचिका को एनसीएलटी, चैन्ने को हस्तांतरित करने का अनुरोध किया है ताकि कंपनी की याचिका का शीघ्र निपटान हो

सके। मद्रास उच्च न्यायालय के दिनांक 18.05.2020 के आदेश के उपरान्त अब बंद करने संबंधी कार्यवाही एनसीएलटी, चेन्नई को हस्तांतरित कर दी गयी है।

2.24 हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड (एचएसएल)

हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड (एचएसएल) को दिनांक 12 अप्रैल, 1958 को कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत भारत सरकार की 100% शेयरधारिता के साथ शामिल किया गया था। एचएसएल की अधिकृत पूँजी रुपए 60.00 करोड़ और प्रदत्त पूँजी रुपए 52.05 करोड़ है। वर्तमान में कंपनी साल्ट, ब्रोमाइन और मैग्नीशियम क्लोराइड के उत्पादन में लगी है।

इसकी दो इकाइयों में से एक खरगोदा (गुजरात) में है जिसमें कंपनी के पास साधारण नमक के अपशिष्ट से ब्रोमाईन निर्माण के लिए 450 एमटी क्षमता वाला एक संयंत्र है और 7500 एमटी की संयुक्त क्षमता के साथ दो संयंत्र मैग्नीशियम क्लोराइड के उत्पादन के लिए है। किंतु, इन संयंत्रों में से 2500 एमटी की क्षमता वाले एक संयंत्र का प्रचालन रुद्ध है। एक अन्य संयंत्र मंडी, हिमाचल प्रदेश में है जहां कंपनी दरांग में रॉक साल्ट का खनन करती है जिसे पशु आहार के तौर पर उपयोग किया जाता है।

2.25 सांभर साल्ट्स लिमिटेड (एसएसएल)

सांभर साल्ट्स लिमिटेड (एसएसएल) हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड की सहायक कंपनी है जिसे 30.09.1964 में कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत शामिल किया गया था। इसमें एचएसएल के माध्यम से भारत सरकार की अंशधारिता 60% और राजस्थान सरकार की 40% है। एचएसएल की अधिकृत पूंजी रुपए 2.00 करोड़ और प्रदत्त पूंजी रुपए 1.00 करोड़ है। एसएसएल राजस्थान के तीन जिलों अर्थात जयपुर, अजमेर और नागौर में लगभग 90 वर्गमील में विस्तारित क्षेत्र में नमक उत्पादन करता है।

2.26 इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड (ईपीआईएल)

इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड (ईपीआईएल) को भारत और विदेश में टर्नकी परियोजनाएं और परामर्शी सेवाएं देने के मुख्य उद्देश्य से वर्ष 1970 में शामिल किया गया था। ईपीआई विदेश में बड़ी असैन्य और औद्योगिक परियोजनाएं शुरू करने वाली पहली भारतीय कंपनी है। ईपीआईएल भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन संविदा और निर्माण तथा तकनीकी परामर्शी सेवा क्षेत्र में मिनीरत्न वर्ग–II का केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक लाभ अर्जक उद्यम है जिसमें भारत सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की 100% शेयरधारिता है। ईपीआईएल की पूरे भारत में मौजूदगी है। नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, भुवनेश्वर और विशाखापत्तनम में इसके क्षेत्रीय/आंचलिक कार्यालय हैं जो देश भर में इसके प्रचालनों को कार्यरूप देते हैं। इसके अलावा, इसके परियोजना–स्थल पूरे देश के अलावा ओमान और म्यांमा में भी फैले हुए हैं।

31.12.2020 की स्थिति के अनुसार, ईपीआई ने भारत में 580 और विदेश में 33 परियोजनांए पूरी की हैं।

प्रमुख उपलब्धियां

- ईपीआई ने वित्त वर्ष 2019–20 में रुपए 1336.59 करोड़ (लेखापरीक्षित) का कारोबार किया है।

उद्घाटित/पूर्ण की गई परियोजनाएं

कंपनी ने वर्ष के दौरान निम्नलिखित मुख्य परियोजनाएं पूर्ण की हैं:

i. साम्बा जिले के बगला गाँव में रुपए 314.64 करोड़ की लागत से जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय परिसर के विकास के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श।

ii. सिंगरौली, एम.पी. में रुपए 113.46 करोड़ की लागत से इंटेक वेल, जलशोधन संयंत्र, डिस्ट्रीब्यूशन पाइपलाइन, ओवरहेड टैंक का निर्माण और घरेलू कनेक्शन प्रदान करना।

iii. होदिरायणहल्ला डायवर्जन स्कीम, कर्नाटक के तहत रुपए 56.57 करोड़ की लागत से होदिरायणहल्ला से जंबदाहल्ला तक डायवर्सन वेअर का निर्माण और संबन्धित कार्य।

iv. चेन्नई में शोलिंगनल्लूर और मोग्गप्पेयर ईस्ट में तमिलनाडु हाउसिंग बोर्ड के लिए रुपए 50.87 करोड़ की लागत से एचआईजी, एमआईजी और एलआईजी फ्लैट्स और संबंधित निर्माण।

v. वावुनिया डब्ल्यूएसएस (श्रीलंका) में ट्रांसमिशन मेन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए रुपए 40.98 करोड़ / 7.371 डॉलर की लागत से डीआई, एचडीपीई, पीवीसी

पाइपों , स्पेशल्स, फिटिंग और वॉल्व्स की आपूर्ति और बिछाई।

vi. नई दिल्ली के पूर्वी किदवई नगर में एसटीपीआई मुख्यालय के लिए रुपए 8.61 करोड़ मूल्य का ऑफिस स्पेस इंटीरियर।

vii. असम राइफल्स के लिए रुपए 9.50 करोड़ की लागत से विभिन्न अवसंरचना विकास परियोजनाओं सहित सड़कों, भवनों, अस्पतालों का निर्माण।

viii. उत्तरप्रदेश में रायबरेली जिला के ऊंचाहार में रुपए 2.29 करोड़ की लागत से फिरोज गांधी ऊंचाहार तापविद्युत परियोजना चरण–IV(1*500 मेगावाट) के लिए कोयला हैंडिलिंग और ऐश हैंडिलिंग सिस्टम हेतु आर्किटेक्ट इंजीनियरिंग सेवाएं।

ix. आईडीआरबीटी, हैदराबाद के मौजूदा शैक्षणिक भवन के ऊपर रुपए 8.11 करोड़ की लागत से एक अतिरिक्त मंजिल (तीसरी) का निर्माण।

अध्याय 3

हैवी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, हैवी इंजीनियरिंग और मशीन टूल उद्योग

3.1 हैवी इंजीनियरिंग एवं मशीन टूल क्षेत्र

3.1.1 पृष्ठभूमि

3.1.1.1 हैवी इंजीनियरिंग एवं मशीन टूल क्षेत्र पूंजीगत वस्तु क्षेत्र का एक भाग है। इस क्षेत्र में वस्तुओं के विनिर्माण/उत्पादन के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अपेक्षित संयंत्र एवं मशीनरी, उपकरण/एक्सेसरीज अथवा प्रतिस्थापन, आधुनिकीकरण, प्रौद्योगिकीय उन्नयन एंव विस्तार के लिए अपेक्षित सेवा प्रदान करना शामिल हैं। इसके अंतर्गत पैकेजिंग मशीनरी एवं प्रशीतन उपकरण भी आते हैं।

3.1.2 हैवी इंजीनियरिंग एवं मशीन टूल क्षेत्र में निम्नलिखित उप–क्षेत्र शामिल हैं:

i. मशीन टूल्स
ii. डाई, सांचे एवं प्रेस टूल्स
iii. प्लास्टिक मशीनरी
iv. अर्थ मूविंग एवं खनन मशीनरी
v. धातुकर्म संबंधी मशीनरी
vi. वस्त्र मशीनरी
vii. प्रसंस्करण संयंत्र उपकरण
viii. मुद्रण मशीनरी
ix. खाद्य प्रसंस्करण मशीनरी

3.1.3 वर्तमान अनुमान के अनुसार, भारत में कुल विनिर्माण गतिविधियों में पूंजीगत वस्तु क्षेत्र का योगदान लगभग 12% का है जो सकल घरेलू उत्पाद का 1.5% है। यह क्षेत्र देश की अर्थव्यवस्था के विकास के लिए निम्नलिखित कारणों से महत्वपूर्ण है:

क. राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता एवं सुरक्षा के परिप्रेक्ष्य में, घरेलू विनिर्माण क्षमताओं के विकास के लिए पूंजीगत वस्तु क्षेत्र को अनिवार्य माना जाता है।

ख. गुणज प्रभाव के कारण पूंजीगत वस्तु क्षेत्र का प्रयोक्ता उद्योगों की वृद्धि और नियोजन पर सशक्त प्रभाव पड़ता है क्योंकि यह संपूर्ण विनिर्माण क्षेत्र एवं अन्य संबंधित क्षेत्रों के लिए मशीनरी एवं उपकरण जैसे जरूरी इनपुट उपलब्ध कराता है।

3.1.4 हैवी इंजीनियरिंग एवं मशीन टूल क्षेत्र के लिए नीतिगत परिवेश संक्षिप्त रूप से इस प्रकार है:

क. इस क्षेत्र के लिए किसी भी औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती;

ख. भारत के साथ भू–सीमा रखने वाले देशों को छोड़कर, स्वचालित मार्ग पर (भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से) 100% तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति है;

ग. प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, डिजाइन एवं ड्राइंग, रॉयल्टी आदि के लिए विदेशी सहयोगकर्ता को भुगतान की मात्रा की कोई सीमा नहीं है;

घ. आयात एवं निर्यात पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

3.2 उप–क्षेत्रों का सिंहावलोकन

उप–क्षेत्रों की एक संक्षिप्त स्थिति का विवरण नीचे दिया गया है:

3.2.1 मशीन टूल्स

मशीन टूल्स को जनक उद्योग माना जाता है क्योंकि यह संपूर्ण विनिर्माण क्षेत्र के लिए मशीनरी की आपूर्ति करता है। मशीन टूल्स के विनिर्माता मुख्यतः लघु एवं मध्यम उद्यम हैं जिनमें कुछ मध्यम आकार के विनिर्माता हैं जिनका वार्षिक कारोबार रुपए 300–500 के बीच का है। वर्तमान में, विनिर्मित मशीन टूल्स में सामान्य/विशेष प्रयोजन वाली मशीनें, मानक कंम्प्यूटर संख्यात्मक नियंत्रण (सीएनसी) मशीनें, गियर कटिंग, ग्राइंडिंग, मध्यम आकार की मशीनें, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मशीनिंग (ईडीएम), प्रेस, प्रेस ब्रेक, पाइप बेंडिंग, रोलिंग, बेंडिंग मशीनें आदि शामिल हैं।

3.2.2 डाई, सांचे एवं प्रेस टूल्स

भारतीय टूल रूम उद्योग में वाणिज्यिक टूल निर्माता शामिल हैं जो देश में टूलिंग की डिजाइन, विकास और विनिर्माण से जुड़े हैं। वाणिज्यिक टूल निर्माताओं के अलावा, अनेक सरकारी टूल रूम–सह–प्रशिक्षण केंद्र भी प्रचालनरत हैं। मुंबई, बेंगलूरु, चेन्नई, पुणे, हैदराबाद और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली प्रमुख वाणिज्यिक टूल रूम स्थल हैं।

3.2.3 प्लास्टिक प्रसंस्करण मशीनरी

विनिर्मित की जा रही प्लास्टिक मशीनों में इंजेक्शन मोल्डिंग मशीनें, ब्लो माउल्डिंग मशीनें और एक्सट्रूजन माउल्डिंग मशीनें आदि शामिल हैं। उत्पाद प्रौद्योगिकियां विकसित विश्व के प्रमुख ब्रांडों के समतुल्य हैं। विश्व की प्रमुख विनिर्माण/प्रौद्योगिकी कंपनियां पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों अथवा प्रौद्योगिकी लाइसेंस व्यवस्था के जरिए भारत में विनिर्माण के क्षेत्र में मौजूद हैं।

3.2.4 अर्थ मूविंग, निर्माण एवं खनन मशीनरी

द इंडियन अर्थमूविंग, कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग मशीनरी बैकहो लोडर्स, कंपैक्टर्स, मोबाइल क्रेनों, पेवर्स, बैचिंग संयंत्रों, क्राउलर क्रेन, ट्रांजिट मिक्सर, कंक्रीट पंप, टावर क्रेनों, हाइड्रॉलिक एक्सकावेटरों, डंपरों, खनन बेलचे, वाकिंग ड्रैगलाइन्स, डोजरों, व्हील लोडरों, ग्रेडरों, ड्रिलिंग उपकरण, टनलिंग मशीन आदि का निर्माण करती है। वैश्विक अग्रणी निर्माताओं / प्रौद्योगिकियों की अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों या प्रौद्योगिकी लाइसेंस व्यवस्था के माध्यम से भारत में उपस्थिति है।

3.2.5 वस्त्र मशीनरी

देश में वस्त्र मशीनरी के विनिर्माण से जुड़ी अधिकतर इकाइयां लघु एवं मध्यम विनिर्माता हैं। प्रमुख वस्त्र मशीनरी में बुनाई मशीन, कताई मशीन, वाइंडिंग मशीन, प्रोसेसिंग मशीन, सिंथेटिक फाइबर मशीन आदि शामिल हैं। कताई खंड के अलावा अन्य महंगी प्रौद्योगिकी पर आधारित मशीनें प्रायः आयात की जा रही हैं।

3.2.6 मुद्रण मशीनरी

मुद्रण मशीनरी के विनिर्माण में शामिल अधिकांश इकाइयां लघु एवं मध्यम विनिर्माता हैं। स्थानीय रूप से विनिर्मित अधिकतर मुद्रण मशीनें वेब–ऑफसेट मुद्रण मशीनें, यूवी कोटिंग क्योरिंग मशीन, फलैक्सोग्राफिक मुद्रण मशीन, स्क्रीन मुद्रण मशीन, वायर स्टिचिंग मशीन, लैमिनेशन मशीन आदि हैं।

3.2.7 खाद्य प्रसंस्करण मशीनरी

खाद्य प्रसंस्करण मशीनरी के विनिर्माण से जुड़ी अधिकांश इकाइयां लघु एवं मध्यम विनिर्माता हैं। भारत में विनिर्मित मुख्य खाद्य प्रसंस्करण मशीनरी में पीलर्स, सॉर्टर्स, ग्रेडर्स, पल्पर्स, ग्राइंडर्स, मिक्सर्स, कुकर्स, फ्रायर्स, ड्रायर्स, पल्वराइजर, सोया मिल्क मशीन, फुड ग्रेन और कॉफी मिलर, बेकरी मशीनरी, फॉर्मिंग–फिलिंग–सीलिंग मशीन, मिल्किंग एवं डेयरी मशीन, जूसिंग लाइन आदि हैं।

3.3 निर्माण, आयात और निर्यात सांख्यिकी

उप–क्षेत्रों के निर्माण, आयात और निर्यात आंकड़ा विवरण निम्नवत है:

क) उत्पादन आँकड़ा

(रुपए करोड़ में)

क्र सं	उप–क्षेत्र	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	सीएजीआर (4 वर्ष) (आधार वर्ष 2015–16)
1.	मशीन टूल्स	4726	5803	7294	9612	6152	6.81%
2.	डाइज, माउल्ड्स एवं प्रेस टूल्स	15000	14750	16068	13600	13682	-3.27%
3.	वस्त्र मशीनरी	6580	6650	6900	6865	5980	-3.36%
4.	मुद्रण मशीनरी	16916	16424	15016	12390	12673	-7.97%
5.	अर्थमूविंग एवं खनन मशीनरी	18500	25000	31800	38900	31020	13.79%
6.	प्लास्टिक प्रसंस्करण मशीनरी	2700	3000	3375	3780	3440	6.24%
7.	खाद्य प्रसंस्करण मशीनरी	13206	15246	15600	8750	शून्य	-
8.	प्रसंस्करण संयंत्र उपकरण	19000	19500	18400	27400	29250	11.39%

स्रोत: *पूंजीगत वस्तु उद्योग संघ,यथा (i)आईएमटीएमए (ii) टीएजीएमए (iii) टीएमएमए (iv) आईपीएएमए (v) आईसीईएमए (vi) पीएमएमएआई (vii) एएफटीपीएआई*

नोट: *सीएजीआर के लिए आधार–वर्ष 2015–16 है।*

उपलब्ध नही: *आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं/पूंजीगत वस्तु उद्योग संघ से प्राप्त नहीं हुआ।*

ख) आयात आँकड़ा

(रुपए करोड़ में)

क्र सं	उप–क्षेत्र	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	सीएजीआर (4 वर्ष) (आधार वर्ष 2015–16)
1.	मशीन टूल्स	5946	6173	7759	12390	10288	14.69%
2.	डाइज, माउल्ड्स एवं प्रेस टूल्स	2800	1200	1350	5500	6356	22.75%
3.	वस्त्र मशीनरी	10305	10098	10687	10834	10190	-1.28%
4.	मुद्रण मशीनरी	7051	7035	8322	8922	9012	6.33%
5.	अर्थमूविंग एवं खनन मशीनरी	3600	4200	5500	5600	4812	7.52%
6.	प्लास्टिक प्रसंस्करण मशीनरी	2000	2300	2600	2750	2480	5.53%
7.	खाद्य प्रसंस्करण मशीनरी	3777	3686	3900	7272	na	-
8.	प्रसंस्करण संयंत्र उपकरण	13360	11925	10600	4200	4650	-24.19%

स्रोत: *पूंजीगत वस्तु उद्योग संघ,यथा (i)आईएमटीएमए (ii) टीएजीएमए (iii) टीएमएमए (iv) आईपीएएमए (v) आईसीईएमए (vi) पीएमएमएआई (vii) एएफटीपीएआई*

नोट: *सीएजीआर के लिए आधार वर्ष 2015–16 है।*

उपलब्ध नहीं : *आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं/पूंजीगत वस्तु उद्योग संघ से प्राप्त नहीं हुए।*

ग) निर्यात आँकड़े

(रुपए करोड़ में)

क्र सं	उप–क्षेत्र	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	सीएजीआर (4 वर्ष) (आधार वर्ष 2015–16)
1.	मशीन टूल्स	296	361	354	673	768	26.92%
2.	डाइज, माउल्ड्स एवं प्रेस टूल्स	2300	1700	1600	1100	1138	-17.13%
3.	वस्त्र मशीनरी	2351	2438	2939	3665	3025	6.50%
4.	मुद्रण मशीनरी	1366	1332	1235	1180	1367	0.02%
5.	अर्थमूविंग एवं खनन मशीनरी	3400	3700	4800	5300	3583	1.32%
6.	प्लास्टिक प्रसंस्करण मशीनरी	700	900	1100	1185	1240	15.37%
7.	खाद्य प्रसंस्करण मशीनरी	2201	2178	2560	4263	na	-
8.	प्रसंस्करण संयंत्र उपकरण	8956	9291	8950	7450	8330	-2.80%

स्रोत: *केपिटल गुड्स उद्योग संघ जैसे (i)आईएमटीएमए (ii) टीएजीएमए (iii) टीएमएमए (iv) आईपीएएमए (v) पीएमएमएआई (vi) आईसीईएमए (vii) एएफ़टीपीएआई*

नोट: *सीएजीआर के लिए आधार वर्ष 2015–16 है।*

उपलब्ध नहीं: *आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं/पूंजीगत वस्तु उद्योग संघ से प्राप्त नहीं हुए।*

3.4 योजना एवं नीतिगत अंतःक्षेप

3.4.1 भारतीय पूंजीगत वस्तु क्षेत्र में प्रतिस्पर्धात्मकता संवर्द्धन योजना

भारत सरकार ने भारी उद्योग विभाग के माध्यम से नवम्बर, 2014 में ''पूंजीगत वस्तु क्षेत्र में प्रतिस्पर्धात्मकता संवर्द्धन योजना'' तैयार की। इस योजना का उद्देश्य इस क्षेत्र की बाधाओं का समाधान करना है। इस योजना के तहत उद्योग, अनुसंधान संस्थाओं एवं सरकार से सहयोग से प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों/अनुसंधान एवं विकास संस्थाओं में अनुसंधान एवं विकास के लिए उत्कृष्टता केन्द्रों की स्थापना हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना में पूंजीगत वस्तु से जुड़ी विनिर्माण इकाइयों को प्रौद्योगिकी अधिग्रहण कोष कार्यक्रम (टीएएफपी) के तहत प्रौद्योगिकी अंतरण के लिए भी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त, इस योजना में अर्थ मूविंग, निर्माण एवं खनन मशीनरी के लिए मशीन टूल औद्योगिक उद्यानों और साझा इंजीनियरिंग केंद्रों (सीईएफसी) तथा परीक्षण और प्रमाणन केंद्रों (टी एंड सीसी) जैसे साझा औद्योगिक एकीकृत अवसंरचना केंद्र (आईआईआईएफ) हेतु भी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

3.4.2 प्रौद्योगिकी विकास के लिए उत्कृष्टता केन्द्र (सीओई)

3.4.2.1 इस योजना के तहत प्रतिष्ठित अकादमिक एवं अनुसंधान संस्थाओं में प्रौद्योगिकी विकास के लिए उत्कृष्टता केन्द्र स्थापित करने के लिए अनुदान दिए जाते हैं। एकमुश्त अनुदान सहायता के माध्यम से केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है जो परियोजना लागत का अधिकतम 80% होती है, जो प्रत्येक उत्कृष्टता केन्द्र के लिए अधिकतम रुपए 100 करोड़ होगी। शेष 20% का निवेश उद्योग एवं सहभागी संगठनों द्वारा किया जाएगा।

3.4.2.2 आठ उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना की गई है जिन्होंने मशीन टूल, वस्त्र मशीनरी, अर्थ मूविंग मशीनरी, नैनो और सेंसर प्रौद्योगिकियों के क्षेत्रों में उद्योग और शिक्षा जगत के माध्यम से 25 नई स्वदेशी प्रौद्योगिकियां विकसित की हैं। इन प्रोटोटाइप को वाणिज्यीकरण के लिए तैयार किया जा रहा है। विकसित प्रौद्योगिकयों का विवरण नीचे तालिका में दिया गया है। प्रौद्योगिकी के वाणिज्यीकृत्त होने के बाद आयात निर्भरता कम

होगी और भारत के पूंजीगत वस्तु क्षेत्र में प्रौद्योगिकी उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी। इन उत्कृष्टता केन्द्रों को उद्योग भागीदारों के सहयोग से निम्नलिखित स्थानों पर विकसित किया जा रहा है:

i. केन्द्रीय विनिर्माणकारी प्रौद्योगिकी संस्थान (सीएमटीआई), बेंगलूरू

ii. आईआईटी, मद्रास/उन्नत विनिर्माणकारी प्रौद्योगिकी विकास केन्द्र (एएमटीडीसी)

iii. पीएसजी प्रौद्योगिकी कॉलेज, कोयम्बटूर

iv. सीटार्क, कोयम्बटूर

v. आईआईटी, खड़गपुर

vi. मैसर्स हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन (एचईसी), रांची

vii. आईआईएससी, बेंगलूरू

viii. आईआईटी, दिल्ली

आईआईएससी बेंगलुरु विकसित उत्कृष्टता केंद्र द्वारा उच्च निष्पादन मिश्र धातु हेतु संवर्धी विनिर्माण

पीएसजी प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, कोयंबतूर के उत्कृष्टता केंद्र द्वारा विकसित वेल्डिंग प्रौद्योगिकियां

एचईसी रांची के उत्कृष्टता केंद्र द्वारा विकसित 5 घनमीटर हाइड्रोलिक खुदाई – एचईएक्स 400

आईआईटी, मद्रास के उत्कृष्टता केंद्र में विकसित 5–एक्सिस मल्टी–टास्किंग मशीन

आईआईटी, मद्रास के उत्कृष्टता केंद्र द्वारा विकसित ऑर्बिटल मोशन अब्रेसिव कटिंग मशीन

आईआईटी, मद्रास के उत्कृष्टता केंद्र द्वारा विकसित सीएनसी टर्निंग सेंटर के लिए थर्मल क्षतिपूर्ति प्रणाली

तालिकाः योजना के चरण–I में विकसित प्रौद्योगिकियों का विवरण

क्र. सं.	परियोजना का शीर्षक	प्रौद्योगिकी	यूएसपी / नवीनता	परियोजना प्राधिकरण
1.	सीएमटीआई,बेंगलुरु में उत्कृष्टता केंद्र टीएमएमए द्वारा 450 आरपीएम के शटलरहित रेपियर लूम्स के विकास के लिए	450 आरपीएम और 550 आरपीएम के शटल रहित रेपियर लूम्स का विकास	क) नवाचार एवं मेक इन इंडियाः पहली उच्च गति शटलरहित रेपियर लूम (450आरपीएम) को भारत में सफलतापूर्वक डिजाइन और विकसित किया जाना है। (ख) भारतीय वस्त्र मशीनरी निर्माताओं को स्थानीय और वैश्विक बाजार में स्वदेशी रूप से विकसित, उच्च गति शटलरहित करघे में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम बनाना। (ग) विदेशी मुद्रा की बचतः टीएमएमए द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार, इस मशीन के आयात के लिए 600 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा का वार्षिक बहिर्वाह किया जाता है।	सीएमटीआई, बेंगलुरु

क्र. सं.	परियोजना का शीर्षक	प्रौद्योगिकी	यूएसपी / नवीनता	परियोजना प्राधिकरण
2ण	आईआईटी, मद्रास में उत्कृष्टता केंद्र मशीन टूल्स एवं उत्पादन प्रौद्योगिकी के लिए 11 उन्नत प्रौद्योगिकी विकास हेतु	क. 5–एक्सिस मल्टी–टास्किंग मशीन का विकास	एकल सेटअप में कई मशीनिंग ऑपरेशन जैसे टर्निंग, मिलिंग, ग्रूविंग, गियर कटिंग / हॉबिंग, बोरिंग, ड्रिलिंग, रीमिंग, ग्राइंडिंग, फ्लाई कटिंग, थ्रेडिंग आदि के निष्पादन में सक्षम मल्टी–टास्किंग मशीन। यह प्रौद्योगिकी भारत में उपलब्ध नहीं है और भारी लागत पर आयात की जाती है। मशीन का विकास ऑटोमोटिव, तेल और गैस, बिजली उत्पादन उपकरण निर्माताओं, रक्षा और एयरोस्पेस, रेलवे, वस्त्र जैसे व्यापक क्षेत्रों की आवश्यकता पूरी करेगा और आयात प्रतिस्थापन सुनिश्चित करेगा।	आईआईटी, मद्रास
		ख. 5–एक्सिस यूनिवर्सल मशीनिंग केंद्र का विकास	विकसित की गई प्रौद्योगिकी एक मूल (मदर) मशीन है जिसमें एकल सेटअप में मशीन में रोटरी हाइड्रोस्टैटिक टेबल और एक साथ 5–एक्सिस मशीनिंग क्षमता है। इन मशीनों में ऐसी प्रौद्योगिकियां शामिल हैं जो स्वदेशी विकास में प्रथम श्रेणी के हैं जो ऑटोमोटिव, तेल और गैस, बिजली उत्पादन उपकरण निर्माताओं, रक्षा और एयरोस्पेस, रेलवे, डाई और मोल्ड बनाने वाले उद्योगों जैसे व्यापक क्षेत्रों की आवश्यकता पूर्ति करते हैं।	
		ग. एब्रेसिव कटिंग के लिए ऑरबिटल मोशन तंत्र का विकास	थर्मल क्षतिरहित मेटलोग्राफिक निरीक्षण और इंड्यूस्ड स्ट्रेस में कटौती के लिए प्रौद्योगिकी। आसान पोस्ट प्रोसेसिंग के लिए स्मूद कट सरफेस जेनरेशन। यह प्रौद्योगिकी आयात वेरिएंट का एक विकल्प है।	
		घ. डायरेक्ट ड्राइव अब्रेसिव कटिंग मशीन का विकास	आसान पोस्ट प्रोसेसिंग के लिए कंपन प्रभाव से मुक्त, चिकनी कट सतह के साथ मेटालोग्राफिक निरीक्षण के लिए सामग्री काटने की तकनीक। प्रौद्योगिकी आयात वेरिएंट का एक विकल्प है।	
		ङ. ऑटोमटेड मल्टी स्टेशन ग्राइंडिंग पॉलिशिंग मशीन का विकास	मेटलोग्राफिक निरीक्षण हेतु नमूने की स्वचालित पॉलिशिंग के लिए प्रौद्योगिकी। यह भारतीय उद्योग क्षेत्र में व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली मैनुअल मशीनों को प्रतिस्थापित करेगी और निरीक्षण प्रक्रिया की गुणवत्ता, स्थिरता और उत्पादकता में वृद्धि करेगी। भारत में यह प्रौद्योगिकी उपलब्ध नहीं है और इन श्रेणी के मशीनों के लिए एक आला क्षेत्र तैयार करेगा।	
		च. मशीन टूल अनुप्रयोगों के लिए 5 किलोवाट एक्सिस ड्राइव और 25 किलो वॉट स्पिंडल ड्राइव का विकास	इस परियोजना में विकसित की जा रही मशीन टूल ड्राइव भारत में आज तक तकनीकी जानकारी न होने के कारण विकसित नहीं की जा सकी है। विकसित की गई तकनीकी जानकारी में शामिल है– (1) सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस मोटर्स के लिए ड्राइव आर्किटेक्चर, (2) ड्राइव/कंट्रोलर और मोटर के बीच संचार इंटरफेस, और (3) करंट/वोल्टेज/पोजीशन कंट्रोल के लिए कंट्रोल एलॉगरि। विकसित किए गए ड्राइव के लिए भारत में एक बड़ा बाजार है क्योंकि यह सभी सीएनसी मशीन टूल्स का एक महत्वपूर्ण घटक है। विकसित की गई तकनीक से आयात सामग्री कम होगी, विदेशी मुद्रा की बचत होगी और स्वदेशी विनिर्माताओं की क्षमता में वृद्धि होगी।	

क्र. सं.	परियोजना का शीर्षक	प्रौद्योगिकी	यूएसपी / नवीनता	परियोजना प्राधिकरण
		छ. मशीन टूल्स के लिए हाइड्रोस्टैटिक प्रणाली (गाइडवेज और स्पिंडल) का विकास	**आयात विकल्पः** इस परियोजना में विकसित हाइड्रोस्टैटिक गाईडवेज और स्पिंडल वर्तमान में भारत में विनिर्माण की जानकारी न होने के कारण निर्मित नहीं हो रहे हैं। इनमें से ज्यादातर का जर्मनी, अमेरिका और जापान से आयात किया जाता है। इस परियोजना के पूरा होने से इस कमी को पूरा किया जा सकेगा और भारतीय मशीन टूल उद्योग के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो सकेगी। विकसित तकनीक हाई–प्रेसिजन मशीनों के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण उप–प्रणाली है और इससे हाई–प्रेसिजन और अल्ट्रा–हाइ प्रेसिजन का स्वदेशी विकास हो सकेगा। **कम लागतः** एक और विशेषता है– उत्पाद की लागत का कम होना जो अंतरराष्ट्रीय बाजार से उत्पाद की आयात लागत से घटकर एक–तिहाई रह जाएगी।	
		ज. ग्राइंडिंग प्रक्रिया इंटेलिजेंस का स्वचालन	**1. उद्योग 4.0 में प्रवेशः** विनिर्माण में वर्तमान प्रवृत्ति स्मार्ट विनिर्माण और उद्योग 4.0 के कार्यान्वयन की है। इस परियोजना का उद्देश्य ग्राइंडिंग प्रक्रिया से जुड़ी स्मार्ट विनिर्माण तथा ऑटोमेशन प्रौद्योगिकी को उजागर करना है ताकि भारतीय मशीन उपकरण उद्योग का उद्योग 4.0 में प्रवेश हो सके और यह उद्योग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपयोग की जा रही स्मार्ट विनिर्माण तकनीकों से लैस हो सके। **2. प्रोसेस इंटेलिजेंसः** व्यावसायिक रूप से उपलब्ध वर्तमान तकनीकें केवल मशीन और फैक्टरी इंटेलिजेंस के संबंध में हैं। प्रक्रिया विज्ञान के ज्ञान की कमी के कारण प्रोसेस इंटेलिजेंस विकसित नहीं हो रही है। यह परियोजना प्रक्रिया विज्ञान को स्वचालन सॉफ्टवेयर में शामिल करके अभाव को दूर करेगा ।	
		झ. सीएनसी लैथ्स में थर्मल क्षतिपूर्ति कार्यनीति	मशीन टूल में उत्पन्न 70% से अधिक त्रुटियां थर्मल त्रुटि का परिणाम होती हैं। विकसित की गई प्रौद्योगिकी सीएनसी मशीन टूल की थर्मल त्रुटि का पूर्वानुमान लगाने और क्षतिपूर्ति करने के लिए एक थर्मल क्षतिपूर्ति एलॉगरिदम प्रदान करती है, अर्थात् 40μm से 5μm तक। विकसित की गई तकनीक मशीन की मशीनिंग गुणवत्ता में 90% तक सुधार करेगी जिससे सुधार और अस्वीकृति लागत कम होगी। यह प्रौद्योगिकी मशीन को 'स्मार्ट' मशीन" उपकरण बनने में सक्षम बनाती है और यह सक्षम भी है। विकसित की गई एलॉगरिद्म (1) थर्मल त्रुटियों की माप, (2) थर्मल त्रुटि क्षतिपूर्ति के लिए पूर्वानुमान एलॉगरिद्म के विकास, (3) मशीन टूल के साथ एकीकरण के लिए एक कार्यान्वयन पद्धति और हार्डवेयर हेतु फ्रेमवर्क उपलब्ध कराता है। वर्तमान में, यह प्रौद्योगिकी आयातित मशीन टूल्स में ही है और मशीन टूल के हिस्से के पैकेज के रूप में ही आती है। विकसित फ्रेमवर्क से प्रौद्योगिकी को कम लागत पर कई प्रकार के मशीन टूल्स में क्रियान्वित किया जा सकेगा।	

क्र. सं.	परियोजना का शीर्षक	प्रौद्योगिकी	यूएसपी / नवीनता	परियोजना प्राधिकरण
		ञ. 6 किलोग्राम और 10 किलोग्राम तक के कम लागत वाले मशीन टेंडिंग रोबोट का विकास	इस परियोजना में विकसित मशीन टेंडिंग रोबोट में उच्च व्यावसायिक क्षमता होगी क्योंकि लागत आयात की तुलना में कम होगी और प्रचालन के समय उपस्थिति आवश्यक न होने से उत्पादकता बढ़ जाएगी। इससे सस्ती लागत पर भारतीय विनिर्माण क्षेत्रों और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालयों में रोबोटिक्स के प्रसार में मदद मिलेगी। विदेशी मुद्रा की बचत होगी और स्वदेशी निर्माताओं की क्षमता में बढ़ोत्तरी होगी।	
		ट. अल्ट्रा प्रेसिजन माइक्रो मशीनिंग केंद्र का विकास	इस परियोजना में विकसित अल्ट्रा– प्रेसिजन माइक्रो मशीनिंग केंद्र एक उच्च प्रेसिजन मशीन है जिसका अनुप्रयोग क्षेत्र बड़ा है जिसमें स्वास्थ्य सेवा, दंत प्रत्यारोपण, आभूषण, घड़ी घटक, एयरोस्पेस – माइक्रो डाइ एवं साँचे भी शामिल हैं। वर्तमान में भारत में विनिर्माण की जानकारी में कमी के कारण इन मशीनों का निर्माण नहीं हो रहा है। उनमें से ज्यादातर जर्मनी, स्विट्जरलैंड और जापान से आयात किए जाते हैं। विकसित की गई जानकारी से अल्ट्रा–प्रेसिजन और अल्ट्रा–हाइ प्रेसिजन मशीनों के विकास के लिए मंच उपलब्ध होगा। इस परियोजना के पूरा होने से कमी दूर होगी और भारतीय मशीन उपकरण उद्योग के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो सकेगी।	
3.	तीन वेल्डिंग प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए पीएसजी प्रौद्योगिकी कॉलेज में उत्कृष्टता केंद्र	1. विशिष्ट औद्योगिक अनुप्रयोग के लिए स्वचालित वेल्डिंग प्रणाली;	सबमर्सिबल पंपों और मोटरों के फैब्रिकेशन के लिए विशेष प्रयोजन वाली स्वचालित वेल्डिंग प्रणाली विकसित की गई है। अल्प लागत वेल्डिंग ऑटोमेशन अनुप्रयोगों और क्लैडिंग अनुप्रयोगों के लिए छह–एक्सिस और पांच–एक्सिस आर्टिकुलेटेड रोबोट।	कोयम्बटूर
		2. वेवफॉर्म शेपिंग तकनीकों सहित कुशल वेल्डिंग विद्युत आपूर्ति प्रणाली	अल्प लागत वाली मल्टी मैटेरियल वेल्डिंग क्षमता हेतु वेव फॉर्म नियंत्रित गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग (जीटीएडब्ल्यू) विद्युत स्रोत का विकास किया गया है।	
		3. नए वेल्डिंग इलेक्ट्रोड और फिलर धातुओं के विकास के लिए वेल्डिंग सिमुलेशन और विश्लेषण हेतु मिश्रधातु डिजाइन।	अपतटीय और नौवहन अनुप्रयोगों हेतु डुप्लेक्स स्टेनलेस स्टील इलेक्ट्रोड (ई2209), निकेल मिश्रधातु वेल्डिंग इलेक्ट्रोड (ईएनआईसीआरएमओ–.333), मार्टेनसिटिक स्टेनलेस स्टील इलेक्ट्रोड (ई410एमओ), हार्ड फेसिंग इलेक्ट्रोड और उच्चक्षम अल्प मिश्रधातु इस्पात इलेक्ट्रोड विकसित किए गए हैं। विद्युत संयंत्र, हीट एक्सचेंजर और वाल्व वेल्डिंग अनुप्रयोग, हाइड्रो टर्बाइन और इम्पेलर संघटकों का निर्माण, अर्थमूविंग अनुप्रयोगों के उपयोग काल में वृद्धि।	
4.	औद्योगिक और जलापूर्ति अनुप्रयोगों के लिए स्मार्ट सबम. र्सिबल (6 इंच) पंपिंग समाधानों हेतु सिटार्क द्वारा कोयम्बतूर में उत्कृष्टता केंद्र	औद्योगिक और जलापूर्ति अनुप्रयोगों के लिए स्मार्ट सबमर्सिबल (6 इंच) पंपिंग समाधानों का विकास	4000 आरपीएम और उससे अधिक उच्च गति पर बीएलडीसी प्रौद्योगिकी का उपयोग कर सबमर्सिबल मोटर प्रचालन की प्रौद्योगिकी। इस उन्नत प्रौद्योगिकी के माध्यम से भारतीय पंप विश्व बाजार में न केवल कीमत के आधार पर बल्कि बेहतर तकनीक के आधार पर भी प्रतिस्पर्धा कर सकेंगे।	कोयम्बटूर

क्र. सं.	परियोजना का शीर्षक	प्रौद्योगिकी	यूएसपी / नवीनता	परियोजना प्राधिकरण
5.	एचईसी रांची में उत्कृष्टता केंद्र 5 घनमीटर हाइड्रोलिक एक्सकैवेटर– एचईएक्स 400 का विकास	5 घनमीटर हाइड्रोलिक एक्सकैवेटर – एचईएक्स 400 का विकास	इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण वाली हाइड्रोलिक प्रणाली। मुख्य नियंत्रण प्रणाली को नियंत्रित करने के लिए बाह्य प्रायोगिक लाइन को समाप्त कर दिया जाता है। प्रणाली का सटीक नियंत्रण।	एचईसी, रांची
6.	एसआईडी द्वारा आईआईएससी बेंगलुरु में उत्कृष्टता केंद्र उच्च निष्पादन वाली मिश्रधातु का संवर्द्धी विनिर्माण	इलेक्ट्रॉन बीम / प्लाज्मा / लेजर प्रौद्योगिकियों पर आधारित संवर्द्धी विनिर्माण मशीनों का विकास	निम्नांकित हेतु संवर्धी विनिर्माण प्रौद्योगिकियां: क) उच्च निष्पादन वाले सुपर मिश्रधातु ख) धातु पाउडरिंग प्रौद्योगिकियां ग) सीजी उद्योग के लिए व्यापक उत्पादन घ) मेडिकल ग्रेड सामग्री	आईआईएससी, बेंगलूरु
7.	आईआईटी– खड़गपुर, पश्चिम बंगाल में इनोवेशन लैब नामक साझा केंद्र के साथ–साथ आईआईटी– खड़गपुर में उत्कृष्टता केंद्र	(1) अधात्विक समावेश (एनएमआई) और इसका नियंत्रण, ऊर्जा कुशल ईएएफ के माध्यम से नए इस्पात उत्पाद;	यह एक प्रक्रिया प्रौद्योगिकी है और 'समावेशन' पर अधिक अनुसंधान नहीं हुआ है।	आईआईटी– खड़गपुर
		(2) विनिर्माण उद्योग में जोखिम भरे कार्यों के लिए बहु–सेंसर समाहित रोबोटिक प्रणाली–	लक्षित उपकरण से श्रमिक सुरक्षा संवर्धन के साथ–साथ नमूने और माप की निरन्तरता और विश्वसनीयता बढ़ाने में मदद मिलेगी।	
		(3) धातु संवर्धी विनिर्माण प्रौद्योगिकी में विभिन्न प्रौद्योगिकीय चुनौतियों के समाधान ढूँढना और संबंधित जानकारी को भारतीय भारी इंजीनियरिंग उद्योग के साथ साझा करना।	ये परियोजनाएं धातु संवर्द्धी विनिर्माण प्रौद्योगिकी में विभिन्न तकनीकी चुनौतियों के लिए समाधान ढूँढने और भारतीय भारी उद्योग के साथ प्रासंगिक जानकारियों को साझा करने से संबंधित हैं।	
		(4) (क) डिजाइन आवश्यकताओं के संबंध में संवर्द्धी विनिर्माण अनुप्रयोगों के लिए कच्चे माल का चयन; (ख) विभिन्न सामग्री के लिए संवर्द्धी विनिर्माण प्रक्रिया के जीवन–चक्र का विश्लेषण	दोनों परियोजनाएं संवर्द्धी विनिर्माण से संबंधित हैं। ये परियोजनाएं धातु संवर्धी विनिर्माण प्रौद्योगिकी में विभिन्न तकनीकी चुनौतियों के लिए समाधान ढूँढने और भारतीय भारी उद्योग के साथ प्रासंगिक जानकारियों को साझा करने से संबंधित हैं।	

क्र. सं.	परियोजना का शीर्षक	प्रौद्योगिकी	यूएसपी / नवीनता	परियोजना प्राधिकरण
		(5) फ्रिक्शन स्टिर वेल्डिंग प्रक्रिया की दूरस्थ निगरानी और दोषों का तत्क्षण नियंत्रण तथा फ्रिक्शन स्टिर वेल्डिंग मशीन का निवारक स्वास्थ्य अनुवीक्षण	यह एक सेंसर–आधारित प्रक्रिया है जो ऑनलाइन निरीक्षण, दोषों के सुधार आदि में सहायता करती है।	
		(6) संवर्धित आपूर्ति श्रृंखला समन्वय, गुणवत्ता और रखरखाव के लिए डिजिटल विनिर्माण और औद्योगिक वस्तुओं का इंटरनेट	इस परियोजना के तहत, एक छोटी डिजिटल विनिर्माण प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी जिससे एमएसएमई को इस ढांचे के लाभों को अनुभव करने और समझने में सहायता मिलेगी।	
8.	आईआईटी, दिल्ली द्वारा वस्त्रों में स्वनिर्देशित वाहन हेतु उत्कृष्टता केंद्र	स्लिवर के लिए रोबोट की डिज़ाइन और विकास से एक मशीन से दूसरे विनिश्चित मशीन में स्थानांतरित कर सकता है	परियोजना का उद्देश्य कपड़ा उद्योग में स्थानांतरण प्रक्रिया को स्वचालित बनाना है।	आईआईटी दिल्ली
9.	चार गाइडवे सीएनसी लैथ के विकास हेतु एचएमटी एमटीएल द्वारा टीएएफपी	चार गाइडवे सीएनसी लैथ का विकास	20 टन भारवहन क्षमता, 75 किलोवाट स्पिंडल पावर और आईएसओ परीक्षण मानकों के अनुरुप 6000 मिमी के बीच एडमिट वाले हैवी ड्यूटी सीएनसी चार गाइडवे लैथ का विश्लेषण। "मेक इन इंडिया" पहल के रूप में विकसित। 20 टन की भारवहन क्षमता के लिए हेड स्टॉक के विश्लेषण हेतु भारत में फ्राउनहोफर, जर्मनी के सहयोग से स्वदेशी रूप से विकसित।	एचएमटी, बेंगलूरु
10.	वाई एक्सिस एसबी सीएनसी 30 टीएमवाई सहित टर्न मिल केंद्र विकसित करने और मुख्य स्पिंडल पर हाइ प्रेसिजन सी–एक्सिस को एकीकृत करने हेतु एचएमटी एमटीएल द्वारा टीएएफ़पी	वाई एक्सिस एसबी सीएनसी 30 टीएमवाई वाले टर्न मिल केंद्र का विकास और मुख्य स्पिंडल पर हाइ प्रेसिजन सी–एक्सिस को एकीकृत करना	इस मशीन को "मैक इन इंडिया" के तहत प्रथम टर्न मिल सेंटर के रुप में विकसित किया गया है जिसमें सी–एक्सिस का निर्माण भारत में एचएमटी ने किया है और सी–एक्सिस की डिजाइन और इसका विकास फ्राउनोफर, जर्मनी द्वारा किया गया है।	एचएमटी, बेगलूरु
11.	हैवी ड्यूटी और उच्च विश्वसनीयता वाले इलेक्ट्रिकल स्पेशलाइज्ड पावर केबल्स के विनिर्माण हेतु एलाइड इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड	हैवी ड्यूटी इलेक्ट्रिकल विशिष्ट विद्युत केबलों का विनिर्माण	परियोजना का उद्देश्य विशेष भारी विद्युत शक्ति केबलों के लिए एक लचीली विनिर्माण प्रणाली स्थापित करना था। एईडबल्यू ने केबल डिज़ाइन और सामग्री चयन, कंडक्टर प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी और इंसुलेशन टेक्नोलॉजी में,जो विशिष्ट विद्युत केबल प्रौद्योगिकी के लिए आवश्यक पैरामीटर हैं, बड़े अंतःक्षेप किए। इसमें निम्नांकित प्रौद्योगिकीय–सामाजिक–आर्थिक लाभ होंगे – रोजगार सृजन, जनशक्ति का कौशल विकास और बेहतर प्रौद्योगिकियों, अतिरिक्त कर सृजन, विदेशी मुद्रा की बचत और निर्यात के माध्यम से देश की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि करके जीवन की गुणवत्ता में समग्र सुधार।	एलाइड इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली

क्र. सं.	परियोजना का शीर्षक	प्रौद्योगिकी	यूएसपी / नवीनता	परियोजना प्राधिकरण
12.	सेरेमिक शेलिंग प्रौद्योगिकी के साथ टाइटैनियम कास्टिंग के विकास और व्यावसायीकरण पर पीटीसी इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड द्वारा टीएएफ़पी	भारत में पहली बार टाइटेनियम कास्टिंग सुविधा का विकास	इस परियोजना का उद्देश्य भारत में पहली बार टाइटेनियम कास्टिंग निर्माण सुविधा स्थापित करना है। टाइटेनियम कास्टिंग्स का ऊर्जा और परमाणु विद्युत, तेल, गैस और पेट्रो–रसायन, मरीन एंड शिपिंग, एयरोस्पेस और रक्षा जैसे भारी उद्योगों में व्यापक अनुप्रयोग है। यह विश्व में टाइटेनियम कास्ट घटकों के उत्पादन के लिए नवीनतम और सबसे उन्नत प्रौद्योगिकी है जो विश्व में बहुत कम कंपनियों के पास उपलब्ध है।	पीटीसी इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड लखनऊ
13.	टंगस्टन कार्बाइड पाउडर के उपयोग से हाइड्रो टर्बाइन के लिए रोबोट लेजर लेजर क्लैडिंग प्रौद्योगिकी हेतु आईपीएम प्राइवेट लिमिटेड द्वारा टीएएफ़पी	टंगस्टन कार्बाइड पाउडर का उपयोग करके हाइड्रो टर्बाइन के लिए रोबोटिक लेजर क्लैडिंग प्रौद्योगिकी का विकास	प्रस्तावित प्रौद्योगिकी से अंडर वॉटर हाइड्रो टरबाइन घटकों के कटाव की समस्या के लिए एक अत्याधुनिक समाधान उपलब्ध होगा जिससे भारतीय विद्युत उद्योग को नए आयातित हाइड्रो टरबाइन घटकों पर सालाना की जाने वाली खर्च से होने वाले वार्षिक नुकसान से निपटा जा सकता है। पारंपरिक प्रौद्योगिकी की तुलना में नई प्रौद्योगिकी की मुख्य विशेषताओं में शामिल हैं: 3X जीवन; टर्नअराउंड समय में तेज़ी; तेज़ गति से मरम्मत; अत्यधिक ऊर्जाक्षम; मुश्किल जगहों में भी कोटिंग संभव; क्षय से उच्च सुरक्षा और वेयर प्रतिरोध में वृद्धि; पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी।	आईपीएम प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली

3.4.3 साझा इंजीनियरिंग सुविधा केन्द्र (सीईएफसी)

3.4.3.1 इस योजना के तहत साझा इंजीनियरिंग सुविधा केन्द्र (सीईएफसी) से मशीनरी विनिर्माताओं को क्षेत्र में औद्योगिक समूह स्तर के लिए अपेक्षित साझा प्रेसिजन मशीनन, तापशोधन, गुणवत्ता नियंत्रण, कौशल अवसंरचना डिजाइन एवं अन्य साझा केंद्रों जैसी अवसंरचना सुविधा के सृजन में सहूलियत होगी। साझा इंजीनियरिंग सुविधा केन्द्रों की स्थापना के लिए एकमुश्त अनुदान सहायता के रूप में 80% तक केन्द्रीय सहायता दी जाती है और शेष 20% का निवेश विशेष प्रयोजन वाले व्हीकल्स से किया जाता है।

3.4.3.2 नीचे दिए गए विवरण के अनुसार ऐसे नौ साझा इंजीनियरिंग सुविधा केन्द्र अनुमोदित किए गए हैं:

i. एचएमटी मशीन टूल, बेंगलूरू में प्रशिक्षण एवं कौशल विकास केन्द्र
ii. एचईसी,रांची द्वारा सीईएफसी
iii. साइंस एंड इंजीनियरिंग टेक्नॉलोजी अपलिफ्टमेंट (एसईटीयू) फाउंडेशन द्वारा वस्त्र इंजीनियरिंग हेतु बारदोली, सूरत में सीईएफसी
iv. समर्थ उद्योग टेक्नोलॉजी फोरम (एसयूटीएफ) द्वारा पुणे में उद्योग 4.0 प्रदर्शन–सह अनुभव केन्द्र
v. स्मार्ट विनिर्माण (आईएएफएसएम) आईआईटीडी–एआई, संस्थान द्वारा आईआईटी दिल्ली में उद्योग 4.0 प्रदर्शन–सह–अनुभव केन्द्र
vi. आईआईएससी बेंगलूरू में उद्योग 4.0 प्रदर्शन–सह–अनुभव केन्द्र
vii. सीएमटीआई, बेंगलूरू में उद्योग 4.0 प्रदर्शन–सह–अनुभव केन्द्र
viii. कोरस द्वारा बहादुरगढ़ (हरियाणा) में स्टील संयंत्र उपकरण के लिए डिजाइन एवं प्रशिक्षण केन्द्र
ix. सीएमटीआई, बेंगलूरू मे प्रेसिजन मेट्रोलॉजी प्रयोगशाला का आधुनिकीकरण।

3.4.4 एकीकृत औद्योगिक अवंसरचनात्मक सुविधा (आईआईआईएफ)

3.4.4.1 एकीकृत औद्योगिक अवंसरचनात्मक केंद्र (आईआईआईएफ) संघटक के तहत कर्नाटक में लगभग 540 एकड़ क्षेत्र में तुमकुरू मशीन टूल पार्क की स्थापना की जा रही है। इस पार्क को लगभग रुपए 421 करोड़ की अनुमानित लागत से कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड (केआईएडीबी), कर्नाटक सरकार और भारी उद्योग विभाग, भारत सरकार द्वारा गठित एसपीवी द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। इस मशीन टूल पार्क से लगभग 150 मशीन टूल विनिर्माण इकाईयाँ स्थापित करने के लिए अवसंरचना उपलब्ध होगी और पुर्जों एवं मशीनरी विनिर्माताओं को एक ही स्थान पर अवस्थित किया जा सकेगा। इस प्रकार, इस पार्क का उद्देश्य इस क्षेत्र को लागत–प्रभावी बनाना, हाई–टेक मशीनी उपकरणों के विनिर्माण को प्रोत्साहन देना, निर्यात क्षमता की वृद्धि करना और अधिक निवेश आकर्षित करना है। टीएमटीपी के पास लगभग 343 एकड़ आबंटनीय भूमि है और अब तक 118 एकड़ भूमि वाले 33 भूखंडों को पात्र निवेशकों को आवंटित किया गया है।

तुमकुरू मशीन टूल पार्क, कर्नाटक का हवाई दृश्य

कर्नाटक के तुमकुरु के पास इंटीग्रेटेड मशीन टूल्स पार्क

3.4.5 प्रौद्योगिकी अधिग्रहण निधि कार्यक्रम (टीएएफपी)

प्रौद्योगिकी अधिग्रहण निधि कार्यक्रम (टीएएफपी) से पूंजीगत वस्तु उद्योग के अधिग्रहण के लिए सरलता से उपलब्ध विशिष्ट प्रौद्योगिकियों को प्राप्त करने एवं उनके समावेश में सहायता मिलती है। टीएएफपी के तहत पूंजीगत वस्तु क्षेत्र इकाइयाँ को रुपए 10 करोड़ की अधिकतम सीमा के साथ प्रत्येक प्रौद्योगिकी की लागत के 25% तक की राशि अनुदान सहायता के रूप में दी जाती है। टीएएफपी के तहत सीएनसी लैथ प्रौद्योगिकी, सीएनसी टर्नमिल सेंटर, टाइटैनियम कास्टिंग, हाई वोल्टेज केबल्स एवं हाइड्रो–टर्बाइन ब्लेड के लिए लेजर क्लैडिंग से संबंधित पाँच विदेशी विनिर्माण प्रौद्योगिकियां अधिग्रहित की गई हैं।

3.4.6 वेब–आधारित मुक्त विनिर्माण प्रौद्योगिकी नवाचार मंचों का विकास

भारी उद्योग विभाग भारत सरकार के 'मेक इन इंडिया' प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए भारत में पूंजीगत वस्तु क्षेत्र को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी और अधिक 'आत्मनिर्भर' बनाने की दिशा में लगातार काम कर रहा है। चूंकि वर्तमान में महंगी मशीनों के विनिर्माण के लिए घरेलू उद्योग की प्रौद्योगिकी क्षमता सशक्त नहीं है, अतः प्रौद्योगिकी–चालित नवाचारों की तत्काल आवश्यकता है। हितधारकों और विशेषज्ञों से किए गए परामर्शों तथा योजना कार्यान्वयन से प्राप्त अनुभव के आधार पर अनुसंधान और विकास तथा नवाचार प्रारम्भ करने के लिए एक वातावरण तैयार करने के लिए और उद्योग के समक्ष प्रौद्योगिकी संबंधी समस्याओं की पहचान करने और व्यवस्थित तरीके से उसी के लिए क्राउडसोर्स समाधान ढूँढने के लिए वेब–आधारित ओपन मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी इनोवेशन प्लेटफॉर्म विकसित करने का निर्णय लिया गया। इस वर्चुअल नेटवर्क से भारत के युवा और प्रतिभाशाली इंजीनियरों को भारत की विनिर्माण प्रौद्योगिकी की जरूरतों के लिए अभिनव समाधान खोजने के लिए विनिर्माण पेशेवरों, इंजीनियरिंग विशेषज्ञों, शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं, उद्यमियों और उद्योग जगत के साथ मिलकर काम करने में सहायता मिलेगी। उन्नत प्रौद्योगिकी समाधानों के विकास की सुविधा के अलावा, इस मंच से समाधान प्रदाताओं के लिए लाभदायक अवसर उपलब्ध होंगे और नवाचारों के स्टार्ट–अप और एंजेल फंडिंग की सुविधा भी उपलब्ध होगी। इसके अतिरिक्त, विभाग ने इन मंचों के माध्यम से मूल प्रौद्योगिकियों के स्वदेशी विकास हेतु महाचुनौती का प्रस्ताव किया है ताकि सशक्त प्रौद्योगिकी हासिल हो सके और भारत में एक

वैश्विक रुप से प्रतिस्पर्धी विनिर्माण क्षेत्र की परिकल्पना साकार हो सके।

आईआईटी मद्रास, सेंट्रल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट (सीएमटीआई), इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी (आईसीएटी), ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एआरएआई), बीएचईएल और एचएमटी ने छह प्रौद्योगिकी मंच विकसित किए हैं। इन मंचों में भारत में तत्काल निर्माण की आवश्यकता वाली विनिर्माण प्रौद्योगिकियों के विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। मिलकर काम करने के लिए 38,000 से अधिक विद्यार्थियों, विशेषज्ञों, शैक्षणिक संस्थानों, उद्योगों और प्रयोगशालाओं ने पहले ही इन प्लेटफार्मों पर पंजीकरण करा लिया है।

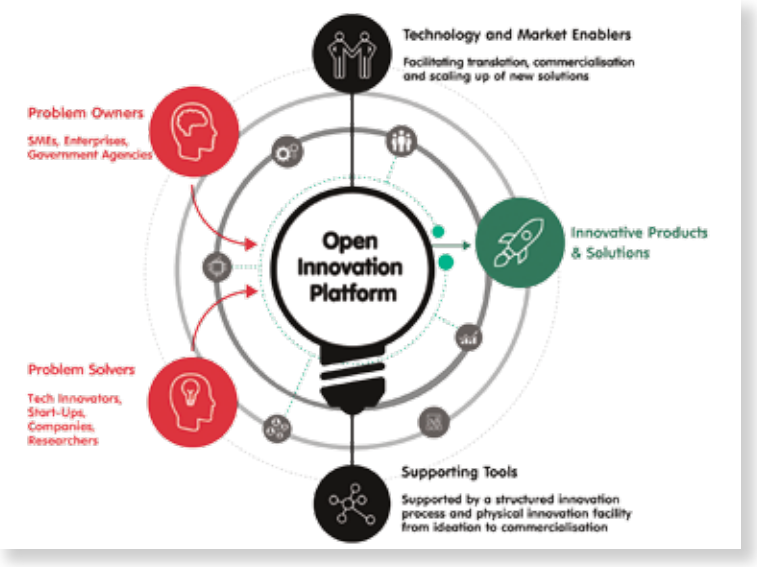

वेब–आधारित मुक्त विनिर्माण प्रौद्योगिकी नवाचार मंच

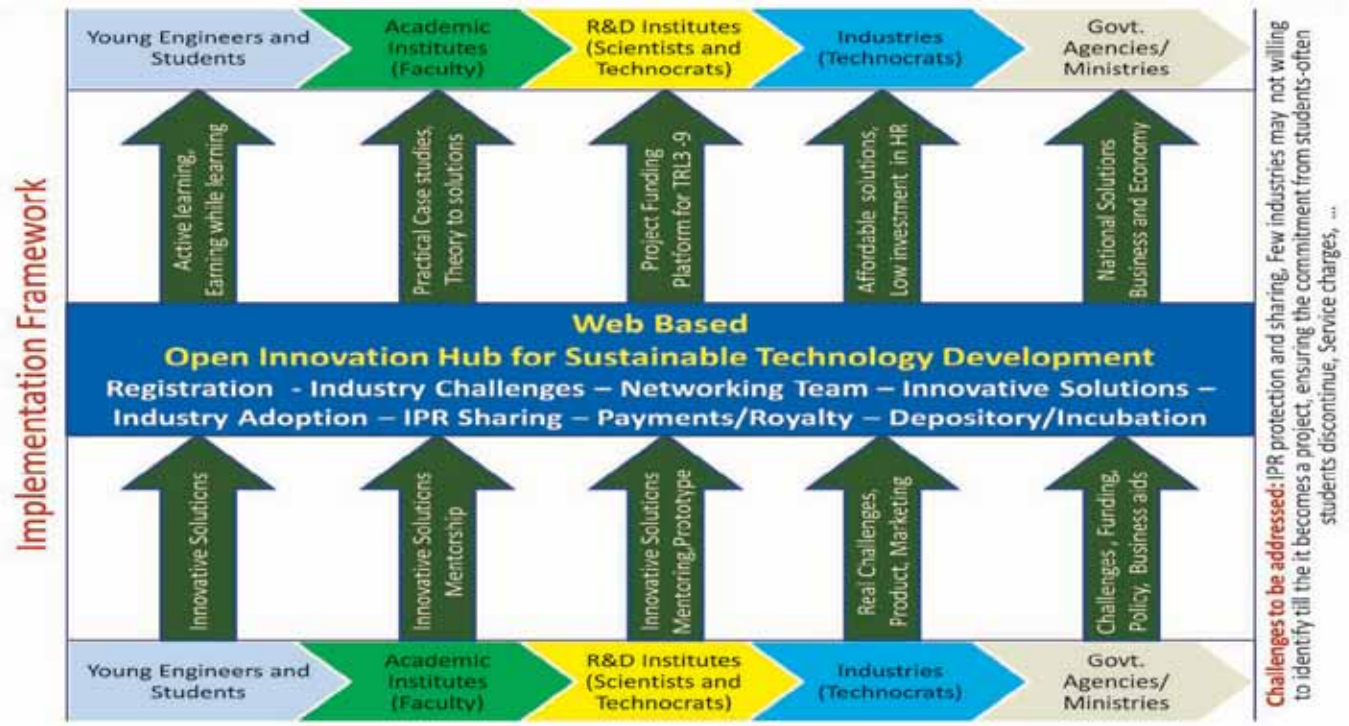

3.4.7 योजना का तीसरे पक्ष द्वारा मूल्यांकन

इस स्कीम का मध्यावधिक तृतीय पक्ष मूल्यांकन निदेशक, आईआईटी जोधपुर की अध्यक्षता में तीन प्रमुख विशेषज्ञों द्वारा किया गया। मूल्यांकन समिति की रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ यह सिफारिश भी है कि ''वर्तमान योजना से पूंजीगत वस्तु क्षेत्र की प्रौद्योगिकीय और अवसंरचनात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने का सीमित मार्ग प्रशस्त हुआ है। किंतु, पूरे देश में संपूर्ण पूंजीगत वस्तु उद्योग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वर्तमान योजना को भौतिक और वित्तीय–दोनों अर्थों में कम से कम 10 गुना बढ़ाने से ही भारत सरकार की मेक इन इंडिया पहल पर वांछित प्रभाव पड़ेगा।''

अध्याय 4

ऑटोमोटिव उद्योग

4.1 ऑटोमोटिव उद्योग का परिदृश्य

4.1.1 ऑटो क्षेत्र

ऑटोमोबाइल उद्योग भारत की अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख चालक है। वर्ष 1991 में इस क्षेत्र के उदारीकरण और स्वचालित मार्ग के माध्यम से 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति के बाद से भारतीय ऑटोमोबाइल क्षेत्र ने एक लंबा रास्ता तय किया है। आज देश में लगभग हर वैश्विक ऑटो विनिर्माता की मौजूदगी है। हर श्रेणी के वाहन जैसे– दुपहिया, तिपहिया, यात्री कार, हल्के वाणिज्यिक वाहन, ट्रकें, बसें, ट्रैक्टर, भारी वाणिज्यिक वाहन आदि भारत में निर्मित होते है। भारत दुपहिये और तिपहिये वाहनों का सबसे बड़ा और यात्री कारों का चौथा सबसे बड़ा विनिर्माता है। भारत में ट्रक, बस, कार, तिपहिया/दुपहिया आदि सहित ऑटोमोबाइलों का विनिर्माण तेजी से बढ़ा है। वित्त वर्ष 2019–20 में इस उद्योग ने यात्री वाहनों, वाणिज्यिक वाहनों, तिपहियों, दुपहियों और चौपहियों समेत लगभग 26 मिलियन वाहनों का उत्पादन किया।

4.1.2 कृषिगत ट्रैक्टर क्षेत्रः

कृषि मशीनरी में मुख्यतः कृषि ट्रैक्टर, पावर टिलर्स, कंबाइन हार्वेस्टर और अन्य कृषि मशीनरी और उपकरण शामिल होते हैं। पावर टिलर, कंबाइन हारवेस्टर और अन्य कृषि मशीनरी के नगण्य उत्पादन के कारण इस क्षेत्र पर मुख्यतः कृषि ट्रैक्टरों का प्रभुत्व है। भारतीय ट्रैक्टर उद्योग वैश्विक उत्पादन में एक–तिहाई का हिस्सा रखते हुए विश्व में सबसे बड़ा (चीन में प्रयुक्त 20 अश्वशक्ति के उप–बेल्टचालित ट्रैक्टरों को छोड़कर) है। विश्व में अन्य मुख्य ट्रैक्टर बाजार चीन और संयुक्त राज्य अमरीका हैं।

भारतीय ट्रैक्टरों का निर्यात अमरीका और मलेशिया, तुर्की आदि जैसे अन्य देशों को किया गया। भारतीय विनिर्माताओं ने सरकारी निविदा आवश्यकताओं के लिए बोली लगाकर अफ्रीकी देशों को तेजी से निर्यात करना प्रारंभ कर दिया है। इस तरह, भारतीय ट्रैक्टर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में स्वीकार्य होते जा रहे हैं। चूंकि भारत में ट्रैक्टरों की कीमत विश्व में सबसे कम है, अतः भविष्य में ट्रैक्टरों के निर्यात में बढ़ोत्तरी की जबर्दस्त संभावनाएं हैं।

4.2 ऑटोमोबाइल क्षेत्र के विकास में भारी उद्योग विभाग की भूमिकाः

भारी उद्योग विभाग ऑटोमोबाइल क्षेत्र से संबंधित किसी भी अधिनियम/नियम का अभिरक्षक नहीं है। हालांकि, ऑटोमोबाइल क्षेत्र विभिन्न विभागों द्वारा अधिनियमित विभिन्न नियमावलियों और विनियमों से शासित और प्रभावित होता है, जैसे–

i. एमओआरटीएचः सीएमवीआर

ii. एमओईएफसीसीः उत्सर्जन विनियम

iii. एमओपीएनजीः ईंधन क्षमता और वाहनों में प्रयोग किए जाने वाले ईंधन से संबंधित विनियम (बीएस VI)

iv. एमओपीः बीईई के माध्यम से ऊर्जा दक्षता अपेक्षा

v. एमओएफः कर संरचना

vi. डीओसीः विदेश व्यापार समझौते

vii. डीपीआईआईटीः आंतरिक व्यापार एवं मेक इन इंडिया

भारी उद्योग विभाग मुख्य रूप से ऑटोमोबाइल उद्योगों को बढ़ावा देने संबंधी नीतिगत मामलों से जुड़ा है। इसके अतिरिक्त, भारी उद्योग विभाग ऑटोमोटिव मिशन योजना के तहत निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने की दिशा में काम कर रहा है।

4.3 भारी उद्योग विभाग (डीएचआई) द्वारा ऑटो क्षेत्र के संबंध में की गई महत्वपूर्ण पहलें:

भारी उद्योग विभाग ऑटोमोबाइल और ऑटो–संघटक उद्योग के लिए नोडल विभाग होने के नाते, इसके विकास के लिए विभिन्न मंचों पर ऑटोमोबाइल क्षेत्र से संबंधित मुद्दे उठाता है। इस संबंध में, भारी उद्योग विभाग ने विभिन्न महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिनका विवरण नीचे दिया गया है:

4.3.1 ऑटोमोटिव और संबद्ध उद्योगों के लिए विकास परिषद (डीसीएएआई):

भारी उद्योग विभाग के सचिव की अध्यक्षता में गठित विकास परिषद् इस क्षेत्र की वृद्धि से संबंधित मुद्दों पर केन्द्रित है। यह मंच ऐसे प्रमुख समस्याग्रस्त क्षेत्रों का पता लगाने के अवसर उपलब्ध करता है जिनके लिए भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय/विभाग समुचित नीतिगत मॉड्यूलेशन और अन्य चिह्नित कार्य कर सकें। उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के अनुसार, ''विकास परिषद् दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट ऐसे कार्यों का निष्पादन करेगा जो उसे केन्द्र सरकार द्वारा सौंपे जाएंगे तथा जिन्हें अनुसूचित उद्योग में कार्य–क्षमता अथवा उत्पादकता बढ़ाने के उद्देश्य से मुहैया कराया जाना केन्द्र सरकार को समीचीन प्रतीत होगा अथवा जो कार्य उद्योग समूह करता हो अथवा कर सके अथवा ऐसे कार्य जिनसे ऐसे उद्योग अथवा उद्योग समूह समाज को ऐसी सेवाएं और अधिक किफायती ढंग से प्रदान करने में सक्षम हो सकें।''

डीसीएएआई के तहत विभाग को आवंटित निधियों का उपयोग विभाग द्वारा जारी रुचि अभिव्यक्ति (ईओआई) के माध्यम से आईआईटी/एनआईटी, एआरएआई और ऐसे अन्य संस्थानों के सहयोग से, उद्योग से प्राप्त अनुसंधान एवं विकास और अध्ययन परियोजनाओं की सहायता के लिए किया जाना है। भेजे गए प्रस्तावों का मूल्यांकन जांच समिति (संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में) और मुख्य समिति (सचिव, भारी उद्योग विभाग की अध्यक्षता वाली शीर्ष समिति) द्वारा किया जाता है जो परियोजनाओं पर विचार करती है और तदनुसार उन्हें अंतिम प्रशासनिक एवं वित्तीय अनुमोदन प्रदान करती है। पिछले वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान विभिन्न परियोजनाओं के निधियन हेतु 8.8 करोड़ रुपये जारी किए गए ।

4.3.2 यूनिडो–एक्मा–डीएचआई क्लस्टर विकास परियोजना:

इस परियोजना का उद्देश्य घरेलू एसएमईज के निष्पादन में वृद्धि हेतु लघु एवं मध्यम उद्यमों (एसएमईज) को ऑटोमोटिव कल–पुर्जा उद्योग में व्यावहारिक सेवाएं प्रदान करना है ताकि उनका राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला आवश्यकताओं (गुणवत्ता, लागत और सुपुर्दगी) में समावेश सुगम हो सके तथा भारत में आपूर्ति श्रृंखला के साथ लोअर टीयर आपूर्तिकर्ताओं सहित लक्ष्य कंपनियों की बढ़ती संख्या की प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार और वृद्धि हो सके। इस परियोजना के चरण–I को जून, 2018 में पूरा कर लिया गया और चरण–II को दिनांक 01 जनवरी, 2019 से तीन वर्ष की अवधि के लिये आरंभ किया गया है।

4.3.3 ऑटोमोटिव क्षेत्र संबंधी भारत–जर्मन संयुक्त कार्यदल (जेडब्ल्यूजी):

ऑटोमोटिव क्षेत्र के संबंध में भारत–जर्मन संयुक्त कार्य दल (जेडब्ल्यूजी) की स्थापना इन्डो–जर्मन संयुक्त औद्योगिक एवं आर्थिक सहयोग आयोग (जेसीएम) के तत्वावधान में की गई थी। यह पांचवां संयुक्त कार्य दल है; अन्य चार दल कृषि, कोयला, अवसंरचना और पर्यटन के क्षेत्र में हैं। संयुक्त कार्यदल की पहली बैठक (i) प्रौद्योगिकी संबंधी उप–कार्य समूह (ii) व्यवसायीकरण एवं रूपरेखा विकास संबंधी उप–कार्य समूह और (iii) सांस्थानिक सहयोग, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास संबंधी उप–कार्यदल पर 06.02.2009 को नई दिल्ली में हुई थी। इस संयुक्त कार्यदल की पिछली बैठक (12वीं) फरवरी 2020 में भारत में आयोजित की गई। भारी उद्योग विभाग के प्रतिनिधि के रूप में संयुक्त सचिव (ऑटो) ने उक्त समिति की सह–अध्यक्षता की।

4.3.4 ऑटोमोटिव कौशल विकास परिषद (एएसडीसी):

भारी उद्योग विभाग ने मशीन टूल्स, भारी इलेक्ट्रिकल, ऑटो उद्योग आदि जैसे क्षेत्रों के लिए पर्याप्त, प्रशिक्षित जनशक्ति उपलब्ध कराने की दृष्टि से "कौशल विकास योजना निर्माण" हेतु कदम उठाए हैं ताकि मौजूदा वित्त वर्ष में और भविष्य में व्यवस्थित और उच्च वृद्धि दर सुनिश्चित की जा सके। जहां तक ऑटो क्षेत्र का संबंध है, उद्योग में कौशल अंतराल की पहचान का कार्य एएमपी 2006–16 तैयार करने के दौरान बनाए गए विशेषीकृत दल के जरिए किया

गया जिसके अनुसार उद्योग को 2016 तक 25 मिलियन अतिरिक्त कार्यबल की आवश्यकता का अनुमान किया गया। विभाग में विभिन्न अवसरों पर हुए विचार–विमर्श के आधार पर सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (सिआम) ने विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार की है। तद्नुसार, एनएसडीसी की देख–रेख में एक ऑटोमोटिव कौशल विकास परिषद (एएसडीसी) की स्थापना की गई है। एएसडीसी को सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत एक सोसाइटी के रूप में मार्च, 2011 में शामिल किया गया था।

भारतीय ऑटोमोटिव उद्योग अर्थव्यवस्था के उदारीकरण और इसकी वृद्धि की अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रेरक शक्तियों में से एक के रूप में उभरने के लिये देश के विनिर्माण और रोजगार क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसे प्राप्त करने के लिये, उद्योग को सरकार से पर्याप्त नीतिगत समर्थन और अपने कर्मचारियों से कौशल समर्थन की आवश्यकता होगी। नीतिगत मामलों को अपेक्षित स्तर पर उठाया जायेगा और कौशल के मुद्दे को एएसडीसी द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से देखा जा रहा है। इन कार्यक्रमों की डिजिटल आउटरीच काफी अधिक है और इनका उद्देश्य विभिन्न स्तरों पर कार्यबल का पुर्नकौशलीकरण करना हैं। एएसडीसी का यह प्रयास इस विश्वास से प्रेरित है कि लोगों को प्रशिक्षित करने और कुशल बनाने का संबंध केवल उन्हें रोज़गार देने मात्र से नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य कार्यबल को भविष्य के लिए नियोजनीय बनाए रखना भी है। आज एएसडीसी के पास इसके लिए 474 प्रशिक्षण सहभागी हैं और 815 प्रशिक्षण केन्द्र हैं।

तेजी से बदलती प्रौद्योगिकी और उद्योग की उभरते आवश्यकताओं के साथ सामंजस्य बनाये रखने के लिये कौशल विकास पहलों को बढ़ावा देने हेतु हाल ही में एएसडीसी ने ऑटोमोटिव डीलरों को डीजिटल मार्कटिंग प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु गुगल और स्पीकइन के साथ तालमेल बिठाया है। पिछले दो वर्षों में एएसडीसी ने विनिर्माण प्रक्रिया से लेकर बिक्री उपरान्त जैसी विभिन्न कार्य श्रेणियों में लगभग 3,50,000 लोगों का प्रमाणन किया है। एएसडीसी ने लोगों को दो क्षेत्रों में प्रशिक्षण देना आरम्भ किया हैः यात्री कारों के लिये बिक्री परामर्शदाता और यात्री कारों के लिये सेवा तकनीशियन क्योंकि जनशक्ति की सर्वाधिक आवश्यकता इन दोनों क्षेत्रों को ही पड़ती है। एएसडीसी ने 24,608 अभ्यार्थियों का सफलतापूर्वक नामांकन किया है और विभिन्न राज्यों में 7,771 अभ्यर्थियों ने अपना प्रशिक्षण पूरा कर लिया है।

एएसडीसी की गतिविधियां

डिलीवरी तंत्रः

1. योजनाएं एवं पहलें

- अनौपचारिक चैनलों के माध्यम से प्राप्त कौशल प्रशिक्षण को मान्यता देना।
- 38 नियोक्ताओं के साथ कुल 1,09,702 नामांकनों को पूरा किया गया।
- 67,419 अभ्यर्थियों के आकलन को सफलतापूर्वक पूरा किया गया।
- रोड साइड तकनीशियनों को मान्यता देना।
- अपनी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता (बीआईसीई)

2. राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्द्धन स्कीम (एनएपीएस)

वर्ष के दौरान किए गए कार्य हैं :

- 26 प्रशिक्षुता पाठ्यक्रमों को अनुमोदित किया गया और वित्त वर्ष 2019–20 में प्रशिक्षुता पोर्टल पर उपलब्ध कराया गया।
- एएसडीसी विनिर्माण, बिक्री, सेवा और सम्बद्ध / सहायक सेवाओं में सभी ओईएम/ आपूर्तिकत्ताओं/ डीलरशिप के बीच एनएपीएस के बारे में प्रचार और जागरुकता के लिये एसआईएएम, एसीएमए, एफएडीए के सदस्यों के साथ इंटरफेसिंग कर रहा है।
- एसीएमए एचआर क्लस्टर मीट और एसआईएएम ह्यूमन कैपिटल ग्रुप बैठक की गई तथा एनएपीएस में हाल ही में हुये सुधार से समूह को अवगत कराया।
- वित्त वर्ष 2019–20 में एनएपीएस के अन्तर्गत 4,000+ संविदाएं सृजित हुईं और 205 प्रतिष्ठानों को जोड़ा गया।

3. भर्ती और प्लेसमेंट

एएसडीसी ने पूरे भारत में 31 भर्ती अभियानों में भाग लिया और 20,000+ अभ्यर्थियों को नौकरी प्रदान की है।

4.3.5 वाहन जीवनकाल समाप्त नीति (ईएलवी):

यद्यपि सूचना है कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय सभी हितधारकों के साथ परामर्श कर वाहन जीवनकाल समाप्ति नीति के विधेयक का मसौदा तैयार करने में संलग्न है, इस मामले में भारी उद्योग विभाग की मुख्य भूमिका नीति निर्धारित करने से पहले सभी संबद्ध पहलुओं पर विचार करते हुए एक उपयुक्त खाका उपलब्ध/तैयार करने की है। वाहन के निस्तारण के लिए एक वैज्ञानिक और पर्यावरण–अनुकूल अवसंरचना तैयार किए जाने की जरूरत है। पुराने वाहनों को स्वेच्छा से विघटित करने के लिए देने हेतु लोगों में जागरूकता लाने और उनमें सहमति कायम करने की तत्काल आवश्यकता है जिसके लिए प्रोत्साहन या कुछ नीतिगत व्यवस्था बनाई जानी चाहिए। कुछ अन्य संबद्ध मुद्दे भी हैं जिनमें वाहन मालिकों के लिए प्रतिपूर्ति संरचना निर्धारित करना, स्क्रैपिंग के लिए पर्यावरण/सार्वजनिक स्वास्थ्य/संरक्षा मानदंड निर्धारित करना, स्क्रैपिंग/निस्तारण केन्द्रों पर वाहनों के संग्रहण की व्यवस्था, कच्चे माल के पुनरोपयोग और स्क्रैपिंग केन्द्रों के स्थान के बीच लिंकेज आदि शामिल हैं।

4.3.6 स्वैच्छिक वाहन रिकॉल सूचना:

वाहन रिकॉल सिआम के जुलाई, 2012 में घोषित ''वॉलन्टरी कोड ऑन व्हीकल रिकॉल'' के दिशानिर्देश के अनुरुप है। यह दिशानिर्देश विनिर्माण संबंधी खराबी के कारण सुरक्षा संबंधी अपेक्षाओं को पूरा नहीं करने वाले किसी मोटर वाहन में आने वाली संभावित समस्याओं का समाधान और तदुपरान्त उपचारात्मक कार्रवाई करता है। सुरक्षा रिकॉल के अंतर्गत वाहन को सात वर्षों के लिए कवर किया जाता है और यह सुविधा पहले क्रेता को मिलती है। रिकॉल का फैसला किसी भी निहित संभावित जोखिम की गम्भीरता और तीव्रता को ध्यान में रखकर किया जाता है। इस डेटा का रखरखाव सिआम द्वारा किया जाता है जिसके लिए भारी उद्योग विभाग की वेबसाइट पर एक लिंक है जिसे नियमित आधार पर अद्यतन किया जाता है।

4.3.7 ऑटोमोटिव मिशन योजना 2016–26:

4.3.7.1 विजन विवरण: भविष्य के परिकल्पित परिदृश्य के आधार पर, एएमपी 2026 के तहत भारतीय ऑटोमोटिव उद्योग के लिए विजन विवरण इस प्रकार है:

विजन 3/12/65

2026 तक, भारतीय ऑटोमोटिव उद्योग वाहनों और संघटकों की इंजीनियरिंग, विनिर्माण और निर्यात में विश्व में शीर्ष तीन में होगा और भारत में व्यक्तियों तथा वस्तुओं की सस्ती गतिशीलता/परिवहन के लिए ऐसी सुरक्षित, कारगर और पर्यावरण–अनुकूल स्थिति प्राप्त करेगा जो वैश्विक मानदंडों से तुलनीय होगी, जिसका भारत के सकल घरेलू उत्पाद में मूल्य 12 प्रतिशत से अधिक का होगा और जिससे 65 मिलियन अतिरिक्त रोज़गार पैदा होंगे।"

4.3.7.2 ऑटोमोटिव मिशन योजना, 2026 का उद्देश्य:

2006–2016 की अवधि के लिए 'ऑटोमोटिव मिशन योजना' ऑटो नीति–2002 से एक कदम आगे थी। इसने ऑटोमोटिव उद्योग के लिए विकास लक्ष्य निर्धारित किए और भारत को वैश्विक ऑटोमोटिव केंद्र बनाने के लिए अंतःक्षेपों की सिफारिश की। इस मिशन योजना में ऑटोमोबाइल और ऑटो संघटकों की डिजाइन और विनिर्माण के लिए श्रेष्ठ स्थान के रूप में भारत के उभरने की परिकल्पना की गई है जिसमें आउटपुट 145 बिलियन डॉलर स्तर पर (जो सकल घरेलू उत्पाद के10% अधिक है) हो और वर्ष 2016 तक 25 मिलियन लोगों को अतिरिक्त रोजगार प्रदान किया जाए। इसमें वर्ष 2016 तक ऑटोमोटिव उद्योग के स्तर को 169000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 5,61,200 करोड़ रुपए से 7,31,400 करोड़ रुपये तक करने की परिकल्पना की गई है।

ऑटोमोटिव मिशन योजना 2006–16 की सफलता से उद्योग और भारत सरकार को निश्चित रूप से प्रोत्साहन मिला जिन्होंने भारतीय ऑटोमोटिव उद्योग के अगले सामूहिक विज़न पर संयुक्त रूप से काम किया है। एएमपी 2016–26 का उद्देश्य तीन सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलुओं पर कार्य करना है जिन्हें ''विजन 3/12/65'' भी कहा जाता है। यह भारतीय ऑटोमोटिव उद्योग को वाहनों और ऑटो पुर्जों के इंजीनियरिंग विनिर्माण एवं निर्यात की दृष्टि से विश्व के शीर्ष तीन में लाने के प्रयोजन से है। इस विजन का दूसरा भाग यह सुनिश्चित करने के लिए है कि ऑटोमोटिव उद्योग भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 12% से अधिक का योगदान करे और अपने उत्तरदायित्व का एक प्रमुख भाग पूरा करने के लिए 65 मिलियन अतिरिक्त रोजगार पैदा करे। 3/12/65 की संरचना इस प्रकार हुई।

ऑटोमोटिव मिशन योजना–2026 में ऑटोमोटिव पारितंत्र के विकास–पथ को भी परिभाषित किया गया है जिसमें विशिष्ट विनियम और नीतियाँ शामिल हैं जो ऑटोमोटिव वाहनों, कल–पुर्जों और सेवाओं में अनुसंधान, डिजाइन, प्रौद्योगिकी, परीक्षण, विनिर्माण, आयात/निर्यात, बिक्री, उपयोग, मरम्मत और पुनरावर्तन को शासित करती हैं। उत्पादन और आधारिक संख्या की दृष्टि से, ऑटोमोटिव मिशन योजना 2012–26 के अंतर्गत 4.5 ट्रिलियन–5.5 ट्रिलियन के

अतिरिक्त निवेश के साथ 2026 तक वाहनों की बिक्री 66 मिलियन यूनिट तक पहुँचने की आशा है। उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा वैश्विक स्तर पर निर्यात होने की संभावना है। इस वृद्धि से ऑटो कल–पुर्जा क्षेत्र के प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होने की उम्मीद है जिससे काफी ज्यादा अवसर मिलेंगे। भारतीय ऑटोमोटिव उद्योग ने तेजी से विकास किया है और अब हम यात्री वाहनों के मामले में चौथा बड़ा बाजार हैं।

भारी उद्योग विभाग भारत में ऑटोमोबाइल क्षेत्र के समग्र विकास के लिए राष्ट्रीय ऑटोमोटिव नीति निर्माण पर काम करता रहा है। कई साझेदारों से व्यक्तिशः परामर्श के बाद, विभाग ने ऑटोमोटिव नीति के मसौदे को अंतिम रूप दिया है जिसमें अन्य के साथ–साथ निम्नांकित का भी प्रस्ताव है:

- बीएस–VI से अधिक उत्सर्जन मानक के लिए एक दीर्घकालिक मार्गदर्शिका को अपनाना और वर्ष 2028 तक उसे वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाना।
- वर्ष 2025 तक और इसके बाद सीएएफई मानदंड शुरू करना और प्रोत्साहन/दंड निर्धारित करना और बैंकिंग, व्यापार आरंभ करना।
- विभेदक कराधान उद्देश्यों के लिए वाहनों के वर्गीकरण हेतु लंबाई और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के आधार पर एक व्यापक मानदंड अपनाना।
- अगले 5 वर्षों में ऑटोमोटिव मानदंड को डब्ल्यूपी–29 के अनुरुप बनाना।
- कौशल विकास और प्रशिक्षण पारितंत्र में सुधार करना, एएसडीसी के उत्तरदायित्व को बढ़ाना और श्रम बाजार सूचना प्रणाली का कार्यान्वयन।
- अनुसंधान एवं विकास व्यय के विभिन्न स्तरों पर एक सख्त लेखापरीक्षा नियंत्रण सहित कर–छूट को बनाए रखना।
- वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य नवोन्मेषण से स्वदेशी अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना।
- अगले 3 वर्षों में, आवश्यक सुरक्षा पुर्जों को एआईएस एवं बीआईएस मानदंड के अनुरुप बनाना।
- भारत नव वाहन सुरक्षा आकलन कार्यक्रम का त्वरित अंगीकरण।

4.3.7.3 ऑटोमोटिव मिशन योजना 2026 के मूल उद्देश्य को साररुप में इन पाँच विषयों में अभिव्यक्त किया जा सकता है:

- **ऑटोमोटिव मिशन योजना का उद्देश्य भारतीय ऑटोमोटिव उद्योग को ''मेक इन इंडिया'' कार्यक्रम का इंजन बनाने के लिए बढ़ावा देना है,** क्योंकि यह विनिर्माण क्षेत्र के अग्रणी वाहकों में से है: भारतीय ऑटोमोटिव क्षेत्र में अगले दशक में देश के सकल घरेलू उत्पाद में 12% से अधिक का और विनिर्माण क्षेत्र में 40% से अधिक का योगदान करने की संभावना है। जीएसटी का लगभग 13% भारतीय ऑटोमोटिव उद्योग से प्राप्त होता है। अर्थव्यवस्था में, ऑटोमोटिव उद्योग को विनिर्माण क्षेत्र की जननी भी कहा जा सकता है क्योंकि इसकी स्थिति कई संबंधित विनिर्माण उद्योगों (यथा लौह एवं इस्पात, एल्युमिनियम, लेड, रबड़, प्लास्टिक, ग्लास, मशीन टूल, सांचा एवं डाई, रसायन और पूंजीगत वस्तु) और सेवा–क्षेत्र में कई (उदाहरण– लॉजिस्टिक्स, बैंकिंग, बीमा, बिक्री एवं वितरण, सेवा एवं मरम्मत और ईंधन) को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। भारतीय ऑटोमोटिव उद्योग की तीव्र वृद्धि से देश में विभिन्न क्षेत्रों के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को अच्छा प्रोत्साहन मिलेगा, जिनका विकास सरकार के प्रमुख उद्देश्यों में से एक है।

इलेक्ट्रिक तिपहिया

- **ऑटोमोटिव मिशन योजना 2026 का लक्ष्य भारतीय ऑटोमोटिव उद्योग को ''कुशल भारत'' योजना** में एक प्रमुख योगदानकर्ता बनाना और इसे भारतीय अर्थव्यवस्था में रोजगार पैदा करने वाला एक बड़ा वाहक बनाना है। अगले दशक में भारतीय ऑटोमोटिव उद्योग द्वारा सृजित किए जाने वाले वृद्धिशील रोजगार की संख्या 65 मिलियन है। यह पिछले दशक में सृजित 25 मिलियन रोजगारों से कहीं अधिक है। ग्रामीण और शहरी भारत में तथा अर्थव्यवस्था के औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्रों में विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में भीड़, वायु प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग और सड़क दुर्घटनाओं जैसी ऑटोमोटिव उद्योग के दो दर्जन से ज्यादा उद्योगों के साथ कई बैकवार्ड और फॉरवर्ड लिंकेज हैं। भारतीय ऑटोमोटिव उद्योग में ज्यादातर नौकरियां विशेष कौशल से जुड़ी हैं और ऑटोमोटिव क्षेत्र के भीतर तथा बाहर पेशेवर रूप से उन्नति के लिए लोगों को पर्याप्त तकनीकी और सॉफ्ट कौशल प्रदान करता है। उच्च कौशल वाली नौकरियां सृजित करने के अलावा, यह उद्योग बड़ी संख्या में अर्द्ध–कुशल और अल्प–कुशल कामगारों को भी रोजगार के अवसर प्रदान करता है।

- **एएमपी 2026 में मोबिलिटी संवर्द्धन**–एएमपी 2026 में, सार्वजनिक और निजी– दोनों परिवहन विकल्पों के माध्यम से पर्यावरण सुरक्षा और उपलब्धता को ध्यान में रखकर देश में प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुरक्षित, दक्ष और सुविधाजनक मोबिलिटी बढाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इसका उद्देश्य उपभोक्ता को मोबिलिटी के विभिन्न विकल्प प्रदान करना है। एएमपी 2026 का उद्देश्य देश में मोबिलिटी को बढ़ावा देना और ऑटोमोबाइल के उद्योग से उत्पन्न बाह्य नकारात्मक तत्वों, यथा भीड़–भाड़, वायु प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग और सड़क दुर्घटनाओं को न्यूनतम करने की आवश्यकता का समाधान करना भी है। एएमपी 2026 में भारत में निजी परिवहन के लिए मनुष्य की आकांक्षा और सार्वजनिक परिवहन में दक्षता के बीच स्वस्थ संतुलन प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है।

- **एएमपी 2026 में भारतीय ऑटोमोटिव उद्योग के निवल निर्यात को कई गुना बढ़ाने का लक्ष्य:** एएमपी 2026 में स्वीकार किया गया है कि भारतीय ऑटोमोटिव उद्योग (वाहन और ऑटो घटक – दोनों)

में अगले दस वर्षों में अपने निर्यात को बढ़ाकर अपने कुल उत्पादन के 35–40% तक करने और विश्व का शीर्ष ऑटोमोटिव निर्यात केंद्र बनने की क्षमता है। इस धारणा के अनुरूप, प्रतिस्पर्धात्मकता संवर्द्धन, प्रौद्योगिकी उन्नयन, अवसंरचना निवेश और ब्रांडिंग को विकसित करने के लिए एएमपी 2026 में कई उपाय किए गए हैं। दूसरी तरफ, इलेक्ट्रोनिक्स के बढ़ते प्रयोग और वाहनों और उपकरणों के निर्माण में डिजाइन एवं इंजीनियरिंग के मूल्य में वृद्धि की वजह से, आगामी वर्षों में ऑटोमोबाइल आयात की तीव्रता में वृद्धि की संभावना है। वर्तमान में, भारत में ऑटो इलेक्ट्रानिक्स और डिजाइन/इंजीनियरिंग – दोनों क्षेत्रों में कौशल और क्षमता में कमी है। एएमपी 2026 में, वाहनों और उपकरणों– विशेष रूप से ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक्स, हल्के वजन वाली सामग्री, माउल्ड्स एवं डाइज और मशीनरी के विनिर्माण में स्थानीय विनिर्माताओं की हिस्सेदारी को बढ़ाने का लक्ष्य है जिससे देश को पर्याप्त विदेशी मुद्रा की बचत होगी और साथ ही ''मेक इन इंडिया'' कार्यक्रम को भी बढ़ावा मिलेगा। एएमपी 2026 का उद्देश्य ऑटोमोटिव वाहनों और उपकरणों – दोनों के अनुसंधान, डिजाइन, इंजीनियरिंग और विनिर्माण में स्वदेशी की के अनुपात को बढ़ाना है। भारत में ऑटोमोबाइल की डिजाइन और विकास के लिए मजबूत पारितंत्र का विकास करना महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी से उद्योग की सफलता निर्धारित होगी। यह ब्रांड इंडिया को कम लागत विनिर्माता के वर्तमान टैग से अधिक आकांक्षी बनाने में उपयोगी होगा।

- **व्यापक और स्थिर नीति व्यवस्था की आवश्यकता:** देश के समाजिक–आर्थिक विकास में भारतीय ऑटोमोटिव उद्योग के विशेष योगदान को देखते हुए, आवश्यक है कि इस उद्योग के लिए ऐसी व्यापक तथा अनुमान्य नीतिगत व्यवस्था हो जिससे इस क्षेत्र को स्थिर और संधारणीय तरीके से शासित किया जा सके। दुनिया भर में, आर्थिक रूप से उन्नत हर राष्ट्र ऑटोमोटिव उद्योग के सरकारी समर्थन और विकास की बदौलत ही विकसित बनने में सफल रहा है। विभिन्न पक्षों पर ऑटोमोटिव क्षेत्र के व्यापक और प्रभाव विशेष के दृष्टिगत तथा भारतीय लोकतंत्र की जीवंतता को देखते हुए, ऑटो क्षेत्र को शासित करने वाले विनियमों और नीतियों पर कई लॉबियों का दबाव बढ जाता है। अतः, भारतीय ऑटोमोटिव उद्योग के लिए एक निष्पक्ष और पूर्वानुमान्य शासकीय वातावरण सुनिश्चित करने के लिए ऑटोमोटिव मिशन योजना 2026 में ऑटो क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण नीति निर्माण के संबंध में सरकार के दृष्टिकोण को अभिव्यक्त किया गया है ताकि उद्योग को प्रभावित करने वाले सभी विनियमों को केन्द्र और राज्यों – दोनों में सामंजस्यपूर्ण कार्यान्वित करने हेतु व्यापक रुप में तैयार किया जा सके।

4.3.8 फेम इंडिया स्कीमः

राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन योजना (एनईएमएमपी) 2020: 2013 से शुरू इस योजना का लक्ष्य वर्ष 2020 तक 6–7 मिलियन इलेक्ट्रिक/हाइब्रिड वाहन उपलब्ध कराना था। इस मिशन के अंग के तौर पर, भारी उद्योग विभाग ने एक योजना नामतः फेम–इंडिया (भारत में (हाइब्रिड और) इलेक्ट्रिक वाहनों का तीव्र अंगीकरण एवं विनिर्माण) तैयार की जिसका उद्देश्य परिवहन में हाइब्रिड/इलेक्ट्रिक प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना है ताकि जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम हो। इस समग्र योजना को वर्ष 2020 यानी 6 वर्षों तक कार्यान्वित करने का प्रस्ताव था जिसका आशय निर्धारित अवधि की समाप्ति तक इसकी आत्मसंधारणीयता को प्राप्त करने हेतु हाइब्रिड/इलेक्ट्रिक वाहन बाजार विकास और इसके लिए विनिर्माण कारी पारितंत्र निर्माण में सहायता देना था। यह योजना सड़क परिवहन में हाइब्रिड/इलेक्ट्रिक प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की प्रमुख हरित पहलों में से एक है जो निकट भविष्य में सड़क परिवहन क्षेत्रसे प्रदूषण को कम करने में बड़ा योगदान करेगी।

योजना का चरण–I शुरू में दो वर्षों के लिए अनुमोदित हुआ था जिसे 795 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ दिनांक 01 अप्रैल, 2015 अर्थात् वित्त वर्ष 2015–16 और 2016–17 तक कार्यान्वित किया गया। योजना के चरण–I की अवधि समय–समय पर बढ़ायी गयी और कुल 895 करोड़ रुपये तक के विस्तारित परिव्यय के साथ 31मार्च, 2019 तक के लिए विस्तारित करने की अनुमति दी गई।

इस योजना के चार मुख्य क्षेत्र हैं– प्रौद्योगिकी विकास, मांग सृजन, प्रायोगिक परियोजना और चार्जिंग अवसंरचना।

चार्जिंग अवसंरचना

मांग प्रोत्साहन के माध्यम से बाजार निर्माण का उद्देश्य सभी वाहन श्रेणियों जैसे– दुपहिया, तिपहिया, चौपहिया यात्री वाहनों, हल्के वाणिज्यिक वाहनों और बसों को प्रोत्साहन देना है। इस योजना में लोगों के लिए किफायती तथा पर्यावरण–अनुकूल सार्वजनिक तथा निजी परिवहन/व्हीकुलर मोबिलिटी उपलब्ध कराने पर अधिक बल दिया गया है। इसे व्यापक रूप से अपनाने हेतु रियायत के तौर पर खरीदारों (अंतिम प्रयोक्ता/उपभोक्ता) को तत्काल छूट के रूप में मांग प्रोत्साहन उपलब्ध है। प्रत्येक श्रेणी के वाहनों (वाहन–तकनीक–बैटरी टाइप) के लिए मांग प्रोत्साहन राशि का निर्धारण पूर्ण स्वामित्व लागत (टीसीओ), ईंधन बचत के कारण पे–बैक अवधि, रखरखाव लागत आदि के सिद्धान्तों को ध्यान में रखते हुए किया गया है।

योजना के फोकस क्षेत्रों के लिए अनुदान के प्रयोजन से सचिव (भारी उद्योग) की अध्यक्षता में परियोजना कार्यान्वयन और संस्वीकृति समिति (पीआईएससी) प्रायोगिक परियोजनाओं, अनुसंधान एवं विकास/प्रौद्योगिकी विकास एवं सार्वजनिक चार्जिंग अवसंरचना संघटक के अंतर्गत विशिष्ट परियोजनाएं अनुमोदित की जाती हैं।

4.3.8.1 फेम इंडिया स्कीम के चरण–स की उपलब्धि:

- लगभग 359 करोड़ रुपये के मांग प्रोत्साहन से लगभग 2.8 लाख इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों के लिए वित्तीय सहायता दी गई जिसके परिणामस्वरूप 19 जनवरी, 2021 तक लगभग 78 मिलियन लीटर ईंधन की बचत हुई और कार्बन डाई ऑक्साइड में लगभग 194 मिलियन किलोग्राम की कमी आई।
- ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिऐशन ऑफ इंडिया (एआरएआई), आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर, अलौह धातु सामग्री प्रौद्योगिक विकास केंद्र (एनएफटीडीसी), अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) आदि जैसे विभिन्न संगठनों/संस्थानों के लिये प्रौद्योगिकी विकास परियोजनाओं, यथा– परीक्षण अवसंरचना की स्थापना, विद्युतीकृत परिवहन, बैटरी इंजीनियरिंग आदि में उन्नत अनुसंधान के लिये 'उत्कृष्टता केन्द्र'' की स्थापना हेतु लगभग 158 करोड़ रुपये की परियोजनाओं की संस्तुति की गई।
- इस योजना के तहत, भारी उद्योग विभाग ने लगभग 280 करोड़ की कुल लागत के साथ देश के विभिन्न शहरों में 425 इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड बसों की स्वीकृति दी है। ये 425 बसें विभिन्न नगरों में परिचालित हैं, यथा– इंदौर, लखनऊ, गुवाहाटी, जम्मू एवं कश्मीर, कोलकाता, हैदराबाद, शिमला, मुबंई आदि।
- चार्जिंग अवसंरचना के अंतर्गत, भारत सरकार ने बेंगलूरू चण्डीगढ़, जयपुर और दिल्ली के एनसीआर जैसे नगरों में 520 चार्जिंग स्टेशनों / अवसंरचनाओं को मंजूरी दी है। भारी उद्योग विभाग ने अपने सार्वजनिक क्षेत्रक उद्यमों, जैसे– बीएचईएल और आरईआईएल को नियमित अंतरालों पर चार्जिंग अवसंरचना की स्थापना करके तीन पूर्णतया ई–वाहन अनुकूल एक्सप्रेसवे के निर्माण का कार्य भी सौंपा है। ये राजमार्ग हैं:– दिल्ली–चण्डीगढ़, दिल्ली–जयपुर और मुंबई–पुणे एक्सप्रेसवे। इनमें से हाल ही में दिल्ली–चण्डीगढ़ राजमार्ग को देश का पहला एक्सप्रेसवे घोषित किया गया है जो ई–व्हीकल फ्रेंडली एक्सप्रेसवे है।

4.3.8.2 फेम इंडिया स्कीम का चरण–II

फेम इंडिया के चरण–I में प्राप्त अनुभव तथा विभिन्न पक्षों के सुझावों के आधार पर, भारी उद्योग विभाग ने मंत्रिमंडल के अनुमोदन के साथ दिनांक 8 मार्च, 2019 के का.आ. 1300 के तहत स्कीम के चरण–II को अधिसूचित किया। स्कीम का चरण–II 10,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ दिनांक 01 अप्रैल, 2019 से आरंभ होकर तीन वर्ष की अवधि के लिए है। स्कीम का मुख्य उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर तत्काल छूट देकर इलेक्ट्रिक एवं हाइब्रिड वाहनों के तीव्र अंगीकरण को प्रोत्साहित करना तथा इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए जरूरी चार्जिंग अवसंरचना की स्थापना करना भी है। इस स्कीम से पर्यावरणीय प्रदूषण तथा ईंधन सुरक्षा के मुद्दों का समाधान करने में मदद मिलेगी।

योजना के इस चरण में, सार्वजनिक परिवहन के विद्युतीकरण पर अधिक बल दिया गया है जिसमें साझा परिवहन भी शामिल हैं। इलेक्ट्रिक बसों के लिए प्रचालित व्यय मॉडल पर मांग प्रोत्साहन राज्य/नगर परिवहन निगम (एसटीयूज) के माध्यम से दिया जाएगा। तिपहिया और चौपहिया वाहन श्रेणी में प्रोत्साहन प्रमुख रूप से सार्वजनिक परिवहन या वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए पंजीकृत वाहनों पर अनुप्रयोज्य होगा। दुपहिया वाहन श्रेणी में, निजी वाहनों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस स्कीम का उद्देश्य मांग सृजन हेतु 7090 ई–बसों, 5 लाख ई–तिपहियों, 55000 ई–चौपहिया यात्री कारों और 10 लाख ई–दुपहिया वाहनों के लिए सहायता देना है। इस स्कीम के तहत चुनिंदा नगरों में और प्रमुख राजमार्गों में चार्जिंग अवसंरचना सृजन के लिए सहायता दी जाएगी।

4.3.8.3 फेम इंडिया चरण–II की प्रमुख विशेषताएँ

(क) इस चरण का उद्देश्य मांग सृजन के लिए 7090 ई–बसों, 5 लाख ई–तिपाहियों, 55000 ई–चौपहिया यात्री कारों (स्ट्रांग हाइब्रिड समेत) और 10 लाख ई–दुपहियों के लिए सहायता प्रदान करना है।

(ख) लोगों को सस्ता और पर्यावरण–अनुकूल सार्वजनिक परिवहन विकल्प प्रदान करने पर अत्यन्त बल देने के साथ, यह स्कीम विशेष रूप से उन सभी प्रकार के वाहनों पर लागू होगी जो सार्वजनिक प्रयोग के लिये हों अथवा वाणिज्यिक उद्देश्य के लिये पंजीकृत हों।

(ग) ई–दुपहिया खंड के लिये, यह स्कीम निजी स्वामित्व वाले पंजीकृत ई–दुपहियों पर भी अनुप्रयोज्य है।

(घ) विभिन्न श्रेणियों के ई–वाहनों की मांग के आधार पर इस स्कीम में इंटर–सेगमेंट के साथ–साथ इंट्रा–सेगमेंट–वार फंजिबिलिटी के लिये प्रावधान किया गया है।

(ड़) यह स्कीम केवल उन एक्सईवीज पर अनुप्रयोज्य है जिनमें उन्नत कैमिस्ट्री बैटरियां लगी हैं।

(च) यह स्कीम केवल उन वाहनों पर लागू है जो सीएमवीआर के अनुसार मोटर वाहन के रूप में परिभाषित है और सड़क परिवहन प्राधिकरण में पंजीकरण के पात्र है।

(छ) इस चरण में, मांग प्रोत्साहन बैटरी क्षमता से जुड़ा है अर्थात ई–बसों के अलावा सभी पात्र वाहनों के लिये 10,000 रुपये/ किलोवाट घंटा (जिनके लिये प्रोत्साहन 20,000 रुपये/ किलोवाट घंटा) है जो पात्र वाहनों की लागत के निश्चित प्रतिशत तक सीमित होगा (अर्थात ई–बसों के लिये 40% और अन्य सभी पात्र वाहन श्रेणियों के लिये 20%)।

(ज) मांग–प्रोत्साहन केवल उन वाहनों के लिये है जिनका एक्स–फैक्टरी मूल्य थ्रैशहोल्ड कीमत से कम है।

(झ) इसके अलावा, बैटरियों में बाजार और प्रौद्योगिकी ट्रैंड के मद्देनजर, स्कीम के तहत मांग प्रोत्साहनों में संशोधन के लिये समय–समय पर प्रावधान किए गए हैं।

4.3.8.3 फेम इंडिया स्कीम के चरण–।। के अन्तर्गत (15 जनवरी, 2021 तक) उपलब्धियां:

क. **ओईएमएस और वाहन मॉडल** : फेम स्कीम, चरण–।। के अन्तर्गत मांग प्रोत्साहनों का लाभ उठाने के लिये अब तक 31 ओईएम ने अपने 92 इलैक्ट्रिक वाहन के मॉडलों को पंजीकृत किया है। इस स्कीम के तहत लगभग 44000 इलैक्ट्रिक वाहनों के लिये पात्र प्रयोक्ताओं को प्रोत्साहन दिया गया है।

ख. **इलेक्ट्रिक बसों की मंजूरी** : सार्वजनिक परिवहन में इलैक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिये, विभाग ने प्रचालन लागत मॉडल आधार पर इलेक्ट्रिक बसों की तैनाती हेतु रूचि–अभिव्यक्ति के माध्यम से नगरों और राज्य परिवहन निगमों से प्रस्ताव आमंत्रित किये है। प्रस्तावों के परीक्षण के उपरान्त, विभाग ने स्कीम के तहत 24 राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों में इंट्रासिटी और इंटरसिटी परिचालन हेतु 65 शहरों के लिये 6265 ई–बसों की मंजूरी दी। यें बसें अपनी अनुबंध अवधि के दौरान लगभग 4.5 बिलियन किलोमीटर की दूरी तय करेंगी और पूरी अनुबंध अवधि में लगभग 1.5 बिलियन लीटर ईंधन की संचयी बचत की आशा की जाती है जिसके परिणामस्वरूप 3.4 मिलियन टन कार्बन डाईऑक्साइड उत्सर्जन से बचा जा सकेगा।

ग. **चार्जिंग अवसंरचना की मंजूरी** : रेंज से संबंधित चिंता के मामले के समाधान के लिये फेम इंडिया स्कीम के चरण–।। के तहत प्रोत्साहनों का लाभ उठाने हेतु विभिन्न राज्यों / शहरों में इलैक्ट्रिक वाहनों के लिये चार्जिंग अवसंरचना स्थापित करने के उद्देश्य से शहरी

स्थानीय निकायों (यूएलबीज) म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन्स, पीएसयूज (राज्य / केन्द्रीय) और सार्वजनिक / निजी संस्थाओं से प्रस्ताव आमंत्रित करने के लिये भारी उद्योग विभाग ने रूचि–अभिव्यक्ति जारी की। तदुपरान्त, विभाग ने फेम इंडिया (भारत में हाइब्रिड अैर इलैक्ट्रिक वाहनों का विनिर्माण और तीव्र अंगीकरण) स्कीम के चरण– ।। के तहत 25 राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों के 68 शहरों में 500 करोड़ रुपये (अनुमानित) की राशि से 2877 इलैक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों को मंजूरी दी है।

घ. **प्रचार :** भारी उद्योग विभाग ने देश भर के कुछ कॉलेजों / विश्वविद्यालयों में इलैक्ट्रिक वाहनों से संबंधित प्रचार कार्य किये।

अध्याय 5

प्रौद्योगिकी उन्नयन तथा अनुसंधान एवं विकास

5.1 भारत ने व्यापक किस्म की बुनियादी और पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन के लिए सुदृढ़ और विविधीकृत विनिर्माण आधार स्थापित किया है ताकि भारी इलेक्ट्रिकल, विद्युत उत्पादन और पारेषण उद्योगों, प्रक्रिया उपकरण, ऑटोमोबाइल्स, पोतों, विमानों, खनन, रसायनों, पेट्रोलियम आदि सहित विभिन्न क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। तथापि, भारत की अर्थव्यवस्था में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी अभी काफी कम है। इसमें विकास की काफी संभावना है जो वैश्वीकृत अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उत्पादकता और प्रतिस्पर्द्धात्मकता में सुधार से ही संभव है। नवीनता और नई प्रौद्योगिकी प्रतिस्पर्धात्मकता का अंगीकरण प्रतिस्पर्धा के प्रमुख कारक होते हैं। भारतीय परिप्रेक्ष्य में, अर्थव्यवस्था को खोलने और इसके फलस्वरूप अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धियों के प्रवेश से अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप सामग्री और सेवाओं का उत्पादन और उनकी आवश्यकता काफी बढ़ गई है। भारतीय उद्योग जगत ने तेजी से बदलते वातावरण में ग्राहकों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कई उपाय किए हैं। इस विभाग के अधीनस्थ सरकारी क्षेत्रक उद्यम भी सहयोग तथा अनुसंधान और विकास संबंधी आंतरिक प्रयासों के माध्यम से नई प्रोद्योगिकियों के अंगीकरण और उनके अनुकूलन की योजनाओं पर कार्य कर रहे हैं। इस संबंध में की गई कुछ पहलों का विवरण नीचे दिया गया है:

5.2 राष्ट्रीय ऑटोमोटिव परीक्षण और अनुसंधान एवं विकास अवसंरचना परियोजना (नैट्रिप)

1. राष्ट्रीय ऑटोमोटिव और अनुसंधान एवं विकास अवसंरचना परियोजना (नैट्रिप) ऑटोमोटिव क्षेत्र में भारत सरकार की सबसे बड़ी और अब तक की सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलों में से एक है तथा यह देश में अत्याधुनिक परीक्षण, वैधता और अनुसंधान एवं विकास अवसंरचना के सृजन हेतु भारत सरकार के भारी उद्योग विभाग, राज्य सरकारों और भारतीय ऑटोमोटिव उद्योग के बीच एक विशिष्ट सहयोग का प्रतिनिधित्व करती है। इस परियोजना में एआरएआई, पुणे और वीआरडीई, अहमदनगर में दो केन्द्रों के उन्नयन और आईसीएटी/मानेसर, जीएआरसी/चेन्नई, एनएटीआरएएक्स/इंदौर और एनआईएएमआईटी/सिलचर में नवीनतम परीक्षण और आधिकारिक प्रमाणन के चार केन्द्र स्थापित किया जाना अभिकल्पित था।

2. आरंभ में नैट्रिप को 1718.00 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। जुलाई, 2016 में आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) ने 3727.30 करोड़ रुपए के दूसरे संशोधित लागत अनुमान को अनुमोदित किया।

3. केन्द्र सरकार द्वारा नैट्रिप का वित्तपोषण अनुदान सहायता, ब्याजमुक्त ऋण और उपयोगकर्ता प्रभारों के माध्यम से किया जा रहा है जिसे परियोजना के तहत विकसित सुविधा केन्द्रों से संग्रहित किया जाएगा।

4. राष्ट्रीय ऑटोमोटिव परीक्षण और अनुसंधान एवं विकास अवसंरचना परियोजना (नैट्रिप) के तहत निम्नलिखित केन्द्र स्थापित किए गए है:

i. अंतर्राष्ट्रीय ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी केंद्र (आईसीएटी), हरियाणा राज्य में मानेसर स्थित ऑटोमोटिव उद्योग के उत्तरी हब का एक पूर्णकालिक परीक्षण और होमोलोगेशन केन्द्र;

ii. वैश्विक आटोमोटिव अनुसंधान केन्द्र (जीएआरसी), तमिलनाडु राज्य में चेन्नई के समीप एक स्थान पर ऑटोमोटिव उद्योग के दक्षिणी हब में एक पूर्णकालिक परीक्षण और होमोलोगेशन केन्द्र (जीएआरसी);

iii. ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एआरएआई), पुणे और वाहन अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान (वीआरडीई); डीआरडीओ, अहमदनगर में मौजूदा परीक्षण और होमोलोगेशन केंद्रों का उन्नयन;

iv. मध्य प्रदेश के इंदौर में राष्ट्रीय ऑटोमोटिव परीक्षण ट्रैक्स (एनएटीआरएएक्स), विश्व–स्तरीय प्रूविंग ग्राउंड, परीक्षण ट्रैक;

v. असम राज्य के धोलचोरा (सिल्चर) में राष्ट्रीय ऑटोमोटिव निरीक्षण अनुरक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान (एनआईएआईएमटी), राष्ट्रीय विशिष्ट पर्वतीय क्षेत्र चालन प्रशिक्षण केन्द्र तथा क्षेत्रीय प्रयुक्त वाहन प्रबंधन केन्द्र।

5. विभिन्न केन्द्रों में नैट्रिप के तहत नियोजित विभिन्न केंद्रों की वर्तमान स्थिति

i. सीसीईए के अनुमोदन के अनुसार, नैट्रिप ने स्वीकृत 22 केंद्रों में से 21 को पूरा कर लिया है। नैट्रिप के विभिन्न केन्द्रों के तहत सृजित कुछ सुविधाएं नीचे दी गई हैं:

- आईसीएटी, मानेसर– पैसिव सेफ्टी प्रयोगशाला, पावर ट्रेन प्रयोगशाला, ईएमसी प्रयोगशाला, फटीग लैब, सीएडी/सीएई, कम्पोनेंट प्रयोगशाला, इन्फोट्रॉनिक्स प्रयोगशाला, एनवीएच प्रयोगशाला, कैलिब्रेशन प्रयोगशाला, टायर परीक्षण प्रयोगशाला और प्रमाणन प्रयोगशाला, विद्युत–चुम्बकीय अनुकूलन (ईएमसी) प्रयोगशाला।
- जीएआरसी– चेन्नई– फटीग प्रयोगशाला और प्रमाणन प्रयोगशाला, परीक्षण ट्रैक, सीएडी/सीएई प्रयोगशाला और इन्फोट्रॉनिक्स प्रयोगशाला, पावर ट्रेन प्रयोगशाला, विद्युत–चुम्बकीय अनुकूलन प्रयोगशाला।
- नैट्रेक्स–इंदौर–पावर ट्रेन प्रयोगशाला, वाहन गतिशीलता प्रयोगशाला, सीएडी/सीएई प्रयोगशाला और परीक्षण ट्रैक (14 में से 13 प्रचालनरत हैं), परीक्षण ट्रैक।
- वीआरडीई, अहमदनगर – विद्युत – चुम्बकीय अनुकूलन (ईएमसी) प्रयोगशाला और एबीएस परीक्षण ट्रैक।
- एनआईएएमआईटी, सिलचर–प्रशिक्षण परीक्षण ट्रैक,मॉडल आई एंड एम, मेकिनिक्स प्रशिक्षण संस्थान (एमटीआई), ड्राइवर प्रशिक्षण संस्थान (डीटीआई)।
- एआरएआई, पुणे– पैसिव सेफ्टी प्रयोगशाला, पावर ट्रेन प्रयोगशाला और फटीग प्रयोगशाला।

शेष 1 निर्माणाधीन/प्रारंभनाधीन केंद्र है:

- जीएआरसी/चेन्नई में उन्नत पैसिव सुरक्षा प्रयोगशाला का निर्माण और कार्यारंभ किया जा रहा है।

ii. ऑटो क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास को सुगम बनाने के लिए निम्नलिखित स्थानों पर भी उत्कृष्टता केन्द्रों का सृजन किया गया है:

- आईसीएसटी, मानेसर–काम्पोनेंट प्रयोगशाला और एनवीएच प्रयोगशाला।
- जीएआरसी, चेन्नई– पैसिव सेफ्टी प्रयोगशाला, इन्फोट्रॉनिक्स प्रयोगशाला और विद्युत–चुम्बकीय अनुकूलन (ईएमसी) प्रयोगशाला।
- नेट्रेक्स–इंदौर–वाहन गतिकी प्रयोगशाला और परीक्षण ट्रैक
- एआरएआई, पुणे–पावर ट्रेन प्रयोगशाला और फटीग प्रयोगशाला।

6. वित वर्ष 2019–20 में मुख्य क्रियाकलाप:–

i. चालन प्रशिक्षण संस्थान (डीटीआई) स्व–प्रायोजित श्रेणी के तहत वित वर्ष 2019–20 में नियमित चालन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित कर रहा है और कैब चालन प्रशिक्षण कार्यक्रम (गैर–परिवहन से परिवहन श्रेणी) भी जारी रखे हुए है।

ii. एनआईएआईएमटी के तहत डीटीआई को 02 दिवसीय रिफ्रेशर्स आवासीय चालन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए टाटा मोटर्स और टाटा एआईजी–स्किप से प्रयोजकता मिली है।

iii. एनआईएआईएमटी के तहत डीटीआई को भारी मोटर वाहन (वाणिज्यिक) और हल्के मोटर वाहन चालक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने हेतु ऑरिओन एजुटेक प्रा. लि. और श्रीराम परिवहन वित निगम से प्रायोजकता मिली है।

iv. एनआईएआईएमटी ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (2.0) के अधिगम–पूर्व घटक मान्यता (आरपीएल) के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के साथ भागीदारी की है। अधिगम–पूर्व मान्यता को सामान्यतः आरपीएल के रुप में जाना जाता है जो मुख्यतः औपचारिक, औपचारिकेतर अथवा अनौपचारिक अधिगम से प्राप्त व्यक्ति के कौशल, ज्ञान और अनुभव का मूल्यांकन करने के लिए प्रयुक्त आकलन प्रक्रिया को संदर्भित करता है।

v. एनआईएआईएमटी का चयन पूर्वोतर सरकारी संस्थान अल्पावधिक प्रशिक्षण (एसटीटी) कार्यक्रम के प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2.0 के तहत लक्ष्य आवंटन हेतु किया गया है। 3 एनएसक्यूएफ जॉब रोल्स के लिए कार्यक्रम के तहत एनआईएआईएमटी के लिए कुल 270 लक्ष्य आवंटित किए गए हैं।

vi. इस वित्त वर्ष (2019–20) में अप्रैल 2019–मार्च 2020 तक विभिन्न प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के तहत डीटीआई के कुल 1363 अभ्यर्थियों को और एमटीआई के तहत कुल 27 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित किया गया।

vii. अप्रैल 2019–मार्च 2020 तक निरीक्षण एवं रख–रखाव स्टेशन एनआईएआईएमटी में कुल 117 वाणिज्यिक वाहनों का परीक्षण और प्रमाणन किया गया।

viii. तिपहिया प्रशिक्षण हेतु बजाज ऑटो लि. ने दो डीजल वाहन दान किए।

ix. एनआईएआईएमटी को ऑनलाइन वाहन प्रमाणन के लिए वाहन पोर्टल की सुविधा दी गई।

5.3 ऑटोमोटिव रिसर्च एसोशिएशन ऑफ इंडिया (एआरएआई)

1. भारत में पुणे, महाराष्ट्र के पश्चिमी भाग की सुरम्य वादियों में स्थित और लगभग 15000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में निर्मित एआरएआई में विभिन्न परीक्षण सुविधाएं हैं।

2. एआरएआई एक सहकारी अनुसंधान संगठन है जिसे वर्ष 1966 में भारतीय वाहन एवं ऑटोमोटिव सहायक विनिर्माताओं तथा भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। एआरएआई को भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय से सम्बद्धता प्राप्त है और वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग से मान्यता प्राप्त है। यह आईएसओ 9001–2015, आईएसओ 14001–2015, आईएसओ 45001–2018 और आईएसओ 27001–2013 प्रमाणित संगठन है। एआरएआई अपनी मुख्य प्रमाणन सुविधाओं के लिए आईएसओ/आईएससी 17025–2015 के अनुसार भी परीक्षण एवं केलिब्रेशन प्रयोगशालाओं हेतु राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएल) से मान्यता प्राप्त है।

3. एआरएआई 1860 के सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम XXI के तहत पंजीकृत सोसाइटी है और प्रमुख ऑटोमोबाइल तथा सहायक विनिर्माता इसके सदस्य हैं। शासी परिषद में भारत सरकार के प्रतिनिधि और भारतीय ऑटोमोटिव उद्योग के सदस्य शामिल हैं।

4. एआरआई सुरक्षित, कम प्रदूषणकारी और अधिक दक्ष वाहन के प्रति आश्वस्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यह अनुसंधान एवं विकास, परीक्षण, प्रमाण न, होमोलोगेशन और वाहन संबंधी विनियम बनाने में तकनीकी विशेषज्ञता उपलब्ध कराता है।

5. एआरएआई में नवीनतम अनुसंधान एवं विकास और परीक्षण सुविधाओं का घरेलू सीएमवीआर टाइप अनुमोदन और विशेषज्ञ होमोलोगेशन कार्यों के साथ आंतरिक अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं प्रायोजित करने हेतु उपयोग बढ़ता जा रहा है।

वर्ष के दौरान मुख्य उपलब्धियांः

क. अप्रैल 2019 से मार्च 2020 तक की उपलब्धियां निम्नानुसार हैंः

क.1 वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान कुल आय रुपए 418.75 करोड़ थी।

क.2 इस कुल आय में से प्रचालनरत आय रुपए 363.39 करोड़ थी।

क.3 वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान कुल 2622 टाइप अनुमोदन के मामले खोले गए

क.4. सीसीएस के लिए सीएचएआरआईएन संघ और सीएचएडीएमओ के लिए सएचएडीईएमओ के साथ सहयोग।

क.5 एसी और डीसी सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों का विकास और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए ईवी और ईवीएसई सिमुलेटर का विकास।

क.6. दूरसंचार उपकरण के परीक्षण हेतु 'कन्फर्मिटी एसेसमेंट बॉडी' के रूप में दूरसंचार अभियांत्रिकी केन्द्र, दूरसंचार विभाग द्वारा प्रत्यायन।

क.7 स्वर्ण श्रेणी में ऊर्जा एवं पर्यावरण फाउंडेशन का ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2019

क.8 महाराष्ट्र ऊर्जा विकास एजेंसी (एमईडीए) द्वारा ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार प्रदान किया गया।

क.9 एनसीएल और आईआईएसईआर, पुणे के साथ स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन (एसआईएच) 2019 का हार्डवेयर संस्करण आयोजित।

क.10 ई– लाइट इलेक्ट्रिक बस का विकासः अंतर्दहन इंजन (डीजल पावरट्रेन) वाली पारम्परिक बस को इलेक्ट्रिक प्रणोदन में परिवर्तित किया गया।

क.11 दुपहिए और तिपहिये ईवी के लिए मोबाइल उर्जा भंड़ारण उपकरण का विकास।

क.12 एआरएआई में हरित मोबिलिटी केन्द्र– आधिकारिक प्रमाणन एवं प्रौद्योगिकी केन्द्र एआरएआई–एचटीसी, चाकन का श्री अर्जुन राम मेघवाल, माननीय भारी उद्योग एवं लोक उद्यम राज्य मंत्री द्वारा उद्घाटन।

क.13 एआरएआई को ऊर्जा और पर्यावरण फाउंडेशन द्वारा स्वर्ण श्रेणी में ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी पुरस्कार–2019 प्रदत्त।

क.14 निदेशक, एआरएआई को माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद द्वारा 'नारी शक्ति पुरस्कार–2019' प्राप्त।

क.15 एआरएआई को ईवी प्रौद्योगिकी अंगीकरण में योगदान हेतु ईटीनाऊ का हरित प्रौद्योगिकी पुरस्कार–2020 प्राप्त।

क.16 निदेशक, एआरएआई को ईटीनाऊ का बिजनेस लीडर– वर्ष 2020 पुरस्कार प्राप्त।

ख. अप्रैल, 2020 से सितम्बर, 2020 की अवधि के दौरान उपलब्धियां :

ख.1 इस वर्ष 30 सितम्बर, 2020 तक कुल आय रुपए 112.95 करोड़ रही और वर्ष के लिए कुल अनुमानित आय रुपए 278.17 करोड़ है।

ख.2 दिनांक 30 सितम्बर, 2020 तक की कुल आय में से प्रचालन आय रुपए 94.44 करोड़ है।

ख.3 इस वित्तीय वर्ष में दिनांक 30 सितम्बर, 2020 तक कुल 941 टाइप अनुमोदन मामले खोले गए हैं।

ख.4 निदेशक–एआरएआई को भारत महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद द्वारा 'नारी शाक्ति पुरस्कार–2019' प्रदान किया गया।

ख.5 एआरएआई को ऊर्जा और पर्यावरण फाउंडेशन द्वारा स्वर्ण श्रेणी में ग्लोबल सस्टेनबिलिटी अवार्ड–2019 प्राप्त।

ख.6 एआरएआई को ईटीनाउ द्वारा हरित प्रौद्योगिकी पुरस्कार 2020 प्रदत्त।

ख.7 निदेशक–एआरएआई को ईटीनाउ द्वारा बिजनेस लीडर ऑफ दी ईयर अवार्ड– 2020 प्रदत्त।

ख.8 श्री अर्जुन मेघवाल, माननीय भारी उद्योग एवं लोक उद्यम राज्य मंत्री द्वारा एआरएआई में सेंटर फॉर

ग्रीन मोबिलिटी–होमोलोगेशन एवं प्रौद्योगिकी केन्द्र (एआरएआई–एचटीसी), चाकन का उद्घाटन।

ख.9 विनिर्माण के लिए भारत विशिष्ट एसी और डीसी चार्जिंग स्टेशनों (एआरएआई द्वारा विकसित) की प्रौद्योगिकी की जानकारी भारतीय उद्योग को हस्तांतरित करने की पहल की गई है।

ख.10 राष्ट्रीय प्रयोजन में योगदान– कोविड–19 महामारी से संघर्ष

- कोरोना वायरस महामारी के संघर्ष से जुड़े स्वास्थ्य एवं सुरक्षा कर्मियों के लाभार्थ फेस शील्ड का विकास।
- वेंटिलेटरों के परीक्षण हेतु स्टार्ट–अप को परीक्षण सहायता उपलब्ध कराना।

5.4 फ्लूइड कंट्रोल रिसर्च इंस्टिट्यूट (एफसीआरआई), पलक्काड़, केरल

फ्लूइड कंट्रोल रिसर्च इंस्टीट्यूट (एफसीआरआई) भारी उद्योग विभाग, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन है जो पलक्काड़, केरल में स्थित है। एफसीआरआई को सोसाइटी अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत यूएनडीपी से सहायता के साथ वर्ष 1987 में स्थापित किया गया था। इस संस्थान में जल, तेल और एयर मीडिया में प्रवाह उत्पादों की कैलिब्रेशन/परीक्षण के लिए पूर्ण रूप से विकसित एनएबीएल से मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाएं हैं। यह उद्योग को औद्योगिक सेवाएं और समाधान प्रदान करने वाला प्रमुख संस्थान है।

प्रवाह मापन के लिए एफसीआरआई की फ्लूइड फ्लो प्रयोगशालाएं राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय मानकों के समान हैं। इन केंद्रों का उपयोग प्रवाह उत्पादों के लिए कैलिब्रेशन/मूल्यांकन के साथ–साथ प्रायोजित अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रमों के लिए किया जाता है। यह मान्यता एनएबीएल–मानदंड के अनुपालन और आईएसओ मानक 17025–2017 के अनुसार प्रदान की जाती है। एनएबीएल से मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं को स्वतः ही एशिया–प्रशांत प्रमाणन निगम (एपीएलएसी) और अंतर्राष्ट्रीय प्रयोगशाला प्रत्यायन निगम (आईएलएसी) से अनुमोदन मिल जाता है।

एफसीआरआई में प्रवाह प्रयोगशालाएं यूरोप के सदृश अंतरराष्ट्रीय केंद्रों के समतुल्य हैं जो नेशनल इंजीनियरिंग लैबोरेटरी यूके, डेल्फ्ट हाइड्रॉलिक लैबोरेटरी नीदरलैंड, डेनमार्क टेक. इंस्टीट्यूट डेनमार्क, एनएसआईटी यूएसए और चेक मेट्रोलॉजी इंस्टीट्यूट आदि के साथ नियमित रुप से अंतर–प्रयोगशाला तुलना कार्यक्रमों के माध्यम से प्रमाणित है। संस्थान का प्रमुख उद्देश्य प्रवाह उत्पाद उद्योग के लिए अनुसंधान और विकास सहायता स्थापित करना और देश में प्रवाह मापन तथा इंस्ट्रूमेंटेशन की गुणवत्ता और विश्वसनीयता बढ़ाने में सहायता प्रदान करना है। औद्योगिक कर्मियों का उच्चस्तरीय कौशल विकास और प्रशिक्षण भी आंतरिक कार्य का हिस्सा है।

एफसीआरआई में प्रवाह उत्पादों की गुणवत्ता की गारंटी अधिकांशतः आईएसओ, आईएसए, एपीआई, एएसटीएम और ओआईएमएल जैसे अंतर्राष्ट्रीय मानकों के संदर्भ में की जाती है।

एफसीआरआई की चालू/हाल ही में पूर्ण की गई परियोजनाएं निम्नलिखित हैं–

क) **भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र और रक्षा मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापनः** विशेष उद्देश्य वाल्व के परीक्षण/अर्हता के लिए एफसीआरआई में वाइब्रेशन इंड्यूरेंस शेकर (वीइएस) की संस्थापना और प्रारंभन, प्रचालन एवं अनुरक्षण के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी वेसेल परियोजना (एटीवीपी), रक्षा मंत्रालय, बीएआरसी और एफसीआरआई द्वारा समझौता–ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

ख) **''पेट्टी एवं पारा'' पंपिंग प्रणाली की दक्षता संवर्द्धन संबंधी परियोजनाः**– निचले इलाकों में धान की कम खेती के लिए पानी पंप करन का प्रयोग एफसीआरआई में सफल रहा जिससे मौजूदा पम्पिंग प्रणाली (पेट्टी और पारा) को प्रतिस्थापित हो सकेगी। परियोजना का स्थल परीक्षण किया जा रहा है। इससे किसानों के लिए पम्पिंग संबंधी ऊर्जा बिल में काफी कमी होने की संभावना है।

ग) **आईजीसीएआर के लिए आशोधित सर्ज टैंक (एसजी) संबंधी सर्ज अध्ययनः** इस अध्ययन का आरंभिक उद्देश्य वास्तविक लूप में एरगोन एंट्रेनमेंट के बिना ही सर्ज टैंक में सोडियम कॉलम की लम्बाई कम करने के लिए उपयुक्त उपकरण का विकास करना था।

घ) **लोटस–भारत में शहरी और ग्रामीण जल प्रणालियों के लिए जल गुणवत्ता अनुवीक्षण तथा जल संसाधन हेतु अभिनव अल्पलागत प्रौद्योगिकी:** एफसीआरआई नगर परिषदों एवं उपभोक्ताओं के लिए जल प्रबंधन व्यवस्था और जल गुणवत्ता तथा उपलब्धता में प्रचालन संबंधी दक्षता को ईष्टतम करने के लिए डिजिटल वाटर सोल्यूशंस पर यूरोपीय संघ तथा डीएसटी द्वारा वित्तपोषित परियोजना में आईआईटी, गुवाहाटी और आईआईटी, मुम्बई के साथ भागीदारी कर रहा है।

ड.) **लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर (एलपीएससी), बैंगलोर के लिए डीएएस प्रणाली:** सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर सहित एलपीएससी, बैंगलोर के लिए डेटा अधिग्रहण प्रणाली (डीएएस) की डिजाइन, आपूर्ति और कमीशनिंग पूर्ण की गई।

च) **कैलिब्रेशन/टेस्ट की रिमोट विटनेसिंग:** एफसीआरआई में प्रवाह उत्पादों की गुणवत्ता का आकलन उपभोक्ताओं/तृतीय पक्ष निरीक्षकों द्वारा भौतिक रुप में किया गया। अनेक मामलों में यह अनिवार्य था। महामारी की स्थिति में, इस कठिनाई से निपटने के लिए एफसीआरआई ने अपने उपभोक्ताओं के लिए प्रवाह उत्पादों के कैलिबेशन/परीक्षण की रिमोट विटनेसिंग की व्यवस्था की।

छ) **गेल, बैंगलोर में मास फ्लो मीटर का कैलिब्रेशन:** एफसीआरआई को कोरीओलिस मास फ्लो मीटर के कैलिब्रेशन के लिए, गेल, बैंगलोर से आर्डर मिला।

ज) **मॉडल अनुमोदन परीक्षण:** मैसर्स एजिस लॉजिस्टिक्स लि. के लिए मास फ्लो मीटर पर ओआईएमएल आर117 के अनुसार मॉडल अनुमोदन परीक्षण पूर्ण किया गया।

झ) **अंतर–प्रयोगशाला तुलना:** गुणवत्ता आश्वासन और विश्वसनीयता स्थापित करने की प्रक्रिया के भाग के रूप में सीईईएसआई, कोलोराडो के साथ शिल्पकृति के रूप में महत्वपूर्ण फ्लो बेंचर नोजल का उपयोग करके एक अंतर–प्रयोगशाला तुलना कार्यक्रम सफलतापूर्वक पूर्ण किया गया।

ञ) **एनपीसीआईएल के लिए गंभीर दुर्घटना परीक्षण सिमुलेटिंग रिग:** एनपीसीआईएल ने एफसीआरआई से परमाणु विद्युत संयंत्रों में इंस्ट्रूमेंटेशन पुर्जों की अर्हता हेतु एक गंभीर दुर्घटना परीक्षण केंद्र स्थापित करने का अनुरोध किया है। इस केंद्र हेतु परीक्षण चैम्बर में 7 दिनों के लिए सुपरसैचुरेटेड वाष्पीय वातावरण की आवश्यकता होती है। एफसीआरआई में उपलब्ध एमएसएलबी सुविधा को आशोधित किया गया और परीक्षण प्रोफाइल के लिए तापमान, दाब और सांद्रता आवश्यकताओं के सृजन हेतु स्वचालित किया गया। गंभीर दुर्घटना परिस्थितियों के लिए एक कंट्रोल वाल्व तथा एक ऑन/ऑफ वाल्व का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया।

ट) **मैसर्स ब्रह्मोस एयरोस्पेस और मैसर्स एलपीएससी के लिए इलेक्ट्रो–मैकेनिकल इंजेक्शन वाल्व का परीक्षण:** लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर (एलपीएससी), तिरूवनंतपुरम ने एफसीआरआई से अपने पीएसआई और पीएसओएम एसआईटीवीसी वाल्व पर उच्च प्रवाह परीक्षण करने का अनुरोध किया, जिनका उपयोग पीएसएलवी लांच व्हीकलों के मुख्य निकास में स्ट्रोंटियम परक्लोरेट के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। टेस्ट रिग का एफसीआरआई में नई उच्च दाब उच्च प्रवाह परीक्षण सुविधा में कार्यान्वित किया गया। परीक्षण आवश्यकताएं पूर्ण करने के लिए विद्यमान लूप में आशोधन करके एसआईटीवीसी वाल्व के लिए परीक्षण लाइन स्थापित की जाएगी। एक मल्टी स्टेज सेट्रीफुगल पम्प द्वारा अपेक्षित प्रवाह विकसित किया जाएगा। वाल्व के परीक्षण हेतु एक 3'' एनबी लूप उपलब्ध कराया गया है। दो मीटरों का उपयोग करके परीक्षण लूप के माध्यम से प्रवाह दर मानीटर की जाएगी। परीक्षण द्रव्य (डीएम वाटर) का दाब व तापमान क्रमशः दाब ट्रांसमीटर एवं तापमान ट्रांसमीटर द्वारा मॉनीटर किया जाएगा। परीक्षण नियमित रूप से किए जा रहे हैं।

5.5 केन्द्रीय विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान, तुमकुर रोड, बेंगलूरू

केंद्रीय विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान (सीएमटीआई) वर्ष 1962 में स्थापित विनिर्माण प्रौद्योगिकी में एक प्रमुख अनुसंधान एवं विकास संगठन, सोसायटी के रूप में पंजीकृत और भारी उद्योग विभाग, भारी

उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन एक स्वायत्त निकाय है। यह संस्थान प्रौद्योगिकी और आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहित करने में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए भारतीय उद्योगों की सहायता कर रहा है। यह संस्थान मेटल वर्किंग प्रौद्योगिकी में सक्रिय है, राष्ट्रीय रणनीतिक पहलों का समाधान कर रहा है और विनिर्माण प्रौद्योगिकी लगाने में एंड–टू–एंड समाधान के लिए एक सम्पूर्ण केन्द्र है। एक शासी परिषद इस संस्थान का मार्गदर्शन करता है, जिसमें विनिर्माण क्षेत्र के उद्योगों, मशीन टूल विनिर्माताओं के प्रतिनिधि, सरकारी नामित व्यक्ति और अन्य हितधारक शामिल हैं।

सीएमटीआई विनिर्माण प्रौद्योगिकी और उत्पाद विकास/प्राप्ति कार्यों में अपनी मूल्यवर्धित सेवाओं के माध्यम से भारतीय इंजीनियरिंग उद्योग और अनेक क्षेत्रों में सहायता करना जारी रखे हुए है। यह संस्थान विनिर्माण प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग में एक उत्प्रेरक की महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यह संस्थान डिजाइन, अनुसंधान, प्रोटोटाइप उत्पादन, विनिर्माण, परीक्षण, निरीक्षण कैलिब्रेशन, उत्पाद विकास, प्रशिक्षण और तकनीकी सूचना के लिए प्रशिक्षित मानवशक्ति, उपकरण और सुविधाओं से युक्त है।

विगत वर्षो में, सीएमटीआई मशीन टूल और विनिर्माण प्रक्रिया विकास के लिए एक उत्कृष्टता केन्द्र के रूप में विकसित हुआ है, जिसने विभिन्न आवश्यकता विशेष के लिए मशीनें विकसित की हैं और उच्च मूल्यवर्धित सेवाएं देकर एमएसएमई की उल्लेखनीय सहायता की है। ऐसा इन–हाउस सक्षमताओं के कारण ही संभव हो सका जिसमें सम्पूर्ण उत्पाद विकास चक्र अर्थात विचार, डिजाइन, विनर्माण, प्रायोगिक संयंत्रों का परीक्षण और संबंधित क्षेत्रों में प्रणाली एकीकरण शामिल हैं। आज, सीएमटीआई में अनुसंधान, प्रक्रिया प्रौद्योगिकियों और मशीनों का विकास होता है, जनशक्ति को प्राशिक्षित किया जाता है और अनुप्रयोगों को समाधान प्रदान किए जाते हैं। ध्यान संकेंद्रण वाले क्षेत्रों में अल्ट्रा प्रेसिजन मशीन टूल्स, विशेष प्रयोजन वाली मशीनें, सेंसर और मशीन नियंत्रण, वस्त्र मशीनरी, स्मार्ट विनिर्माण और उद्योग 4.0 समर्थ प्रौद्योगिकियां, एडिटिव और अन्य विशेष विनिर्माण प्रक्रियाएं, प्रेसिजन धातु विज्ञान, परीक्षण रिग विकास और अर्हता सहित एयरक्राफट एलआरयू, कौशल और पुनर्कौशल (अनुभवजन्य अधिगम) शामिल हैं। ऐसी लगभग 35 प्रौद्योगिकियां हैं जो औद्योगिक उपयोग और अनेक विनिर्माण के लिए लाइसेंसिंग हेतु तैयार हैं। सीएमटीआई प्रौद्योगिकी का वाणिज्यीकरण होने तक इन्क्यूबेशन/ परामर्श के माध्यम से प्रौद्योगिकी लाइसेंसी तथा स्टार्टअप को भी हैंडहोल्ड करता है।

सीएमटीआई ने सफलतापूर्वक निम्नलिखित का विकास किया है:–

क) विभिन्न उपभोक्ताओं के लिए अलग–अलग क्षमताओं (4.5 टन तक) की पांच प्लैनेटरी मिक्सिंग मशीनें।

ख) कई तरह के सूती और पॉलिएस्टर धागों को बुनने के लिए सीएमटीआई द्वारा विकसित हाई स्पीड शटललैस रेपियर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है।

ग) 16 स्वच्छ कक्षों वाले सेंसर प्रौद्योगिकी विकास केंद्र और नैनो विनिर्माण केंद्रों का सृजन किया गया है।

घ) स्मार्ट मशीनों के विकास के अपने प्रयासों में सीएमटीआई ने अनेक दक्ष विशेषताओं वाली स्मार्ट अल्ट्रा–प्रेसिजन डायमंड टर्निंग मशीन का विकास किया है। भारी उद्योग विभाग की उद्योग 4.0 पहल ''समर्थ उद्योग'' के तत्वावधान में, सीएमटीआई 6 उद्योग परिसंघों के साथ स्मार्ट विनिर्माण विकास एवं निष्पादन प्रकोष्ठ स्थापित कर रहा है। स्मार्ट फैक्ट्री स्थापित की जा रही है, एमएसएमई के लाभार्थ मेटल कटिंग उद्योगों के लिए प्रासंगिक 11 आईआईओटी समाधान पहले ही विकसित कर लिए गए हैं।

ग) सीएमटीआई ने वैमानिकी विकास एजेंसी (एडीए) के लिनियर इलेक्ट्रो–हाइड्रॉलिक सर्वो एक्चुएटर्स (एलईएसए) के स्वदेशी प्रयास में काफी योगदान दिया है। सीएमटीआई ने एलईएसए एक्चुएटर्स की तीन श्रेणियों के लिए टैस्ट रिग को डिजाइन किया है और प्रोटोकॉल स्थापित किए हैं। इन्हें 16 अगस्त, 2019 को एडीए को सफलतापूर्वक सौंप दिया गया है। एलसीए–तेजस विमान के लिए स्वदेश में विकसित एलईएसए एक्चुएटर्स का 28 मई, 2020 को सुपरसोनिक स्पीड पर सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया गया।

घ) कॉम्पेक्ट एयर बेयरिंग रोटरी स्टेज, तापमान सेंसर, सीएनसी मशीनों में ऊर्जा की मॉनीटरिंग के लिए आईआईओटी मॉडयूल चालू वर्ष में सीएमटीआई द्वारा विकसित महत्वपूर्ण मशीन टूल हैं।

सृजित केंद्र

विकसित 3डी स्कैनर

सीएमटीआई का सेंसर प्रौद्योगिकी विकास केंद्र (एसटीडीएफ) : औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए विभिन्न सेंसरों का विकास

एनएमटीसी भवन– क्लीन रुम अवसंरचना विकास

भूतल और अंडरग्राउंड तल पर क्लीन रुम प्रयोगशालाएं

सीएमटीआई का नैनो विनिर्माण प्रौद्योगिकी केंद्र (एनएमटीसी): कार्यनीतिक क्षेत्रों के लिए नैनो विनिर्माण

सीएमटीआई, बेंगलूरु के उत्कृष्टता केंद्र द्वारा विकसित 450 आरपीएम का शटलरहित रैपियर लूम

5.6 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उद्यमों (सीपीएसई) में से कुछ की अनुसंधान एवं विकास संबंधी पहलें

भारी उद्योग विभाग के अधीनस्थ केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उद्यमों के प्रौद्योगिकी उन्नयन और अनुसंधान एवं विकास संबंधी प्रयासों का कुछ ब्यौरा नीचे दिया गया है:

5.6.1 भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बीएचईएल)

2019–20 में अनुसंधान एवं विकास / प्रौद्योगिकी उन्नयन की प्रमुख उपलब्धियां

5.6.1.1 वर्ष 2019–20 के दौरान

वर्ष के दौरान के कुछ महत्वपूर्ण घटनाक्रम हैं :

1. 12 मीटर की इलेक्ट्रिक बस का प्रोटोटाइप, जिसने सीएमवीआर अनुकूलन होमोवोगेशन परीक्षण को सफलतापूर्वक पूर्ण किया और आईसीएटी मानेसर से टीएसी –टाइप अनुमोदन प्रमाणन प्राप्त किया।

2. एयूएससी परियोजना के तहत निम्नलिखित विकास कार्य किए गए हैं:–

   – निम्न चक्र फटीग और क्रीप को सिमुलेट करने के लिए हाई स्पिन रोटर टैस्ट रिग (डीएसटी परियोजना) की शुरुआत।

   – आईएन 617एम और इंकोनेल 740 के पाइपिंग बैंड हेतु उच्च ताप वाली भट्टी (12 टी) की शुरुआत।

5.6.1.2 वर्ष 2019–20 के दौरान सितम्बर, 2020 तक :–

1. भारतीय रेल के लिए अधिक प्रदूषित क्षेत्रों में ओवरहेड ट्रैक्शन में उपयोग के लिए 1600 एमएम क्रिपेज के साथ कॉम्पोजिट इन्सुलेटर विकसित किए।

2. इंडक्टिव टेलीमेट्री का उपयोग करके ट्रैक्शन मोटर टाइप आईएम 3302 ए.जेड. के लिए डायनामिक हॉटस्पॉट तापमापी प्रणाली (एचटीएमएस) विकसित की गई।

5.6.3 राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड (आरईआईएल)

नवाचार और कारोबार के नए अवसरों की तलाश करना किसी भी संगठन की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कंपनी के अनुसंधान एवं विकास कार्यों का उद्देश्य उपभोक्ताओं की विद्यमान और उभरती आवश्यकताओं को पूरा करके तथा उन्हें विकास/विपणन तथा गुणवत्ता वाले उत्पाद का वितरण और एक विश्वसनीय बिक्री पश्चात् सेवा देकर कार्पोरेट मिशन को प्राप्त करना है। अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों का लक्ष्य न केवल नए विकास करना है बल्कि उत्पादकता और समग्र कार्य–निष्पादन में सुधार करने के लिए मौजूदा उत्पादों /प्रक्रियाओं में सुधार करना भी है।

आरईआईएल सामान्यतः पूरे देश और विशेषकर ग्रामीण लोगों को डेयरी इलेक्ट्रॉनिक्स और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में किफायती समाधान उपलब्ध करा रही है। उपकरण और कौशल संसाधनों पर आधारित नवीनतम टूल्स एवं प्रौद्योगिकी से लैस अनुसंधान एवं विकास केन्द्र, विज्ञान एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग, भारत सरकार से मान्यता प्राप्त है और विभिन्न डेयरी इलेक्ट्रानिक्स तथा सौर परियोजनाओं के विकास में संलग्न है।

प्रचालन के मुख्य क्षेत्र:

- परियोजना संकल्पना, डिजाइन और विकास
- तकनीकी ज्ञान ग्रहण और अंतरण
- उत्पादों की विद्यमान श्रेणी का स्वदेशीकरण
- सामग्री प्रबंधन, उत्पादन और व्यवसाय प्रभागों को इंजीनियरिंग सहायता

- तकनीकी प्रलेखन/परियोजना प्रस्ताव एवं रिपोर्ट तैयार करना
- डिजाइन, ड्राइंग एवं ड्राफ्टिंग सेक्शन और तकनीकी पुस्तकालय का प्रबंधन
- कंपनी के आईपीआर को सहेजना

वर्ष के दौरान निम्नलिखित अनुसंधान एवं विकास गतिविधियां आरंभ की गई:–

क) **हैंडहेल्ड मिलावटी दुग्ध परीक्षक का विकास:–** शुद्ध और मिलावटी दूध के बीच भेद करने हेतु छोटे संग्रहण केन्द्रों/उपभोक्ताओं के लिए डिजाइन किया गया हैंडहेल्ड मिलावटी दुग्ध परीक्षक एक आदर्श, किफायती समाधान है।

ख) **हैंडहेल्ड दुग्ध वसा परीक्षक का विकास:–** ये उपकरण नियर इन्फ्रारेड (एनआईआर) प्रौद्योगिकी पर आधारित हैं और छोटे दूध विक्रेताओं/ मिठाई दुकानदारों के लिए उपयुक्त हैं।

ग) **उन्नत डेटा प्रोसेस यूनिट (एडीवी–डीपीयू):–** अत्याधुनिक प्रौद्योगिकीय विशेषताओं वाला यह उन्नत डेटा प्रोसेसर यूनिट उत्पाद लाइन का नवीनतम संस्करण है।

घ) **वाईफाई के साथ 4 जी मॉडेम:** – डीपीएमसीयू में दूध संग्रह डेटा को स्टोर करने और इसे सर्वर पर दूरस्थ रूप से अपलोड करने की सुविधा है। मौजूदा डीपीएमसीयू में, दूध संग्रह डेटा केवल मॉडेम के माध्यम से सर्वर पर अपलोड किया जा सकता है। प्राप्त आवश्यकता के अनुसार, सर्वर पर डेटा अपलोड करने के लिए वाईफाई की आवश्यकता होती है।

5.6.3 एचएमटी लिमिटेड

एचएमटी ने उत्पाद प्रौद्योगिकी में सुधार और उत्पाद प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करने के साथ विभिन्न उत्पादों की डिजाइन और विकास जरूरतों को पूरा करने के लिए सभी विनिर्माण इकाइयों में अनुसंधान एवं विकास केंद्र स्थापित किए हैं।

ग्राहक को बेहतर सेवा देने और नए उत्पाद विकसित करने के प्रयास में, अनुसंधान एवं विकास कार्य कंपनी के लिए एक मुख्य क्षेत्र रहा है। उत्पाद प्रौद्योगिकी, गुणवत्ता, विश्वसनीयता और मूल्य प्रतिस्पर्धा में ग्राहकों की जरूरतों के विशेष संदर्भ के साथ प्रत्येक अनुषंगी में अनुसंधान और विकास कार्य किए जाते हैं। अतिरिक्त सुविधाओं के साथ मौजूदा उत्पादों को अपग्रेड करना, सौंदर्य अनुकूलन और सौंदर्य सुधार प्रमुख क्षेत्र हैं। इस पहल के परिणामस्वरूप कई नए उत्पाद सामने आए हैं और मौजूदा उत्पादों का स्तरोन्नयन भी हुआ है।

एचएमटी के विषय–क्षेत्र के विभिन्न उत्पाद क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास कार्यों की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

एचएमटी लिमिटेड (खाद्य प्रसंस्करण मशीनरी प्रभाग)

- हाइड्रॉलिक–चालित होमोजेनाइजर, कैप 50, 100 और 200 एलपीएच का विकास।

5.6.4 एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड:

कंपनी की सभी विनिर्माण इकाइयों की जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने अनुसंधान एवं विकास केंद्र हैं। अनुसंधान और विकास का फोकस उत्तरोत्तर उत्पाद सुविधाओं में आत्मनिर्भरता हासिल करना है और मौजूदा उत्पादों को अतिरिक्त सुविधाओं के साथ उन्नत करना है। इस दृष्टिकोण के परिणामस्वरूप 2019–20 के दौरान निम्नलिखित उत्पादों का विकास हुआ है।

अनुसंधान एवं विकास एक सतत प्रक्रिया है और कंपनी के विभिन्न कार्यों के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है और उपरोक्त आर एंड डी के परिणामस्वरूप लाभ प्राप्त किया जा सकता है। उपलब्ध प्रौद्योगिकियों के अनुसार नए उत्पादों की डिजाइन, विकास और निर्माण और अत्याधुनिक और प्रौद्योगिकी केंद्रित विशेष प्रयोजन मशीनों के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। प्रौद्योगिकी विकास योजनाएं मूल्य इंजीनियरिंग के माध्यम से उत्पादन लागत में कमी को सुविधाजनक बनाने पर केंद्रित हैं जिससे व्यवहार्य आयात प्रतिस्थापन और अन्य देशों में स्थित विदेशी संस्थान और आईआईटी आदि के साथ संयुक्त कार्य व्यवस्था प्रदान की जाती है।

1. पनडुब्बी के लिए सोनार ऐरे के लिए निर्देशन गियर:

निर्देशन गियर प्रणाली (डीजी) एक जहाज–जनित विद्युत चालित तंत्र है, जो अंशांकन उद्देश्य के लिए हल / धनुष पर चढ़कर सोनार

के ध्वनिक सेंसर सरणी को ठीक से घुमाता है। हल / धनुष पर चढ़कर सोनार के लिए गियर सिस्टम का निर्देशन पहले से ही स्वदेशी रूप से नौसेना भौतिक ओशनोग्राफिक प्रयोगशाला (एनपीओएल, कोच्चि), भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल, बेंगलूरु) और एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड (एचएमटी, कालामासेरी) के बीच सहयोगात्मक प्रयास के माध्यम से विकसित किया गया है। एमडीएल / आईएन से आवश्यकताओं के आधार पर, कंपनी ने बो–माउंटेड सोनार के लिए स्वदेशी रूप से एक कॉम्पैक्ट और हल्के डीजी सिस्टम विकसित किया है। जहाजों के तलवार वर्ग के लिए गियर प्रणाली को निर्देशित करना, आईएनएस तलवार के लिए सोनार आवश्यकताओं को पूरा करने और कमवजनी बो–माउंटेड सोनार को समायोजित करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। वजन कम करने के लिए प्रमुख संघटक शुद्ध टाइटेनियम और टाइटेनियम मिश्रधातु से बनाए जाते हैं।

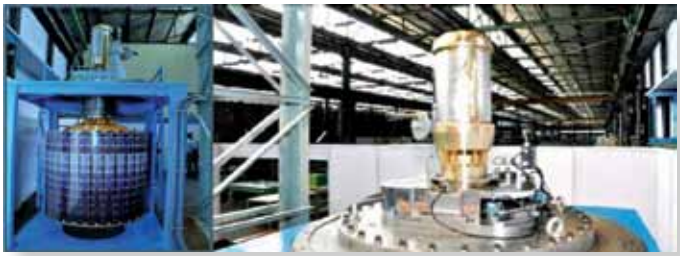

निर्देशन गियर– पनडुब्बी के लए सोनार ऐरे हेतु तलवार

2. ट्विन हेड स्पिंडल ग्राइंडर:

मेक इन इंडिया पहल के रूप में, अजमेर मंडल में ट्विन हेड ग्राइंडर स्वदेशी रूप से एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड द्वारा विकसित है। रेलवे एक्सल और विभिन्न आकृति में एकल सेटअप के परिष्करण के लिए यह मशीन एक हेवी ड्यूटी सीएनसी बेलनाकार ग्राइंडिंग मशीन है।

यह एक उच्च प्रौद्योगिकी और अत्यधिक उत्पादक मशीन है जो चलायमान व्हील हेड अवधारणा के साथ कॉन्फ़िगर की गई है। इसका उपयोग दोनों छोर पर रेल एक्सल के एकसाथ पीसने के लिए किया जाता है और यह दोनों पीस पहियों को ड्रेसिंग के लिए ऑटो गेजिंग, ऑटो डायनेमिक व्हील बैलेंसिंग तकनीकी जांच और डायमंड रोल ड्रेसर के साथ सुसज्जित किया जाता है।

इस ग्राइंडिंग मशीन में स्थिर टेबल, दोनों छोरों पर दो स्वतंत्र पहिया शीर्ष हैं जो स्वतंत्र पहिया शीर्षों का उपयोग करते हैं। इस मशीन पर 3000 मिमी की जॉब लेंथ रखी जा सकती है। प्रत्येक व्हील हेड की क्षमता 37 किलोवाट है।

तैयार ग्राइडिंग व्हील्स का उपयोग बेयरिंग सीट और डस्टकवर को एक साथ पीसने के लिए किया जाता है। मशीन का प्रयोग रेलवे एक्सल की मात्रा आवश्यकता में वृद्धि के लिए किया जाता है। यह मशीन स्थान, प्रति एक्सल लागत और विदेशी मुद्रा की बचत करती है और इसके लिए कम जनशक्ति की आवश्यकता होती है। डिजाइन का काम 2019–20 में पूरा हो गया था, अंतिम असेंबली चल रही है।

3. फ्लो फॉर्मिंग लैथ (एफएफएल):

एचएमटी ने 1990 के दौरान अपनी अनुसंधान एवं विकास क्षमताओं के साथ पारंपरिक कार्यप्रणाली का उपयोग करते हुए फ्लो फार्मिंग तकनीक विकसित की थी। चूंकि यह तकनीक उस समय आ गई जब बाजार इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं था, अतः आगे विकास रोक दिया गया। अब, एफएफएल के लिए मांग और बाजार सक्षमता बढ़ रही है। एचएमटी ने आधुनिक फॉर्मिंग प्रौद्योगिकी को स्वदेशी रुप से डिजाइन और विकसित किया जो निर्बाध ट्यूबलर घटकों के उत्पादन के लिए उपयुक्त और भारत में अपनी तरह का पहला उपकरण है। यह मशीन देश की रक्षा आवश्यकताओं (आयुध कारखानों) को पूरा करेगी और आयात प्रतिस्थापन के माध्यम से राजस्व बचाएगी। पहली मशीन की आपूर्ति वर्ष 2019–20 के दौरान ऑर्डनेंस फैक्ट्री को की गई थी और विशेषताओं में कुछ बदलाव के साथ दूसरी मशीन को अंतिम रूप से असेंबल किया जा रहा है और बेंगलूरु यूनिट में काम प्रगति पर है।

4. सर्वो मैनिपुलेटर्स :

एचएमटी एमटीएल ने परमाणु क्षेत्र में पूर्व में योगदान दिया और परमाणु उद्योगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रौद्योगिकी और क्षमता को अच्छी तरह से स्थापित किया है। एमटीएल ने हाल ही में फोर्स फीडबैक मेकेनिज्म पर स्वतंत्र परिचालन के छह डिग्री के साथ सर्वो मैनिपुलेटर को विकसित किया है जो आईजीसीएआर, चेन्नई के लिए एक इन–हाउस डिजाइन है। हमने डिजिटल माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक में हुई प्रगति का लाभ लेते हुए नियंत्रण और उपयोगकर्ता इंटरफ़ेस में उन्नत सुविधाएँ भी प्रदान की हैं। एमटीएल बीएआरसी के लिए सर्वो मैनीपुलेटर्स विकसित कर रहा है जो प्रगति पर है।

5. सरफेस व्हील लैथ (एसडब्ल्यूएल):

ब्रॉड गेज सरफेस व्हील लैथ (एसडब्ल्यूएल) एचएमटी के लिए लैथ का एक नया रूप है, जहां रेलवे की मांग को पूरा करने के

लिए डिजाइन और नवीन उत्पादन प्रक्रिया के नए क्षेत्रों पर शोध और कार्यान्वयन किया जाता है। इस सीएनसी लैथ में दोनों रेलवे पहियों का एक साथ पुनः उपयोग होता है जो नए होते हैं या उच्च सटीकता (एक ही एक्सल पर ढ0.3 मिमी) और सतह के साथ खराब हो जाते हैं। उन्नत सीएनसी सतह पहिया लैथ धुरी के दोनों पहियों पर 8 मिमी तक की गहराई में कटौती करने में सक्षम है। एचएमटी के एसडब्लूएल की अनूठी डिजाइन विशेषताएं प्रमुख रूप से हैं:–

- कठोर और जमीनी दिशा–निर्देशों के साथ कास्ट आयरन मशीन बेड, चिप निपटान के लिए पर्याप्त स्थान प्रदान किए जाते हैं।
- दो व्यक्तिगत रूप से चालित (2x37 किलोवाट) सटीक मशीनी धुरी के साथ हेडस्टॉक, फेस प्लेटें जो पूर्व निर्धारित कोणीय स्थिति और प्रभावी पहिया सेट क्लैम्पिंग और होल्डिंग के लिए सेल्फ सेंटरिंग जॉ में संचालित होती हैं।
- यह ऑटोमैटिक लिफ्टिंग, सेंट्रिंग और व्हील सेट्स को नीचे करने की क्षमता से लैस है। गैर–संपर्क केंद्र प्रणाली की नई विशेषता मशीन को अलग व्यास (सीमा 750–1250 मिमी) के साथ पहिये को सटीक स्थान पर रखती है।
- व्हील वियर माप में संपर्क जांच का एक सेट होता है जो व्हील प्रोफाइल के पूर्व निर्धारित स्थान पर माप लेता है। वियर डेटा को नियंत्रक में तैयार किया जाता है और कट के मामले में सॉफ्टवेयर किफायती गहराई संबंधी सुझाव देता है।
- विभिन्न उभरे हुए किनारे की मोटाई के किसी भी पहिया प्रोफाइल को शामिल करने के लिए सिनुमेरिक 828 डी के नवीनतम संस्करण को लचीलेपन के साथ शामिल किया गया है।

एसडब्ल्यूएल 1250 मिमी तक थ्रेड डायमीटर के लोकोमोटिव व्हील सेट के लिए अभिप्रेत है। लैथ को उसी तरफ पहिया सेट को रोल करने और रोल आउट करने के लिए अनुकूलित किया गया है। एसडब्लूएल का प्रमुख खरीदार कोफमोव है। एसेम्बली का काम चल रहा है।

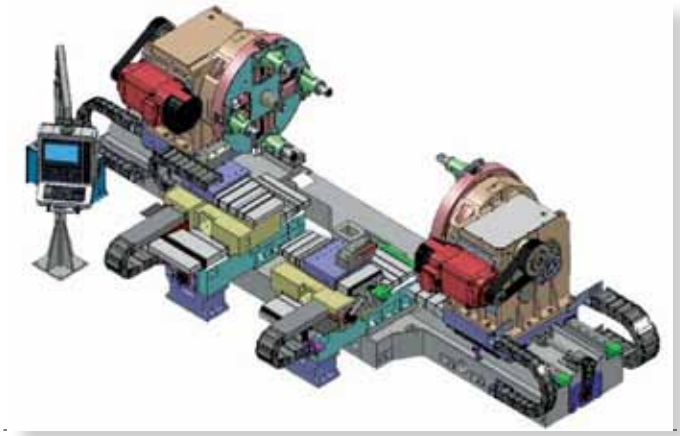

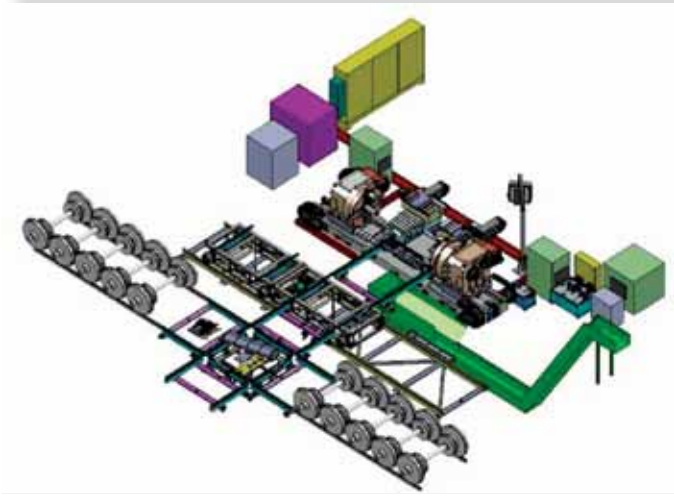

सरफेस व्हील लैथ (एसडब्ल्यूएल)– अवधारणात्मक लेआउट

6. कीटाणुशोधन गेटवे:

श्री चित्रा तिरूनल इन्स्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंस एण्ड टेक्नॉलॉजी (एससीटी आइएमएसटी), त्रिवेंद्रम के साथ तकनीकी सहयोग से एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड, कलामस्सेरी द्वारा द चित्रा डिसइन्फेक्शन गेट–वे को विकसित, निर्मित और वाणिज्यीकृत किया गया। यह उन जगहों पर उपयोग करने के लिए है जहां लोग सार्वजनिक क्षेत्र से आ रहे हैं। यूनिट का उद्देश्य माइक्रोबियल / वायरस लोड को कम करना है जिसका वहन कोई व्यक्ति अपने शरीर, कपड़े और बैग के माध्यम से कर सकता है। यह यूनिट कीटाणुनाशक, हाइड्रोजन पेरॉक्साइड (एचटूओटू) धुंध और पराबैगनी (यूवी) किरणों का उपयोग करके एक ड्यूअल मोड ऑपरेशन पर काम करता है।

यह कीटाणुशोधन गेटवे 0.5% हाइड्रोजन पेरोक्साइड का उपयोग नम रुप में करता है, जो एक एटमाइज़र का उपयोग करके उत्पन्न होता है और किसी व्यक्ति के शरीर की सतहों, कपड़ों और बैग से

वायरस लोड को कम करने के लिए नियोजित किया जाता है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ (एनआईओएसएच) द्वारा प्रकाशित हाइड्रोजन पेरोक्साइड के रासायनिक खतरों संबंधी पॉकेट गाइड के अनुसार, इसे 75 पीपीएम तक ही सांस में लेना सुरक्षित है और चित्रा कीटाणुशोधन गेटवे में डिज़ाइन सीमा 1.5 पीपीएम है, जो 50 गुना का सुरक्षा मार्जिन प्रदान करता है। यूवी–सी किरणों का उपयोग केवल कक्ष को कीटाणुरहित करने के लिए किया जाता है, जब यह अनऑक्यूपाइड होता है (अर्थात् केवल किसी व्यक्ति द्वारा प्रवेश द्वार से बाहर निकलने के बाद) और इसलिए इससे स्वास्थ्य या सुरक्षा को कोई खतरा नहीं होता।

डिजाइन की दृष्टि से और प्रायोगिक सत्यापन अध्ययनों के आधार पर, एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड कालामासेरी द्वारा वाणिज्यीकृत चित्रा कीटाणुशोधन गेटवे, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के लिए जोखिम सीमा को देखते हुए रासायनिक सुरक्षा पहलुओं की पर्याप्त सावधानी सुनिश्चित करता है। इसके अलावा, प्रभावकारिता पक्ष में, वर्तमान सूत्रीकरण से बायोबर्डन को कम करने में असाधारण रूप से अच्छे परिणाम मिले हैं।

आधार प्रतिरूप डिसइंफेक्शन गेटवे

आदर्श सीजीपीटी डिसइन्फेक्शन गेटवे

डिसइन्फेक्शन गेटवे– कोचीन अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट लिमिटेड में स्थापित

डिसइन्फेक्शन गेटवे– कन्नूर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा लिमिटेड पर स्थापित

- **उत्पाद विकास और प्रौद्योगिकी उन्नयन योजना**
  - मैसर्स सीएमटीआई, बेंगलूरु के साथ तकनीकी सहयोग में सीएनसी मल्टी स्पिंडल ऑटोमैट्स का विकास
  - उत्पाद विकास के संबंध में इसरो के साथ सहयोगात्मक तकनीकी परियोजना को अगस्त 2019 में अंतिम रूप दिया गया।

5.6.5 एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड (एवाईसीएल)

कंपनी के विभिन्न प्रभागों द्वारा की गई अनुसंधान और विकास कार्य इस प्रकार हैं: –

I. इसके लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

क) एवाईसीएल के डिजाइनर / विशिष्ट चाय के लिए टी डिवीजन के नवप्रवर्तन प्रकोष्ठ प्रचालन में हैं।

ख) उत्पाद विकास के लिए इंजीनियरिंग डिवीजन के पास इन–हाउस अनुसंधान एवं विकास सुविधा है।

ग) इलेक्ट्रिकल डिवीजन ने सफलतापूर्वक बीआईएस स्टार 1 रेटेड 100 किलोवॉट एंपियर ट्रांसफार्मर की टाइप टेस्टिंग पूरी की।

घ) 4 मेगावॉल्ट एंपियर, 33 किलोवॉल्ट एचटी से एलटी स्वचालित वोल्टेज रेग्युलेटर (एवीआर) की उच्चतम रेटिंग का सफलतापूर्वक विकास किया।

ङ) इन–हाउस परीक्षण सुविधाओं के लिए एनएबीएल मान्यता हेतु आवश्यक परीक्षण उपकरणों के संवर्द्धन हेतु पहल की गई है।

च) जीवन प्रत्याशा बढ़ाने के लिए आवर्ती निर्वहन के मापन के लिए एक आंशिक निर्वहन परीक्षण सेटअप की खरीद आवश्यक है।

II. उत्पाद विकास, लागत उपशमन या आयात प्रतिस्थापन जैसे प्राप्त लाभ :

क) गुणवत्ता बनाए रखकर मेड टी की कीमत प्राप्ति में समग्र उछाल (2018–19 में 176.66 रुपए प्रति किलोग्राम से बढ़कर 2019–20 में 184.57 रुपये प्रति किलोग्राम)।

ख) अपनाई गई सर्वश्रेष्ठ कृषि पद्धतियों के कारण मेड टी (1972 किग्रा/हेक्टेयर) का सर्वकालिक रिकॉर्ड उत्पादन।

ग) इलेक्ट्रिकल डिवीजन – कोलकाता ऑपरेशन (ईडी–केओ) ने सीईएससी, मैसूर और एचईएससीओएम से 100 केवीए स्टार 1 रेटेड डिस्ट्रिब्यूशन ट्रांसफार्मर के क्रमशः 50 और 200 ऑर्डर मिले।

घ) ईडी–केओ ने 4 मेगा वॉल्ट एंपियर, 33 किलो वॉल्ट की एचटी से एलटी स्वचालित वोल्ट रेगुलेटर (एवीआर) के पहले ऑर्डर को सफलतापूर्वक प्राप्त किया और सफलतापूर्वक निष्पादित किया।

ङ) इलेक्ट्रिकल डिवीजन–चेन्नई ऑपरेशन (ईडी–सीओ) अब एक डिजिटल आवेग इंपल्स मापन प्रणाली का उपयोग कर रहा है जिससे ग्राहकों की संतुष्टि और प्रभावी वेव फॉर्म विश्लेषण के कारण परीक्षण की गुणवत्ता में सुधार आया है। यह माप की अनिश्चितता के संबंध में एनएबीएल की आवश्यकताओं को पूरा करता है।

च) इंजीनियरिंग प्रभाग द्वारा संभावित आपूर्तिकर्ताओं के रूप में बाजार में बनाए रहने के प्रयोजन से और ग्राहक की प्रयोग आवश्यकता के अनुरुप उत्पाद प्रोफ़ाइल को अद्यतन करने हेतु सभी स्तरों पर निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।

छ) एकीकृत इस्पात संयंत्रों के लिए महत्वपूर्ण आयातित सिंटर वेस्ट गैस फैन रोटर असेम्बली यानी आरआईएनएल, सेल–भिलाई, बोकारो और दुर्गापुर को एवाईसीएल के बनाए रोटर के साथ प्रतिस्थापित किया गया है।

ज) इंजीनियरिंग डिवीजन ने इन–हाउस अनुसंधान एवं विकास के माध्यम से उच्च दक्षता और मितव्ययी भारी और मध्यम शुल्क वाले औद्योगिक फैन विकसित किए हैं जो अब भारत में अंतर्राष्ट्रीय निर्माताओं के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। आयातित में रेट्रोफिटिंग से भी विदेशी मुद्रा की बचत हो रही है।

5.6.6 द ब्रेथवेट, बर्न एंड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (बीबीजे)

नई प्रौद्योगिकियों और उत्पादों का उपयोग करने के लिए वरिष्ठ प्रबंधन को जागरुक किया जा रहा है। नई और अभिनव प्रौद्योगिकियों पर प्रस्तुतीकरण आयोजित किया जा रहा है। विभिन्न कारणों जैसे कार्य की पारंपरिक प्रकृति, लागत एवं आकार बाध्यताओं आदि के कारण कंपनी द्वारा इस समय अनुसंधान एवं विकास कार्य आरंभ नहीं किए गए हैं।

तथापि, बढ़ते प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण में, बीबीजे ने अपनी नेतृत्वकारी स्थिति को बरकरार रखने के लिए अनुसंधान एवं विकास की महत्ता को समझा है। सीमित संसाधनों और कर्मचारियों के सम्मिलित प्रयासों के बीच प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए बीबीजे ने इस्पात पुलों के लिए नई लांचिग स्कीम विकसित की है। बीबीजे ने क्रियाशील लाइनों पर पूर्व स्टील ब्रिज को बहुत कम समय में नव निर्मित गर्डरों से प्रतिस्थापित करने के लिए एक प्रभावी निर्माण स्कीम विकसित की है। हाल ही में, बीबीजे ने डीएमआरसी परियोजना, मुंगेर में गंगा पर पुल और अन्य परियोजनाओं के लिए भी फॉरवर्ड

लांचिंग योजना विकसित की है। बीबीजे ने अपव्यय कम करने के लिए संरचना हेतु उपयुक्त कटिंग योजनाएं विकसित की हैं। डिजिटल इंडिया अभियान का संवर्धन, परियोजना के निष्पादन की निगरानी और संबंधित टूल्स की अकाउंटिंग के लिए नए सॉफ्टवेयर की स्थापना करके प्रचलानात्मक आवश्यकता के आधार पर समय–समय पर प्रौद्योगिकी का उन्नयन किया जा रहा है।

5.6.7 इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड (ईपीआई)

कंपनी के कार्य की प्रकृति को देखते हुए, अनुसंधान एवं विकास की गुंजाइश कम है क्योंकि ईपीआई ग्राहक की आवश्यकताओं पर आधारित कार्य कर रही है। तथापि, ईपीआई तीव्र और किफायती निर्माण के लिए एल्यूमा फोर्मवर्क सिस्टम आदि का उपयोग करके पारंपरिक आरसीसी फ्रेम्ड स्ट्रक्चर जैसे प्रीफैब तकनीकी, ग्लास फाइबर रिइन्फोर्सडेन्ट जिप्सम (जीएफआरजी) सिस्टम और लाइट गाउज शीर फ्रेमड़ स्ट्रक्चर (एलजीएसएफ) सिस्टम कम्पनी प्रौद्योगिकी और विनिर्माण तकनीकों का उन्नयन करने का निरन्तर प्रयास कर रही है।

कंपनी ने अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाओं के लिए नवीनतम बॉर्डर अवसंरचना और निगरानी प्रणाली विकसित की है जिसमें सेंसरों, ऑप्टिकल फाइबर केबल्स और एचआरसी कैमरों का उपयोग करके आसूचना प्रणाली के साथ वास्तविक औ॰ इलेक्ट्रानिक रूप से नियंत्रित बैरियर, रियल टाइम डिस्प्ले मॉनिटरिंग को अपनाया गया है जिससे अंतर्राष्ट्रीय सीमा घुसपैठ/दुर्व्यापार से सुरक्षित रहेगी।

ईपीआई ने सड़कों और चारदीवारी फाउंडेशन आदि के निर्माण के लिए रेत के ड्यून के स्थिरीकरण हेतु चूना–पत्थर/क्विलकर जैसी खुदाई से निकली सामग्री का प्रयोग किया है। ईपीआई ने बड़ी आवासीय और अन्य निर्माण परियोजनाओं के निर्माण में रैपिड मोनोलिथिक आपदारोधी प्रौद्योगिकी का उपयोग आरंभ कर दिया है।

ग्राहक सेवा के अन्तर्गत फ्लू गैस थर्मल पावर परियोजना से अनुमत्त सीमी के दायरे में सल्फर डाई ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड को कम करने के लिये फ्लू गैस विसल्फरीकरण (एफजीडी) प्रणाली हेतु प्रौद्योगिकी को सोर्स करने के प्रयोजन से ईपीआई ने वैश्विक प्रौद्योगिकी प्रदाता के साथ एक समझौता किया है।

अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./दिव्यांगों और अल्पसंख्यकों का कल्याण

6.1 इस विभाग का सतत प्रयास रहा है कि अल्पसंख्यकों के कल्याण को बढ़ावा देने के विषय में सरकार के निदेशों के परिप्रेक्ष्य में, केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उद्यमों के दायित्वों पर नज़र रखी जाए। अ.जा./अ.ज.जा./अ. पि.व., दिव्यांगों और अल्पसंख्यक समुदायों के लिए नियुक्ति/पदोन्नति में आरक्षण के संबंध में सरकार द्वारा जारी अनुदेशों का इस विभाग के अधीनस्थ सार्वजनिक क्षेत्रक उद्यम अनुपालन करते हैं।

6.2 भारत सरकार की आरक्षण नीति के कार्यान्वयन की उचित मॉनीटरिंग के लिए निदेशक/उप–सचिव रैंक के संपर्क अधिकारी की देख–रेख में विभाग में अ.जा. /अ.ज.जा. प्रकोष्ठ काम कर रहा है।

6.3 सीपीएसईज के कार्यबल में विभिन्न अल्पसंख्यक समुदायों के व्यक्ति बड़ी संख्या में शामिल हैं। सभी सीपीएसईज में, उन्हें मुख्यधारा के कार्यबल के साथ जोड़े जाने पर जोर दिया जाता है और उनकी जाति, धर्म और धार्मिक आस्थाओं के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता। आवास आदि सुविधाएं सभी कर्मचारियों को समान शर्तों पर प्रदान की जाती हैं। प्रति वर्ष कौमी एकता/सद्भावना दिवस का आयोजन किया जाता है जिसमें एकता, राष्ट्रीय अखंडता और सौहार्द की भावना को बढ़ावा देने के लिए महिलाओं और बच्चों सहित समाज के सभी वर्गों के लोग भाग लेते हैं।

6.4 इस विभाग के अंतर्गत प्रचालनरत सभी सीपीएसईज दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम, 2016 के उपबंधों के अधीन हैं।

6.5 भारी उद्योग विभाग शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को आशोधित कारें खरीदने के लिए उत्पाद शुल्क पर पात्रता छूट का लाभ लेने के लिए अनिवार्यता प्रमाण–पत्र जारी करता है। सरकारी प्रक्रिया के सरलीकरण की दिशा में एक कदम के तौर पर, इस संबंध में आवेदक को शपथ–पत्र की बजाय अब स्व–सत्यापित प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होता है। विस्तृत पात्रता शर्तें विभाग की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाती हैं। वर्ष 2019–20 के दौरान,01.04.2019 से 31.03.2020 की अवधि के लिए कुल 613 आवेदन–पत्र प्राप्त हुए और 338 व्यक्तियों को प्रमाण–पत्र जारी किए गए तथा 01.01.2020 से 31.12. 2020 तक की अवधि के दौरान कुल 1062 आवेदन–पत्र प्राप्त हुए और 736 व्यक्तियों को प्रमाण–पत्र जारी किए गए।

6.6 भारी उद्योग विभाग में, पदों और सेवाओं में आरक्षित वर्ग के प्रतिनिधित्व हेतु प्रतिवर्ष 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों और अशक्त जनों के प्रतिनिधित्व संबंधी वार्षिक डेटा कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को उसके द्वारा शुरु किए गए पोर्टल (www.rrcps.nic.in) के माध्यम से ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाता है।

अध्याय 7

महिला सशक्तिकरण/कल्याण

7.1 विशेषकर महिला कर्मचारियों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए, भारी उद्योग विभाग ने सरकार द्वारा लैंगिक (स्त्री–पुरुष) समानता के अधिकारों के संरक्षण और प्रवर्तन तथा कामकाजी महिलाओं के प्रति न्याय के लिए सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप विभाग में शिकायत समिति का गठन किया है ताकि कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण), अधिनियम, 2013 के अनुसार यौन उत्पीड़न संबंधी शिकायतों का निपटारा किया जा सके।

7.2 भारी उद्योग विभाग और इसके प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सीपीएसईज लगातार यह सुनिश्चित करने के प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी रूप में महिलाओं के साथ भेदभाव न हो। सभी कर्मचारियों को स्त्री–पुरुष को समान रुप से मुख्यधारा से जोड़ने और दोनों के लिए न्याय के बारे में भारत के संविधान में उल्लिखित सिद्धांतों के प्रति जागरुक किया जाता है।

7.3 खासकर महिला कर्मचारियों के मानवाधिकारों के संबंध में जागरुकता सृजन के प्रयोजन से, लैंगिक समानता और महिलाकर्मियों के प्रति न्याय के अधिकारों के संरक्षण और प्रवर्तन के लिए सरकार द्वारा जारी निदेशों के अनुरुप विभाग में शिकायत समिति का गठन किया गया है ताकि महिलाओं की यौन उत्पीड़न संबंधी शिकायतों का समाधान किया जा सके। विभाग महिलाकर्मियों को बैठकों, संगोष्ठियों, प्रतियोगिताओं, प्रशिक्षणों आदि में मुक्त सहभागिता के लिए तत्परतापूर्वक प्रोत्साहित करता है। इससे मुख्यधारा के कार्यबल में उनका और अधिक समेकन सुनिश्चित करने में मदद मिलती है।

7.4 जेंडर बजटिंग के संबंध में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा जारी अनुदेशों का भारी उद्योग विभाग और विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में अनुपालन किया जा रहा है ताकि उन क्षेत्रों/सेवाओं की पहचान की जा सके जहाँ स्त्री–पुरुष समानता को बढ़ावा देने संबंधी स्कीमों/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु विभाग द्वारा पहल की जा सकती है।

अध्याय 8

सतर्कता

8.1 इस विभाग में, विभाग के कर्मचारियों और इसके प्रशासनिक नियंत्रणाधीन केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों तथा संगठनों के बोर्ड स्तर के अधिकारियों के सतर्कता मामलों पर गौर करने के लिए संयुक्त सचिव/अपर सचिव स्तर का एक मुख्य सतर्कता अधिकारी है। उनके सहयोग के लिए एक निदेशक/संयुक्त निदेशक तथा एक अवर सचिव के साथ–साथ सतर्कता अनुभाग हैं।

8.2 सतर्कता अनुभाग के मुख्य कार्य–क्षेत्र हैं:–

- भारी उद्योग विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के बोर्ड स्तर के नियुक्त व्यक्तियों के साथ–साथ विभाग के अधिकारियों के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों से निपटना;
- सतर्कता मामलों की आवधिक समीक्षा करना;
- केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उद्यमों में बोर्ड स्तर की नियुक्तियों और पीईएसबी की सिफारिशों के आधार पर अन्य सभी नियुक्तियों के संबंध में, जिनमें एसीसी की स्वीकृति अपेक्षित होती है, के साथ–साथ भारी उद्योग विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों की सतर्कता निकासी जारी करना;
- सतर्कता मामलों के संबंध में सूचना के प्रवाह को व्यवस्थित बनाने के लिए सीवीसी, सीबीआई और भारी उद्योग विभाग के अधीनस्थ सीपीएसई के सीवीओज के साथ संपर्क रखना;
- प्रक्रियागत अनियमितता के मुद्दों पर सलाह देना;
- बोर्ड स्तर के नियुक्त व्यक्तियों के विरूद्ध सतर्कता मामलों में आरोप–पत्र की विधीक्षा करना;
- विभाग के साथ–साथ केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के बोर्ड–स्तर के अधिकारियों और कर्मचारियों की कार्य–निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्टों की मॉनिटरिंग करना, उन्हें पूरा करना तथा उनका अनुरक्षण करना;
- भारी उद्योग विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ–साथ केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के बोर्ड स्तर के अधिकारियों की वार्षिक संपत्ति विवरणिकाओं की प्रस्तुति की मॉनीटरिंग करना;
- आईएएस/आईपीएस/आईईएस/आईएफएस अधिकारियों और सीएसएस/सीएसएसएस के ग्रुप ''ए'' अधिकारियों के संबंध में स्पैरो (स्मार्ट परफॉर्मेंस एप्रेजल रिपोर्ट रिकार्डिंग ऑनलाइन विंडो) के तहत एपीएआर भरना।

8.3 सतर्कता अनुभाग निवारक सतर्कता पर पर्याप्त जोर देता है और अधिक पारदर्शिता लाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग को प्रोत्साहन दे रहा है। जहां कहीं अपेक्षित है, उपयुक्त मामलों में दंडात्मक उपाय भी किए जाते हैं और अनुवर्तन किया जाता है।

8.4 भ्रष्टाचार के विरुद्ध जागरूकता उत्पन्न करने और प्रसार के लिए भारी उद्योग विभाग द्वारा 27.10.2020 से 02.11.2020 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन किया गया।

8.5 सतर्कता मामले सामान्यतः जटिल प्रकृति के होते हैं जिनके लिए विभिन्न प्रकार की और विस्तृत सूचना, टिप्पणियों और सीपीएसईज के सीवीओ की सहायता से आरोपों के विश्लेषण की जरूरत होती है। **लंबे समय से लंबित मामलों की पहचान के लिए भरसक प्रयास किए गए और सबसे पुराने मामलों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है ताकि तर्कपूर्ण निष्कर्ष निकालने हेतु जांच कराई जा सके।** वर्ष 2020 की शुरूआत में 23 सतर्कता मामले/शिकायतें थीं। 31.12.2020 तक 40 नए मामले/शिकायतें प्राप्त हुईं। 34 मामलों में जांच पूरी की गई और सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन तथा सतर्कता आयोग के यथावश्यक परामर्श से उनका निपटान किया गया।

8.6 भारी उद्योग विभाग/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बोर्ड स्तर के 16 अधिकारियों के भर्ती/पुष्टि/विस्तार/सेवा–निवृत्ति/त्याग–पत्र संबंधी मामलों में सीवीसी से सतर्कता निकासी प्राप्त की गई तथा भारी उद्योग विभाग के सीवीओ द्वारा विभिन्न प्रयोजनों के लिए 205 अधिकारियों को सतर्कता निकासी प्रदान की गई।

अध्याय 9

हिंदी का प्रगामी प्रयोग

9.1 ''श्रमेव जयते'' के ध्येय को ध्यान में रखते हुए, भारी उद्योग विभाग का हिंदी अनुभाग राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के अनुरुप राजभाषा हिंदी को सरकारी कामकाज का माध्यम बनाने और सरकारी कामकाज में राजभाषा के उपयोग संबंधी बाधाओं को दूर करने की दिशा में हरसंभव प्रयास कर रहा है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु इस विभाग में उप–निदेशक और सहायक निदेशक के एक–एक पद, वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी के दो पद और कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी के दो पद हैं। भारी उद्योग विभाग ने 2020–21 के दौरान सरकारी कामकाज में हिंदी का उपयोग और अधिक बढ़ाने हेतु प्रयास जारी रखे। हिंदी के उपयोग में हुई प्रगति की समीक्षा के लिए हिंदी के प्रभारी संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की त्रैमासिक बैठक का प्रावधान है।

9.2 वर्ष 2020 के दौरान, विभाग के निरीक्षण दल ने हिंदी के कार्यान्वयन में हुई प्रगति का जायजा लेने के लिए इस विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उद्यमों में से 01 इकाई/कार्यालय का निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों को राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में निर्दिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करने के निदेश दिए।

9.3 सभी मंत्रिमंडल नोट, अधिसूचनाएं, संकल्प और परिपत्र, संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखे जाने वाले संसदीय प्रश्नोत्तर, वार्षिक रिपोर्ट, सीएजी रिपोर्ट, विलंब संबंधी वक्तव्य आदि हिंदी और अंग्रेज़ी– दोनों में जारी किए गए।

9.4 विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को सरकारी कामकाज में हिंदी के उपयोग के लिए प्रोत्साहित करने हेतु 14 सितंबर, 2020 से 29 सितंबर,2020 तक ''हिंदी पखवाड़ा' मनाया गया गया जिसमें प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों ने इन प्रतियोगिताओं में उत्साहपूर्वक सहभागिता की।

9.5 इस विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन उपक्रमों ने भी राजभाषा अधिनियम और तद्धीन उपबंधों के कार्यान्वयन हेतु भरपूर प्रयास किए। हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देने हेतु सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रमों में संगोष्ठियों, प्रतियोगिताओं और कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। इन सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रमों में हिंदी पखवाड़ा/हिंदी सप्ताह/हिंदी माह का आयोजन अत्यन्त उत्साहपूर्वक किया गया।

हिंदी पखवाड़ा के दौरान प्रतियोगिता आयोजन

सेवोत्तम का कार्यान्वयन

10.1 भारी उद्योग विभाग प्रभावी और जिम्मेदार प्रशासन के लक्ष्य और उत्कृष्ट सेवा प्रदान करने के प्रति वचनबद्ध है। भारत सरकार के सेवोत्तम ढांचे को इस विभाग में कार्यान्वित किया गया है। इस दिशा में निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं। उपरोक्त के अलावा, विभाग के कार्यों को सुचारु रूप से चलाने के साथ–साथ अपने कर्मचारियों और जनता की सहायता करने हेतु विभाग ने उपयुक्त स्तरों पर विभिन्न नोडल अधिकारियों को नियुक्त/नामित किया है। ऐसे कुछ क्षेत्रों का विवरण निम्न प्रकार से है:

जन शिकायतों के निवारण की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के प्रयास में, इस विभाग के एक संयुक्त सचिव, संयुक्त सचिव (लोक शिकायत) के रूप में कार्य कर रहे है।

मुकदमे से जुड़े मामलों पर कार्रवाई करने और आगे के समन्वय के लिए समय पर कार्रवाई सुनिश्चित करने हेतु एक नोडल अधिकारी को नामित किया गया है।

10.2 शिकायत निवारण प्रबंधन:

इस विभाग में सीपीग्राम्स पोर्टल के माध्यम से लोक शिकायतें ऑनलाइन प्राप्त की जाती हैं। इसके अतिरिक्त, ऑफलाइन शिकायतें भी प्राप्त होती हैं। शीघ्र निपटान के लिए शिकायतों को नियमित रूप से मॉनिटर किया जा रहा है। भारी उद्योग विभाग के सीपीग्राम्स पोर्टल पर उपलब्ध उम्रवार लंबित रिपोर्ट के अनुसार, दिनांक 01.01.2020 से 31.12.2020 की अवधि के दौरान 1188 नई लोक शिकायतें प्राप्त हुईं और पुरानी 58 शिकायतों को अग्रसारित किया गया। इस अवधि के दौरान कुल 1195 शिकायतों का निपटान किया गया। शिकायतें औसतन 16 दिनों तक लंबित रही हैं।

इसी अवधि के दौरान, कोविड–19 संबंधी कुल 70 शिकायतें ऑनलाइन प्राप्त हुईं और उन सबका 3 दिन की निर्धारित अवधि के दौरान निपटान किया गया।

10.3 भारी उद्योग विभाग में आईटी संबंधी पहल

''न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन'' के नारे के साथ सरकार नागरिक–केन्द्रित दृष्टिकोण और जवाबदेह प्रशासन पर ध्यान दे रही है। कोविड–19 ने मौजूदा व्यवस्था को चुनौती दी है और इसने क्षमता संवर्द्धन तथा सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए कई अवसर भी खोले हैं– खासकर डिजिटल शासन के क्षेत्र में। सूचना प्रौद्योगिकी की शक्ति के उपयोग से पारदर्शिता आती है और शासन में सुधार के लिए नागरिकों को गुणवत्तापरक सेवाएं मिलती हैं। 'डिजिटल भारत योजना' और 'कारोबारी सुगमता' एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। शासन को और अधिक कुशल और प्रभावी बनाने के लिए मौजूदा नियमों के सरलीकरण और यौक्तिकीकरण तथा सूचना प्रौद्योगिकी के समावेश पर जोर दिया जा रहा है। भारी उद्योग विभाग ने महामारी के दौरान सभी कर्मियों के लिए ई–ऑफिस पर ''वर्क फ्रॉम होम'' की सुविधा प्रदान कर एक बड़ी पहल की है। डिजिटल मंचों का उपयोग नवीन पहलों,डेटा विश्लेषण के लिए भी किया जा रहा है ताकि निर्णय–प्रक्रिया को डेटाचालित बनाने का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। इसके अलावा, अपने अधिकार–क्षेत्र वाले सभी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रमों और स्वायत्त निकायों का डिजिटल मंच के माध्यम से अनुवीक्षण किया जा रहा है।

वर्ष 2020–21 के दौरान सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कई उपलब्धियाँ हासिल की गई हैं जिनमें दिनांक

31.03.2020 तक ई–ऑफिस/ई–फाईल का उपयोग 98.3% से अधिक होना शामिल है। अन्य उपलब्धियों में डीबीटी वेब सेवा एकीकरण के साथ फेम–इंडिया–I के फीचर में वृद्धि, ऑनलाइन लाभार्थी सत्यापन के साथ फेम इंडिया पोर्टल के दूसरे चरण का कार्यान्वयन, प्रयास एपीआई एकीकरण, जीएसटी छूट प्रमाण–पत्र स्कीम पोर्टल की शुरुआत, विभाग की वेबसाइट का नवस्वरुपण, क्षेत्रीय वृद्धि के प्रमुख निष्पादन संकेतकों से संबंधित एक अलग डैशबोर्ड का शुभारंभ, विभिन्न इन–हाउस इन्ट्रानेट अनुप्रयोगों/एमआईएस आदि का प्रचालन, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उद्यमों के लिए जीआईएस–आधारित भू–अभिलेखों को अंतिम रुप देना शामिल हैं।

राष्ट्रीय सूचना–विज्ञान केंद्र, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का भारी उद्योग विभाग में स्थित सूचना–विज्ञान प्रभाग भारी उद्योग विभाग और इसके सभी संगठनों में एनआईसी समर्थित सेवाएं, परामर्श, ई–गवर्नेंस के विकास–सह–कार्यान्वयन संबंधी सेवाएं प्रदान करता है। यह विभागीय वेबसाइटों की भी देखरेख करता है, भारी उद्योग विभाग के ऑन–लाइन ई–गवर्नेंस सेवा पोर्टलों तक पहुंच को सुविधाजनक बनाता है तथा आवश्यकतानुरूप विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण/कार्यशालाओं का आयोजन करता है।

10.3.1 भारी उद्योग विभाग की वेबसाइट

भारी उद्योग विभाग की वेबसाइट http://heavyindustry.gov.in, http://dhi.nic.in को अधिक क्षमता, एसएसएल एन्क्रिप्शन के साथ क्लाउड वातावरण में स्तरोन्नत किया गया है। वेबसाइट में फेम–2 स्कीम का रीयल टाइम डैशबोर्ड भी एपीआई के साथ शामिल किया गया है। यह भारी उद्योग विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं का लाभ पाने के लिए भारी औद्योगिक क्षेत्रों के साथ–साथ भारतीय नागरिकों से संबंधित संगत नीतियों, प्रक्रियाओं, फीडबैक, कार्य–निष्पादन, बजट, सूचना का अधिकार आदि पर सूचनाओं के प्रसार के लिए सर्वाधिक प्रभावी मंच है।

''नया क्या है'' टैग के तहत नवीनतम पहलों, स्कीमों, नीतियों, नोटिसों और आयोजनों की जानकारी दुनिया भर से वेबसाइट पर आने वालों के बीच सर्वाधिक लोकप्रिय है। नीति–निर्माण में उद्योग की भागीदारी को प्रोत्साहित करने हेतु उनसे निर्धारित तारीख के भीतर फीडबैक आमंत्रित किए जाते हैं। इस वेबसाइट में प्रकाशित कुछ महत्वपूर्ण टैग हैं– स्कीम–वार नीति, प्रक्रिया, कार्य–निष्पादन, उद्योग 4.0 कार्यान्वयन नागरिक चार्टर, मिशन प्लान, बजट, सहायता अनुदान का ब्यौर, जीएसटी कार्यान्वयन आदि। विभिन्न स्कीम–वार नीति, प्रक्रियाओं निष्पादन रिपोर्टों, उद्योग 4.0 आयोजनों, नागरिक घोषणा–पत्र, बजट, अनुदान सहायता विवरणों, जीएसटी कार्यान्वयन आदि से संबंधित सामग्री को भी लगातार मॉनिटर किया जा रहा है। वेबसाइट को नवीनतम सूचनायुक्त रखने और अद्यतन करने के लिए भारी उद्योग विभाग के कंटेंट मॉडरेटर्स को उनसे संबंधित वेब कंटेंट का ध्यान रखने के लिए कंटेंट प्रबंधन फ्रेमवर्क की सुविधा दी जाती है। नियमित सामग्री प्रकाशन के नियमित अनुवीक्षण हेतु एक स्वचालित ई–मेल अलर्ट सक्रिय किया गया है। वेबसाइट की सामग्री मॉडरेशन गतिविधि के अनुवीक्षण और ऑडिट लॉग का पता लगाने हेतु इंट्रानेट में एक विशेष एमआईएस प्रणाली विकसित और कार्यान्वित की गई है। इस वेबसाइट के लिए साइबर सुरक्षा आडिट और एसटीक्यूसी प्रमाण–पत्र दोनों प्राप्त किए गए थे। इस वेबसाइट का हिंदी रूपान्तर भी उपलब्ध कराया गया है, जिसे हिंदी अनुभाग नियमित रूप से अद्यतन करता है। 15 नवम्बर, 2019 तक कुल 79 लाख विजिटर की तुलना में दिसम्बर, 2020 तक विजिटर्स की संख्या 1 करोड़ 23 हज़ार 510 तक पहुंच गई है।

10.3.2 ई–ऑफिस कार्यान्वयन

नेशनल ई–गवर्नेंस डिवीजन (एनईजीडी) परियोजना के अंतर्गत http://dhi.eoffice.gov.in/ पर ई–ऑफिस को इसके सभी मॉड्यूल्स के साथ कार्यान्वित और प्रचालित कर दिया गया है। कोविड महामारी के दौरान लॉकडाउन में, भारी उद्योग विभाग के अधिकारी वीपीएन के माध्यम से ई–ऑफिस पर काम करने में सक्षम रहे। ई–फाइल मॉड्यूल को वर्जन 5.6 में स्तरोन्नत किया

गया है जिसमें सफल निष्पादन के लिए समुचित हैंड्स ऑन ट्रेनिंग की सुविधा है। 6 दिसंबर,2020 की स्थिति के अनुसार, ई–फाइल का प्रतिशत बढ़कर 98.4 हो गया है। अन्य मॉड्यूलों, जैसे–ईएमडी, पीआईएमएस को भी नवीनतम वर्जन में स्तरोन्नत किया गया है। ई–लीव के आवेदन और अनुमति के लिए ehrms.gov.in का उपयोग किया जा रहा है। 259 ई–ऑफिस प्रयोक्ताओं में से लगभग पच्चीस अधिकारियों को केएमएस के माध्यम से परिपत्रों/नोटिसों के प्रकाशन हेतु अधिकृत किया गया है। डीएससी, ई–साइन और ई–मेल डायरीकरण से जोड़ने के लिए भी आवश्यक उपाय किए गए हैं। वर्ष 2020 में 30 नवम्बर 2020 तक लगभग 10,074 डीएससी हस्ताक्षरों और 601 ई–हस्ताक्षरों का उपयोग किया गया है। निष्पादन के अनुवीक्षण हेतु इन्ट्रानेट–आधारित एमआईएस भी विकसित और तैनात की गयी है।

10.3.3 डीएचआई डैशबोर्ड

विभाग ने लोगों से संपर्क के लिए एक डैशबोर्ड पोर्टल विकसित किया है। इस पोर्टल में ई–मोबिलिटी, 100 दिनों की योजना, क्षेत्रक–वार सूचना और भारी उद्योग विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उद्यमों की प्रगति से संबंधित सूचना हैं।

10.3.4 डीएचआई दर्पण पोर्टल

गैर–सरकारी संगठनों को निधियां जारी करने से पूर्व उनका ब्यौरा सत्यापित करने के लिए नीति आयोग के एनडीओ दर्पण पोर्टल के साथ डीएचआई–दर्पण इन्टरफेस को लिंक किया गया है।

10.3.5 इन्ट्रानेट अनुप्रयोग

वेब–आधारित विभिन्न इन्ट्रानेट ऑफिस ऑटोमेशन अनुप्रयोग और क्षेत्रकीय अनुप्रयोग प्रचालित किए गए हैं। ऑफिस ऑटोमेशन अनुप्रयोग प्रचालित किए गए हैं, जैसे–ई–ऑफिस कार्यान्वयन हेतु एमआईएस, वेबसाइट सामग्री प्रबंधन हेतु एमआईएस, भारी उद्योग विभाग की महत्वपूर्ण गितिविधियों की वस्तु–स्थिति संबंधी एमआईएस, भारी उद्योग विभाग की योजनाओं (डीबीटी, एमआईएस) हेतु एमआईएस, प्रगति एजेंडा अद्यतनीकरण हेतु एमआईएस, सीपीएसईज कार्य–निष्पादन अनुवीक्षण प्रणाली, प्रयोक्ता शिकायत अनुवीक्षण प्रणाली, भारी उद्योग विभाग में साइबर मामलों (सर्ट–इन) हेतु एमआईएस, सीपीएसईज डैशबोर्ड, वेबसाइट/ई–मेल के माध्यम से प्राप्त होने वाले फीडबैक संबंधी एमआईएस, ऑन लाइन उपभोग्य वितरण प्रणाली, प्रधानमंत्री कार्यालय से संबंधित संदर्भों हेतु एमआईएस प्रणाली, न्यायालयी मामले, वीआईपी पत्र, संसदीय पत्र, ऑन–लाइन एंगेजमेंट आदि। आयु–वार लंबित मामलों, संयुक्त सचिव/निदेशक/अनुभाग/सीपीएसई–वार लंबित मामलों, निपटाए गए मामलों की सूची जैसी विभिन्न रिपोर्टें भी उपलब्ध कराई जाती हैं। सीपीएसईज निष्पादन अनुवीक्षण प्रणाली, ऑटो सेक्टर और पूंजीगत वस्तु क्षेत्र के निष्पादन जैसे क्षेत्रकीय डेटाबेस भी उपलब्ध कराए जाते हैं।

10.3.6 ऑनलाइन ई–गवर्नेंस सेवाएं

आंतरिक सेवाओं के अलावा, सामान्य सेवाओं के साथ–साथ कई ऑनलाइन ई–गर्वनेंस पोर्टल्स जैसे आईएएस, सीएसएस, आईपीएस अधिकारियों के लिए स्पैरो (स्मार्ट परफॉर्मेंस एप्रैजल रिपोर्ट रिकार्डिंग विंडो), प्रो–एक्टिव गर्वनेंस एण्ड टाइमली इम्पलिमेंटेंशन (प्रगति) प्रधानमंत्री कार्यालय, ऑनलाइन कर्मचारी संबंधी ऑनलाइन एकल प्रयोक्ता मंच (सुप्रीमो), ऑनलाइन विधिक सूचना प्रबंधन और ब्रीफिंग प्रणाली (लिम्ब्स), ऑनलाइन ई–निविदा और ई–खरीद, बायोमीट्रिक उपस्थिति प्रणाली (बीएएस), भवनों के लिए आगन्तुक प्रबंधन (गृह मंत्रालय), आरटीआई आवेदन/प्रथम अपील ऑनलाइन (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग) केन्द्रीकृत लोक शिकायत निवारण और अनुवीक्षण प्रणाली (सीपीग्राम्स), अनुवर्ती कार्रवाई की निगरानी हेतु ऑनलाइन प्रणाली (ई–समीक्षा) (सीएस), इंडिया कोड पोर्टल, ई–सुविधा, विदेश यात्रा प्रबंधन प्रणाली, सरकारी ई–मार्केटिंग पोर्टल, पीएफएमएस (सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली) भारी उद्योग विभाग द्वारा प्रचालित हो रहे हैं।

10.3.7 वीडियो कान्फ्रैंसिंग

आंतरिक रूप से चर्चाओं को प्रभावी और कुशल बनाने के लिए, अंतर–मंत्रालयी तथा वाह्य स्तर पर भी भारी उद्योग विभाग में वीडियो कान्फ्रेंसिंग व्यवस्था को प्रचालित किया गया है।

वर्ष 2020–21 के दौरान (7 दिसंबर,2020 तक), प्रगति मासिक बैठकों के अलावा, 336 घंटों के 191 वीडियो कांफ्रेंस, 280 डेस्कटॉप/वेबरुम–आधारित वीडियो कांफ्रेंस (जिनमें 977 घंटों में 1270 सहभागी शामिल हुए) के अलावा भी लगभग 60 अन्य वेब सत्र आयोजित किये गये। महामारी के दौरान सभी महत्वपूर्ण बैठकें वर्चुअल स्तर पर आयोजित की गईं।

10.3.8 आईसीटी अवसंरचना

नवीनतम सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए अनुभागों से साथ–साथ अधिकारियों के स्तर पर भी नए हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर/सहायक उपकरण शामिल किए गए हैं ताकि कार्य–निष्पादन बेहतर किया जा सके। भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी सुरक्षा दिशा–निर्देशों के अनुसार, और अधिक फॉयरवाल, प्रबंधनीय नेटवर्क उपकरण लगाकर साइबर सुरक्षा के विविध उपाय किए गए हैं। लैन/वैन/ईमेल/वाईफाई सेवाओं को वायरस–मुक्त बनाना सुनिश्चित करने के लिए स्वचालित पैच प्रबंधन और वायरस पहचान सिस्टम को भी उन्नत किया गया है। डेस्कटॉप बीएएस उपकरण (38X), टैबलेट (6X) आधारित बीएएस उपकरण भी स्थापित और सक्रिय किये गये हैं।

10.3.9 सोशल मीडिया

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार, भारी उद्योग विभाग का एक आधिकारिक ट्विटर खाता (@heindustry) शुरू किया गया है और इसका भारी उद्योग विभाग द्वारा अनुरक्षण किया जा रहा है। यह प्रत्यक्ष मंच और उद्योग/नागरिकों के बीच आपस में अधिक प्रभावी रूप में सूचना साझा करने में सहायक होगा।

10.3.10 भारी उद्योग विभाग के सीपीएसईज में आईटी

सभी सीपीएसईज को अपनी आईसीटी अवसंरचना को आईपीवी 6 के अनुरुप उन्नत करने को कहा गया है। अधिकतर सीपीएसईज के पास स्वयं के डोमेन नाम हैं और उन्होंने अपनी प्रगति का प्रचार–प्रसार करने के लिए अपनी वेबसाइट शुरु की है। उनके वेब लिंक्स भारी उद्योग विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। वीसी बैठकों और सम्मेलनों का आयोजन करने के उद्देश्य से कुछ सीपीएसईज ने पहले ही वीसी स्टूडियो स्थापित कर चुके हैं। कुछ के पास एनआईसी डेस्कटॉप वीसी सुविधा मौजूद है जिनमें वे आंतिरक बैठकों का भी आयोजन किया करते थे। सबको ऑनलाइन ई–गवर्नेंस अनुप्रयोगों के साथ जुड़ने के अनुदेश दिए गए हैं, जैसे ई–टेंडरिंग, सरकारी ई–मार्केट, पीएफएमएस आदि। छह सीपीएसईज अधिक उन्नत वीसी स्टूडियो से सज्जित हैं। ईपीआईएल और नेट्रिप पहले से ही एनआईसी की ई–मेल सेवा से जुड़े हैं। नेपा और ईपीआईएल अपनी साइटों को पहले ही से मेघराज क्लाउड पर होस्ट कर रहे हैं। बीएचईएल ने ई–ऑफिस का कार्यान्वयन सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। सभी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उद्यमों को खरीद–बिक्री के लिए ऑनलाइन विपणन पोर्टल जीईएम का उपयोग करने को प्रोत्साहित किया जाता है।

10.4 अंतरराष्ट्रीय सहयोग

उद्योग में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के समावेश के उद्देश्य से भारी उद्योग विभाग ने विभिन्न देशों के साथ सहयोग किया और निम्नलिखित अंतरराष्ट्रीय बैठकों/संगोष्ठियों/सम्मेलनों में भाग लिया:

सचिव, भारी उद्योग विभाग ने स्विट्ज़रलैंड के दावोस में 20–24 जनवरी, 2020 तक आयोजित विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक में हिस्सा लिया। यह दौरा उद्योग 4.0 की स्थिति के संबंध में अग्रणी वैश्विक विनिर्माताओं के साथ विमर्श और ज्ञानार्जन का एक अत्यन्त उपयोगी अवसर था। ऑटोमोबाइल और पूंजीगत वस्तु क्षेत्र में अग्रणी मुख्य कार्यकारी अधिकारियों तथा वैश्विक उद्यमियों के साथ बैठकों के दौरान इस अवसर का

उपयोग भारत में निवेश आमंत्रित करने के लिए भी किया गया।

पूंजीगत वस्तु क्षेत्र के लिए निवेश आमंत्रण

भारत में पूंजीगत वस्तु क्षेत्र में निवेश आमंत्रित करने और आत्मनिर्भर भारत के लिए भारी उद्योग विभाग ऐसे देशों में अपने मिशनों तक पहुंच बनाता रहा है, भारी मशीनरी के निर्माण में जिन्हें प्रतिस्पर्धात्मक लाभ है।

चूंकि जापान पूंजीगत वस्तुओं के मामले में विश्व में अग्रणी विनिर्माता है, अतः, तोक्यो स्थित भारतीय दूतावास और विभाग ने ''भारत में पूंजीगत वस्तु क्षेत्र में निवेश अवसर'' विषय पर 24 जून,2020 के वेबिनार के लिए जापान और भारत में पूंजीगत वस्तु उद्योगों को संयुक्त रुप से आमंत्रित किया। इस पर अच्छी प्रतिक्रिया रही और जापान तथा भारत से लगभग 150 पूंजीगत वस्तु कंपनियों ने इसमें हिस्सेदारी की। वेबिनार के बाद भारतीय और जापानी कंपनियों के बीच परस्पर संवाद भी हुआ।

जापान के अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्रालय(मेटी) और जापान विदेश व्यापार संगठन (जेट्रो) ने इसमें भागीदारी की और दोनों देशों के उद्योगपतियों तथा उद्योग संगठनों को संबोधित किया। भारी उद्योग सचिव और हमारे राजदूत ने सहभागियों को संबोधित किया जिसके पश्चात् निवेश के कई अवसरों को प्रस्तुत किया गया।

उनके विशेष प्रोत्साहनों पर इन क्षेत्रों और निवेश अवसरों पर महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक और हरियाणा राज्य सरकारों ने भी अपनी प्रस्तुतियां दीं। इन्वेस्ट इंडिया और भारतीय उद्योग संघों ने भी निवेश पर अपनी बात रखी।

वेबिनार के उपरान्त विभाग ने पूंजीगत वस्तुओं के अग्रणी विनिर्माताओं से साथ एक–एक कर कई बैठकें कीं जिनमें उन्होंने भारत में निवेश में रुचि अभिव्यक्त की। विभाग अलग–अलग बैठकों के माध्यम से उन्हें सहयोग दे रहा है और उनका संबंधित राज्य सरकारों से भी परिचय कराया गया है।

भारतीय दूतावास ने इलेक्ट्रिक वाहनों के क्षेत्र में सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों को प्रदर्शित करने और इलेक्ट्रिक वाहनों, इलेक्ट्रिक वाहन पुर्जों तथा उन्नत केमिस्ट्री सेल (एसीसी) के क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास तथा विनिर्माण हेतु सहयोग के क्षेत्रों की पहचान के लिए 5 अगस्त,2020 को ''भारत–जापान वेबिनार ऑन इलेक्ट्रिकल वीइकल सेक्टरः चैलेंजेज एंड एम जग अपॉर्च्युनिटीज'' का आयोजन किया। इस वेबिनार में जापान और भारत के अग्रणी मूल उपकरण विनिर्माताओं ने भागीदारी की।

10.5 स्वच्छ भारत अभियानः

स्वच्छता संबंधी जागरुकता और स्वच्छ भारत अभियान के कार्यान्वयन का विभाग के वरिष्ठ अधिकारी लगातार अनुवीक्षण कर रहे हैं। विभाग में 16.08.2020 से 31.08.2020 तक स्वच्छता पखवाड़ा मनाया गया ताकि स्वच्छता के प्रति उत्तरदायित्व की भावना बढ़े।

अध्याय 11

सूचना का अधिकार

11.1 भारी उद्योग विभाग में सूचना का अधिकार अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों और भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग और केन्द्रीय सूचना आयोग द्वारा जारी अनुदेशों को कार्यान्वित किया गया है। विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में, आरटीआई अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए अलग लोक प्राधिकारी रखने के भी आदेश दिए गए हैं।

11.2 कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा शुरू किया गया "आरटीआई ऑनलाइन" वेब पोर्टल 18.07.2013 से भारी उद्योग विभाग में प्रचालित है। अवर सचिव अथवा समकक्ष स्तर के सभी अधिकारियों को सीपीआईओ पदनामित किया गया है तथा निदेशक/उप–सचिव अथवा समकक्ष स्तर के सभी अधिकारियों को आरटीआई अधिनियम के तहत प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के रूप में पदनामित किया गया है। इसके अतिरिक्त, आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 4(1)(बी) के अनुरूप विभाग की वेबसाइट पर सूचना का स्वतः प्रकटीकरण सुनिश्चित करने के लिए निदेशक/उप–सचिव रैंक के अधिकारी को पारदर्शिता अधिकारी के रूप में पदनामित किया गया है।

11.3 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1)(बी) के अनुसार सूचना के स्वतः प्रकटीकरण के कार्यान्वयन हेतु कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा टॉस्क फोर्स की सिफारिशों के आधार पर जारी दिशा–निर्देशों पर विभाग में कई कदम उठाए गए हैं ताकि विभाग की वेबसाइट पर सूचना स्वतः प्रकट और अद्यतन हो सके। सक्रिय रूप से तुरंत प्रकटीकरण संबंधी दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त सचिव रैंक के एक अधिकारी को नोडल अधिकारी के रूप में पदनामित किया गया है।

11.4 आरटीआई आवेदनों/अपीलों के प्रभावी और तत्काल निपटान के लिए सरकार ने सीपीएसईज/स्वायत निकायों को डीओपीटी के 'आरटीआई ऑनलाइन' पोर्टल से जोड़ने का निर्णय लिया था। सरकार के इस फैसले के क्रियान्वयन के एक भाग के रूप में, भारी उद्योग विभाग के नियंत्रणाधीन सीपीएसईज के आरटीआई मामलों से सम्बन्धित नोडल अधिकारियों को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के माध्यम से आवश्यक प्रशिक्षण दिलाया गया है।

11.5 विभाग में उपयोग में लाई जाने वाली मुद्रित लेखन–सामग्री पर आरटीआई का लोगो लगाया जा रहा है। भारी उद्योग विभाग और इसके नियंत्रणाधीन सीपीएसईज में सीआईसी को तिमाही आरटीआई विवरण ऑनलाइन उपलब्ध कराया गया।

11.6 विभाग में वर्ष 2019–20 के दौरान, आरटीआई के तहत 678 आवेदन और 33 अपीलें प्राप्त हुईं जिनमें से 655 आवेदनों और 30 अपीलों का निपटान किया गया। 01.01.2020 से 31.12.2020 की अवधि में, 659 आवेदन और 47 अपीलें प्राप्त हुईं, जिनमें से 621 आवेदनों और 45 अपीलों का निपटान किया गया।

अनुबंध–I

भारी उद्योग विभाग को कार्य–आवंटन
प्रशासन अनुभाग के संबंध में सूचना

भारी उद्योग विभाग, उद्योग मंत्रालय का एक विभाग हुआ करता था। 15 अक्टूबर, 1999 से एक अलग मंत्रालय अर्थात् भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय सृजित किया गया। इस मंत्रालय में भारी उद्योग विभाग और लोक उद्यम विभाग हैं। भारी उद्योग विभाग निम्नलिखित कार्य मदों को देखता है:–

(क)	**केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के निम्नलिखित उद्यमों से संबंधित कार्य:–**
1.	हेवी इंजीनियरिंग कार्पोरेशन लिमिटेड
2.	इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड
3.	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड
सहायक कंपनियां:	
(i)	बीएचईएल इलेक्ट्रिकल मशीन्स लिमिटेड
संयुक्त उद्यम	
(i)	एनटीपीसी बीएचईएल पावर प्रोजेक्ट्स (प्रा.) लिमिटेड
4.	एचएमटी लिमिटेड
सहायक कंपनियां:	
(i)	एचएमटी (इंटरनेशनल) लिमिटेड
(ii)	एचएमटी (मशीन्स टूल्स) लिमिटेड
5.	स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड
6.	एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड
सहायक कंपनियां:	
(i)	हुगली प्रिंटिंग कंपनी लिमिटेड
7.	सीमेन्ट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
8.	हिन्दुस्तान पेपर कार्पोरेशन लिमिटेड
सहायक कंपनियां:	
(i)	नागालैण्ड पल्प एंड पेपर कंपनी लिमिटेड
(ii)	हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड
(iii)	जगदीशपुर पेपर मिल्स लिमिटेड
9.	हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड
सहायक कंपनी:	
(i)	सांभर साल्ट्स लिमिटेड
10.	राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेन्ट्स लिमिटेड
11.	नेपा लिमिटेड
12.	ब्रेथवेट, बर्न एंड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड
13.	भारत पंप्स एण्ड कंप्रेशर्स लिमिटेड
14.	रिचर्डसन एंड क्रूडास (1972) लिमिटेड
15.	ब्रिज एंड रूफ कंपनी (इंडिया) लिमिटेड

परिसमाप्त/परिसमापनाधीन, समाप्त/समापनाधीन/बंद/बंदी प्रक्रियाधीन और अन्य विभागों/संगठनों को हस्तांतरित केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के सार्वजनिक क्षेत्रक उद्यम/सहायक कंपनियां/इकाइयां:

1.	भारत ऑप्थैल्मिक ग्लास लिमिटेड
2.	भारत लैदर कार्पोरेशन लिमिटेड
3.	टैनरी एण्ड फुटवियर कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड
4.	रिहैबिलिटेशन इंडस्ट्रीज कार्पोरेशन
5.	भारत यंत्र निगम लिमिटेड
6.	नेशनल बाइसिकल कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड
7.	नेशनल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड
8.	माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कार्पोरेशन लिमिटेड
9.	साइकिल कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड
10.	जेसप एण्ड कंपनी लिमिटेड
11.	लगन जूट मशीनरी कंपनी लिमिटेड
12.	रेरॉल बर्न लिमिटेड
13.	वेबर्ड (इंडिया) लिमिटेड
14.	भारत ब्रेक्स एण्ड वाल्व्स लिमिटेड
15.	भारत प्रोसेस एण्ड मैकेनिकल इंजीनियर्स लिमिटेड
16.	मांडया नेशनल पेपर मिल्स लिमिटेड
17.	टायर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
18.	त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड
19.	एचएमटी (बेयरिंग्स) लिमिटेड
20.	एचएमटी (वाचेज) लिमिटेड
21.	एचएमटी (चिनार वाचेज) लिमिटेड
22.	एचएमटी लिमिटेड– (केवल ट्रैक्टर डिवीजन, पिंजौर)
23.	तुंगभद्रा स्टील प्लांट्स लिमिटेड
24.	हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड
25.	हिन्दुस्तान फोटोफिल्म्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड
26.	इंस्ट्रूमेन्टेशन लिमिटेड (कोटा इकाई– बंद होने की प्रकिया में है और पलक्काड़ इकाई –संबंधित राज्य सरकार को हस्तांतरणाधीन)
ख)	**स्वायत्त निकाय:**
i)	फ्लूइड कंट्रोल रिसर्च इंस्टिट्यूट (एफसीआरआई)
ii)	दी ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एआरएआई)
iii)	नेट्रिप इंप्लीमेंटेशन सोसाइटी (नेशनल ऑटोमोटिव टेस्टिंग एण्ड रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के कार्यान्वयन हेतु)
iv)	नेशनल ऑटोमोटिव बोर्ड (एनएबी)
v)	सेन्ट्रल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नालॉजी इंस्टिट्यूट (सीएमटीआई)
(ग)	**अन्य विषय:**
1	सभी उद्योगों के लिए भारी इंजीनियरिंग उपकरण का विनिर्माण
2	हैवी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज
3	मशीन टूल्स और इस्पात संयंत्र उपकरण सहित मशीनरी उद्योग
4	ट्रैक्टर और अर्थमूविंग उपकरण सहित ऑटो उद्योग
5	सभी प्रकार के डीजल इंजन
6	डेवलपमेंट काउंसिल फॉर ऑटोमोबाइल एण्ड एलाइड इंडस्ट्रीज
7.	इलेक्ट्रिकल कंस्ट्रक्शन कंपनी (भारत सरकार और लीबिया सरकार का संयुक्त उद्यम)

अनुबंध–I(क)

भारी उद्योग विभाग के अंतर्गत केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की सूची (विनिवेश/बंद किए जाने की स्थिति सहित)

क्र.सं.	केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उद्यम (सीपीएसई) का नाम	सीपीएसई की स्थिति
1	एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड (एवाईसीएल)	...
2	भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, (बीएचईएल)	महारत्न
3	भारत पंप्स एंड कंप्रेसर्स लिमिटेड, (बीपीसीएल)	बंद होने की प्रक्रिया में है
4	बीएचईएल–इलेक्ट्रिकल मशीन्स लिमिटेड (बीएचईएल–ईएमएल)	...
5	ब्रेथवेट, बर्न एंड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (बीबीजे)	...
6	ब्रिज एंड रूफ कंपनी लिमिटेड, (बीएण्डआर)	मिनिरत्न
7	सीमेंट कार्पोरेशन ऑफ इंड़िया लि–(सीसीआई)	...
8	इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स इंडिया लिमिटेड (ईपीआई)	मिनिरत्न
9	एचएमटी इंटरनेशनल लिमिटेड	मिनिरत्न
10	एचएमटी लिमिटेड	...
11	एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड	...
12	हैवी इंजीनियरिंग कार्पोरेशन लिमिटेड (एचईसी)	–––
13	हिन्दुस्तान केबल्स लि., (एचसीएल)	बंद होने की प्रक्रिया में है
14	हिन्दुस्तान न्यूजप्रिण्ट लि.	आईबीसी प्रक्रियाधीन
15	हिन्दुस्तान पेपर कार्पोरेशन लि–(एचपीसी)	आईबीसी प्रक्रियाधीन
16	हिन्दुस्तान फोटोफिल्म्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड (एचपीएफ)	परिसमापनाधीन
17	हिन्दुस्तान साल्ट्स लि., (एचएसएल)	–––
18	एचएमटी बेयरिंग लि.	बंद होने की प्रक्रिया में है
19	एचएमटी चिनार वाचेज लि.	बंद होने की प्रक्रिया में है
20	एचएमटी वाचेज लि.	बंद होने की प्रक्रिया में है
21	हुगली प्रिंटिंग कंपनी लिमिटेड (हुगली)	एवाईसीएल के साथ विलय किया जा रहा है
22	इंस्ट्रूमेंटेशन लि. (आईएलके)	बंद होने की प्रक्रिया में है
23	नेपा लिमिटेड (नेपा)	–––
24	नगालैंड पल्प एंड पेपर कंपनी लिमिटेड (एनपीपीसी)	–––
25	राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड इंस्ट्रूमेंट्स लि. (आरईआईएल)	मिनिरत्न
26	रिचर्डसन एंड क्रुडास लि–(आरएण्डसी)	–––
27	सांभर साल्ट्स लि. (एसएसएल)	–––
28	स्कूटर्स इण्डिया लिमिटेड (एसआईएल)	बंद होने की प्रक्रिया में है
29	तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लि– (टीएसपीएल)	बंद होने की प्रक्रिया में है

अनुबंध II

भारी उद्योग विभाग के अंतर्गत केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रमों की सूची (लाभ अर्जक/घाटे में चल रहे/परिसमापनाधीन)

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम
	लाभ अर्जक सीपीएसईज
1	इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लि.
2	ब्रेथवेट, बर्न एंड जेसोप कंस्ट्रक्शन लि.
3	एचएमटी लि.
4	एचएमटी (इंटरनेशनल) लिमिटेड (एचएमटी लि.) की सहायक कंपनी)
5	रिचर्डसन और क्रुडास (1972) लिमिटेड
6	ब्रिज एंड रूफ कंपनी (इंडिया) ल.
	घाटे में चल रहे सीपीएसईज
1	एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड (एचएमटी) लिमिटेड की सहायक कंपनी)
2	राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लि.
3	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लि.
4	नेपा लिमिटेड
5	हिंदुस्तान साल्ट्स लिमिटेड (एचएसएल)
6	सांभर साल्ट्स लिमिटेड (एचएसएल की सहायक कंपनी)
7	एंड्रयू यूल एंड कंपनी लि.
8	हेवी इंजीनियरिंग निगम लिमिटेड
9	भारतीय सीमेंट निगम लिमिटेड
10	स्कूटर्स इंडिया लि.
11	भारत पंप्स एंड कम्प्रेशर्स लिमिटेड
	प्रचालनरुद्ध सीपीएसईज
1	हिंदुस्तान पेपर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईबीसी के प्रक्रियाधीन)
2	नागालैंड पल्प एंड पेपर कंपनी लिमिटेड (एचपीसी लिमिटेड की सहायक कंपनी–आईबीसी के प्रकियाधीन)
3	हिंदुस्तान न्यूज़प्रिंट्स लिमिटेड (एचपीसी लिमिटेड की सहायक कंपनी–आईबीसी के प्रकियाधीन)
4	भेल–ईएमएल (भेल की सहायक कंपनी)

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम
5	हुगली प्रिंटिंग कंपनी लिमिटेड (एवाईसीएल की सहायक कंपनी, एवाईसीएल के साथ विलय प्रक्रियाधीन)
	बंदीकरण के अधीन सीपीएसईज
1	एचएमटी वाचेज लिमिटेड (एचएमटी) लि. की सहायक कंपनी)
2	एचएमटी चिनार वाचेज लिमिटेड (एचएमटी लि.की सहायक कंपनी)
3	इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड
4	एचएमटी बेयरिंग्स लिमिटेड (एचएमटी लि. की सहायक कंपनी)
5	हिंदुस्तान केबल्स लि.
6	तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लि.
7	हिंदुस्तान फोटो फिल्म्स लि.
	एचएमटी लिमिटेड का ट्रैक्टर डिवीजन भी बंदी प्रक्रियाधीन है
	परिसमापनाधीन सीपीएसईज
1	रेरोल बर्न लि.
2	टायर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.
3	भारत ऑप्थेल्मिक ग्लास लि.
4	वेबर्ड (इंडिया) लिमिटेड
5	माइनिंग एंड अलायड मशीनरी कॉरपोरेशन लिमिटेड
6	भारत प्रोसेस एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग लिमिटेड
7	भारत ब्रेक्स एंड वाल्व्स लि.
8	साइकल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लि.
9	रीहैबिलिटेशन इंडस्ट्रीज लिमिटेड
10	भारत यंत्र निगम लि.
11	त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड
12	टैनरी एंड फुटवियर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
13	भारत लेदर कॉरपोरेशन लिमिटेड
14	राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लि.

01.01.2021 की स्थिति के अनुसार संगठन चार्ट

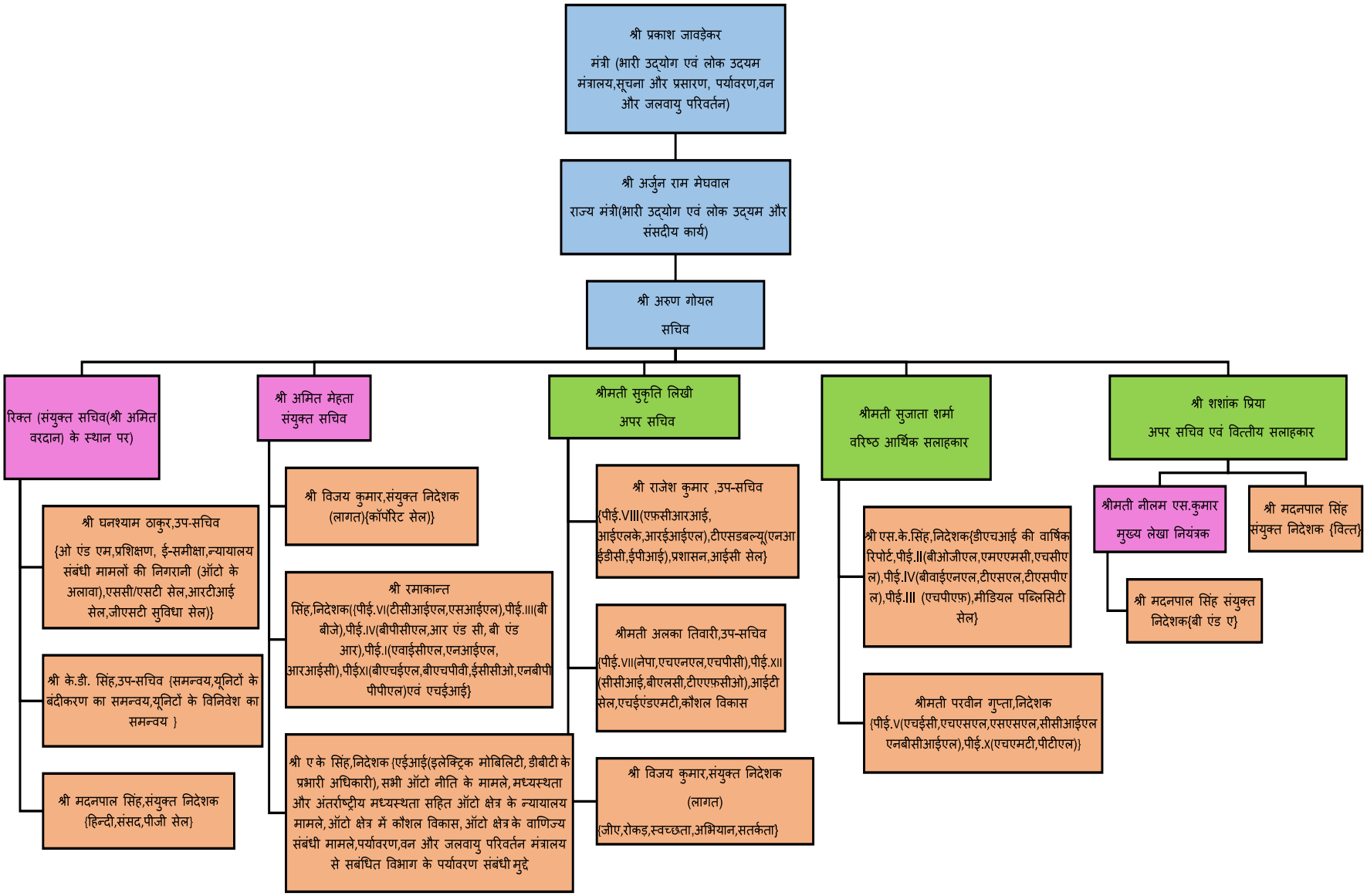

अनुबंध–IV

भारी उद्योग विभाग के अधीन सीपीएसई के बारे में सामान्य जानकारी

क्र.सं.	सीपीएसई का नाम और पंजीकृत कार्यालय का स्थान	सीपीएसई का स्थापना वर्ष	31.3.2020 की स्थिति के अनुसार सकल खंड (करोड़ रुपए में)
1	एंड्रयू यूल एंड कं. लिमि. (एवाई एंड सीएल), कोलकाता	1919	204.80
2	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमि. (भेल),, नई दिल्ली	1964	6,645.00
3	ब्रेथवेट, बर्न एंड जेसोप कंस्ट्रक्शन कं. लिमि. (बीबीजे),कोलकाता	1987	22.46
4	भारत पंप्स एंड कंप्रेशर्स लिमि. (बीपीसीएल), कोलकाता	1970	105.43
5	रिचर्डसन एंड क्रुडास (1972) लिमि. (आर एंड सी), मुंबई	1973	29.27
6	ब्रिज एंड रुफ कं. (इंडिया) लिमि., (बी एंड आर), कोलकाता	1920	110.68
7	हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमि. (एचईसी), रांची	1958	393.77
8	एचएमटी लिमिटेड (होल्डिंग कंपनी), बेंगलूरु	1953	143.60
9	एचएमटी (मशीन टूल्स) लिमि., बेंगलूरु	1999	352.37
10	एचएमटी (इंटरनेशनल), बेंगलूरू	1974	8.32
11	राजस्थान इलेक्ट्रोनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमि.(आरईआईएल), जयपुर	1981	57.12
12	स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड (एसआईएल), लखनऊ	1972	73.63
13	सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमि. (सीसीआई), नई दिल्ली	1965	728.82
14	हिंदुस्तान साल्ट्स लिमि.(एचएसएल), जयपुर	1958	16.66
15	सांभर साल्ट्स लिमिटेड (एसएसएल), जयपुर	1964	48.40
16	नेपा लिमिटेड (नेपा) नेपा नगर	1947	107.62
17	इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमि. (ईपीआई), नई दिल्ली	1970	27.27
	कुल		**9,075.22**

अनुबंध–V

31.3.2020 की स्थिति के अनुसार भारी उद्योग विभाग के अधीन केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उद्यमों में अ.जा., अ.जजा. और अ.पि.व. सहित नियोजन स्थिति

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	कर्मचारियों की कुल संख्या				कर्मचारियों की संख्या			
		कार्यकारी	पर्यवेक्षक	कामगार/ अन्य	कुल	अ.जा.	अ.जजा.	अ.वि.प.	पी. डबल्यू. डी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	एवाईसीएल	185	93	14328	14606	1313	4062	7849	23
2	बीएचईएल	10209	6312	17231	33752	6950	2463	11632	890
3	बीबीजे	49	6	45	100	8	0	5	0
4	बीपीसीएल	46	15	109	170	32	1	43	1
5	आर एंड सी	5	1	3	9	0	0	4	0
6	बी एंड आर	667	293	202	1162	151	9	81	19
7	एचईसी	622	102	697	1421	313	316	297	15
8	एचएमटी (होल्डिंग कं.)	36	1	46	83	14	2	16	2
9	एचएमटी (एमटी)	286	21	620	927	196	43	276	13
10	एचएमटी (इंटरनेशनल)	23	0	0	23	1	1	5	0
11	आरईआईएल	87	65	84	236	47	9	50	4
12	एसआईएल	67	4	508	579	136	2	211	0
13	सीसीआई	151	134	219	504	74	38	112	2
14	एचएसएल	16	19	49	84	12	2	20	2
15	एसएसएल	10	15	51	76	19	4	25	1
16	एनईपीए	119	154	65	338	23	4	36	0
17	ईपीआईएल	264	36	3	303	50	11	58	2
	कुल	**12842**	**7271**	**34260**	**54373**	**9339**	**6967**	**20720**	**974**

अनुबंध–VI

भारी उद्योग विभाग के अधीन केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का उत्पादन निष्पादन

(रुपए करोड़ में)

क्र. सं.	केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम का नाम	2017–18 (वास्तविक)	2018–19 (वास्तविक)	2019–20 (वास्तविक)	2020–21 (अनुमानित)	2021–22 (अंनतिम)
1	2	3	4	5	6	7
1	एवाईसीएल	354.29	302.78	297.28	347.25	427.00
2	बीएचईएल	27,580.00	29,423.00	20,491.00	18,000.00	26,200.00
3	बीबीजे	72.28	104.99	129.02	125.00	140.00
4	बीपीसीएल	76.28	54.56	63.70	90.00	0.00
5	आरएण्डसी	17.00	13.00	9.20	5.00	5.00
6	बीएण्डआर	2,048.24	3,074.64	3,244.17	2,900.00	2,900.00
7	एचईसी	399.02	356.21	132.68	301.26	503.43
8	एचएमटी (धारक कंपनी)	12.05	17.01	20.99	22.50	24.50
9	एचएमटी (एमटी)	163.15	238.83	213.42	181.00	200.00
10	एचएमटी (इंटरनेशनल)	24.95	57.07	67.15	36.00	55.00
11	आरईआईएल	242.88	269.31	110.19	230.00	270.00
12	एसआईएल	31.08	66.92	58.97	0.77	0.00
13	सीसीआई	321.45	276.66	247.62	416.80	434.81
14	एचएसएल	6.88	7.93	3.38	8.21	12.00
15	एसएसएल	20.62	17.81	22.76	29.50	39.00
16	नेपा	0.00	0.00	0.00	244.80	320.00
17	ईपीआईएल	1,607.41	1,791.05	1,336.59	1,200.00	1,800.00
	कुल	**32,977.58**	**36,071.77**	**26,448.12**	**24,138.09**	**33,330.74**

अनुबंध–VII

भारी उद्योग विभाग के अधीनस्थ सीपीएसई का (कर–पूर्व) लाभ (+) हानि (–)

(रुपए करोड़ में)

क्र. सं.	केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम का नाम	2017–18 (वास्तविक)	2018–19 (वास्तविक)	2019–20 (वास्तविक)	2020–21 (अनुमानित)	2021–22 (अंनतिम)
1	2	3	4	5	6	8
(क) लाभ में चल रहे सीपीएसई						
1	बीबीजे	4.62	1.60	2.28	25.50	7.00
2	आरएण्डसी	16.45	23.78	24.06	25.00	26.00
3	बीएण्डआर	26.07	51.42	50.92	29.00	31.90
4	एचएमटी (धारक कंपनी)	-7.17	17.25	248.18	31.45	28.00
5	एचएमटी (इंटरनेशनल)	0.14	1.51	2.71	1.11	2.24
6	ईपीआईएल	1.71	-29.62	7.94	-6.00	20.50
(क) लाभ में चल रही कंपनियों का उप–योग		**41.82**	**65.94**	**336.09**	**106.06**	**115.64**
(ख) घाटे में चल रहे सीपीएसई						
1	एवाईसीएल	23.57	10.51	-21.25	7.49	0.40
2	वीएचईएल	1,585.00	2,047.00	-662.00	-2,449.00	-870.00
3	बीपीसीएल	-46.30	-38.42	-26.99	-11.25	0.00
4	एचईसी	446.00	-93.67	-405.37	-263.81	-164.24
5	एचएमटी (मशीन टूल्स)	-125.42	-74.80	-102.90	-133.70	-130.85
6	आरईआईएल	6.22	14.36	-27.56	5.18	7.00
7	एसआईएल	-18.70	-5.09	-16.01	-1.50	0.00
8	सीसीआई	17.99	6.35	-50.94	27.07	31.17
9	एचएसएल	1.84	1.26	-1.85	0.60	1.00
10	एसएसएल	-2.58	-10.83	-2.59	-1.04	2.30
11	नेपा	30.12	-77.78	-71.25	-23.08	-15.08
(ख) घाटे में चल रही कंपनियों का उप–योग		**1,917.74**	**1,778.89**	**-1,388.71**	**-2,843.04**	**-1,138.30**
सकल योग (क और ख)		**1,959.56**	**1,844.83**	**-1,052.62**	**-2,736.98**	**-1,022.66**

अनुबंध–VIII

भारी उद्योग विभाग के अधीन केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के कारोबार के प्रतिशत के रूप में वेतन/ मजदूरी बिल और सामाजिक उपरिव्यय

		कारोबार के प्रतिशत के रूप में वेतन और मजदूरी					कारोबार के प्रतिशत के रूप में सामाजिक उपरिव्यय				
क्र.सं.	केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम का नाम	2017–18 (वास्तविक)	2018–19 (वास्तविक)	2019–20 (वास्तविक)	2020–21 (पूर्वानुमान)	2021 –22 (अंनतिम)	2017–18 (वास्तविक)	2018–19 (वास्तविक)	2019–20 (वास्तविक)	2020–21 (पूर्वानुमान)	2021 –22 (अंनतिम)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	एवाईसीएल	45.88	53.66	59.00	47.60	43.00	4.89	5.80	5.21	4.80	4.50
2	बीएचईएल	21.00	19.00	26.00	32.00	22.00	2.70	2.60	3.50	4.10	2.80
3	बीबीजे	21.77	19.27	18.39	18.96	14.79	0.87	0.62	0.38	0.24	0.21
4	बीपीसीएल	64.60	46.77	39.47	28.89	0.00	1.35	1.88	1.34	1.00	0.00
5	आरएण्डसी	2.68	3.75	7.14	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	बीएण्डआर	8.29	6.94	8.21	9.76	10.52	1.94	0.99	1.02	1.21	1.24
7	एचईसी	29.12	34.75	93.22	41.06	25.85	2.39	2.65	8.73	3.51	2.20
8	एचएमटी (धारक कंपनी)	77.00	48.00	50.00	39.00	37.00	4.00	3.00	3.00	3.00	2.00
9	एचएमटी (एमटी)	67.00	44.00	49.00	51.00	50.00	10.00	7.00	10.00	10.00	9.00
10	एचएमटी (इंटरनेशनल)	11.00	5.00	4.00	9.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	आरईआईएल	11.50	11.27	28.06	13.91	13.30	2.32	1.49	3.72	1.74	1.50
12	एसआईएल	46.15	34.94	28.90	22.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	सीसीआई	15.32	16.00	16.32	9.44	9.60	6.87	8.02	8.06	4.66	4.74
14	एचएसएल	100.67	74.17	170.14	91.23	76.03	4.60	3.14	5.85	3.75	3.13
15	एसएसएल	41.10	32.55	28.15	25.16	22.58	3.77	3.04	2.55	2.68	2.41
16	नेपा	287.40	234.54	138.37	70.88	40.00	15.91	16.59	13.48	4.43	2.80
17	ईपीआईएल	4.12	3.83	5.06	4.59	4.25	0.77	0.43	0.43	0.39	0.36

अनुबंध–IX

भारी उद्योग विभाग के अधीनस्थ सीपीएसई में ऑर्डर बुक की स्थिति

(रुपए करोड़ में)

क्र. सं.	सीपीएसई	1.10.2017 के अनुसार	1.10.2018 के अनुसार	1.10.2019 के अनुसार	1.10.2020 के अनुसार
1	2	3	4	5	6
1	एवाईसीएल	141.69	161.78	120.93	109.39
2	बीएचईएल	97,090.00	115,532.00	108,603.00	107,645.00
3	बीबीजे	426.63	638.87	692.55	802.50
4	बीपीसीएल	105.54	88.80	46.44	43.51
5	आरएण्डसी	15.92	19.17	15.42	8.00
6	बीएण्डआर	4,903.49	7,216.54	8,160.70	9,884.01
7	एचईसी	1,056.24	863.02	1,138.33	1,131.40
8	एचएमटी (धारक कंपनी)	5.99	5.02	20.12	14.04
9	एचएमटी (एमटी)	72.90	144.81	120.48	80.53
10	एचएमटी (इंटरनेशनल)	4.38	80.90	85.08	47.18
11	आरईआईएल	167.86	129.43	173.86	63.29
12	एसआईएल*	0.00	0.00	0.00	0.00
13	सीसीआई	5.26	3.83	4.74	5.00
14	एचएसएल	3.63	5.06	0.70	4.16
15	एसएसएल	10.20	8.32	10.53	10.66
16	नेपा	0.00	0.00	0.00	0.00
17	ईपीआईएल	8,651.67	5,805.79	3,285.45	5,496.15
	योग	**112,661.40**	**130,703.34**	**122,478.33**	**125,344.82**

* स्टॉक एवं बिक्री के लिए माल उत्पादित किया जाता है इसलिए लागू नहीं है।

अनुबंध–X

भारी उद्योग विभाग के अधीनस्थ सीपीएसई के निर्यात निष्पादन की स्थिति

(रुपए करोड़ में)

क्र.सं.	सीपीएसई	2017–18 (वास्तविक)			2018–19 (वास्तविक)			2019–20 (वास्तविक)		
		वास्तविक	डिम्ड	कुल	वास्तविक	डिम्ड	कुल	वास्तविक	डिम्ड	कुल
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	एवाईसीएल	3.63	0.00	3.63	2.23	0.00	2.23	3.50	0.00	3.50
2	बीएचईएल	824.00	4,051.00	4,875.00	3,808.00	2,019.00	5,827.00	3,843.00	959.00	4,802.00
3	बीबीजे	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	बीपीसीएल	0.00	1.55	1.55	0.00	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00
5	आरएण्डसी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	बीएण्डआर	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	एचईसी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	एचएमटी (धारक कंपनी)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	एचएमटी (एमटी)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	एचएमटी (इंटरनेशनल)	2.13	0.00	2.13	2.35	0.00	2.35	2.91	0.00	2.91
11	आरईआईएल	0.19	0.00	0.19	0.04	0.00	0.04	0.07	0.00	0.07
12	एसआईएल*	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.10	0.46	0.00	0.46
13	सीसीआई	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	एचएसएल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	एसएसएल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	नेपा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	ईपीआईएल	795.45	0.00	795.45	1,116.15	0.00	1,116.15	714.10	0.00	714.10
	योग	**1,625.65**	**4,052.55**	**5,678.20**	**4,928.87**	**2,025.69**	**6,954.56**	**4,564.04**	**959.00**	**5,523.04**

अनुबंध–XI

31.3.2020 की स्थिति के अनुसार भारी उद्योग विभाग के अधीन केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की प्रदत्त पूंजी, निवल मूल्य और संचयी लाभ (+) /हानि (–)

(रुपए करोड़ में)

क्र.सं.	सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम का नाम	प्रदत्त पूंजी		निवल मूल्य	संचयी लाभ (+) / हानि (–)
		सरकारी/धारक सीपीएसई	अन्य		
1	2	3	4	5	6
1	एवाईसीएल	87.28	10.51	168.28	40.00
2	बीएचईएल	439.92	256.49	29,181.00	28,485.00
3	बीबीजे	120.86	0.00	206.52	85.66
4	बीपीसीएल	53.53	0.00	-213.61	-297.19
5	आरएण्डसी	156.61	0.00	214.55	-376.84
6	बीएण्डआर	54.63	0.36	377.75	322.76
7	एचईसी	606.08	0.00	-400.73	-1,096.69
8	एचएमटी (धारक कंपनी)	279.57	76.03	388.91	33.31
9	एचएमटी (मशीन टूल्स)	276.60	0.00	-1,535.17	-1,834.48
10	एचएमटी (इंटरनेशनल)	0.72	0.00	37.43	36.71
11	आरईआईएल	6.25	6.00	93.93	81.68
12	एसआईएल	81.92	5.35	50.02	-15.72
13	सीसीआई	811.41	0.00	-42.29	-833.50
14	एचएसएल	52.06	0.00	45.17	-15.13
15	एसएसएल	1.00	0.00	-48.23	-58.32
16	नेपा	279.73	15.63	-118.89	-490.81
17	ईपीआईएल	35.42	0.01	198.56	163.14
	योग	**3,343.59**	**370.38**	**28,603.20**	**24,229.58**

अनुबंध–XII

बीएचईएल राइट अप का ब्यौरा

(1) विद्युत क्षेत्र

1.1 वर्ष 2019–20 के दौरान प्राप्त प्रमुख आर्डर

चुनौतीपूर्ण कारोबारी माहौल के बावजूद, संगठन को विद्युत क्षेत्र में 13,784 करोड़ रुपये के आर्डर प्राप्त हुए हैं।

वर्ष में प्राप्त महत्वपूर्ण उपयोगिता आर्डर निम्नलिखित थे :

1.1.1 थर्मल

- 2X660 मेगावाट टीएचडीसीआईएल / खुर्जा (टीजी पैकेज)
- 3X660 मेगावाट एनपीजीसीएल / नबीनगर एसटीपीपी (एफजीडी पैकेज)
- 4X250 मेगावाट बीआरबीसीएल / नबीनगर (एफजीडी पैकेज)

1.1.2 हाइड्रो

- 3X27.5 मेगावाट केएसईबी / कुट्टीयाडी एचईपी (आरएमयू वर्क्स)
- 6X33 +1X8 मेगावाट पीएसपीसीएल / शाहपुर कंडी एचईपी (अतिरिक्त आर्डर)
- 1X70 मेगावाट टीएएनजीईडीसीओ / कोडयार एचईपी (आरएमयू)

1.1.3 न्यूक्लियर

- 2X1000 मेगावाट एनपीसीआईएल / कुडानकुलम 3 और 4
- 2X1000 मेगावाट एनपीसीआईएल / कुडानकुलम 3 और 4

1.2 वर्ष 2020–21 में सितम्बर 20 तक प्राप्त प्रमुख आर्डर

- वर्ष 2020–21 में सितम्बर 20 तक विद्युत क्षेत्र को विद्युत परियोजनाओं के लिये 3,822 करोड़ रुपये के आर्डर प्राप्त हुए।
- 2X500 मेगावाट एनटीपीएल / तुतीकोरिन टीपीएस के लिये एसओएक्स उत्सर्जन नियंत्रण हेतु एफजीडी आर्डर प्राप्त किये ।
- लिफ्ट सिंचाई योजना (एलआईएस) सहित 1,853 करोड़ रुपये (2,845 मेगावाट) की हाइड्रो परियोजनायें।

(2) उद्योग क्षेत्र

वर्ष 2019–20 के दौरान बीएचईएल ने उद्योग क्षेत्र में 8,757 करोड़ रुपये के आर्डर प्राप्त किये1

वर्ष 2020–21 के दौरान, बीएचइएल ने सितम्बर,2020 तक विभिन्न उत्पादों और प्रणालियों में 1,144 करोड़ रुपये के आर्डर प्राप्त किये।

प्राप्त आदेशों का सेगमेन्ट–वार विवरण निम्नलिखित है:

2.1 परिवहन

2.1.1 वर्ष 2019–20 के दौरान प्राप्त प्रमुख आर्डर

- 75 डब्लूएजी–9 एच इलैक्ट्रिक लोकोमोटिव के विनिर्माण और आपूर्ति के लिये भारतीय रेलवे से सम्मानजनक आदेश प्राप्त हुए।
- जेएसडब्ल्यू, डोलवी से पर्यावरण अनुकूल यूएस ईपीए टीआईईआर ।। के साथ से तीन एचपी डीईएसएल प्राप्त हुये, जिनका भारत में पहली बार विनिर्माण किया जाएगा।
- सीएलडब्लू, चितरंजन से 7775 केवीए के लिये एल्यूमीनियम टैंक के 2 सेट और 6531 केवीए रेटिंग ट्रांसफॉर्मर्स के लिये एल्यूमीनियम टैंक के 3 सेट की आपूर्ति की गई।

टीपी झाँसी में भारतीय रेलवे के लिये विनिर्माणाधीन डब्लूएजी 9 लोकोमोटिवस

2.1.2 वर्ष 2020–21 के दौरान सितम्बर 20 तक प्राप्त प्रमुख आर्डर

- सीएलडब्ल्यू, चितरंजन से 210 ट्रैक्शन मोटर्स (6 एफआरए 6068 प्रकार)
- सीएलडब्ल्यू, चितरंजन से आईजीबीटी आधारित पूर्ण प्रणोदन प्रणाली के 20 सेट
- सीएलडब्ल्यू, चितरंजन से 3 फेज के 6531 केवीए ट्रांसफॉर्मर के 45 सेट

2.2 ट्रांसमिशन

2.2.1 वर्ष 2019–20 के दौरान प्राप्त प्रमुख आर्डर

- कुल 48570 एमवीए के ट्रांसफोमर्स का अब तक का सबसे बड़ा आर्डर (सं. 247)
- कुल 15720 एमवीए तक के 765 केवीए ट्रांसमिशन सिस्टम में सभी मानक रेटिंग के लिये 765 केवीए ट्रांसफॉरमर्स और रियेक्टर्स के लिये प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से पावरग्रिड से पहली बार आर्डर प्राप्त हुए।

2.2.2 वर्ष 2020–21 के दौरान सितम्बर 2020 तक प्राप्त प्रमुख आर्डर

- भिलाई स्टील प्लांट से 75 ड्राई टाइप ट्रांसफॉरमर्स
- केन्द्रीय रेलवे विद्युतीकरण संगठन (सीओआरई) से, 30.24 एमवीए 110 केवीए के 8 ट्रैक्शन ट्रांसफॉरमर्स।

2.3 नवीकरणीय ऊर्जा

बीएचईएल ने वित्तीय वर्ष 2019–20 में नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) परियोजनाओं के लिये अभी तक के सबसे अधिक आर्डर प्राप्त किये हैं।

2.3.1 वर्ष 2019–20 के दौरान सितम्बर 2020 तक प्राप्त प्रमुख आर्डर

- भारत में सबसे बड़े एकल लोकेशन फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट में से एक के लिए ईपीसी आर्डर
- एनटीपीसी रामागुंडम 100 मेगावाट से 220 मेगावाट से अधिक की डीसी क्षमता के साथ फ्लोर्टिंग सोलर पोर्टफोलियो 152 मेगावाट तक पहुँच गया है जिससे बीएचईएल को भारत में फ्लोटिंग सोलर बाजार में सबसे बड़ा ईपीसी उद्यम बन रहा है।

2.4 जल व्यवसाय

2.4.1 वर्ष 2019–20 के दौरान तथा 2020–21 के दौरान सितम्बर 2020 तक प्राप्त उपलब्धियॉ :

- नेशनल एनवायरमेन्टल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट (एनईईआरआई) के साथ सहभागिता में बीएचईएल तेलीबंध लेक, रायपुर द्वारा फाइटोरिड आधारित सीवेज ट्रीटमेंट प्रोजेक्ट (एसटीपी) लागू की गई है जो निरन्तर सफलतापूर्वक परिणाम के साथ संचालित की जा रही है।
- सीएसआईआर द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित प्रौद्योगिकियों के वाणिज्यीकरण और कार्यान्वयन के लिये बीएचईएल ने सीएसआईआर के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

2.5 रक्षा और एयरोस्पेस

2.5.1 वर्ष 2019–20 के दौरान प्राप्त प्रमुख आर्डर

बीएचईएल ने डीआरडीओ से लिक्विड कूलिंग सिस्टम आधारित एयर साईकल मशीन के लिये विकास आर्डर प्राप्त किए है।

बीएचईएल द्वारा डिजाइन और निर्मित रक्षा अनुप्रयोगों हेतु 500 किलोवाट के मेन मोटर जनरेटर (एमएमजी) (एसी और डीसी मशीन का असेंम्बल)।

2.5.2 वर्ष 2020–21 के दौरान सितम्बर 2020 तक प्राप्त प्रमुख आर्डर

- कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड से स्वदेशी विमानवाहक (आईएसी) परियोजना 71 के लिए इंटीग्रेटेड प्लेटफार्म मैनेजमेन्ट सिस्टम (आईपीएमएस) के सॉफ्टवेयर का मोडिफिकेशन ।
- एयरोनॉटिकल डवलपमेन्ट ऐजेन्सी, रक्षा मंत्रालय से लाइट कॉम्बेट एयरक्राफ्ट (एलसीए)–एएफएमके 2 के एनवायरमेन्टल कंट्रोल सिस्टम (ईसीएस) के लिक्विड कूलिंग सिस्टम (एलसीएस) के लिये पम्प मॉड्यूल का डिजाइन और विकास हेतु आर्डर प्राप्त किए।

2.6 कैप्टिव पावर प्लांट

2..6.1 वर्ष 2019–20 के दौरान प्राप्त प्रमुख आर्डर :

- जीएनएफसी से ऊर्जा दक्ष टरबाइन हेतु पहला आर्डर प्राप्त हुआ।
- नये ग्राहक–गैलेन्ट इस्पात लिमिटेड और अंकुर उद्योग लिमिटेड से आर्डर प्राप्त हुए।

2.6.2 वर्ष 2020–21 के दौरान सितम्बर 2020 तक प्राप्त प्रमुख आर्डर

- एसएमसी पावर जनरेशन लिमिटेड से 40 मेगावाट के लूज टरबाइन की आपूर्ति।

2.7 औद्योगिक उत्पाद (तेल, गैस और विद्युत मशीन सहित)

2.7.1 वर्ष 2019–20 के दौरान प्राप्त प्रमुख आर्डर :

- आईओसीएल, पानीपत रिफाइनरी में पेट्रोकेमिकल कॉम्पलेक्स हेतु 7 मेगावाट ऐथीलेन गैस कम्प्रेसर हेतु सबसे पहला आर्डर प्राप्त हुआ।
- मैसर्स टोयो इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड से एचआरआरएल हेतु रिसाइकल गैस कम्प्रैसर के लिए अभी तक का पहला आर्डर प्राप्त हुआ।
- मैसर्स एलएण्डटी हाइड्रोकार्बन इंजीनियरिंग से एचपीसीएल वाइजैग पैकेज हेतु 23 हाई–टनेज प्रैशर वैसल के सबसे पहले थोक में आर्डर प्राप्त हुए।

2.7.2 वर्ष 2020–21 के दौरान सितम्बर 2020 तक प्राप्त प्रमुख आर्डर

- गेल, गंधार से गैस टरबाइन से चलने वाले नेचुरल गैस कम्प्रैसर की आपूर्ति।
- टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड से एचआरआरएल राजस्थान में वीजीओ एचडीटी यूनिट हेतु स्टीम टरबाइन से चलने वाले रिसाइकल गैस कम्प्रैसर की आपूर्ति।

2.8 ऊर्जा भंडारण समाधान समूह

2..8.1 वर्ष 2019–20 के दौरान प्राप्त प्रमुख आर्डर :

- प्रतिस्पर्धी निविदा के माध्यम से शहरी परिवहन निदेशालय, उत्तर प्रदेश से गोरखपुर शहर के लिये 12 एम की 2 लो फ्लोर एसी इलेक्ट्रिक बसों की आपूर्ति हेतु आर्डर ।

2.8.2 वर्ष 2020–21 के दौरान सितम्बर 2020 तक प्राप्त प्रमुख आर्डर

- एआईसी–ईएमपीआई (अटल इन्क्यूबेशन केन्द्र–एन्टरप्रिन्योरशिप एण्ड मैनेजमेन्ट प्रोसेस इन्टरनेशनल), नई दिल्ली से सोलर आधारित पार्किंग (25 किलोवाट) सह ईवी चार्जिंग स्टेशन (डीसी 001 की 1 और एसी 001 ईवी चार्जर)।

2.9 अन्तर्राष्ट्रीय संचालन

2..9.1 वर्ष 2019–20 के दौरान प्राप्त प्रमुख आर्डर

वर्ष 2019–20 के दौरान, बीएचईएल ने विदेश से निम्नलिखित आर्डर प्राप्त किये :

- 2X20 मेगावाट राहुघाट हाइड्रोइलैक्ट्रिक परियोजना के इलेक्ट्रो मैकेनिकल पैकेज, जो नेपाल से दूसरा उत्तरोत्तर आर्डर है। यह आर्डर रघुगंगा हाइड्रोपावर लिमिटेड (आरजीएचपीएल), द्वारा दिया गया, यह कम्पनी 100: नेपाल इलेक्ट्रिसिटी प्राधिकरण (एमईए) की है।
- डीजरमाया सीडीईएन एनर्जी एसएआरएल, चाड से 32 मेगावाट सोलर पीवी परियोजना हेतु पायरानोमीटर और एनीमोमीटर के लिये पहला आर्डर प्राप्त किया ।

2.9.2 वर्ष 2020–21 के दौरान सितम्बर 2020 तक प्राप्त प्रमुख आर्डर

कोविड–19 महामारी के कारण पूरे विश्व में नरम कारोबारी माहौल के बावजूद 30 सितम्बर 2020 तक इंडोनेशिया, इटली, लाइबेरिया, मालावी, न्यू कैलेडोनिया, ओमान, श्रीलंका,यूएई, वियतनाम से उत्पाद और बिक्री उपरान्त उपकरणों/ सर्विस हेतु 7.03 करोड़ रुपये के आर्डर प्राप्त हुए।

- सीईबी मॉरिशस से 8 मेगावाट सोलर संयंत्र के लिये फर्स्टग्रिड कनेक्टेड मेगावाट स्केल के सोलर आर्डर प्राप्त हुए।
- लाइबेरिया से एक 2750 किलोवाट के मोटर के लिये पहला आर्डर बुक हुआ है। यह लाइबेरिया से बीएचईएल का पहला आर्डर है।

2.10 प्रोजेक्ट कमिशनिंग

2..10.1 वर्ष 2019–20 के दौरान मुख्य प्रारंभन

वर्ष 2019–20 में, बीएचईएल ने 3,580 मेगावाट की अतिरिक्त क्षमता उपलब्ध की है, जो इस वर्ष में, किसी अकेले उपकरण विनिर्माता द्वारा प्राप्त सबसे बड़ी अतिरिक्त क्षमता है। यें परियोजनाए हैं :–

- 2X660 मेगावाट ओपीजीसीएल / आईबी वैली टीपीएस की दो युनिटें ।
- 1X800 मेगावाट जीएसईसीएल / वानकबोरी टीपीएस की 1 युनिट ।

ओडिशा में बीएचईएल द्वारा शुरू किया गया 2X660 मेगावाट का आईबी वैली थर्मल पावर स्टेशन

2.10.2 सिंक्रोनाइज की गई यूटिलिटी पावर परियोजना (1,206.15 मेगावाट):

- 2X500 मेगावाट की एनएलसी/न्यू नेवेली टीपीएस की 1 युनिट

- 4X270 मेगावाट की टीएसजीईएनसीओ/भदरादरी (मानुगुरु) टीपीएस की 1 युनिट

2.10.3 लिफ्ट सिंचाई योजना (2,103 मेगावाट)

- 7X139 मेगावाट की आई एण्ड सीएडी, तेलंगाना/कालेश्वरम् लिफ्ट सिंचाई स्कीम (एलआईएस) पैकेज–8 की 7 युनिट।
- 7X166 मेगावाट की आई एण्ड सीएडी, तेलंगाना/कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई स्कीम (एलआईएस) पैकेज–6 की 7 युनिट ।

1964 में इसकी शुरुआत से, बीएचईएल ने वर्ष 2019–20 तक भारत में 452 कोल आधारित सेट, 420 हाइड्रो युटिलिटी सेट,102 गैस आधारित युटिलिटी सेट और 12 परमाणु आधारित युटिलिटी सेट को शामिल किया है।

2.10.4 वर्ष 2020–21 के दौरान सितम्बर 2020 तक मुख्य प्रारंभन :

- 98.4 मेगावाट के एपीजीसीएल / नामरप सीसीपीपी के 36. 15 मेगावाट के एसटीजी का क्षमता संयोजन और 4ग270 मेगावाट टीएसजीईएनसीओ/भदरादरी (मानुगुरु) टीपीएस
- 4X270 मेगावाट के टीएसजीईएनसीओ/भदरादरी (मानुगुरू) टीपीएस, की 1 युनिट, 2X800 मेगावाट के एनटीपीसी गदरवारा की 1 युनिट और यूएचएल–11 (एचईपी) की 1 युनिट का सिन्क्रोनाइजेशन ।

2.11 उपकरण कार्य–निष्पादन

2..11.1 वर्ष 2019–20 के दौरान

थर्मल उपयोगिता सेट (कोल आधारित) से 994 बीयूएस के देश की 57% कुल जनरेशन में बीएचईएल आपूर्तित सेट द्वारा योगदान दिया गया, जो बीएचईएल सेट के बेहतर प्रदर्शन की गवाही देता है।

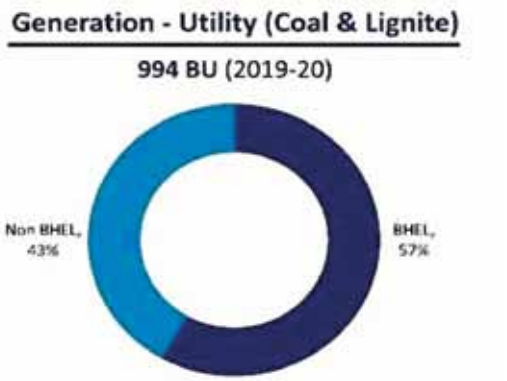

बीएचईएल की पहली सुपरक्रिटिकल युनिट 600 मेगावाट बीएआरएच–4 6 मार्च 2019 से 26 नवम्बर 2019 तक 265 दिनों तक बिना रूकावट के लगभग 42,630 घंटों तक संचालित रही है। बीएचईएल सेट्स की प्रमुख उपलब्धियों में शामिल हैं:–

बीएचईएल सेट्स की प्रमुख उपलब्धियों में शामिल हैं:–

- वर्ष 2019–20 में 84.9% के ओए थर्मल सेट्स रजिस्टर किये गये और 5,65,983 एमयू जनरेट किये गये।
- 85.3% के ओए के साथ 195 मेगावाट और उससे अधिक के जनरेशन से 5,53,278 एमयूज तक पहुँच गया।

2..11.2 वर्ष 2020–21 के दौरान सितम्बर 2020 तक

53.7 % थर्मल उपयोगिता सेट (कोल और लिग्नाइट आधारित) से 444. 08 बीयूज की देश की कुल जनरेशन में से 53.7% योगदान बीएचईएल आपूर्तित सेट का रहा है। यह बीएचईएल सेट के प्रदर्शन की प्रमुख उपलब्धियों में शामिल हो गया है।

- बीएचईएल की पहली सुपरक्रिटिकल युनिट 660 मेगावाट बीएआरएच–4 लगभग 45846 घंटों तक संचालित हुई है (ओए 96.7%)
- सभी सुपरक्रिटिकल सेटस में कोथागुदम–12 (800 मेगावाट) ने सभी उच्चतम पीएलएफ में उच्चतम पीएलएफ 79.1% प्राप्त किया है।

2.12 अन्य उपलब्धियां

2.12.1 वर्ष 2019–20 के दौरान

- भुसावल–5 टीपीएस में महागेनकों से सेटिसफेक्टरी केपिटल ओवरहालिंग हेतु प्रशस्ति पत्र प्राप्त हुआ।
- माग्लेव रेल प्रणालियों, प्रौद्योगिकियों और परियोजनाओं के क्षेत्र के वर्तमान/संभावित भविष्य में व्यापार संबंधों के समाधान हेतु रेपिड एजी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये।
- केन्द्रीय रेलवे के लिये, भारत का पहला वातानुकुलित रैक, 30 जनवरी 2020 को पनवेल और ठाणे के बीच में वाणिज्यिक सेवा को आरम्भ करने के लिये बीएचईएल के विद्युत के साथ फिट किया गया।

2.12.2 वर्ष 2020–21 के दौरान (सितम्बर 2020 तक)

- महामारी के कारण लॉकडाउन के दौरान बीएचईएल द्वारा मारवा–2 में मशीन से किये जाने वाले कार्य के लिये एमडी, सीएसपीजीसीएल से प्रशस्ति पत्र प्राप्त हुआ।
- भारत की उच्चतम रेटेड अपनी तरह की पहली 700 मेगावाट रेटिंग की स्वदेशी रूप से विकसित पीएचडब्लूआर (प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रियेक्टर), ककरापर(युनिट–3) ने 22 जून 2020 में कार्य करना प्रारम्भ कर दिया है।
- बीएचईएल ने भारतीय रेलवे (आईआर) के साथ सहभागिता की और बीना में एक 1.7 मेगावाट पाइलट सोलर फोटो वोल्टेक प्लांट को सफलतापूर्वक आरंभ किया।
- रक्षा उत्पाद के लिये मेरीन गैस टरबाइन और गियर बॉक्स के स्थानीयकरण हेतु जोरया मैशप्रौकेट, युक्रेन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गये।

2.13 उत्कृष्टता की मान्यता

2.13.1 वर्ष 2019–20 के दौरान

- बीएचईएल के 88 कर्मचारियों द्वारा 20 **विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार (प्रदर्शन वर्ष 2017)** प्राप्त किये गये।
- इंजीनीयरिंग उद्योग के क्षेत्र में कोरपोरेट उत्कृष्टता के तहत **एशिया पैसिफिक एन्टरप्रिन्योरशिप पुरस्कार 2019** प्राप्त किया।
- कोरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए **गोल्डन ग्लोब पिकॉक एवार्ड 2019** के कार्य के लिए ड्रीम कम्पनी श्रेणी के तहत एचआर लीडरशिप में उत्कृष्टता के लिये गोल्डन ग्लोब टाइगर्स पुरस्कार 2019 प्राप्त किया।
- डॉ. नलिन सिंघल, सीएमडी, बीएचईएल को वर्ल्ड एचआरडी कांग्रेस द्वारा **'सीईओ वीद एचआर ओरिएन्टेशन'** से पुरस्कृत किया गया।
- त्रिची में, अपने 7.5 मेगावाट के सोलरपीवी प्लांट हेतु **'आउटस्टेंडिंग रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन प्रोजेक्ट्स'** (सोलर) के लिये 'इन्डियन ग्रीन एनर्जी पुरस्कार 2019 प्राप्त किया।
- डॉ. नलिन सिंघल, सीएमडी, बीएचईएल, को **'आउटस्टेंडिंग कंट्रीब्यूशन टू द नेशन के लिए इण्डियन चेम्बर ऑफ कॉमर्स** द्वारा सम्मानित किया गया।

2.13.2 वर्ष 2020–21 के दौरान सितम्बर 20 तक

चल रही महामारी की कठिन स्थिति के बावजूद, भुटान में 4X84 मेगावाट के चुक्खा हाइड्रो पावर संयंत्र की युनिट रु1 (93.3 एमवीए, 11 केवी, 50 एच जेड, 300 आर एम पी) के तुरन्त जीर्णोद्वार के प्रयासों के लिये बीएचईएल ने **ड्रक ग्रीन पावर कारपोरेशन–भूटान** से प्रशस्ति पत्र प्राप्त किया।

- भेल को निम्नलिखित परियोजनाओं के लिए **'कोविड के दौरान प्रेरक अथवा परिवर्तनकारी कार्यनिष्पादन'** श्रेणी के तहत स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड (वर्ष 2020) का विजेता घोषित किया गया है:
  - कोविड–19 महामारी से लड़ने के लिए इलेक्ट्रोस्टेटिक डिसइन्फेक्टेंट यूनिट का इन–हाउस विकास।
  - संगठनात्मक उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु भेल द्वारा घर से कार्य करने के लिए ई–ऑफिस का कार्यान्वयन।

2.14 मुख्य अनुसंधान एवं विकास/प्रौद्योगिकी उन्नयन उपलब्धियां

2.14.1 वर्ष 2019–20 के दौरानः

वर्ष के दौरान किये गये कुछ महत्वपूर्ण विकास हैः–

- 12 मीटर की इलेक्ट्रिक बस का प्रोटोटाइप, जिसने सीएमवीआर के अनुसार सफलतापूर्वक आधिकारिक प्रमाणन परीक्षण पूर्ण किया और आईसीएटी–मानेसर से टीएसी–टाइप अनुमोदन प्रमाण–पत्र प्राप्त किया।
- एयूएससी परियोजना के तहत निम्नलिखित विकास कार्य पूर्ण किए गए हैः–
  - निम्न चक्र फटीग और क्रीप को सिमुलेट करने के लिए हाई स्पिन रोटर रिग (डीएसटी परियोजना) की शुरूआत।
  - आईएन 617 एम और इनकोनल 740 के पाइपिंग बैंड हेतु उच्च ताप वाली भट्टी (12 टी) की शुरूआत।

2.14.2 वर्ष 2020–21 के दौरान सितम्बर 20 तक

- भारतीय रेल के लिए अधिक प्रदूषित क्षेत्रों में ओवरहेड ट्रैक्शन में उपयोग करने लिए 1600 एमएम क्रिपेज के साथ कॉम्पोजिट इन्सुलेटर विकसित किए।
- प्रेरक दूरमापी का उपयोग करके ट्रैक्शन मोटर टाइप आईएम 3302 एजेड के लिए डायनामिक हॉट स्पॉट ताप मापन प्रणाली (एचटीएमएस) विकसित की।

2.15 मानव संसाधन

- भेल की सबसे बड़ी ताकत उसकी उच्चस्तरीय कुशल और प्रतिबद्ध 32,745 कर्मचारियों (दिनांक 30 सितम्बर, 20 के अनुसार) का कार्यबल है जो कंपनी की इंजीनियरिंग उत्कृष्टता के कार्नरस्टोन हैं।
- कोविड–19 महामारी के विरूद्ध राष्ट्रीय लड़ाई को सुदृढ़ करने के लिए भेल के कर्मचारियों ने पीएम केयर्स फंड में रुपए 8.72 करोड़ के बराबर एक दिन के वेतन का योगदान दिया।

2.16 सामाजिक दायित्व

अपने अनेक सीएसआर पहलों के माध्यम से भेल अपने सामाजिक दायित्व पर केन्द्रित रहा।

2.16.1 वर्ष 2019–20 और 2020–21 (सितम्बर, 2020 तक) में आरंभ की गई सीएसआर गतिविधियां

स्वच्छ भारत

- बरसात के पानी के संरक्षण एवं भूजल की रिचार्जिंग के लिए जिला तिरूचिरापल्ली, तमिलनाडु के गांव नवापट्टु के आसपास के तालाब की गाद साफ की गई।

- स्वच्छ भारत अभियान के तहत भेल की विनिर्माण यूनिटों तथा परियोजना स्थलों पर सार्वजनिक स्थलों पर स्कूलों/कालेजों में शौचालय के निर्माण/नवीकरणके लिए अनेक परियाजनाएं आरंभ की गई।

स्वच्छ भारत के तहत भेल द्वारा निर्मित स्कूलों में शौचालय।

शिक्षित भारत

- पश्चिमी महाराष्ट्र में बाढ़ से प्रभावित 50,000 गरीब छात्रों को स्कूल किट बांटी गई।

भोपाल में अंगीकृत गांवों से 48 छात्रों के लिए छात्रवृत्ति कार्यक्रम

- आईटीआई, बीएससी (नर्सिंग) आदि जैसे कोर्स करने वाले मुख्यतः विधवा के बच्चों/लावारिस/दिव्यांगजनों के लिए भोपाल में अंगीकृत गांवों से 48 छात्रों के लिए छात्रवृत्ति कार्यक्रम।

स्वस्थ भारत

- अपनी सीएसआर पहल ''हील ए सोल III'' के तहत समूचे भारत के अनेक महत्वाकांक्षी जिलों में 100 गरीब हेमोफिलिक मरीजों के लिए एंटी हेमोफिलिक फेक्टर्स (एएचएफ) उपलब्ध कराना।
- भेल ने हरिद्वार और आसपास के जिलों से 200 गरीब कलेफ्ट मरीजों की कलेफ्ट सर्जरी करने के लिए 'मिशन स्माइल' नामक एनजीओ के साथ एक सीएसआर परियोजना आरंभ की। दिनांक 06.03.2020 को हरिद्वार में एनजीओ के साथ इस पर एक करार (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए।

हरित भारत

- तेलंगाना में विकाराबाद और गुलीडोड्डी सामाजिक कल्याण आवासीय स्कूलों में सौर जल हीटर उपलब्ध कराए।
- गांव दोनकेश्वर, जिला निजामाबाद, तेलंगाना में सौर सड़क रोशनी उपलब्ध कराई।

उत्तरदायी भारत

- हरिद्वार, उत्तराखंड में कुछ रोगियों के लिए दिव्य प्रेम सेवा मिशन न्यास के हॉस्टल में डाइनिंग हाल का निर्माण।

संयुक्त भारत

- अपने कार्यक्रम 'लतिका विहार–कम वन कम ऑल' के लिए लतिका रॉय मेमोरियल फाउंडेशन, देहरादून को सहायता प्रदान की, जो कि बौद्धिक असमर्थता वाले बच्चों एवं युवाओं के लिए एक होलिस्टिक एवं सम्मिलित कार्यक्रम है।
- भेल लेडिज क्लब के माध्यम से हरिद्वार में कढ़ाई, ब्युटीशियन, टेलरिंग, संगीत एवं नृत्य जैसे अनेक कार्यों में महिलाओं का कौशल विकास प्रशिक्षण।

2.17 गुणवत्ता कार्यनिष्पादन

भेल ने गुणवत्ता नीति के उद्देश्य को पूरा करने के लिए गुणवत्ता प्रबंधन प्रणालियों स्थापित की हैं। 'गुणवत्ता प्रथम' के कंपनी की व्यापक संस्कृति बनाने के उद्देश्य से भेल की गुणवत्ता नीति को संशोधित किया गया और सीएमडी द्वारा इसे अनुमोदित किया गया तथा दिनांक 01 नवम्बर, 19 को इसे जारी किया गया।

कर्मचारियों के सशक्त, शिक्षित, शामिल और प्रोत्साहित करने के चार उद्देश्य पर केन्द्रित मिशन 'गुणवत्ता प्रथम'

– भेल में गुणवत्ता चक्र (क्यूसी) अभियान, जिसे देश में रोल मॉडल के रूप में श्रमिकों एवं पर्यवक्षकों द्वारा चलाया जा रहा है।

– दिनांक 26 अप्रैल, 2019 को एचईईपी, हरिद्वार में 29वीं बीएक्यूसीएस (भेल वार्षिक गुणवत्ता चक्र समिट 2018–19) आयोजित की गई। इस समिट में 15 एमयू से 48 क्वालिटी सर्किलों ने भाग लिया। सर्वश्रेष्ठ क्वालिटी सर्किल के लिए एचपीबीपी, त्रिचि के क्वालिटी सर्किल नं. 582 को श्री एस.आर.उप्दा ट्रॉफी प्रदान की गई।

विनिर्माण शॉप तथा इरेक्शन स्थलों पर सामना किए जा रहे क्वालिटी मुद्दों के मूल कारण विश्लेषण (आरसीएस) पर मुख्य बल दिया जा रहा है।

अनुबंध–XIII

मांग सं. 44–भारी उद्योग विभाग
वर्ष 2020–21 के लिए योजना–वार आवंटन

(रुपए करोड़ में)

क्रम स.	योजना/मदें	बीई 2018–19	आरई 2018–19	वास्तविक 2018–19	बीई 2019–20	आरई 2019–20	वास्तविक 2019–20	बीई 2020–21	31.12. 2020 के अनुसार व्यय
1.	**सचिवालय**	**36.85**	**36.85**	**35.67**	**39.05**	**39.05**	**36.95**	**41.09**	**21.16**
2.	**ऑटोमोबाइल उद्योग का विकास**								
i.	नेशनल ऑटोमोटिव टेस्टिंग एंड रिसर्च एंड डेवेलपमेंट इनफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट (नेट्रिप) को अनुदान	378.88	400.00	400.00	259.23	259.23	259.23	300.00	114.30
ii.	भारत में (हाइब्रिड और) इलेक्ट्रिक वाहनों का तीव्र अंगीकरण के लिए स्कीमें– फेम–इंडिया के लिए अनुदान	260.00	145.00	145.00	500.00	500.00	500.00	692.94	248.36
iii.	ऑटोमोबाइल एवं संबद्ध उद्योगों के लिए विकास परिषद (डीसीएएआई) को अनुदान	30.00	15.00	14.92	25.00	8.80	8.80	15.00	10.97
	कुल– ऑटोमोबाइल उद्योग का विकास	**668.88**	**560.00**	**559.92**	**784.23**	**768.03**	**768.03**	**1007.94**	**373.63**
3.	**केपिटल गुड्स सेक्टर का विकास**								
i.	कैपिटल गुड्स उद्योग में प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए योजना।	120.00	110.00	110.46	110.00	102.30	102.17	173.11	36.87
ii	ताप विद्युत संयंत्रों के लिए उन्नत अल्ट्रा सुपर–क्रिटिकल (एयूएससी) प्रौद्योगिकी हेतु आर एंड डी परियोजना	100.00	220.00	220.00	134.00	134.00	134.00	0.00	0.00
iii	संवर्धनात्मक कार्यकलाप शुरू करने के लिए औद्योगिक एसोसिएशन और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों	0.50	0.50	0.00	0.50	0.20	0.04	0.20	0.05
	कुल– केपिटल गुड्स सेक्टर का विकास	**220.50**	**330.50**	**330.46**	**244.50**	**236.50**	**236.21**	**173.31**	**36.92**
4.	**केन्द्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय**								
	केन्द्रीय विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान (सीएमटीआई) को अनुदान	10.00	15.00	15.00	19.00	19.00	19.00	6.00	6.00
5.	**केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को सहायता**								
i.	हिंदुस्तान साल्ट्स लिमिटेड(एचएसएल) को अनुदान	2.00	2.00	2.00	2.30	2.30	2.30	2.00	2.00

क्रम स.	योजना/मदें	बीई 2018–19	आरई 2018–19	वास्तविक 2018–19	बीई 2019–20	आरई 2019–20	वास्तविक 2019–20	बीई 2020–21	31.12. 2020 के अनुसार व्यय
ii	स्वच्छता कार्य योजना को सहायता अनुदान	1.00	0.10	0.10	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00
iii	हिंदुस्तान पेपर कॉर्पोरेशन (एनपीपीसी)– पूर्वोत्तर क्षेत्र में निवेश	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
iv	एचसीएल में निवेश	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00
v	नेपा लि. में निवेश	0.01	49.54	49.54	248.31	181.05	181.05	137.24	92.95
vi	हिंदुस्तान साल्ट्स लि. (एचएसएल) में निवेश	14.50	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00
vii	सीपीएसईज की पुनरूद्धार योजना के कार्यान्वयन हेतु एकमुश्त प्रावधान	61.78	6.34	6.33	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00
viii	स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति और पृथक्करण स्कीम (वीआरएस/ वीवीएसएस) के कार्यान्वयन तथा सांविधिक देय राशि के भुगतान हेतु एकमुश्त प्रावधान	10.00	26.00	26.00	0.01	0.00	0.00	53.92	53.92
ix	रुग्ण सीपीएसईज के बंदीकरण को लागू करने हेतु ऋण	10.00	10.00	10.00	24.41	24.41	24.39	0.01	0.00
x	नेपा लि. को ऋण	0.01	0.00	0.00	0.01	38.27	38.26	63.31	53.72
xi	अन्य	0.19	0.01	0.00	0.15	0.00	0.09	0.13	0.00
	कुल योग	**1125.73**	**1036.34**	**1035.02 (91.94%)**	**1367.00**	**1308.61**	**1306.28 (95.56%)**	**1489.98**	**640.30 (42.97%)**

लोक उद्यम विभाग

विज़न

''प्रभावी, लाभप्रद एवं वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी
केंद्रीय सरकारी लोक उद्यम''

मिशन

''कॉरपोरेट अभिशासन, निष्पादन मूल्यांकन, मानव संसाधन प्रबंधन, अनुसंधान एवं विकास
के जरिए सीपीएसईज़ के प्रबंधन और निष्पादन में सतत सुधार करना ताकि
उनकी वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बेहतर बनाया जा सके।''

लोक उद्यम विभाग (डीपीई)

1. अपनी 52वीं रिपोर्ट में, तीसरी लोक सभा (1962–67) की प्राक्कलन समिति ने एक केन्द्रीकृत समन्वय यूनिट के गठन की जरूरत पर बल दिया जो लोक उद्यमों की निष्पादकता का निरन्तर मूल्यांकन भी कर सके। इसके फलस्वरूप, वर्ष 1965 में वित्त मंत्रालय में सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो (बीपीई) की स्थापना की गई। तदनुपरांत, सितम्बर 1985 में केन्द्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों का पुनर्गठन होने पर, बीपीई को उद्योग मंत्रालय का हिस्सा बना दिया गया। मई 1990 में, बीपीई को एक पूर्ण विभाग बना दिया गया जिसका नाम 'लोक उद्यम विभाग' (डीपीई) है। वर्तमान में यह भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय का हिस्सा है।

2. लोक उद्यम विभाग सभी केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसईज़) का नोडल विभाग है और सीपीएसईज़ से संबंधित नीतियां तैयार करता है। यह विशेष रूप से, सीपीएसईज़ में निष्पादकता में सुधार एवं मूल्यांकन, स्वायत्तता तथा वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन और कार्मिक प्रबंधन के बारे में नीतिगत दिशानिर्देश तैयार करता है। इसके अलावा यह केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के संबंध में बहुत से क्षेत्रों के संबंध में सूचना भी एकत्र करता है और लोक उद्यम सर्वेक्षण के रूप में उसका रखरखाव करता है।

3. अपनी भूमिका का निर्वहन करने के क्रम में यह विभाग अन्य मंत्रालयों, केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों तथा संबंधित संगठनों के साथ समन्वय करता है। भारत सरकार के कार्य आबंटन नियमों के अनुसार लोक उद्यम विभाग को निम्नलिखित विषयों का आबंटन किया गया है:

- औद्योगिक प्रबंधन पूल सहित तत्कालीन लोक उद्यम ब्यूरो से संबंधित शेष कार्य।
- सभी लोक उद्यमों को प्रभावित करने वाले सामान्य नीति संबंधी मामलों का समन्वय।
- समझौता ज्ञापन तंत्र सहित केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन एवं निगरानी।
- लोक उद्यमों के लिए स्थायी मध्यस्थता तंत्र से संबंधित मामले।
- स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अंतर्गत केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों में कर्मचारियों को परामर्श, प्रशिक्षण एवं पुनर्वास।
- केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों में पूंजीगत परियोजनाओं एवं व्यय की समीक्षा।
- केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों के कार्य–निष्पादन में सुधार लाने तथा लोक उद्यमों की अन्य क्षमता निर्माण पहलों के लक्ष्यगत उपाय।
- लोक उद्यमों के पुनरुद्धार, पुनर्गठन या बन्द करने तथा उनके लिए तंत्र से संबंधित सलाह देना।
- लोक उद्यमों के स्थायी सम्मेलन से संबंधित मामले।
- इन्टरनेशनल सेन्टर फॉर पब्लिक इन्टरप्राइजेज़ से संबंधित मामले।

- 'रत्न' दर्जा देने सहित केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों का वर्गीकरण।
- लोक उद्यम सर्वेक्षण।

4. लोक उद्यम विभाग के प्रमुख भारत सरकार के सचिव होते हैं। विभाग की संस्वीकृत पद संख्या 118 अधिकारियों/कर्मचारियों की है। लोक उद्यम विभाग का संगठनात्मक ढांचा **अनुबंध– I** में दिया गया है।

अध्याय 1

लोक उद्यम सर्वेक्षण

1.1 लोक उद्यम सर्वेक्षण

लोक उद्यम विभाग केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों (सीपीएसई) के कार्यनिष्पादन पर लोक उद्यम सर्वेक्षण प्रकाशित करता है जिसे प्रत्येक वर्ष बजट सत्र के दौरान संसद में प्रस्तुत किया जाता है। लोक उद्यम सर्वेक्षण, 2019–20 (श्रृंखला में 60वां सर्वेक्षण) के लिए सूचना संकलन एवं इसे तैयार करने का कार्य किया जा रहा है और संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान इसे संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत किया जाएगा। पीई सर्वेक्षण 2019–20 के संबंध में सूचना का संग्रह अग्रिम चरण में है और उसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस वर्ष पीई सर्वेक्षण 2019–20 के लिए सूचना एकत्र करने में कोविड–19 के प्रकोप के कारण विलंब हुआ। इसे देखते हुए कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ने सभी सीपीएसई के लिए एजीएम की आखिरी तारीख भी बढ़ाकर 31 दिसंबर 2020 कर दी। इसलिए, सीपीएसई के पास वार्षिक रिपोर्ट/लेखा–परीक्षित वित्तीय विवरण उपलब्ध नहीं थे जिसके कारण सीपीएसई द्वारा डेटा प्रस्तुत करने में विलम्ब हुआ है । चूंकि सूचनाओं का संग्रह प्रगति पर है, इसलिए इस रिपोर्ट में उपलब्ध कराई गई जानकारी अनंतिम है और परिवर्तन के अधीन है ।

1.2 वर्ष 2019–20 के दौरान केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों के कार्य निष्पादन का सारांश नीचे दिया जा रहा है:

विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के प्रशसनिक नियंत्रण में दिनांक 31.03.2020 तक 366 केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यम थे। इन 366 केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों में से 256 प्रचालनरत हैं जबकि 96 केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों को अभी अपना व्यवसाय शुरु करना है और 14 केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यम क्लोजर/ परिसमापन के अधीन हैं।

256 प्रचालनरत केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों में से वर्ष 2019–20 के दौरान 171 केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों ने लाभ प्रदर्शित किया जबकि 85 केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों को इस वर्ष घाटा हुआ। 1 सीपीएसई ने न घाटा दर्शाया न लाभ। वर्ष 2019–20 में लाभ में चल रहे 171 केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों का 'लाभ' 1,38,112 करोड़ रुपए था। घाटे में चल रहे 85 उद्यमों का 'निबल घाटा' वर्ष 2019–20 में रूपए (–) 44,818 करोड़ रहा। 256 प्रचालनरत केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों का समग्र निबल लाभ वर्ष 2018–19 में रूपए 1,42,666 करोड़ से –34.61 प्रतिशत घटकर वर्ष 2019–20 में रूपए 93,294 करोड़ हो गया। केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों का केन्द्रीय राजस्व में योगदान पूर्व वर्ष के रूपए 3,77,759 करोड़ रूपए से –0. 49 प्रतिशत घटकर वर्ष 2019–20 में 3,75,899 करोड़ हो गया।

संचयी निवेश (चुकता पूंजी जमा दीर्घ अवधि ऋण) जो दिनांक 31.03.1951 में 5 उद्यमों में 29 करोड़ रु. था, वह 31.03.2020 तक 366 केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों में 20. 62 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। वर्ष 2019–20 में 'सभी केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों में 'निवेश' वर्ष 2018–19 की तुलना में 29.72: बढ़ा है, इसी प्रकार इस वर्ष के दौरान 'नियोजित पूंजी' में 17.45 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

पूर्व वर्ष अर्थात 2018–19 की तुलना में वर्ष 2019–20 के दौरान केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों का कार्यनिष्पादन अनुबंध में दिया गया है।

1.3 अनुसंधान विकास एवं परामर्शों (आरडीसी) के संबंध में योजना

लोक उद्यम विभाग केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों (सीपीएसईज़) तथा राज्य स्तरीय लोक उद्यमों (एसएलपीईज़) के कार्यपालकों के लिए अनुसंधान विकास एवं परामर्श (आरडीसी) की एक योजना कार्यान्वित कर रहा है। स्कीम के अंतर्गत विभिन्न उत्कृष्टता केंद्रों यथा आईआईएम्स, आईआईटीज़, आईआईपीए, नई दिल्ली आदि में सीपीएसईज़ और एसएलपीईज़ के कार्यपालकों के ज्ञान एवं कौशल में वृद्धि हेतू विभिन्न विषयों पर प्रबंधन विकास कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। कोविड–19 के कारण प्रशिक्षण संस्थान वर्ष 2019–20 में भौतिक प्रशिक्षण का आयोजन नहीं कर रहे हैं।

अध्याय 2

लोक उद्यम सर्वेक्षण

2.1 सरकार का प्रयास केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों को स्वायत्त निदेशक मण्डल द्वारा प्रबन्धित कम्पनियाँ बनाना है। संस्था के अंतर्नियमों के तहत, केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों के निदेशक मंडल, बोर्ड स्तर से नीचे के कर्मचारियों की भर्ती, पदोन्नति और सेवा संबंधी अन्य मामलों में स्वायत्त होते हैं। केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यम का निदेशक मण्डल सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किए गए व्यापक नीति दिशानिर्देशों के अध्यधीन प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करता है। सरकार ने महारत्न, नवरत्न और मिनीरत्न जैसी विभिन्न योजनाओं के अधीन लाभ अर्जित करने वाले उद्यमों के निदेशक मण्डलों को अधिक शक्तियां प्रदान की हैं जिनका उल्लेख निम्नलिखित पैराग्राफों में किया गया है।

2.2 महारत्न योजना

2.2.1 महारत्न योजना जिसे 2010 में लागू किया गया था, का मुख्य उद्देश्य बड़े केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों को सशक्त करना है ताकि वे अपने संचालनों का विस्तार कर सकें और वैश्विक रूप से बड़ी कंपनी के रूप में उभर सकें।

2.2.2 महारत्न स्कीम की मुख्य विशेषताएं **अनुबंध–3** पर हैं।

2.2.3 वर्तमान में दस महारत्न केन्द्रीय सरकारी उद्यम हैं अथार्त् (i) भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (ii) भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (iii) कोल इण्डिया लिमिटेड (iv) गेल इण्डिया लिमिटेड (v) हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (vi) इण्डियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड (vii) एनटीपीसी लिमिटेड (viii) ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड (ix) पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड तथा (x) स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड।

2.3 नवरत्न योजना

2.3.1 सरकार ने 1997 में नवरत्न योजना लागू की थी ताकि उन केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों की पहचान हो सके जिन्हें तुलनात्मक रूप से अधिक लाभ प्राप्त हैं और वैश्विक रूप से अग्रणी कंपनी बनने के उनके अभियान में सहयोग दिया जा सके। इस स्कीम के अंतर्गत, नवरत्न केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों के बोर्ड को (i) पूंजीगत व्यय (ii) संयुक्त उद्यमों/सहायक कंपनियों में निवेश (iii) विलयन एवं अधिग्रहण (iv) मानव संसाधन प्रबंधन आदि जैसे क्षेत्रों में और अधिक शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं।

2.3.2 इस समय 14 केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यम हैं जो निम्नलिखित हैं:

(i) भारत इलैक्ट्रानिक्स लि0

(ii) कंटेनर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि0

(iii) इंजीनियर्स इंडिया लि0

(iv) हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लि0

(v) महानगर टेलीफोन निगम लि0

(vi) नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लि0

(vii) नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन लि0

(viii) नेवेली लिग्नाइट कारपोरशन लि0

(ix) एनएमडीसी लि0

(x) ऑयल इंडिया लि0

(xi) पॉवर फाइनेंस कारपोरशन लि0

(xii) राष्ट्रीय इस्पात निगम लि0

(xiii) रूरल इलैक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन लि0

(xiv) शिपिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि0

2.3.3 नवरत्न केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों के बोर्डों को प्रत्यायोजित शक्तियों तथा प्रत्यायोजित नवरत्न शक्तियों के प्रयोग करने की शर्तें/दिशानिर्देश **अनुबंध–4** में हैं।

2.4 मिनीरत्न योजना

2.4.1 अक्टूबर 1997 में, सरकार ने यह निर्णय भी किया था कि लाभ अर्जित करने वाली कुछ अन्य कम्पनियों को कुछ पात्रता शर्तों के अध्यधीन अधिक स्वायत्तता दी जाए तथा अधिक वित्तीय शक्तियाँ प्रत्यायोजित की जाएँ ताकि उन्हें और अधिक दक्ष व प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके। इन कम्पनियों को मिनीरत्न कहा जाता है और इनकी दो श्रेणियाँ हैं, श्रेणी–I तथा श्रेणी–II.

2.4.2 मिनीरत्न स्कीम की मुख्य विशेषताएं अनुबंध–5 पर हैं।

2.4.3 वर्तमान में 72 मिनीरत्न केंद्रीय सरकारी लोक उद्यम (श्रेणी–I के 60 तथा श्रेणी–II के 12) हैं। इन 72 मिनीरत्न केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों की सूची **अनुबंध–6** पर है।

अध्याय 3

केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों (सीपीएसईज़) के बोर्डों का कारपोरेट अभिशासन और व्यावसायिकता

3.1. कारपोरेट अभिशासन –पृष्ठभूमि

3.1.1 कॉरपोरेट अभिशासन में शेयरधारकों, कर्मचारियों, ग्राहकों एवं आपूर्तिकर्ताओं, विनियामक प्राधिकरणों तथा समुदाय के संबंध में उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कॉरपोरेट निकायों द्वारा अपनाई जाने वाली नीतियां एवं प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। सामान्य भाषा में इसका अर्थ सभी हितधारकों के संबंध में कारपोरेट आचरण से है चाहे वे आंतरिक हों या बाह्य। कॉरपोरेट अभिशासन का अर्थ प्रबन्धन प्रणाली की पारदर्शिता है और इसमें कम्पनी के कार्यचालन से सम्बन्धित सम्पूर्ण क्रियाविधि शामिल हैं। यह एक ऐसी प्रणाली की व्यवस्था करता है, जिसके द्वारा शेयरहोल्डरों, निदेशकों, लेखापरीक्षकों एवं प्रबंधन के बीच नियंत्रण एवं संतुलन की एक पद्धति तैयार करने के प्रयास के अलावा कॉर्पोरेट सभाओं को निदेशित एवं नियंत्रित किया जाता है।

3.1.2 पारदर्शिता सुनिश्चित करने तथा हितधारकों के विश्वास में वृद्धि करने के लिए कॉर्पोरेट अभिशासन सिद्धांतों के महत्व को ध्यान में रखते हुए तथा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उन केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में जहां बड़ी मात्रा में सार्वजनिक धन का निवेश होता है, के संदर्भ में अच्छी कारपोरेट अभिशासन प्रक्रियाओं को अपनाने एवं लागू करने की निरन्तर जरूरत है, मार्च, 2010 में सरकार द्वारा सभी केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों के लिए अनिवार्य कारपोरेट अभिशासन संबंधी दिशानिर्देशों का अनुमोदन किया गया था।

3.1.3 इन दिशानिर्देशों में केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के निदेशक मण्डल का संघटन, लेखा परीक्षा समिति, पारिश्रमिक समिति, सहायक कम्पनियां, प्रकटन, आचार एवं नीति संहिता, जोखिम प्रबन्धन तथा रिपोर्टिंग शामिल हैं। इसमें केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों द्वारा दिशानिर्देशों के अनुपालन की मॉनीटरिंग और पारिश्रमिक समिति के गठन से संबंधित उपबंध भी शामिल किए गए हैं। चूंकि कारपोरेट अभिशासन की अवधारणा गत्यात्मक प्रकृति की है, अतः यह भी प्रावधान किया गया है कि इन दिशानिर्देशों में उपयुक्त संशोधन किया जाएगा ताकि इन्हें समय–समय पर प्रचलित विनियमों, अधिनियमों, आदि के अनुरूप बनाया जा सके।

3.1.4 इन दिशानिर्देशों की मुख्य विशेषताएं **अनुबंध–7** पर हैं ।

3.2 केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के बोर्डों का व्यवसायीकरण

3.2.1 लोक उद्यम विभाग (डीपीई) केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों बोर्ड की संरचना पर नीतिगत दिशा–निर्देश तैयार करता है। वर्ष 1991 से अपनाई जा रही लोक उद्यम नीति का अनुसरण करते हुए लोक उद्यमों के बोर्डों को व्यावसायिक बनाने के लिए लोक उद्यम विभाग द्वारा कई उपाय किए गए हैं। वर्ष 1992 में जारी दिशानिर्देशों में प्रावधान है कि केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों में अंशकालिक गैर सरकारी निदेशकों के रूप में बाहर से व्यावसायिकों को शामिल किया जाना चाहिए तथा ऐसे निदेशकों की संख्या बोर्ड की वास्तविक संख्या का कम–से–कम एक तिहाई होनी चाहिए। कार्यपालक अध्यक्ष की अध्यक्षता वाले सूचीबद्ध केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों के मामले में गैर सरकारी निदेशकों (स्वतंत्र निदेशकों) की संख्या कम से कम बोर्ड की संख्या की आधी होनी चाहिए। दिशानिर्देश में यह प्रावधान भी है कि बोर्ड में सरकारी निदेशकों की संख्या बोर्ड की वास्तविक संख्या के छठे हिस्से से अधिक नहीं होनी चाहिए और अधिकतम दो होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त प्रत्येक बोर्ड में कुछ कार्यात्मक निदेशक होने चाहिए जिनकी संख्या बोर्ड की वास्तविक संख्या की आधी से अधिक नहीं होनी चाहिए।

3.2.2 जहां तक केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यम के बोर्ड में गैर सरकारी निदेशकों के चयन एवं नियुक्ति का संबंध है, इनके लिए निम्नलिखित मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं:–

अनुभव के मानदण्ड

(i) सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी जिनके पास संयुक्त सचिव या इससे ऊपर के पद पर 10 वर्षों का अनुभव हो।

(ii) व्यक्ति जो केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों के सीएमडी/सीईओ के रूप में या केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों के कार्यात्मक निदेशकों के रुप में सेवानिवृत्त हुए हों। उन केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों के पूर्व मुख्य कार्यपालक तथा पूर्व कार्यात्मक निदेशकों के नामों पर उस केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों के बोर्ड में गैर सरकारी निदेशक के रूप में विचार नहीं किया जाएगा जिससे वे सेवानिवृत्त हुए हों। केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों के सेवारत मुख्य कार्यपालक/निदेशक किसी भी केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों के बोर्डों में गैर सरकारी निदेशकों के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे।

(iii) संस्थानों के शिक्षाविद् / निदेशक / विभागाध्यक्ष तथा प्रोफेसर जिनके पास प्रबंधन, वित्त, मार्केटिंग, प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन या कानून जैसे प्रासंगिक डोमेन में अध्यापन या अनुसंधान का 10 वर्षों का अनुभव हो।

(iv) सुविख्यात पेशेवर व्यक्ति जिनके पास कम्पनी के प्रचालन क्षेत्र से संबंधित क्षेत्र का 15 वर्षों से अधिक का अनुभव हो।

(v) निजी कंपनियों, यदि कम्पनी (क) स्टाक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हो या (ख) असूचीबद्ध हो परन्तु लाभ अर्जित करने वाली हो तथा जिसका वार्षिक कारोबार 250 करोड़ रुपए से कम न हो, के पूर्व मुख्य कार्यपालक।

(vi) महत्वपूर्ण व्यक्ति जिनके पास उद्योग, व्यवसाय अथवा कृषि या प्रबंधन का प्रामाणिक ट्रैक रिकॉर्ड हो।

(vii) विशेष परिस्थितियों में केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों के बोर्ड में अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशक के रुप में नियुक्ति के लिए स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध निजी कम्पनियों के सेवारत मुख्य कार्यपालकों तथा निदेशकों के नाम पर भी विचार किया जा सकता है।

शैक्षणिक योग्यता के मानदण्ड

मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम स्नातक डिग्री

आयु संबंधी मानदण्ड

आयु का दायरा 45 से 65 वर्ष (न्यूनतम/अधिकतम आयु) के बीच होना चाहिए।

तथापि, इसमें प्रख्यात व्यवसायिकों के लिए स्पष्ट कारण दर्ज करते हुए अधिकतम 70 वर्ष तक छूट दी जा सकती है।

3.2.3 गैर–सरकारी निदेशकों के रुप में नियुक्ति संबंधी प्रस्तावों पर कार्रवाई संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों द्वारा की जाती है। सभी केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों में गैर–सरकारी निदेशकों का चयन सर्च समिति द्वारा किया जाता है जिससे वर्तमान में अध्यक्ष, सचिव (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) हैं, सचिव (लोक उद्यम विभाग), केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यम के प्रशासनिक मंत्रालय / विभाग के सचिव तथा दो गैर सरकारी सदस्य हैं। सर्च समिति की सिफारिश के आधार पर सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग गैर सरकारी निदेशकों की नियुक्ति करता है।

3.2.4 कार्यात्मक निदेशकों की नियुक्ति प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा पीईएसबी की सिफारिशों पर और सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से की जाती है। सरकारी निदेशकों की नियुक्ति संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों द्वारा पदेन क्षमता से की जाती है।

3.2.5 सीपीएसईज़ के सरकारी निदेशकों की भूमिका पर संशोधित दिशा–निर्देश अंतर–मंत्रालयी परामर्श और सीवीसी की सहमति के बाद प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों को जारी किए गए थे ।

3.3. सीपीएसईज़ के बोर्ड स्तर के अधिकारियों का प्रदर्शन मूल्यांकनः

3.3.1 नई ऑनलाइन स्पैरो–सीपीएसई प्रणाली में सीपीएसई के बोर्ड स्तर के पदधारियों के लिए वर्ष 2018–19 (ऑनलाइन मोड के माध्यम से) के लिए वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट (एपीएआर) की पहली रिकॉर्डिंग पूरी की गई ।

अध्याय 4

केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों में समझौता ज्ञापन प्रणाली

4.1 **समझौता ज्ञापनः** समझौता ज्ञापन, सामान्यतया नए वित्त वर्ष के आरम्भ होने से पहले निर्धारित लक्ष्यों और वर्ष के अंत में परिणामों के आकलन संबंधी चयनित मानदंडों पर सीपीएसईज़ के कार्यनिष्पादन के परिमापन हेतु प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग/होल्डिंग सीपीएसई अर्थात मुख्य शेयर होल्डर और केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों के प्रबंधन के बीच परस्पर किया गया एक वार्तासम्मत करार और अनुबंध है। समझौता ज्ञापन प्रणाली में वित्तीय एवं गैर–वित्तीय क्षेत्रों में लक्ष्य निर्धारण तथा उन लक्ष्यों का निष्पादन मूल्यांकन शामिल होता है।

4.1.1 भारत सरकार ने समझौता ज्ञापन प्रणाली की शुरूआत वर्ष 1986 में अर्जुन सेन गुप्ता समिति रिपोर्ट (1984) द्वारा दी गई सिफारिशों के आधार पर की थी। रिपोर्ट में यह सिफारिश की गई थी कि केन्द्रीय सरकारी उद्यम अपने प्रशासनिक मंत्रालयों के साथ 5 वर्षों के लिए समझौता करे जबकि उसकी प्रगति की समीक्षा वार्षिक रूप से की जाएगी। वर्ष 1991 में नई औद्योगिक नीति की घोषणा के बाद सरकार द्वारा समझौता ज्ञापन प्रणाली पर काफी जोर दिया गया था। उक्त नीतिगत वक्तव्य के परिप्रेक्ष्य में एमओयू प्रणाली के कार्यक्षेत्र में विस्तार किया गया ताकि इस प्रणाली में समय के साथ–साथ लगभग सभी उद्यमों को शामिल किया जा सके, जो नीचे वर्णित है:

वर्ष	हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों की संख्या	वर्ष	हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों की संख्या
1987-88	4	2010-11	198
1991-92	72	2011-12	197
2001-02	104	2012-13	196
2002-03	100	2013-14	197
2003-04	96	2014-15	214
2004-05	99	2015-16	215
2005-06	102	2016-17	231
2006-07	113	2017-18	196
2007-08	144	2018-19	167
2008-09	147	2019-20	144
2009-10	197	2020-21	124*

* समझौता ज्ञापन तय लक्ष्य

4.2 **एमओयू का प्रयोजनः** एमओयू का प्रयोजन, सहमत लक्ष्यों को देखते हुए प्रमुख चयनित मानकों पर सीपीएसई के प्रबंधन के कार्यनिष्पादन का मापन करना है ताकि संगठन के महत्वपूर्ण कार्यनिष्पादन संकेतकों में सुधार हो सके।

4.3 **मानदण्डः** सीपीएसईज़ अलग–अलग परिस्थितियों में विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित दिशा–निर्देश निर्धारित किए गए हैं :–

4.3.1 वहाँ परिचालन से राजस्व, परिचालन से लाभ और निवेश पर प्रतिफल (उदाहरणार्थ पीएटी/ निवल मूल्य का अनुपात) जैसे वित्तीय प्रदर्शन को मापने के लिए एक समान मानदण्ड होंगे। यह उन सीपीएसई को छोड़कर,

सभी सीपीएसई पर लागू होगा जो सरकारी अनुदान पर आश्रित हो या अनुदान के वितरण आदि का कार्य करते हैं जैसे कि जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद (बीआईआरएसी)। इसलिए, बीआईआरएसी जैसे सीपीएसई को छोड़कर 50 प्रतिशत कुल भारण के साथ सभी सीपीएसई के लिए 3 वित्तीय मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं।

4.3.2 शेष 50 प्रतिशत भारण के लिए, चयन हेतु मानदण्डों की सूची सुझाई गई है जो उस क्षेत्र के चयन पर निर्भर करती है जिसमें सीपीएसई काम कर रहा है। कार्य–निष्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त और प्रासंगिक मानकों का सुझाव, पूर्व निगोसिएशन कमेटी (पीएनसी) द्वारा अंतर–मंत्रालयी समिति (आईएमसी) को दिया जाता है। सभी मामलों में आईएमसी, पीएनसी द्वारा दिए गए सुझावों पर उचित निर्णय लेगी ।

4.3.3 अध्यक्ष आईएमसी को क्षेत्र विशिष्ट मामलों में मापदंडों या भारण में संशोधन करने का प्राधिकार है, यदि यह औचित्यपूर्ण है।

4.4 समझौता ज्ञापन नीति के कार्यान्वयन के लिए संस्थागत व्यवस्थाएं:

(क) एमओयू पर हाई पावर कमेटी (एचपीसी): यह सरकार द्वारा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसईज़) के लिए सर्वोच्च निकाय के रूप में गठित सचिवों की एक समिति (सीओएस) है जो एमओयू में उनके द्वारा की गई प्रतिबद्धताओं के संदर्भ में एमओयू हस्ताक्षर करने वाले सीपीएसईज़ के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए गठित की गई है, एचपीसी का नेतृत्व कैबिनेट सचिव करते हैं और इसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं:

वित्त सचिव, सचिव (व्यय), सीईओ (नीति आयोग), सचिव (सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन), अध्यक्ष, (लोक उद्यम चयन बोर्ड); मुख्य आर्थिक सलाहकार, (आर्थिक कार्य विभाग); अध्यक्ष (प्रशुल्क आयोग) और सचिव (पीई) । एमओयू पर एचपीसी सीपीएसईज़ के प्रदर्शन के मूल्यांकन के लिए सिद्धांतों और मापदंडों के निर्धारण के संबंध में मार्गदर्शन और निर्देश देता है ।

(ख) अंतर–मंत्रालयी समिति (आईएमसी): एमओयू लक्ष्य आईएमसी द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। अंतर–मंत्रालयी समिति में सचिव, लोक उद्यम विभाग अध्यक्ष के रूप में, संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग के सचिव अथवा उनका प्रतिनिधि जिसका स्तर संयुक्त सचिव रैंक से कम न हो (सदस्य), सचिव, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय या उनका प्रतिनिधि जिसका स्तर संयुक्त सचिव रैंक से कम न हो (सदस्य), अपर सचिव, नीति आयोग या उनका प्रतिनिधि (सदस्य) शामिल होते है। सचिव, लोक उद्यम विभाग आवश्यक होने पर किसी वित्त विशेषज्ञ को समिति में ले सकते हैं।

(ग) पूर्व–बातचीत समिति (पीएनसी): पूर्व–वार्ता समिति की भूमिका प्रदर्शन में सुधार को मापने और लक्ष्य निर्धारित करने के लिए सबसे उपयुक्त और प्रासंगिक मापदंडों का निर्धारण करने में आईएमसी की सहायता करना है। आईएमसी की बैठकों से पहले प्रत्येक मामले में पूर्व–वार्ता समिति की बैठकें आयोजित की जाती हैं ताकि प्रवृत्तियों को देखा जा सके, चर्चा की जा सके, बातचीत की जा सके और एमओयू मापदंडों और लक्ष्यों की सिफारिश की जा सके। बातचीत पूर्व समिति में सलाहकार (एमओयू), डीपीई, संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय के संयुक्त सचिव/सलाहकार, संबंधित सलाहकार (नीति आयोग), निदेशक (एमओयू) और सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) के प्रतिनिधि शामिल हैं।

4.5 **समझौता ज्ञापन प्रस्तुत करने की समय सीमा:** सभी दस्तावेजों/अनुलग्नकों के साथ मसौदा समझौता ज्ञापन, सभी सीपीएसई और उनकी सहायक कंपनियों के संबध में प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग को आगामी वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष की 21 नवंबर तक प्रस्तुत किया जाना है / प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग के अनुमोदन के उपरांत मसौदा समझौता ज्ञापन, सभी दस्तावेजों/अनुलग्नकों के साथ आगामी वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष 15 दिसंबर तक लोक उद्यम विभाग को भेजा जाना है। प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग यह सुनिश्चित करेगा की लक्ष्य वास्तविक, वृद्धि उन्मुख, महत्वकांक्षी और सीपीएसईज़ के नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट, बजट और कारपोरेट प्लान के अनुरूप हो।

4.6 **समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की प्रक्रियाः** आईएमसी द्वारा संस्तुत मानदण्डों, लक्ष्यों और भारण के आधार पर समझौता ज्ञापन, होल्डिंग/स्वतंत्र सीपीएसई के मामले में सीपीएसई के सीएमडी और प्रशासनिक मंत्रालय / विभाग के सचिव के बीच और सहायक कंपनी के मामले में सहायक कंपनी के सीईओ / एमडी और होल्डिंग सीपीएसई के सीएमडी / एमडी के बीच 31 मार्च (अर्थात उस वित्तीय वर्ष के शुरू होने से पूर्व जिसके लिए लक्ष्य तय किए गए हैं) या आईएमसी की बैठक के कार्यवृत्त जारी किए जाने से 21 दिन के भीतर, जो भी बाद में हो, पर बिना किसी विचलन के हस्ताक्षर कर दिए जाएं। यदि किसी विचलन का पता चलता है, तो आईएमसी के कार्यवृत्त को माना जाएगा।

4.7 **समझौता ज्ञापन के मूल्यांकन के लिएः** सीपीएसई के समझौता ज्ञापन का मूल्यांकन वास्तविक उपलब्धियों और समझौता ज्ञापन के लक्ष्यों के आधार पर वर्ष की समाप्ति के बाद किया जाता है। सीपीएसई (नियंत्रक और सहायक कंपनी) को सीपीएसई के बोर्ड के अनुमोदन के बाद और प्रशासनिक मंत्रालयों के माध्यम से लोक उद्यम विभाग के लिए लेखा परीक्षित खातों के आधार पर 30 सितंबर (ठीक पिछले वर्ष के संबंध में) अथवा डीपीई द्वारा सूचित किसी अन्य तारीख को या उससे पहले कार्य–निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट प्रस्तुत करनी अपेक्षित है। समझौते ज्ञापन की उपलब्धि मे आंकडे और सूचना, जो लेखा परीक्षित खातों/वार्षिक रिपोर्ट से सत्यापित नहीं किए जा सकते, प्रत्येक मानदण्ड के लिए अलग से दिए गए बोर्ड के संकल्प के जरिए प्रमाणन आधार पर आश्रित होगा।

4.8 **समझौते ज्ञापन का स्कोर और रेटिंगः** समझौते ज्ञापन का स्कोर, लक्ष्यों की तुलना में प्रदर्शन के संबंध में सभी मानदण्डों के स्कोर का कुल जोड है। 'उत्कृष्ट प्रदर्शन' और 'खराब प्रदर्शन' में अंतर करने की दृष्टि से, एमओयू में पांच अलग–अलग प्रदर्शन रेटिंग अर्थात 'उत्कृष्ट', 'बहुत अच्छा',' अच्छा ','सामान्य', और 'खराब' तय की गई हैं।

4.8.1 समझौता ज्ञापन के समग्र स्कोर के आधार पर सीपीएसई की रेटिंग की प्रणाली इस प्रकार हैः–

संचयी अंक	रेटिंग
90≤स्कोर≤100	उत्कृष्ट
70≤स्कोर≤90	बहुत अच्छा
50≤स्कोर≤70	अच्छा
33≤स्कोर≤50	औसत
0≤स्कोर≤33	खराब

4.8.2 स्कोर और रेटिंग निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करने के अध्यधीन है जिसे पूरा न किए जाने पर अनुपालन न किए जाने पर प्रत्येक बार, 1 अंक कम कर दिया जाएगा जिसमें अधिकतम 5 अंकों की कमी की जा सकती है और तदनुसार रेटिंग संशोधित कर दी जाएगीः

i. कंपनी अधिनियम, 2013 या प्रासंगिक अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन जिसके तहत इन्हें विनियमित किया गया है (उस हद तक जो सीपीएसई के दायरे में हैं)।

ii. सूचीबद्ध सीपीएसई के मामले में, समझौते के सूचीबद्ध प्रावधानों का अनुपालन (उस हद तक जो सीपीएसई के दायरे में हैं)।

iii. डीपीई के वित्तीय निहितार्थ वाले दिशा–निर्देशों का अनुपालन ।

iv. नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा वार्षिक लेखाओं में निधियों में किसी भी राशि का गलत विनियोजन नहीं बताया गया अथवा लाभ / हानि / देनदारियों को प्रचालन से राजस्व के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं बताया है।

v. समय की बढ़ोत्तरी की मांग किए बिना एजीएम का आयोजन।

vi. प्रशासनिक मंत्रालय / विभाग के माध्यम से डीपीई को समझौते ज्ञापन का मसौदा / समझौता ज्ञापन मूल्यांकन निर्धारित तारीख तक प्रस्तुत करना।

vii. आईएमसी बैठक के कार्यवृत्त से विचलन के बिना समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करना।

viii. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा जारी

सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए लोक अधिप्राप्ति नीति का अनुपालन।

ix. स्वच्छ भारत गतिविधियों के लिए सीपीएसई द्वारा सीएसआर फंड के आवंटन पर डीपीई दिशानिर्देशों का अनुपालन।

x. डिजिटल इंडिया पर डीपीई दिशानिर्देशों का अनुपालन।

xi. सीपीएसईज़ में अप्रेंटिसशिप अधिनियम, 1961 के कार्यान्वयन संबंधी डीपीई दिशा–निर्देशों का अनुपालन।

xii. सुगम्या भारत अभियान (सुगम्या भारत अभियान) पर डीपीई के दिशा–निर्देशों का अनुपालन।

xiii. टीआरईडीएस प्लेटफार्म पर सीपीएसईज़ के बोर्डिंग संबंधी डीपीई दिशानिर्देशों का अनुपालन।

xiv. समय–समय पर जारी की गई किसी भी नीति पर डीपीई दिशानिर्देशों और विशेष रूप से इस संबंध में निर्धारित का अनुपालन।

4.8.3 प्रत्येक अतिरिकत पात्रता मानदंडों के अनुपालन की पुष्टि / इसका प्रमाणन, निदेशक मंडल द्वारा संकल्प के जरिए किया जाएगा।

4.9. समझौता ज्ञापन का मूल्यांकनः

4.9.1 हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के लिए वर्षवार आंकड़े और सीपीएसईज़ के मूल्यांकन के लिए नीचे सारणीबद्ध हैः–

मद	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
कुल समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित	198	197	196	197	214	215	231	196	165	144
आकलन रिपोर्ट प्रस्तुत	161	175	189	187	200	200	198	186	156	*

* *प्रक्रिया के तहत*

4.9.2 पिछले 10 वर्षों में केंद्रीय सरकारी उद्यमों द्वारा प्राप्त की गई समझौता ज्ञापन रेटिंग की तुलना निम्न प्रकार हैः–

रेटिंग	वर्षों के दौरान प्रत्येक रेटिंग के तहत लोक उद्यमों की संख्या									
	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
उत्कृष्ट	73	67	76	75	76	73	57	49	49	42
बहुत अच्छा	31	44	39	39	38	53	58	54	41	38
अच्छा	20	24	33	37	36	41	28	40	36	30
औसत	20	24	25	36	29	26	22	31	39	16
खराब	01	02	02	02	08	7	26	24	21	18
कुल	**145**	**161**	**175**	**189**	**187**	**200**	**191**	**198**	**186**	**144***

* *12 सीपीएसईज़ ने बाद में अपना समझौता–ज्ञापन मूल्यांकन के लिए प्रस्तुत किया ।*

अध्याय 5

मंजूरी नीति और श्रमशक्ति यौक्तिकीकरण

5.1 लोक उद्यम विभाग (डीपीई) बोर्ड के सीपीएसई कार्यपालकों के साथ–साथ बोर्ड से निचले स्तरीय कर्मचारियों और गैर–यूनियन पर्यवेक्षकों के वेतन संशोधन के संबंध में नीति के लिए नोडल विभाग के रूप में कार्य करता है। डीपीई, सीपीएसई में कार्यकर्ताओं के मामले में मजदूरी निपटान निगोशिएशन के लिए दिशानिर्देश भी जारी करता है। यह विभाग प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों तथा केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के कर्मचारियों की वेतन नीति निगोशिएशन और कार्यपालकों के वेतनमानों में संशोधन से सम्बन्धित मामलों में सलाह प्रदान करता है। अधिकांश रूप से केन्द्रीय सरकारी उद्यम औद्योगिक महंगाई भत्ता (आईडीए) पद्धति के वेतनमानों का अनुसरण कर रहे हैं। हालांकि कुछ मामलों में केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में केन्द्रीय महंगाई भत्ता (सीडीए) पद्धति के वेतनमानों का भी अनुसरण किया जा रहा है। लोक उद्यम विभाग आईडीए कर्मचारियों के संबंध में तिमाही आधार पर महंगाई भत्ता आदेश भी जारी करता है। सीडीए कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के आदेश छमाही आधार पर जारी किए जाते हैं।

5.2 आईडीए पैटर्न के अधीन तीसरी वेतन संशोधन समिति

5.2.1 सीपीएसईज़ के बोर्ड स्तर के और बोर्ड से निचले स्तर के कार्यपालकों और गैर–यूनियन पर्यवेक्षकों के वेतनमानों पर वेतनमानों के आईडीए पैटर्न के अधीन विचार करने और इनमें संशोधन करने के लिए न्यायमूर्ति (सेवानिवृत) श्री सतीश चंद्र की अध्यक्षता में तृतीय वेतन संशोधन समिति (पीआरसी) का गठन किया गया। इसलिए, तृतीय पीआरसी की सिफारिशों और इस संबंध में सरकार के निर्णय के आधार पर और मंत्रिमंडल के समुचित अनुमोदन से डीपीई के दिनांक 03.08.2017, 04.08.2017 और 07.09.2017 के कार्यालय ज्ञापनों के जरिए 1 जनवरी, 2017 से प्रभावी संशोधित वेतनमान दिशानिर्देश जारी किए गए थे।

5.2.2 तृतीय वेतन संशोधन समिति द्वारा अनुशंसित संशोधित वेतनमान और भत्ते, वहनीयता के बुनियादी आधार पर आधारित थे। ये वेतनमान और भत्ते इस शर्त पर लागू किए जाएंगे कि इसका वित्तीय प्रभाव, बोर्ड स्तरीय और बोर्ड से निचले स्तर के कार्यपालकों और गैर–यूनियन पर्यवेक्षकों के लिए संशोधित वेतन–पैकेज लागू करने के वर्ष में अतिरिक्त वित्तीय भार इसे लागू करने के वर्ष से पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए औसत कर पूर्व लाभ (पीबीटी) 20% से अधिक नहीं होना चाहिए। इस कारण होने वाले सभी व्यय को संशोधित वेतनमान और भत्ते को लागू करने वाले सीपीएसई द्वारा पूरा किया जाएगा और इस संबंध में सरकार द्वारा कोई बजटीय सहायता प्रदान नहीं की जाएगी।

5.3 आईडीए पैटर्न के अधीन कामगारों हेतु मजूरी संशोधन

5.3.1 लोक उद्यम विभाग ने अपने दिनांक 24 नवम्बर, 2017 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा केन्द्रीय केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों के संघबद्ध कामगारों के साथ वेतन के सम्बन्ध में बातचीत के आठवें दौर के लिए नीतिगत दिशानिर्देश जारी किए हैं (जो सामान्य रूप से 01 जनवरी, 2017 से लागू है)। डीपीई के दिनांक 24.11.2017 के कार्यालय ज्ञापन के पैरा 2 (xi) के अनुसार दिनांक 01.01.2017 से वेतन संबंधी बातचीत की वैधता उन लोगों के लिए पांच वर्ष की न्यूनतम अवधि होगी जिन्होंने पांच वर्ष की आवधिकता का विकल्प चुना है और उन लोगों के लिए अधिकतम दस वर्ष की अवधि होगी जिन्होंने मजदूरी

संबंधी बातचीत की दस वर्ष की आवधिकता का विकल्प चुना है।

5.4 केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों में सीडीए पद्धति के अधीन कर्मचारियों के वेतन में संशोधन

5.4.1 सीडीए पैटर्न वाले वेतनमान, 69 केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों के उन लिपिकीय कर्मचारियों, संघबद्ध संवर्गों और कार्यकारी अधिकारियों पर लागू हैं जो 1.1.1986 को और 31.12.1988 तक इन सीपीएसई की नामावाली में थे और उस दौरान सीडीए पैटर्न के वेतनमान ले रहे थे। सरकार द्वारा, माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 12.03.1986 के निर्देशों के अनुसरण में एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति (एचपीपीसी) का गठन किया था। एचपीसीसी ने दिनांक 24.11.1988 को सरकार के समक्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और इसकी सिफारिशें इन सीपीएसई पर लागू की गईं। इसके अलावा, माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 28.08.1991 के उत्तरवर्ती निर्देशों के साथ पठित दिनांक 03.05.1990 के निर्देशों के अनुसरण में, इन सीपीएसई में 01.01.1989 से आईडीए पैटर्न और संबंधित वेतनमान शुरू किए गए थे।

5.4.2 इसी प्रकार, सीडीए पैटर्न का पालन करने वाले सीडीएसई के कर्मचारियों के लिए, डीपीई ने दिनांक 17.08.2017 के कार्यालय ज्ञापन के जरिए 01.01.2016 से प्रभावी वेतनमानों और भत्तों के संशोधन के लिए दिशानिर्देश जारी किए। वेतन संशोधन का लाभ उन सीपीएसई के कर्मचारियों को अनुमत है, जो घाटे में नहीं हैं और सरकार से किसी भी प्रकार की बजटीय सहायता के बिना अपने संसाधनों से वेतन संशोधन के व्यय को वहन करने की स्थिति में हैं।

5.4.3 डीपीई ने दिनांक 21.05.2018 केऔर 04.07.2019 के कार्यालय ज्ञापन के जरिए सीपीएसईज़ के सीडीए कर्मचारियों के लिए लागू भत्तों के संबंध में सरकार के निर्णय की जानकारी दी।

5.5 हाल ही में जारी प्रासंगिक दिशानिर्देश

(i) केंद्र सरकार के कर्मचारियों को डीए और केंद्र सरकार के पेंशनरों को डीआर भुगतान की अतिरिक्त किस्त जो दिनांक 01.01.2020 से 30.06.2021 तक देय है को फ्रीज करने के संबंध में व्यय विभाग के दिनांक 23.04.2020 के का.ज्ञा. सं. 01/01/2020–ई–प्प(बी) के तहत जारी निर्देशों के आधार पर डीपीई ने 28.04.2019 के कार्यालय ज्ञापन के द्वारा सीपीएसईज़ के कर्मचारियों को भी इसे वेतन के सीडीए पैटर्न के अनुसार पृष्ठांकित किया है।

(ii) डीपीई ने 21.08.2020 के कार्यालय ज्ञापन के तहत सभी प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध किया है कि वे पीआरपी/भत्तों में कमी के संबंध में डीपीई कार्यालय ज्ञापन सं. डब्ल्यू–02/0028/2017–डीपीई (डब्ल्यूसी)–जीएल–XIII/17 दिनांक 03.08.2017 के पैरा 3(iv)(ख) के परिप्रेक्ष्य में अपने प्रशासनिक नियंत्रण के तहत सीपीएसईज़ की लाभकारिता की समीक्षा पर आवश्यक कार्रवाई करें ।

(iii) लोक उद्यम विभाग ने दिनांक 19.11.2020 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से वर्ष 2017, 2007, 1997, 1992 तथा 1987 आईडीए वेतनमान आहरित करने वाले कर्मचारियों के औद्योगिक मंहगाई भत्ते को वर्तमान दरों पर दिनांक 30 जून, 2021 तक रोकने (फ्रीज) के दिशा–निर्देश दिए हैं।

अध्याय 6

केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों का वर्गीकरण

6.1 केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों को चार अनुसूचियों में बांटा गया है; यथा 'क', 'ख', 'ग' एवं 'घ'। केंद्रीय–सरकारी लोक उद्यमों के श्रेणीकरण का निहितार्थ मुख्यतया संबंधित केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यम के संगठनात्मक ढांचे और निदेशक मण्डल स्तर के पदधारियों के वेतन के संबंध में है। इसकी 'रत्न' स्कीम के अंतर्गत केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों के निदेशक मण्डलों को स्वायत्तता प्रदान करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका है।

6.2 प्रारंभ में, साठ के दशक के मध्य में सरकारी उद्यमों का वर्गीकरण अर्थव्यवस्था में उनके महत्व तथा उनकी समस्याओं की जटिलता के आधार पर किया गया था। बाद के वर्षों में लोक उद्यम विभाग ने केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के वर्गीकरण / पुनर्वर्गीकरण के उद्देश्य से विविध मानदण्डों का विकास किया है। यह वर्गीकरण गुणात्मक मानदण्डों यथा निवेश, नियोजित पूंजी, निवल बिक्री, कर पूर्व लाभ, कर्मचारियों व यूनिटों की संख्या, अतिरिक्त क्षमता, प्रति कर्मचारी राजस्व, नियोजित बिक्री / पूंजी क्षमता प्रयोग, प्रति कर्मचारी मूल्य संवर्द्धन और गुणात्मक कारक जैसे राष्ट्रीय महत्व, कंपनी द्वारा सामना की जा रही समस्याओं की जटिलताएं, प्रौद्योगिकी स्तर, विस्तार की संभावनाएं एवं क्रियाकलापों का विविधीकरण तथा अन्य क्षेत्रों से प्रतिस्पर्धा आदि पर आधारित है। अन्य कारक, जहां कहीं उपलब्ध हैं, शेयर मूल्य, एमओयू रेटिंग, महारत्न / नवरत्न / मिनीरत्न दर्जा और आईएसओ प्रमाणन से सम्बद्ध हैं। इसके अतिरिक्त, निगम के गंभीर/ कार्यनीतिक महत्व से संबंधित कारकों को भी ध्यान में रखा जाता है। वर्तमान प्रक्रिया में संबद्ध प्रशासनिक मंत्रालय में तथा लोक उद्यम विभाग में प्रस्तावों पर विचार किया जाता है तथा लोक उद्यम विभाग इस मामले में लोक उद्यम चयन मण्डल से विचार विमर्श करता है। वर्तमान में (31.03.2018 तक) अनुसूची 'क' में 66, अनुसूची 'ख' में 65, अनुसूची 'ग' में 44 तथा अनुसूची 'घ' में 5 केन्द्रीय सरकारी उद्यम हैं। केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों की अनुसूची–वार सूची **अनुबंध–8** पर दी गई है।

6.3 नई स्पेस इंडिया लिमिटेड (एनएसआईएल) का अनुसूची 'ए' सीपीएसई के रूप में प्रारंभिक वर्गीकरण के प्रस्ताव पर सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड के परामर्श से विचार विमर्श किया गया था और इस पर सहमति हुई थी।

6.4 आईआरएफसी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में भारतीय रेलवे वित्त निगम लिमिटेड (आईआरएफसी) के प्रबंध निदेशक को फिर से नामित करने के रेल मंत्रालय के प्रस्ताव पर सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड के परामर्श से विचार किया गया और इस पर सहमति बनी।

6.5 स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) के निदेशक मंडल के पुनर्गठन के लिए इस्पात मंत्रालय के प्रस्ताव पर सहमति बनी।

6.6 सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के निदेशक (एचआर) के पद को समाप्त करने के प्रस्ताव की सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड के परामर्श से जांच की गई और इस पर सहमति बनी।

अध्याय 7

रूग्ण/घाटा उठाने वाले सीपीएसईज़ का पुनरुद्धार एवं पुनर्गठन

7.1 प्रस्तावना

7.1.1 ऐतिहासिक तौर पर देश के सामाजिक–आर्थिक विकास में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई) एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। समय के अंतराल में सीपीएसई की संख्या, उनके निवेश, कारोबार, लाभ और राजकोष में उनका योगदान, में लगातार वृद्धि हो रही है। जबकि सीपीएसई, एक समूह के रूप में, एक ओर विकास के मार्ग पर अग्रसर हैं, वहीं कुछ सीपीएसई पिछले कई वर्षों से घाटे का सामना कर रहे हैं। चूंकि केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई) गतिशील बाजार स्थितियों के तहत कार्य करते हैं, इसलिए उनके कार्यप्रदर्शन में उतार – चढ़ाव का होना बहुत स्वाभाविक है। कई मामलों में, उनकी संचित हानि उनके शुद्ध मूल्य से भी अधिक हो चुकी है, जिसके चलते ऐसे उद्यम रूग्ण हो गए हैं। हालांकि घाटा / रूग्णता के कारण एक उद्यम से दूसरे उद्यम में भिन्न हो सकते हैं, ऐसे सीपीएसई के कार्यप्रदर्शन में सुधार के लिए सरकार ने कई उपाय किए हैं। सीपीएसई कंपनियों से अपेक्षा की जाती है कि विकास को बनाए रखने और इनकी व्यवहार्यता के उद्देश्य से उन्हें वाणिज्यिक विचारों पर कार्य करना चाहिए। सरकार का मानना है कि उनके कार्यनीतिक और राष्ट्रीय महत्व को ध्यान में रखते हुए और उनकी व्यावसायिक चिंताओं का समाधान करने के बाद ऐसे रूग्ण/घाटे में चलने वाले सीपीएसईज़ का पुनरुद्धार / पुनर्गठन किया जाना चाहिए। तदनुसार, सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी प्राप्त करने के उपरांत ही ऐसे रूग्ण/घाटे में चलने वाले सीपीएसईज़ के पुनरुद्धार/पुनर्गठन की योजना संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों और सीपीएसई बोर्ड द्वारा तैयार की जाती ।

7.2 केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों में घाटे और रूग्णता के कारण

7.2.1 सीपीएसईज़ में घाटे और रूग्णता के कारण उद्यम–वार अलग–अलग हैं। तथापि, केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों में रूग्णता की कुछ सामान्य समस्याओं में पुराने संयंत्र एवं मशीनरी, पुरानी प्रौद्योगिकी, कम क्षमता उपयोग, कम उत्पादन, खराब ऋण–इक्विटी अवसंरचना, अत्याधिक जनशक्ति, कमजोर विपणन कार्यनीति, कड़ी प्रतिस्पर्धा, व्यापारिक योजनाओं में कमी, सरकारी आदेशों पर निर्भरता, अधिक ऋण भार, अत्याधिक इनपुट, लागत संसाधनों की कमी आदि शामिल हैं। निजीकरण, उदारीकरण और सुधरती आर्थिक व्यवस्था के साथ बहुत से केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यम जो तेजी से विकास नहीं कर पाए, निजी कम्पनियों से पीछे रह गए और घाटे में चलने वाले रूग्ण सीपीएसईज़ में बदल गए। अतः, विभिन्न उपायों के जरिए इन केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों में "रूग्णता" से निपटने के लिए प्रयास किए गए हैं।

7.3 केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों (सीपीएसईज़) के पुनरुद्धार / पुनर्गठन के तंत्र को युक्तिसंगत बनाना

7.3.1 रूग्ण/घाटे में चल रहे सीपीएसईज़ के पुनरुद्धार/पुनर्गठन के लिए बहु तंत्र मौजूद है। सरकार ने केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों के पुनरुद्धार/पुनर्गठन के तंत्र एवं प्रक्रिया को समयबद्ध, व्यापक, निष्पादन उन्मुख एवं सक्षम बनाने के लिए कदम उठाए हैं। सरकार ने निर्णय लेने की प्रक्रिया में बहु स्तरीय स्थिति को दूर करने का निर्णय लिया है ताकि रुग्ण केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों का समय से पुनरुद्धार / पुनर्गठन सुनिश्चित किया जा सके। यह निर्णय लिया गया है कि रुग्ण

/ शुरुआती रुग्ण केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों का पुनरुद्धार/पुनर्गठन केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यम के रणनीतिक, राष्ट्रीय एवं व्यावसायिक हितों को ध्यान में रखते हुए मेरिट के आधार पर किया जाना चाहिए।

7.3.2 पूर्व में रूग्ण औद्योगिक कंपनियों को पुर्नगठन प्लान के सुझाव के लिए औद्योगिक और वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड (बीआईएफआर) को भेजा जाता था। बीआईएफआर को अब समाप्त कर दिया गया है और यह कार्य कंपनी अधिनियम 2013 और दिवाला/दिवालियापन कोड 2016 के तहत एनसीएलटी द्वारा किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त संदर्भित सीपीएसईज़ के पुनर्गठन और पुनरूद्धार योजना के लिए सरकार को सुझाव देने के संबंध में 2004 में लोक उद्यम पुनर्गठन बोर्ड (बीआरपीएसई) का सृजन किया गया। तथापि, इसे नवम्बर, 2015 में बंद कर दिया गया। इसके पश्चात संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग उनके अधीन कार्यरत सीपीएसईज़ की रूग्णता की निगरानी करने और सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से यथासमय सुधारक मानदंड अपनाने के उत्तरदायी है।

7.3.3 इस अंतर को भरने और कमजोर और रूग्ण सीपीएसईज़ की पहचान करने में सहायता करने के लिए लोक उद्यम विभाग ने "रुग्ण / शुरुआती रुग्ण तथा कमजोर केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों के पुनरुद्धार के लिए तंत्र को युक्तिसंगत बनाना; पुनगर्ठन का सामान्य सिद्धान्त एवं तंत्र" पर दिनांक 29 अक्टूबर, 2015 को दिशानिर्देश जारी किया है। इन दिशा–निर्देशों का पालन प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों द्वारा उनके प्रशासनिक नियंत्रण में केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों के पुनरुद्धार/पुनर्गठन अथवा बन्द करने के लिए प्रस्तावों को तैयार करते समय किया जाना है और अनुमोदित योजनाओं को कार्यान्वित भी करना है। दिशानिर्देश **अनुबंध–9** में दिए गए हैं।

7.3.4 ये दिशा–निर्देश रुग्ण अथवा शुरुआती रुग्ण केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों के पुनर्गठन / पुनरुद्धार अथवा बन्द करने के लिए तंत्र को युक्तिसंगत बनाने तथा इसी प्रयोजन के लिए बहु विकल्पों का स्थान लेने के लिए तैयार किए गए हैं।

7.4 रुग्ण, शुरुआती रुग्ण तथा कमजोर सरकारी लोक उद्यमों की परिभाषा:

(i) रुग्ण केंद्रीय सरकारी लोक उद्यम:

रुग्ण केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यम दिशानिर्देशों के अनुसार, किसी सीपीएसई को रुग्ण माना जाता है यदि ये निम्नलिखित मानदंडों में से किसी एक को पूरा करती हैं :

क. यदि इसे कम्पनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों के तहत रुग्ण घोषित किया गया हो।

ख. यदि इसका निवल मूल्य नकारात्मक हो।

(ii) प्रारंभिक रुग्ण केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यम:

दिशा निर्देशों के अनुसार किसी केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यम को प्रारंभिक रुग्ण तब माना जाता है जब यह निम्न 01 मानक को पूरा करती है:

क. यदि किसी वित्त वर्ष में इसका निवल मूल्य उसकी प्रदत पूंजी के 50% से कम हो।

ख. यदि इसने निरन्तर 3 वर्षों तक घाटा उठाया हो।

(iii) कमजोर केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यम:

दिशा निर्देशों के अनुसार किसी केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों को कमजोर या कम कार्य निष्पादित तब माना जाएगा जब यह निम्न में से एक मानक पूरा करता है:

क. यदि पिछले 3 वर्षों के दौरान इसका कुल कारोबार या इसके प्रचालनात्मक लाभ में औसतन 10% से अधिक की गिरावट हो।

ख. यदि इसका कर पूर्व लाभ अन्य स्रोतों से होने वाली आय से कम हो।

ग. यदि इसके ट्रेड रिसीवेबल और इन्वैटरीज केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों के निवल मूल्य के 50% अधिक है।

घ. यदि कम्पनी के विरुद्ध दावे, जो देनदारियां नहीं हैं, इसके निवल मूल्य से ज्यादा है।

ङ. सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों के कार्य निष्पादन में कमजोरी के आरंभिक

लक्षणों को पहचानते हुए यथा निर्धारित कोई अन्य मानक।

निवल मूल्यों के सभी संदर्भों में इसका अभिप्राय कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (57) के तहत दी गई परिभाषा के अनुसार होगा।

7.4.1 दिशानिर्देशों के अनुसार, प्रशासनिक मंत्रालय / विभाग अपने नियंत्रण के अधीन कार्यरत केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों को रुग्ण, प्रारंभिक रूग्ण और कमजोर श्रेणियों में वित्त वर्ष के समाप्त होने से 06 माह के भीतर या वार्षिक लेखा को अन्तिम रूप दिए जाने के 01 माह के भीतर जो भी पहले हो, श्रेणीकृत करेगा। संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय / विभाग दिशानिर्देशों में उल्लिखित सिद्धान्तों के अनुसार रुग्ण केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों के संबंध में पुनरुद्धार / पुनर्गठन / बन्द करने का रोड़ मैप तैयार करेगा। इस कार्य को विद्यमान रुग्ण केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों के मामले में इन दिशानिर्देशों के जारी होने के 03 माह के भीतर और किसी केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों को रुग्ण बनने के वित्त वर्ष के अन्त से 09 माह के भीतर किया जाएगा।

7.4.2 **प्रशासनिक मंत्रालय निम्न कार्रवाई करेगा :–**

(क) प्रशासनिक मंत्रालय कमजोर केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों को "पर्यवेक्षण और गहन समीक्षा" के अंतर्गत रखेगा ताकि ऐसे केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों में रूग्णता के शुरुआती कारणों को पकड़ा जा सके। इसमें, निदेशक मण्डल में स्वतंत्र विशेषज्ञ सदस्यों को नामित करना, निदेशक मण्डल स्तर पर उपचारात्मक, व्यापारिक, प्रचालनात्मक और वित्तीय उपाय करने के लिए तिमाही गहन समीक्षा या विशेष समीक्षा करना, गिरते कार्य–निष्पादन या गैर कार्य–निष्पादन के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित करना या प्रशासनिक मंत्रालय या विभाग द्वारा यथोचित और आवश्यक कोई अन्य उपाय शामिल हो सकता है।

(ख) प्रशासनिक मंत्रालय पुर्गठगन/पुनरुद्धार योजना को तैयार करने की प्रक्रिया आरम्भ करेगा जिसमें वित्त वर्ष के समाप्त होने से 06 माह के भीतर या वार्षिक लेखा को अन्तिम रूप दिए जाने के 01 माह जो भी पहले हो, के भीतर दी गई श्रेणी के आधार पर रुग्ण/प्रारंभिक रुग्ण केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों का विनिवेश या निजीकरण या बन्द करने का विकल्प शामिल है।

(ग) रुग्ण और प्रारंभिक रुग्ण केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों के लिए पुनर्गठन और पुनरुद्धार योजना वित्त वर्ष के समाप्त होने के 09 माह के भीतर तैयार की जाएगी।

(घ) व्यापारिक वातावरण, प्रचालनात्मक मामले, प्रौद्योगिकी विकल्पों और उन क्षेत्रों की वित्तीय व्यवहारिकता जिसमें ऐसे केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यम प्रचालनरत है, में अनुभवी और विशेषज्ञता वाली बाह्य विशेषज्ञ एजेंसी को भारत सरकार कार्य सौंप सकती है और यह प्रशासनिक मंत्रालय के पर्यवेक्षण में भावी रोड़ मैप तैयार करने का कार्य करेगी।

7.5 रूग्ण / और घाटा उठाने वाले केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों को समयबद्ध रुप से बन्द करने और उनकी चल एवं अचल परिसम्पत्तियों के निपटान संबंधी दिशानिर्देश

7.5.1 दिनांक 06.06.2018 को सरकार की मंजूरी के अनुसार, लोक उद्यम विभाग (डीपीई) ने अपने कार्यालय ज्ञापन सं.डीपीई/5(1)/2014–वित्त (भाग–1) दिनांक 14.06.2018 के माध्यम से 'रुग्ण/घाटे में चल रहे केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (सीपीएसई) को समयबद्ध तरीके से बंद करने हेतु तथा उनकी चल तथा अचल संपत्तियों के निपटान के लिए दिशानिर्देश' सभी मंत्रालयों/विभागों को जारी किए हैं। यह दिनांक 07.09.2016 को इस विषय पर पूर्व में डीपीई द्वारा जारी सभी दिशानिर्देशों को प्रतिस्थापित करता है। विस्तृत दिशानिर्देश **अनुबंध –10** में दिए गए हैं।

7.5.2 इन दिशानिर्देशों का आशय इन केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमो को बन्द करने हेतु विभिन्न प्रक्रियाओं एवं पद्धतियों को शीघ्र पूरा करना है और इसमें वित्त मंत्रालय, नीति आयोग जैसे नोडल विभागों / संगठनों द्वारा दी जाने वाले अपेक्षित सहायता सहित संबंधित मंत्रालयों / विभागों / केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों के उत्तरदायित्वों का उल्लेख है। संशोधित दिशानिर्देशों में बंद होने वाले सीपीएसई के संबंध में चरण–दर–चरण प्रक्रिया और इसकी परिसंपत्तियों के निपटान के बारे

में समय– सारिणी की मैट्रिक्स निर्धारित की गई है। रूग्ण/ घाटा उठानेवाले सीपीएसई को समयबद्ध तरीके से बंद करने संबंधी दिशा–निर्देशों में समान रूप से, बंद होने वाले सीपीएसई के कर्मचारियों को 2007 के कल्पित वेतनमान पर वीआरएस/वीएसएस के भुगतान का प्रावधान है चाहे कंपनी के मौजूदा वेतनमान कुछ भी हों।

7.5.3 इसके अतिरिक्त, लोक उद्यम विभाग ने अपने सीपीएसईज को बदं करने के लिए मंत्रिमण्डल/ सीसीईए के अनुमोदन की मांग के मद्देनजर प्रस्ताव तैयार करते हुए अन्य बातों के साथ–साथ भारत सरकार के बकाया ऋणों (और इस राशि पर ब्याज) के अधित्याग को शमिल करने तथा उक्त दिशानिर्देशों के पैरा 4.1.8 (i) के अंतर्गत निधियन को बंद करने की मांग करते हुए इसे प्रस्तावित बजटीय सहायता में शामिल करते हुए प्रस्तावों के मामले में अनुप्रयोज्य एमएटी देयता का आकलन करने के लिए दिनांक 12.02.2019 को सीपीएसईज के प्रशासनिक मंत्रालयों/ विभागों को स्पष्टीकरण जारी किया ।

7.6 रूग्ण / और घाटा उठाने वाले केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों (सीपीएसई) को समय बद्ध रुप से बन्द करने की प्रयोज्यता

7.6.1 ये दिशानिर्देश सभी रूग्ण/घाटा उठाने वाले केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों पर लागू होंगे, जबः–

(i) सीसीईए / मंत्रिमण्डल से प्रशासनिक मंत्रालय / विभाग द्वारा बन्द करने का अनुमोदन/ सैद्धांतिक अनुमोदन ले लिया गया है; या

(ii) प्रशासनिक मंत्रालय / विभाग ने सीपीएसई के बंद होने संबंधी निर्णय लेने के बाद सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी प्राप्त करने की प्रक्रिया चल रही है।

नोटः ये दिशानिर्देश, परिसमापन के अधीन ऐसे सीपीएसईज़ पर लागू नहीं होंगे जहां परिसमापक नियुक्त किया गया है। इन सीपीएसई के प्रशासनिक मंत्रालय/ विभाग, नीति आयोग के परामर्श से और परिसमापन प्रक्रिया की कानूनी अपेक्षाओं के अनुसार, सीपीएसई को बंद करने और चल / अचल संपत्तियों के निपटान से संबंधित आवश्यक कार्रवाई करें।

अध्याय 8

परामर्श, पुनर्प्रशिक्षण तथा पुनर्नियोजन योजना

8.1 लोक उद्यम विभाग द्वारा वर्ष 2001–02 से केन्द्रीय सरकारी उद्यमों (डीपीई) के युक्तिसंगत कर्मचारियों के लिए परामर्श, पुनर्प्रशिक्षण एवं पुनर्नियोजन (सीआरआर) की स्कीम लागू की जा रही है। सी आर आर योजना को नवम्बर, 2007 में संशोधित किया गया था ताकि उसके कार्यक्षेत्र और कवरेज को बढ़ाया जा सके। यदि वी आर एस विकल्पधारी स्वयं उसमें शामिल नहीं होना चाहता तो इसके लिए वी आर एस विकल्पधारी का एक आश्रित भी पात्र होगा। प्रशिक्षण प्रदाताओं के नेटवर्क में विस्तार करने और प्रशिक्षण, डिजाइन एवं डिलीवरी की मानकीकृत पद्धति का पालन करने के लिए स्कीम में फरवरी, 2016 में पुनः संशोधन किया गया है।

8.2 सीआरआर योजना के उद्देश्यः

i. सीपीएसईज़ के पृथक्कृत कर्मचारियों को मुख्य धारा की अर्थव्यवस्था में लाना और इस प्रकार राष्ट्रीय आय में योगदान करना।

ii. नए वातावरण में समायोजन तथा नये काम–धन्धे अपनाने के लिए तैयार होने में वीआरएस / वीएसएस विकल्पधारियों / आश्रितों को सक्षम बनाने के लिए उनका पुनराभिमुखीकरण ।

iii. उनके पुनर्नियोजन हेतु वीआरएस विकल्पधारियों / आश्रितों का कौशल विकास।

iv. प्रशिक्षु को उत्पाद / सेवा के चयन में सहायता करने के लिए विभिन्न उद्योग एसोसिएशनों की जानकारी जो कि सीआरआर स्कीम का एक घटक भी है।

v. केंद्रीय एवं राज्य सरकार की विभिन्न ऋण सहायता / सब्सिडी स्कीमों की जानकारी।

8.3 सीआरआर योजना के मुख्य घटक परामर्श, पुनर्प्रशिक्षण तथा पुनर्नियोजन हैं।

परामर्शः परामर्श पृथक्कृत कर्मचारियों के पुनर्स्थापना कार्यक्रम के लिए बुनियादी पूर्वापेक्षा है। पृथक्कृत–कर्मचारियों को सुनिश्चित आजीविका गंवाने के आघात को सहने तथा नई चुनौतियों का सामना करने के लिए मनोवैज्ञानिक काउंसिलिंग की आवश्यकता होती है और साथ ही विवेकपूर्ण ढंग से प्रतिपूर्ति राशि की आयोजना हेतु भी सहायता की जरूरत होती है। उन्हें बाजार अवसरों के नए माहौल के प्रति अवगत कराने की भी आवश्यकता है ताकि अपनी योग्यता एवं विशेषज्ञता के आधार पर वह आर्थिक कार्यकलाप कर सकें और उत्पादन प्रक्रिया का हिस्सा बने रह सकें।

पुनर्प्रशिक्षणः ऐसे प्रशिक्षण का उद्देश्य पृथक्कृत कर्मचारियों को पुनर्स्थापना के लिए सहायता प्रदान करना है। प्रशिक्षुओं को नए रोजगार शुरू करने तथा अपनी नौकरी गंवाने के पश्चात लाभकारी प्रक्रिया में पुनः शामिल होने के लिए आवश्यक कौशल / विशेषज्ञता / उन्मुखीकरण हासिल करने में सहायता की जाएगी। काउंसिलिंग के दौरान तय किए गए व्यवसाय के अनुसार ये प्रशिक्षण कार्यक्रम अल्पावधि कार्यक्रम होंगे।

पुनर्नियोजनः प्रयास किया जाएगा कि काउंसिलिंग तथा पुनर्प्रशिक्षण प्रयासों के जरिए ऐसे पृथक्कृत कर्मचारियों को उत्पादन प्रक्रिया में पुनर्नियोजित किया जाए। कार्यक्रम के अंत में वीआरएस / वीएसएस विकल्पधारी / आश्रित को स्व / सवेतन रोजगार के वैकल्पिक व्यवसायों में शामिल होने में सक्षम होना चाहिए। यद्यपि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि पृथक्कृत कर्मचारी को वैकल्पिक रोजगार निश्चित रूप से मिलेगा, तथापि नया रोजगार शुरू करने के लिए

अभिज्ञान नोडल प्रशिक्षण एजेंसियों के साथ – साथ संबंधित सीपीएसईज़ द्वारा हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी।

8.4 सीआरआर स्कीम का लक्षित समूह अनन्य है और सरकार की अन्य कौशल विकास स्कीमों से हट कर है। अधिकांशतः वीआरएस / वीएसएस विकल्पधारियों की आयु 58 वर्ष से कम है। कार्यक्रम में प्रावधान है कि यदि वीआरएस विकल्पधारी स्वयं उसमें शामिल नहीं होना चाहता तो स्कीम के लाभ वीआरएस विकल्पधारी के एक आश्रित को भी दिए जा सकते हैं। स्कीम के फोकस में स्कीम के लाभ वीआरएस/वीएसएस विकल्पधारी को अथवा उसके बदले उसके आश्रित (एक व्यक्ति प्रति परिवार) को प्रदान किए जाने की परिकल्पना की गई है।

8.5 योजना की सफलता के लिए केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की भूमिका महत्वपूर्ण है। उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे पृथक्कृत कर्मचारियों को कार्यमुक्त करने से पहले उनकी क्षतिपूर्ति/देयताओं का भुगतान करके उनके कल्याण के लिए हर संभव सहायता प्रदान करें। कर्मचारियों के साथ लम्बे संबंधों के कारण केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यम पुनः प्रशिक्षण संबंधी उनकी आवश्यकताओं को अभिज्ञात करने की बेहतर स्थिति में होते हैं।

8.6 इस योजना के अंतर्गत प्रशिक्षित व्यक्तियों की वर्षवार संख्या इस प्रकार है:–

वर्ष	प्रशिक्षित वीआरएस विकल्पधारियों की संख्या
2001-02	8064
2002-03	12066
2003-04	12134
2004-05	28003
2005-06	32158
2006-07	34398
2007-08	9728
2008-09	9772
2009-10	7400
2010-11	9265
2011-12	9400
2012-13	7506
2013-14	3230
2014-15	2525
2015-16	3150
2016-17	1576
2017-18	2000
2018-19	2000
2019-20	1146@
कुल	**1,95,521**

@ कोविड–19 के कारण सीआरआर के तहत प्रशासित किए जा रहे कार्यक्रम में व्यवधान है क्योंकि इस अवधि के दौरान उन्हें लंबित रखा जाना है जिससे समय अधिक लग रहा है ।

8.7 सीआरआर योजना –2019–20

8.7.1 स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस) या उनके आश्रितों के तहत सेवा छोड़ने वाले सीपीएसईज़ के कर्मचारियों को राष्ट्रीय कौशल योग्यता कार्यढांचा (एनएसक्यूएफ) के तहत कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) के तहत लोक उद्यम विभाग (डीपीई), राष्ट्रीय कौशल विकास निधि (एनएसडीएफ) के बीच 2019–20 के लिए त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं; एक वर्ष की अवधि में।

8.7.2 वर्ष के दौरान कौशल प्रशिक्षण के लिए निम्नलिखित नौकरी भूमिकाओं का चयन किया गया है:

क्रम सं.	नौकरी की भूमिका	क्षेत्र
1	सहायक इलेक्ट्रीशियन	निर्माण
2	कैटरिंग मैनेजर	पर्यटन और आतिथ्य
3	घरेलू डाटा एंट्री ऑपरेटर	आईटी–आईटीईएस
4	फील्ड इंजीनियर – आरएसीडब्ल्यू	इलेक्ट्रॉनिक्स और हार्डवेयर
5	फील्ड तकनीशियन – अन्य घरेलू उपकरण	
6	फील्ड टेक्नीशियन – यूपीएस और इन्वर्टर	
7	मेडिकल लेबोरेटरी तकनीशियन	स्वास्थ्य देखभाल
8	प्लंबर (जनरल)	प्लंबिंग
9	रिटेल सेल्स एसोसिएट	खुदरा
10	स्व नियोजित	परिधान, मेड–अप और होम फर्निशिंग

1500 का लक्ष्य निर्धारित किया गया था जिसके प्रति 1021 प्रशिक्षण पूरे किए गए हैं और कोविड–19 के कारण मूल्यांकन एवं प्रमाणन लंबित है। तैनाती के आंकड़ों का यथासमय पता चल जाएगा ।

8.7.3 पिछले पांच वर्षों के दौरान बीई और आरई के तहत निधियों के आवंटन और सीआरआर योजना के तहत उपयोग के साथ–साथ वास्तविक और वित्तीय उपलब्धि इस प्रकार है:

विवरण	इकाई	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19	2019–20
लक्ष्य	सं.	3000	2000	2000	2000	1500
उपलब्धि	सं.	3150	1576*	2000	2000	1146
पुनर्तैनाती	सं.	1637	769	1371	1347	@
बीई	(रुपए करोड़ में)	3.20	3.20	3.00	3.00	3.50
आरई	(रुपए करोड़ में)	2.97	2.32	2.67	3.96	3.85
वास्तविक	(रुपए करोड़ में)	2.83	2.06	2.59	3.86	3.30

* *एनएसडीसी पहली बार जुड़ा था। उन्हें वीआरएस ऑप्टिस की पहचान/लामबंदी में कुछ दिक्कतें आई थीं। इसलिए फरवरी, 2017 में देर से ट्रेनिंग शुरू हुई। वर्ष के दौरान 2000 के निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध 1576 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित किया गया।.*

@ *एनएसडीसी से प्राप्त अंतिम जानकारी के अनुसार लक्षित 1500 उम्मीदवारों में से 1021 उम्मीदवारों के संबंध में प्रशिक्षण पूरा किया गया। यद्यपि मार्च 2020 से लॉकडाउन प्रतिबंध के कारण मूल्यांकन, प्रमाणन और पुर्नतेनाती लंबित है ।*

अध्याय 9

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस)

9.1 कुछ केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों के पुनर्गठन के परिणामस्वरूप, सरकार ने अक्टूबर, 1988 में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस) की घोषणा की थी। बाद में लोक उद्यम विभाग द्वारा मई, 2000 में एक व्यापक पैकेज अधिसूचित किया गया था। अक्टूबर, 1988 में वीआरएस स्कीम शुरू होने के बाद मार्च, 2019 तक वीआरएस के अन्तर्गत लगभग 6.28 लाख कर्मचारियों को रिलीज किया जा चुका है।

9.2 केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के ऐसे उद्यमों में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना, जो स्वयं अपने स्तर पर इसे वहन कर सकें

वित्तीय रूप से सक्षम सरकारी क्षेत्र के उद्यम, जो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का व्यय स्वयं वहन कर सकते हैं, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की अपनी योजना स्वयं बना सकते हैं और इसका विकल्प लेने वाले कर्मचारियों के लिए इसे काफी आकर्षक बना सकते हैं। वे सेवा के प्रत्येक पूरे हुए वर्ष के लिए 60 दिन के वेतन (केवल मूल वेतन + महंगाई भत्ता) के तुल्य क्षतिपूर्ति कर सकते हैं। तथापि, ऐसी क्षतिपूर्ति सेवा की शेष अवधि के वेतन से अधिक नहीं होगी।

9.3 मामूली लाभ वाले अथवा घाटा उठाने वाले / रुग्ण / अर्थअक्षम केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना

मामूली रूप से लाभ अर्जित करने वाली / घाटा उठाने वाली रुग्ण एवं अर्थअक्षम युनिटों निम्नलिखित मॉडल में से किसी एक को अपना सकती हैं:

गुजरात मॉडल जिसके अंतर्गत सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 35 दिन का वेतन तथा सेवानिवृत्ति होने तक सेवा की शेष अवधि के प्रत्येक वर्ष के 25 दिनों के वेतन की प्रतिपूर्ति का आकलन किया जाता है, बशर्ते कि प्रतिपूर्ति, अधिवर्षिता के लिए शेष बची अवधि के लिए कुल वेतन से अधिक नहीं होगी।

भारी उद्योग विभाग (डीएचआई) मॉडल, जिसके अनुसार पूरी की गई सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए 45 दिनों के परिलाभों (वेतन + महंगाई भत्ता) अथवा सेवा की शेष अवधि के कुल परिलाभ, इनमें से जो भी कम हो, अनुग्रह राशि प्राप्त कर सकते हैं। जो कर्मचारी कम से कम 30 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके हैं, वे क्षतिपूर्ति के रूप में अधिकतम 60 (साठ) महीने का वेतन / मजूरी प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे और बशर्ते यह शेष बची हुई सेवा अवधि के लिए वेतन / मजूरी की राशि से अधिक न हो।

अध्याय 10

कार्यपालक विकास कार्यक्रम

10.1 केंद्रीय सरकारी लोक उद्यम (सीपीएसईज़) अपने स्वयं के मानव संसाधन विकास कार्यक्रम तैयार करते हैं जिसके अंतर्गत वे मध्यम एवं वरिष्ठ स्तर के कार्यपालकों को अपने स्वयं के प्रबंधन संस्थानों द्वारा या भारत के प्रमुख प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थानों की सेवाएं आउटसोर्स द्वारा प्राप्त करके, प्रबंधन विकास के विभिन्न क्षेत्रों में उन्हें प्रशिक्षण देकर उनका कौशल विकास तथा उनके ज्ञान में वृद्धि करते हैं।

10.2 लोक उद्यम विभाग सार्वजनिक उपक्रमों का स्थायी सम्मेलन (स्कोप) नई दिल्ली का कार्यकारी बोर्ड और शासी परिषद का पदेन सदस्य है।

10.3 सचिव, लोक उद्यम विभाग लोक उद्यम संस्थान, हैदराबाद के गवर्नरों के बोर्ड के सदस्य हैं।

10.4 भारत उद्यम संवर्द्धन अंतरराष्ट्रीय केन्द्र (आईसीपीई) का संस्थापक सदस्य है, इस संस्थान को विकासशील देशों के अंतःसरकारी संगठन के रूप में स्थापित किया गया था ताकि वे आर्थिक एवं सामाजिक विकास के महत्वपूर्ण साधन के रूप में अपने लोक उद्यमों के कार्य निष्पादन में सुधार ला सकें। वर्तमान में, आईसीपीई के महानिदेशक (सक्रिय), का पद स्लोवेनिया द्वारा धारित है। आईसीपी, परिषद के अध्यक्ष का पद भारत द्वारा धारित है। जिसका प्रतिनिधित्व सचिव लोक उद्यम विभाग के माध्यम से किया गया है। आईसीपीई अनुसंधान, शिक्षा, प्रशिक्षण, कंसलटेंसी कार्य करके और प्रलेखन एवं प्रकाशन कार्यकलापों के जरिए सूचना का प्रसार करके अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है जिसका उद्देश्य कारपोरेट अभिशासन, प्रबंधन और अन्य संबंधित क्षेत्रों से संबंधित बहुत से मुद्दों पर कल्पना एवं व्यवहार के बीच अंतर को कम करना है।

अध्याय 11

कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)

11.1 कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार लाभ अर्जित करने वाले सभी कारपोरेट जिनमें केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यम शामिल हैं जो 500 करोड़ रुपए निवल मूल्य या 1000 करोड़ रुपए के कारोबार या 5 करोड़ रुपए के निवल लाभ के संदर्भ में निर्धारित नियत सीमा से अधिक हों, को पिछले तत्काल 3 वर्षों के दौरान हुए कम्पनी औसत लाभ (कर पूर्व लाभ) का न्यूनतम 2% व्यय करने का शासनादेश है।

11.2 सीपीएसईज़ से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 में निहित प्रावधानों और कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा इसके अधीन अधिसूचित कंपनी (सीएसआर नीति) नियमावली, 2014 एवं अधिनियम की अनुसूची–VII, जिनमें ऐसी गतिविधियां सूचीबद्ध हैं, जो सीएसआर के तहत की जा सकती हैं, का अनुपालन किया जाना अपेक्षित है। लोक उद्यम विभाग द्वारा अगस्त, 2016 में सीएसआर के अंतर्गत कार्यकलापों के चयन और कार्यान्वयन में पारदर्शिता और अध्यवसाय के अनुपालन के संबंध में सीपीएसई को एक एडवाईजरी जारी की गई थी।

11.3 डीपीई ने केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसईज़) द्वारा आकांक्षी जिलों–कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पहलों के परिवर्तन पर होटल अशोक, नई दिल्ली में एक दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन में आकांक्षी जिला कार्यक्रम (एडीपी) में निहित सभी स्टेकधारको अर्थात नीति आयोग, स्वास्थ्य देखभाल, पोषण और स्कूली शिक्षा गतिविधियों के लिए सेक्टोरेल मंत्रालय/विभाग, आकांक्षी जिलों के जिलाधिकारी/जिला कलेक्टर, आकांक्षी जिलों के केंद्रीय/राज्य प्रभारी अधिकारी और सीपीएसईज़ के वरिष्ठ कार्यपालकों को बेहतर तालमेल विकसित करने के लिए एक साझा मंच पर लाने का प्रयास किया गया। सम्मेलन को माननीय मंत्री (भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय), नीति आयोग के सीईओ, डीपीई के सचिव और अन्य मंत्रालयों/विभागों के सचिवों ने संबोधित किया। प्रतिभागियों में सीएसआर पात्र सीपीएसईज़ के सीएसआर प्रमुखों, आकांक्षी जिलों के जिलाधिकारियों/जिला कलेक्टरों और केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त राज्य नोडल अधिकारियों, कार्यान्वयन एजेंसियों आदि के साथ सीएमडी/एमडी शामिल हैं ।

11.4 अप्रैल, 2018 में आयोजित सीपीएसईज़ कॉन्क्लेव की सिफारिशों के आधार पर, सक्षम प्राधिकरण के अनुमोदन से, लोक उद्यम विभाग ने सीपीएसईज़ द्वारा सीएसआर व्यय पर प्रत्येक वर्ष एक विषय आधारित केंद्रित दृष्टिकोण अपनाने के लिए सभी प्रशासनिक मंत्रालयों और सीपीएसई को 10.12.2018 को दिशानिर्देश जारी किए हैं। इन दिशा–निर्देशों में अन्य बातों के साथ–साथ यह प्रावधान किया गया है कि ऐसे विषयगत कार्यक्रमों के लिए सीएसआर व्यय सीपीएसईज़ के वार्षिक सीएसआर व्यय का लगभग 60 प्रतिशत होना चाहिए। नीति आयोग द्वारा चिह्नित आकांक्षी जिलों को वरीयता दी जाए। वित्त वर्ष 2020–21 के लिए निर्धारित सामान्य विषय 'स्वास्थ्य और पोषण' है।

अध्याय 12

केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों द्वारा अनुपालन रिपोर्ट

12.1 उद्योग पर विभाग संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने अपनी 216वीं रिपोर्ट में सिफारिश की थी कि लोक उद्यम विभाग को केन्द्रीय सरकारी उद्यमों द्वारा नीतियों और दिशानिर्देशों को कार्यान्वित करने में सार्थक और प्रभावी भूमिका निभानी चाहिए। इसके अनुपालन में, लोक उद्यम विभाग ने समझौता ज्ञापन दिशानिर्देश 2015–16 में प्रावधान किया है, जिसमें लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों का पालन न करने पर एक अंक काटने की व्यवस्था है। वर्ष 2017–18 से और उसके बाद, वित्तीय प्रभाव वाले डीपीई दिशानिर्देशों का अनुपालन न करने के लिए नकारात्मक अंकन के लिए एमओयू दिशानिर्देशों में प्रावधान किया गया है।

अध्याय 13

राजभाषा नीति

13.1 लोक उद्यम विभाग का हिन्दी अनुभाग मुख्यतः राजभाषा अधिनियम 1963 तथा उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के विविध उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी है। हिन्दी अनुभाग उन दस्तावेजों के अनुवाद के लिए उत्तरदायी है, जिन्हें राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अन्तर्गत जारी किया जाना अपेक्षित है। चूंकि, इस विभाग के 80% से अधिक कर्मचारी हिन्दी जानते हैं, इसलिए इस विभाग को राजभाषा नियम, 1976 के नियम 10(4) के अन्तर्गत अधिसूचित कर दिया गया है।

13.2 वर्ष 2019–20 के दौरान सभी संकल्पों, अधिसूचनाओं, सूचनाओं, परिपत्रों, संसद के सभा–पटल पर रखे जाने वाले कागजातों आदि को द्विभाषिक रूप में जारी किया गया है। हिन्दी में मूल पत्रचार बढ़ाए जाने हेतु भी प्रयास किए गए। लोक उद्यम विभाग की राजभाषा कार्यान्वयन समिति अपर सचिव की अध्यक्षता में काम कर रही है।

13.3 राजभाषा के रूप में हिन्दी के प्रति जागरूकता पैदा करने तथा उसके प्रयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस विभाग द्वारा 14 सितम्बर, 2020 से 30 सितंबर, 2020 तक हिन्दी पखवाड़ा आयोजित किया गया था। हिंदी पखवाड़े के दौरान अधिकारियों तथा संविदा पर कार्यरत कर्मियों सहित कर्मचारियों के लिए तीन प्रतियोगिताओं, यथा भाषा ज्ञान, श्रुत लेखन और चित्र वर्णन प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया।

13.4 इस विभाग द्वारा केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों के कार्यचालन के सम्बन्ध में लोक उद्यम सर्वेक्षण नामक वार्षिक रिपोर्ट संसद में प्रत्येक वर्ष प्रस्तुत की जाती है। यह एक विशाल एवं विस्तृत प्रलेख है जिसे विभाग द्वारा अंग्रेजी तथा हिन्दी दोनों भाषाओं में प्रकाशित किया जाता है।

अध्याय 14

महिलाओं का कल्याण

14.1 भारतीय संविधान की प्रस्तावना, मौलिक अधिकारों, मौलिक कर्तव्यों और निर्देशक सिद्धांतों में लैंगिक समानता का सिद्धांत प्रतिपादित हैं। संविधान न केवल महिलाओं के मामले में समानता का अधिकार प्रदान करता है बल्कि सरकार को भी महिलाओं के हित में सकारात्मक विचारण की शक्ति सौंपता है। लोकतांत्रिक नीति के कार्यढांचे के भीतर हमारे कानून, विकास नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं का उन्नयन है।

14.2 कार्यस्थल पर महिलाओं के लिए एक सुरक्षित निरापद तथा स्वस्थ माहौल सुनिश्चित करने के लिए, विभाग में महिला अधिकारी की अध्यक्षता में एक शिकायत समिति का गठन किया गया है। यौन उत्पीड़न के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों से इस विभाग में कार्यरत सभी व्यक्तियों को अवगत करा दिया गया है। कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न पर निगरानी रखने और उसे रोकने के लिए लोक उद्यम विभाग ने दिनांक 29 मई, 1998 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा सरकारी उद्यमों के मुख्य कार्यपालकों को पहले से ही विस्तृत दिशानिर्देश एवं मानदण्ड जारी कर दिए हैं।

14.3 विभाग की नीतियों/कार्यक्रमों में लैंगिक जवाबदेही को सुगम बनाने के लिए संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में जेंडर बजट सेल (जीबीसी) का गठन किया गया है। लैंगिक बजटिंग की दिशा में समन्वय बढ़ाने और निरंतर प्रयासों को समर्थन देने के लिए एक नोडल अधिकारी भी नामित किया गया है ।

14.4 विभाग में स्वीकृत पदों की कुल संख्या 118 है, जिनमें से 9 महिला कर्मचारियों सहित 80 अधिकारी/ कर्मचारी हैं। लोक उद्यम विभाग ने स्वस्थ तथा सौहार्दपूर्ण माहौल बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया है ताकि महिला कर्मचारी सम्मान, गरिमा और बिना भय के अपने दायित्वों का निर्वहन कर सके।

अध्याय 15

योजना–वार व्यय का विवरण

लोक उद्यम विभाग मांग संख्या 47

(रुपए हजार में)

योजनाएं	बजट अनुमान 2019–20	संशोधित अनुमान 2019–20	कुल व्यय 2019–20 31.03.2020 के अनुसार
सीआरआर स्कीम			
प्रकाशन	0	0	0
अन्य प्रशासनिक व्यय	500	500	0
व्यवसायिक एवं विशेष सेवाएं	33000	33000	33015
सहायता अनुदान	500	500	0
सीआरआर स्कीम एनईआर **(सहायता अनुदान)**	1000	1000	1000
आरडीसी स्कीम			
घरेलू यात्रा व्यय	2000	2000	910
विदेश यात्रा व्यय	500	500	0
प्रकाशन	2000	2000	1393
अन्य प्रशासनिक व्यय	9000	9000	6515
व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएं	27500	27500	28381
सहायता अनुदान	500	500	1
आईसीपीई को योगदान	10000	10000	10000
आरडीसी स्कीम एनईआर **(सहायता अनुदान)**	8500	8500	4266
कुल	**95000**	**95000**	**85481**

अध्याय 16

केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों में अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और अन्य के लिए सेवाओं में आरक्षण

16.1 बोर्ड स्तर से नीचे के पदों पर नियुक्तियों के संबंध में कार्मिक एवं भर्ती नीतियों को संबंधित केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों के प्रबंधन द्वारा तैयार किया जाता है। तथापि, सामान्य महत्व के मामलों में, भारत सरकार द्वारा उन उद्यमों को नीतिगत दिशानिर्देश जारी किए जाते हैं जिसे उन उद्यमों द्वारा अपने स्वयं की कारपोरेट नीतियां तैयार कर समय ध्यान में रखना होता है। इसके अलावा, संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा औपचारिक राष्ट्रपतिक निदेश संबंधित केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों को जारी किए जाते हैं ताकि वे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु नियोजन के संबंध में आरक्षण उसी तर्ज पर करें जैसा कि केंद्रीय सरकारी मंत्रालयों / विभागों में लागू है। डीपीई ने दिनांक 25.02.2015 के कार्यालय ज्ञापन के जरिए यह निर्धारित किया गया है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग और निशक्तःजन तथा पूर्व सैनिकों के आरक्षण के संबंध में सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों का यथोचित परिवर्तन सहित सभी संबंधित सीपीएसई में लागू किया जाए, यदि अन्यथा डीपीई द्वारा निर्दिष्ट न किया जाए।

16.2 लोक उद्यम विभाग द्वारा एससी और एसटी हेतु आरक्षण पर सभी महत्वपूर्ण अनुदेश शामिल करके एक व्यापक राष्ट्रपतिक निदेश सभी संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों को 25 अप्रैल, 1991 को जारी किए गए थे ताकि उन्हें औपचारिक रूप से केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों को जारी किया जा सके। आवश्यक परिवर्तनों और संशोधनों को भी केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों को सूचना एवं अनुपालन हेतु उनके प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों के जरिए परिपत्रित किया जाता है।

16.3 तत्पश्चात, दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग (मंडल कमीशन) की सिफारिशों के आधार पर और इंदिरा साहनी मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) हेतु रिक्तियों में 27% आरक्षण प्रदान करने के लिए निर्देश जारी किए गए थे। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग जो सेवाओं में आरक्षण के संबंध में नीति तैयार करता है, अन्य पिछड़ा वर्ग के पक्ष में आरक्षण के विभिन्न पहलुओं पर समय–समय पर अनुदेश जारी करता रहता है। ओबीसी के लिए आरक्षण दिनांक 08.09.1993 से आरंभ किया गया। लोक उद्यम विभाग केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों को उनके प्रशासनिक मंत्रालयों के जरिए अनुपालन हेतु इन निर्देशों को भेजता रहा है। एक व्यापक राष्ट्रपति निदेश जिनमें ये सारे अनुदेश शामिल थे, को लोक उद्यम विभाग द्वारा सभी प्रशासनिक मंत्रालयों को दिनांक 27 जुलाई, 1995 के डीपीई का.ज्ञा. के तहत भेज दिया है ताकि वे अपने नियंत्रणाधीन केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों को ये निदेश औपचारिक रूप से जारी कर सकें।

16.4 अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु 27% आरक्षण के अंतर्गत अल्पसंख्यकों के लिए 4.5% के उप कोटा के आवंटन से संबंधित कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के अनुदेशों को भी लोक उद्यम विभाग के दिनांक 2 जनवरी, 2012 के कार्यालय ज्ञापन के तहत प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों (केंद्रीय सरकारी उद्यमों से संबंधित) को उनके नियंत्रणाधीन केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों में लागू करने के प्रयोजनार्थ भेज दिया गया है।

16.5 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण प्रदान करने हेतु मौजूदा कोटा तथा रिक्तियों में आरक्षण हेतु पात्र अन्य श्रेणियों के व्यक्तियों का कोटा निम्नानुसार है:

श्रेणी	आरक्षण के लिए कोटा
अनुसूचित जाति	15%
अनुसूचित जनजाति	7.5%
अन्य पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यकों के लिए 4.5% का उप कोटा जोड़कर)	27%
शारीरिक रूप से निःशक्त व्यक्ति	4%
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्लयूएस)	10%

पूर्व सैनिकों और कार्रवाई में मारे गए लोगों के लिए आरक्षण की नीति के अनुसार, कुशल श्रमिकों के संबंध में 14.5% पद और अकुशल पदों के संबंध में 24.5% पद सीपीएसई में पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित हैं।

16.6 आरक्षित पदों को समय पर भरने और बैकलॉग को समाप्त करने की आवश्यकता पर समय–समय पर जारी विभिन्न अनुदेशों के जरिए बल दिया गया है। सभी प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों को सलाह दें कि वे मौजूदा अनुदेशों के अनुसार सीधी भर्ती एवं पदोन्नति में भरे न गए आरक्षित पदों को भरने के लिए प्रभावी कदम उठाएं। इसके अतिरिक्त, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षित रिक्तियों के बैकलॉग को भरने के लिए विशेष भर्ती अभियान चलाने हेतु समय–समय पर आवश्यक अनुदेश जारी किए हैं। लोक उद्यम विभाग ने केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों से संबंधित सभी प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों को भी ये निर्देश दिए हैं कि वे समयबद्ध तरीके से इन रिक्तियों को भरें।

16.7 इसके अतिरिक्त, डीपीई के दिनांक 25–10–2017 के कार्यालय ज्ञापन के संदर्भ में, सभी अधिकारी अर्थात बोर्ड स्तरीय और बोर्ड से निचले स्तरीय कर्मचारियों को इस परंतुक के अध्यधीन क्रीमी लेयर माना जाएगा कि उन अधिकारियों को, जिनकी वार्षिक आय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 08.09.1993 के कार्यालय ज्ञापन में दिए गए मानदंड के अनुसार 8 लाख रु. (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 13–09–2017 के कार्यालय ज्ञापन के जरिए यथासंशोधित) से कम है, वे क्रीमी लेयर के मानदंड के अंतर्गन नहीं आएंगे। यह संबंधित सीपीएसई का दायित्व है कि वह ऊपर उल्लिखित सिद्धांत के संबंध में क्रीमी लेयर के अंतर्गत कवर पदों के लिए आवश्यक आदेश जारी करे।

16.8 लोक उद्यम विभाग ने प्रशासनिक मंत्रालयों / विभागों के जरिए केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों में भूतपूर्व सैनिकों हेतु आरक्षण के लिए ऐसी ही योजना के लिए अनुदेश भी जारी किए हैं। भूतपर्व सैनिकों की भर्ती की प्रक्रिया को सरल एवं कारगर बनाने हेतु निर्देश भी जारी किए गए हैं ताकि केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों में उनकी संख्या को बढ़ाया जा सके। ऐसे केंद्रीय सरकारी लोक उद्यम, जो एजेंसी / डीलरशिप प्रदान करने की स्थिति में हैं, को सलाह दी गई है कि वे भूतपूर्व सैनिकों को ऐसी एजेंसियां / डीलरशिप आवंटित करने के लिए कोटा आरक्षित करें।

16.9 लोक उद्यम विभाग ने केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों में शारीरिक रूप से निःशक्त व्यक्तियों को रोजगार देने के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के निर्देशों का अनुसरण करते हुए 11.03.1997 को केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों को राष्ट्रपति निदेश जारी किए हैं। निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी (अधिनियम, 1995 के अधिनियमन के साथ, शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों हेतु आरक्षण, सीधी भर्ती के जरिए भरे जाने वाले अभिज्ञात समूह 'क' एवं 'ख' पदों पर भी लागू होगा। दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुसार कम से कम 4% पद दिव्यांग जन व्यक्तियों के लिए आरक्षित रहेंगे।

16.10 आर्थिक रुप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) को 10% आरक्षण देने के संबंध में डीओपीटी के दिनांक 19.1.2019 और 31.1.2019 के कार्यालय ज्ञापन और दिनांक 21.1.2019 के अर्द्धशासकिय पत्र के द्वारा जारी दिशानिर्देशों को आवश्यक परिवर्तनों सहित लोक उद्यम विभाग के दिनांक 25.1.2019 और 1.2.2019 के कार्यालय ज्ञापन के संदर्भ में सभी सीपीएसईज़ को भेजा गया है।

लोक उद्यम विभाग का संगठनात्मक ढांचा

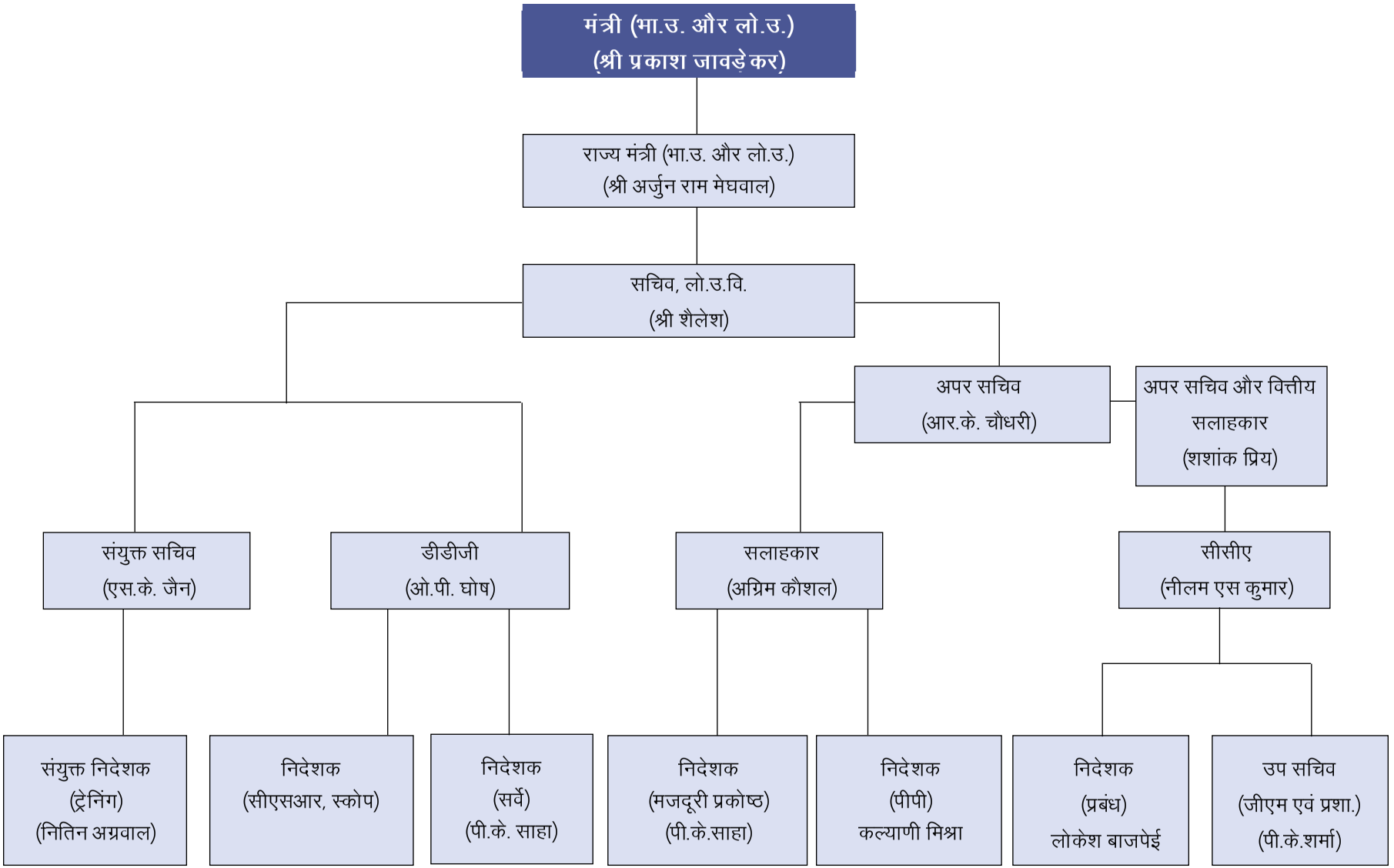

अनुबंध–2
(पैरा 1.2)

तालिका 1: 2019–20 के दौरान केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों का कार्य निष्पादन

(रुपये करोड़ में)

क्र.सं.	मद/संकेतक	2018-19*	2019-20*	वृद्धि % में
1.	(प्रचालनरत) सीपीएसईज़ का सकल राजस्व	25,45,697	24,61,321	-3.31
2.	(प्रचालनरत) सीपीएसईज़ की कुल आय	24,42,173	23,57,032	-3.49
3.	सभी सीपीएसईज़ की कुल प्रदत्त पूंजी	2,51,678	2,70,593	7.52
4.	सभी सीपीएसईज़ का कुल निवेश (इक्विटी जमा दीर्घकालिक ऋण)	15,89,912	20,62,471	29.72
5.	सभी सीपीएसईज़ की नियोजित पूंजी (प्रदत्त पूंजी + दीर्घकालिक ऋण और आरक्षित निधि एवं अधिशेष)	25,87,064	30,38,436	17.45
6.	(लाभ अर्जित करने वाले) सीपीएसईज़ का लाभ	1,74,286	1,38,112	-20.76
7.	(घाटा उठाने वाले) सीपीएसईज़ का घाटा	-31,620	-44,818	41.74
8.	न लाभ न घाटा उठाने वाले सीपीएसईज़	1	1	-
9.	समग्र निवल लाभ	1,42,666	93,294	-34.61
10.	सभी सीपीएसईज़ की आरक्षित निधि एवं अधिशेष	9,97,152	9,75,965	-2.12
11.	सभी प्रचालनरत सीपीएसईज़ का निवल मूल्य	11,88,120	12,13,948	2.17
12.	केन्द्रीय राजकोष में सभी सीपीएसईज़ का योगदान	3,77,759	3,75,899	-0.49
13.	सीपीएसईज़ का विदेशी मुद्रा का अर्जन	1,43,376.96	1,21,756.23	-15.08
14.	सीपीएसईज़ का विदेशी मुद्रा का बहिर्गमन आउटगो	6,64,891.57	5,94,511.38	-10.59

* *अंतिम.*

अनुबंध–3
(पैरा 2.2.2)

महारत्न स्कीम की मुख्य विशेषताएं

महारत्न का दर्जा प्रदान करने हेतु पात्रता सम्बन्धी मानदण्डः–

निम्नलिखित मानदण्डों को पूरा करने वाले केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यम महारत्न का दर्जा प्रदान करने पर विचार किए जाने के पात्र हैं :–

(क) नवरत्न श्रेणी का उद्यम हो

(ख) सेबी के विनियमों के अन्तर्गत न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता सहित भारतीय शेयर बाजार में सूचीबद्ध हो

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान कुल वार्षिक कारोबार का औसत 25,000 करोड़ रूपये से अधिक का हो

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान उसका औसत वार्षिक निवल मूल्य 15,000 करोड़ रूपये से अधिक हो

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान उसका औसत कर पश्चात वार्षिक निवल लाभ 5000 करोड़ रूपए से अधिक रहा हो

(च) वैश्विक स्तर पर प्रभावी उपस्थिति हो या अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर प्रचालनरत हो ।

महारत्न दर्जा प्रदान करने/समाप्त करने की प्रक्रियाः

महारत्न दर्जा देने तथा साथ ही उनका पुनरीक्षण करने की प्रक्रिया नवरत्न दर्जे हेतु पालन की जाने वाली प्रक्रिया की भांति ही है।

महारत्न केन्द्रीय सरकारी उद्यमों को प्रत्यायोजित शक्तियांः

(1) महारत्न केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों के निदेशक मण्डल, नवरत्न केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों को प्राप्त सभी अधिकारों का प्रयोग करने के साथ–साथ संयुक्त उद्यमों / सहायक कम्पनियों में निवेश तथा बोर्ड स्तर से नीचे के पदों के सृजन की संवर्धित शक्तियों का प्रयोग करते हैं। महारत्न केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों के निदेशक मण्डलों के पास अधिकार हैं (क) भारत में या विदेश में वित्तीय संयुक्त उद्यम स्थापित करना तथा पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनियों में इक्विटी निवेश करना तथा (ख) भारत में या विदेश में विलयन या अधिग्रहण जो कुल मिलाकर 5,000 करोड़ रू0 (नवरत्न सीपीएसईज़ के लिए 1,000 करोड़ रू0) की अधिकतम सीमा के साथ संबंधित सीपीएसई द्वारा एक परियोजना में उसके निवल मूल्य के 15% की अधिकतम सीमा के अध्यधीन होगा। सभी परियोजनाओं में ऐसे इक्विटी निवेश तथा विलयन एवं अधिग्रहण पर कुल मिलाकर अधिकतम सीमा संबंधित केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यम के निवल मूल्य के 30% से अधिक नहीं होगा। इसके अलावा, महारत्न केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों के निदेशक मण्डलों के पास ई–9 स्तर तक के बोर्ड से नीचे स्तर के पदों के सृजन का अधिकार है।

(2) वित्तीय संयुक्त उद्यम तथा सहायक निकायों की स्थापना करने के लिए प्रत्यायोजित शक्तियों का उपयोग महारत्न सीपीएसईज़ के निदेशक मंडल द्वारा निम्नलिखित तरीके से किया जाएगाः

(i) वित्तीय संयुक्त उद्यम तथा सहायक निकायों की स्थापना करने के लिए प्रस्ताव संबंधित सीपीएसईज के निदेशक मण्डल को प्रस्तुत किए जाएंगे।

(ii) संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/ विभाग ऐसे प्रस्तावों पर मामला दर मामला आधार पर नीति आयोग की सहमति प्राप्त करेगा और उपयुक्त निर्णय के लिए निदेशक मण्डल में अपने प्रतिनिधि के जरिए निदेशक मण्डल के विचार–विमर्श हेतु स्टेक होल्डर्स के रूप में प्रस्तावों पर अपनी ठोस राय तैयार करेगा।

(3) सरकारी निदेशक यह सुनिश्चित करेंगे कि ऐसे प्रस्ताव पर निर्णय लिए जाते समय बहुसंख्यक शेयर धारक होने के कारण ऐसे प्रस्तावों पर सरकार के विचार निदेशक मण्डल के समक्ष उपयुक्त ढंग से प्रस्तुत किए जाएँ। निर्णय निदेशक मण्डल द्वारा वित्तीय संयुक्त उद्यमों और सहायक निकायों की स्थापना के लिए निवेश हेतु तभी लिए जाने चाहिए जब बोर्ड की बैठक में सरकारी निदेशक उपस्थित हों।

अनुबंध –4
(पैरा 2.3.3)

नवरत्न योजना की मुख्य विशेषताएं

1. **नवरत्न दर्जा प्रदान करने हेतु पात्रता शर्तें:** केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यम जो मिनीरत्न–I, अनुसूची 'क' हैं और जिन्होंने पिछले पांच वर्षों में से तीन में 'उत्कृष्ट' अथवा 'बहुत अच्छा' एमओयू रेटिंग प्राप्त की हैं और जिनका 6 अभिज्ञात कार्यनिष्पादन पैरामीटरों में कार्यनिष्पादन का 'संयुक्त अंक' 60 अथवा उससे अधिक है, नवरत्न दर्जा दिए जाने के लिए पात्र हैं। पिछले तीन वर्षों के लिए संबंधित सीपीएसईज़ के अंक का आकलन किया जाता है। संयुक्त अंक का आकलन करने के लिए, लोक उद्यमों पर उनकी सामान्य प्रयोजनीयता के आधार के आधार पर छह (6) निष्पादन संकेतकों को अभिज्ञात किया गया है। निष्पादन संकेतकों का चयन इस प्रकार से किया गया है ताकि लोक उद्यमों के कार्य निष्पादन की समीक्षा की जा सके, चाहे वे विनिर्माण क्षेत्र से हों या सेवा क्षेत्र से पहचान किए गए 6 निष्पादन संकेतक इस प्रकार हैं:–

क्र. सं.	निष्पादन संकेतक	अधिकतम भार
1.	निवल मूल्य की तुलना में निवल लाभ	25
2.	उत्पादन की कुल लागत अथवा सेवा लागत की तुलना मे जनशक्ति लागत	15
3.	नियोजित पूंजी की तुलना में पीबीडीआईटी	15
4.	कुल कारोबार की तुलना में पीबीआईटी	15
5.	अर्जन प्रति शेयर	10
6.	अंतर क्षेत्रीय कार्यनिष्पादन	20
	कुल	**100**

2. **नवरत्न केंद्रीय सरकारी उद्यमों के निदेशक मंडल को जो शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं, वो निम्नानुसार हैं:**

(i) पूंजीगत व्यय: – नवरत्न केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों के पास बिना किसी मौद्रिक सीमा के नई मदों को खरीदने के लिए अथवा उन्हें बदलने के लिए पूंजीगत व्यय उपगत करने की शक्तियां हैं।

(ii) प्रौद्योगिकी संयुक्त उद्यम और रणनीति के गठबंधन: – नवरत्न केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों के पास प्रौद्योगिकी संयुक्त उद्यमों अथवा रणनीतिक गठबंधन में शामिल होने के और क्रय द्वारा अथवा अन्य व्यवस्थाओं द्वारा प्रौद्योगिकी एवं जानकारी प्राप्त करने की शक्तियां हैं।

(iii) संगठनात्मक पुनःसंरचना: – नवरत्न केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों के पास लाभ केन्द्रों, भारत और विदेश में कार्यालय खोलने, नए कार्यकलाप केन्द्र सृजित करने आदि सहित संगठनात्मक पुनर्संरचना करने की शक्तियां हैं।

(iv) मानव संसाधन प्रबंधन: – नवरत्न केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों को ई–6 स्तर तक के पदों का सृजन करने की और गैर निदेशक स्तर के निदेशकों तक सभी पदों को समाप्त करने की और इसी स्तर तक सभी नियुक्तियां करने की शक्तियां हैं। इन केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों के निदेशक मंडल को आंतरिक स्थानांतरण करने की और पदों को पुनः पदनामित करने के लिए और सशक्त किया गया है। नवरत्न केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों के निदेशक मंडल के पास, बोर्ड स्तर से नीचे के कार्यपालकों के मानव संसाधन प्रबंधन (नियुक्तियां, स्थानांतरण, तैनाती आदि) से संबंधित शक्तियों को बोर्ड की उप–समितियों को अथवा केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों के कार्यपालकों को, जैसा भी केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों के बोर्ड द्वारा निर्णय लिया जाए, आगे प्रत्यायोजित करने की शक्तियां हैं।

(v) संसाधनों का एकत्रीकरण: – इन केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों को घरेलू पूंजीगत बाजारों से ऋण लेने और अंतरराष्ट्रीय बाजार से ऋण लेने के लिए इस शर्त के अध्यधीन शक्ति दी गई है कि भारतीय रिजर्व बैंक/ आर्थिक संकार्य विभाग का अनुमोदन, जैसा भी आवश्यक हो, प्रशासनिक मंत्रालय के माध्यम से प्राप्त किया जाना चाहिए।

(vi) संयुक्त उद्यम एवं सहायक कंपनियां: – (1) नवरत्न केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों को भारत अथवा विदेश में वित्तीय संयुक्त उद्यम एवं पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियां स्थापित करने की शक्तियां इस शर्त के साथ प्रत्यायोजित की गई हैं कि सीपीएसई का इक्विटी निवेश निम्नलिखित तक सीमित रहना चाहिए:–

i. किसी भी परियोजना में रु. 1000 करोड़,

ii. किसी एक परियोजना में सीपीएसई के निवल मूल्य का 15%,

iii. सभी संयुक्त उद्यम/सहायक कंपनियों में सीपीएसई के निवल मूल्य का 30% ।

3. वित्तीय संयुक्त उद्यम तथा सहायक निकायों की स्थापना करने के लिए प्रत्यायोजित शक्तियों का उपयोग नवरत्न सीपीएसईज़ के निदेशक मंडल द्वारा निम्नलिखित तरीके से किया जाएगा:

(i) वित्तीय संयुक्त उद्यम तथा सहायक निकायों की स्थापना करने के लिए प्रस्ताव संबंधित सीपीएसईज के निदेशक मण्डल को प्रस्तुत किए जाएंगे।

(ii) संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/ विभाग ऐसे प्रस्तावों पर मामला दर मामला आधार पर नीति आयोग की सहमति प्राप्त करेगा और उपयुक्त निर्णय के लिए निदेशक मण्डल में अपने प्रतिनिधि के जरिए निदेशक मण्डल के विचार–विमर्श हेतु स्टेक होल्डर्स के रूप में प्रस्तावों पर अपनी ठोस राय तैयार करेगा।

4. सरकारी निदेशक यह सुनिश्चित करेंगे कि ऐसे प्रस्ताव पर निर्णय लिए जाते समय बहुसंख्यक शेयर धारक होने के कारण ऐसे प्रस्तावों पर सरकार के विचार निदेशक मण्डल के समक्ष उपयुक्त ढंग से प्रस्तुत किए जाएँ। निर्णय निदेशक मण्डल द्वारा वित्तीय संयुक्त उद्यमों और सहायक निकायों की स्थापना के लिए निवेश हेतु तभी लिए जाने चाहिए जब बोर्ड की बैठक में सरकारी निदेशक उपस्थित हों।

(vii) विलयन और अधिग्रहण: इन केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों के निदेशक मण्डलों के पास विलयन और अधिग्रहण की शक्तियां हैं बशर्ते कि (क) यह प्रगति योजना अनुसार हो और केंद्रीय सरकारी लोक उद्यम के मुख्य कार्य क्षेत्र में हो: (ख) शर्तें/सीमा ऐसी होगी जैसी संयुक्त उद्यम/सहायक उद्यम की स्थापना के मामले होती है (ग) विदेश में निवेश के मामले में आर्थिक मामलों की मंत्रिमण्डल समिति को सूचित करते रहना होगा। इसके साथ–साथ विलयनों और अधिग्रहणों संबंधित शक्तियों का उपयोग इस प्रकार से किया जाना चाहिए कि इससे संबंधित केंद्रीय सरकारी लोक उद्यम के लोक उद्यम स्वरूप में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए।

(viii) सहायक कंपनियों का सृजन/विनिवेश: नवरत्न केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों को इस शर्त के अधीन परिसंपत्तियों के हस्तांतरण, नई इक्विटी निकालने और सहायक कंपनियों में हिस्सेदारी लेने हेतु शक्तियां प्राप्त हैं कि नवरत्न केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों को प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत धारक कंपनी द्वारा स्थापित सहायक कंपनियों के संदर्भ में शक्तियां प्रत्यायोजित होगी और इस परंतुक के साथ कि सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना संबंधित (सहायक कंपनी सहित) केंद्रीय सरकारी लोक उद्यम का स्वरूप नहीं बदलेगा और ऐसे नवरत्न केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों द्वारा अपनी सहायक कंपनी से निकलने से पहले सरकार का अनुमोदन लेना अपेक्षित होगा।

(ix) **कार्यात्मक निदेशकों के विदेशी दौरे:** केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों के मुख्य कार्यपालकों के पास ये शक्तियां हैं कि वे प्रशासनिक मंत्रालय के सचिव को सूचना देते हुए आपातकालीन स्थिति में कार्यात्मक निदेशकों हेतु 05 दिन के लिए व्यापारिक विदेशी दौरे (अध्ययन दौरों, सेमिनारों आदि को छोड़कर) अनुमोदित कर सकते हैं।

5. **प्रत्यायोजित नवरत्न शक्तियों का प्रयोग करने के लिए शर्तें/दिशानिर्देश:**

क) इन प्रस्तावों को संगत कारकों का विश्लेषण करके और प्रत्याशित परिणाम और लाभों की मात्रा का निर्धारण करके निदेशक मंडल को लिखित में और काफी समय पहले ही प्रस्तुत किया जाना चाहिए। जोखिम वाले कारक, यदि कोई हों, तो उन्हें स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए।

ख) सरकारी निदेशक, वित्तीय निदेशक और संबंधित कार्यकारी निदेशक को मुख्य निर्णय लिए जाने के दौरान प्रस्तुत रहना चाहिए विशेष रूप से तब जब ये निर्णय निवेश, व्यय अथवा संगठनात्मक/पूंजी पुनर्संरचना से संबंधित हो।

ग) अधिमानत: ऐसे प्रस्तावों पर निर्णय सर्वसम्मति से लिया जाना चाहिए।

घ) यदि किसी महत्वपूर्ण मामले पर निर्णय सर्वसम्मति से नहीं लिया गया हो तो एक बहुमत निर्णय लिया जाना चाहिए, परंतु ऐसा निर्णय लेते समय कम से कम एक तिहाई निदेशक मौजूद रहने चाहिए। आपत्तियां, असहमतियां, रद्द करने के और निर्णय लेने के कारणों को लिखित में और विस्तारपूर्वक तैयार कर लिया जाना चाहिए।

ड.) सरकार की ओर से कोई वित्तीय सहायता नहीं दी जाएगी अथवा कोई आपातकालीन उत्तरदायित्व भी नहीं होगा।

च) ये केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यम गैर–सरकारी निदेशकों की सदस्यता वाले बोर्ड की लेखा समिति की स्थापना सहित आंतरिक मॉनीटरिंग की पारदर्शी और प्रभावी प्रणालियों की भी स्थापना करेंगे।

छ) सभी प्रस्ताव, जहां वे पूंजीगत व्यय निवेश अथवा अन्य मामलों से संबंधित हैं जिसमें काफी मात्रा में वित्तीय अथवा प्रबंधकीय प्रतिबद्धताएं शामिल हैं अथवा जहां उनका केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यम की अवसंरचना और कार्य पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ेगा, को व्यावसायिकों और विशेषज्ञों की सहायता से अथवा उनके द्वारा तैयार किया जाना चाहिए और उचित मामलों में वित्तीय संगठनों अथवा इन क्षेत्रों में विशेषज्ञता रखने वाले प्रसिद्ध व्यावसायिक संगठनों द्वारा उसका मूल्यांकन किया जाना चाहिए। वित्तीय मूल्यांकन में ऋण अथवा इक्विटी भागीदारी के जरिए मूल्यांकन करने वाले संगठनों की सहभागिता भी होनी चाहिए।

ज) प्रौद्योगिकी संयुक्त उद्यमों और रणनीतिक भागीदारी में शामिल होने के प्राधिकार का प्रयोग, समय–समय पर जारी सरकारी दिशानिर्देशों के अनुरूप होना चाहिए।

झ) प्राधिकार के और अधिक प्रत्यायोजन की प्रक्रिया से पहले प्रथम चरण के रूप में इन केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों के बोर्ड में कम से कम चार और गैर–सरकारी निदेशकों को शामिल करके पुनर्गठित किया जाना चाहिए।

ञ) इन केन्द्रीय सरकारी उद्यमों को बजटीय सहायता अथवा सरकारी गारंटी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। अपने प्रोग्रामों को लागू करने के संसाधन, उनके अपने आंतरिक संसाधनों अथवा पूंजीगत बाजार सहित अन्य स्रोतों के जरिए लिए जाने चाहिए। तथापि, जहां कहीं भी सरकारी गारंटी, बाह्य डोनर एजेंसियों के मानक शर्तों के अंतर्गत अपेक्षित है, उसे प्रशासनिक मंत्रालय के जरिए वित्त मंत्रालय से प्राप्त किया जा सकता है। ऐसी सरकारी गारंटी नवरत्न दर्जे को प्रभावित नहीं करेगी। इसके अलावा, राष्ट्रीय हित की सरकारी प्रायोजित परियोजनाएं लागू करने के लिए और सरकारी प्रायोजित अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं केन्द्रीय सरकारी उद्यमों को उनका नवरत्न दर्जा बनाए रखने के लिए अयोग्य नहीं बनाएगी। तथापि, ऐसी परियोजनाओं के लिए, निवेश संबंधी निर्णय सरकार द्वारा लिए जाएंगे न कि संबंधित केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों द्वारा।

अनुबंध –5
(पैरा 2.4.2)

मिनीरत्न स्कीम की मुख्य विशेषताएं

1. **मिनीरत्न दर्जा प्रदान करने हेतु योग्यता और मानदण्ड निम्नवत है:–**

(i) **श्रेणी–I केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों** द्वारा गत तीन वर्षों में निरंतर लाभ अर्जित किया होना चाहिए, इन तीन वर्षों में से कम से कम एक वर्ष में 30 करोड़ रुपये या इससे अधिक कर पूर्व लाभ होना चाहिए और निवल मूल्य सकारात्मक होना चाहिए।

(ii) **श्रेणी–II केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों** को गत तीन वर्षों में निरंतर लाभ अर्जित करें चाहिए और उसका निवल मूल्य सकारात्मक होना चाहिए।

(iii) ये केंद्रीय सरकारी लोक उद्यम और अधिक शक्तियां प्राप्त करने के पात्र होंगे बशर्ते कि उन्होंने ऋणों के भुगतान/सरकार को बकाया ऋणों पर ब्याज भुगतान करने में कोई चूक नहीं की हो।

(iv) ये केंद्रीय सरकारी उद्यम सरकार से बजटीय सहायता या गारंटी पर निर्भर नहीं होंगे।

(v) संवर्धित अधिक शक्तियों का प्रयोग करने से पहले, पहली कार्रवाई के रूप में कम से कम 03 गैर–सरकारी निदेशकों की नियुक्ति करके इन केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों के निदेशक मण्डलों का पुनर्गठन किया जाना चाहिए।

(vi) संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय यह निर्णय लेगा कि संवर्धित शक्तियों का प्रयोग करने से पहले क्या केंद्रीय सरकारी लोक उद्यम श्रेणी–I/श्रेणी–II कंपनी की अपेक्षाओं को पूरा करते हैं।

2. **वर्तमान में इन केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों के निदेशक मण्डलों को प्रदान की गई निर्णय लेने की शक्तियां इस प्रकार से हैं:–**

(i) **पूंजीगत व्यय:**

(क) **श्रेणी–I केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों हेतु:** सरकार के अनुमोदन के बिना नई परियोजनाओं, आधुनिकीकरण, उपकरणों की खरीद आदि पर 500 करोड़ तक या निवल मूल्य के बराबर, जो भी कम हो, पूंजी व्यय करने की शक्ति।

(ख) **श्रेणी–II में केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों हेतु:** सरकार के अनुमोदन के बिना नई परियोजनाओं, आधुनिकीकरण, उपकरणों की खरीद आदि पर 250 करोड़ तक या निवल मूल्य के 50% के बराबर है, जो भी कम हो, पूंजी व्यय करने की शक्ति

(ii) **संयुक्त उद्यम और सहायक कंपनियां:**

(1) **(क)** **श्रेणी–I केंद्रीय सरकारी लोक उद्यम:** भारत में संयुक्त उद्यम या सहायक कंपनी स्थापित करना इस शर्त पर कि केंद्रीय सरकारी लोक उद्यम का किसी परियोजना में निवेश केंद्रीय सरकारी उद्यम के निवल मूल्य का 15% तक या 500 करोड़ रुपए तक, जो भी कम हो, होना चाहिए। सभी परियोजनाओं में ऐसे निवेश की समग्र सीमा केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों के निवल मूल्य की कुल 30% तक है।

(ख) **श्रेणी–II केंद्रीय सरकारी लोक उद्यम:** भारत में संयुक्त उद्यम या सहायक कंपनी की स्थापना इस शर्त पर कि केंद्रीय सरकारी लोक उद्यम का किसी परियोजना में निवेश केंद्रीय सरकारी लोक उद्यम के निवल मूल्य का 15% तक या रूपए 250 करोड़ तक जो भी कम हो, होना चाहिए। सभी परियोजनाओं में ऐसे निवेश की समग्र सीमा केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों के निवल मूल्य की कुल 30: तक है।

(2) वित्तीय संयुक्त उद्यम तथा सहायक निकायों की स्थापना करने के लिए प्रत्यायोजित शक्तियों का उपयोग मिनीरत्न सीपीएसईज़ के निदेशक मंडल द्वारा निम्नलिखित तरीके से किया जाएगा:

(i) वित्तीय संयुक्त उद्यम तथा सहायक निकायों की स्थापना करने के लिए प्रस्ताव संबंधित सीपीएसईज़ के निदेशक मण्डल को प्रस्तुत किए जाएंगे।

(ii) संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/ विभाग ऐसे प्रस्तावों पर मामला दर मामला आधार पर नीति आयोग की सहमति प्राप्त करेगा और उपयुक्त निर्णय के लिए निदेशक मण्डल में अपने प्रतिनिधि के जरिए निदेशक मण्डल के विचार–विमर्श हेतु स्टेक होल्डर्स के रूप में प्रस्तावों पर अपनी ठोस राय तैयार करेगा।

3. सरकारी निदेशक यह सुनिश्चित करेंगे कि ऐसे प्रस्ताव पर निर्णय लिए जाते समय बहुसंख्यक शेयर धारक होने के कारण ऐसे प्रस्तावों पर सरकार के विचार निदेशक मण्डल के समक्ष उपयुक्त ढंग से प्रस्तुत किए जाएँ। निर्णय निदेशक मण्डल द्वारा वित्तीय संयुक्त उद्यमों और सहायक निकायों की स्थापना के लिए निवेश हेतु तभी लिए जाने चाहिए जब बोर्ड की बैठक में सरकारी निदेशक उपस्थित हों।

(iii) विलयन और अधिग्रहणः इन केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों के निदेशक मण्डलों के पास विलयन और अधिग्रहण की शक्तियां हैं बशर्ते कि (क) यह प्रगति योजना अनुसार हो और केंद्रीय सरकारी लोक उद्यम के मुख्य कार्य क्षेत्र में हो: (ख) शर्त/सीमा ऐसी होगी जैसी संयुक्त उद्यम/सहायक उद्यम की स्थापना के मामले होती है (ग) विदेश में निवेश के मामले में आर्थिक मामलों की मंत्रिमण्डल समिति को सूचित करते रहना होगा। इसके साथ–साथ विलयनों और अधिग्रहणों संबंधित शक्तियों का उपयोग इस प्रकार से किया जाना चाहिए कि इससे संबंधित केंद्रीय सरकारी लोक उद्यम के लोक उद्यम स्वरूप में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए।

(iv) मानव संसाधन विकास (एचआरडी) हेतु स्कीमः कार्मिक और मानव संसाधन प्रबंधन, प्रशिक्षण या अनिवार्य सेवानिवृत्ति स्कीमों आदि से संबंधित स्कीमें तैयार और क्रियान्वित करना। इन केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों के निदेशक मण्डलों के पास यह शक्तियां है कि वे निदेशक मण्डल से निचले स्तर के कार्यपालकों के मानव संसाधन प्रबंधन (नियुक्तियां, स्थानांतरण, तैनाती आदि) संबंधी शक्तियां केंद्रीय सरकारी लोक उद्यम के निदेशक के निर्णय अनुसार निदेशक मण्डल की उप–समिति या केंद्रीय सरकारी लोक उद्यम के कार्यपालकों को प्रदत्त कर सकते हैं।

(v) कार्यात्मक निदेशकों के विदेशी दौरेः इन केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों के मुख्य कार्यपालकों के पास ये शक्तियां हैं कि वे प्रशासनिक मंत्रालय के सचिव को सूचना देते हुए आपातकालीन स्थिति में कार्यात्मक निदेशकों हेतु 05 दिन के लिए व्यापारिक विदेशी दौरे (अध्ययन दौरों, सेमिनारों आदि को छोड़कर) अनुमोदित कर सकते हैं।

(vi) प्रौद्योगिकी संयुक्त उद्यम और रणनीतिक गठबंधनः प्रौद्योगिकी संयुक्त उद्यम, रणनीतिक गठबंधन करने और क्रय या अन्य व्यवस्थाओं के जरिए प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी ज्ञान की प्राप्ति समय–समय पर जारी सरकार के दिशा–निर्देश के अनुसार होगा।

(vii) सहायक कंपनियों का सृजन/विनिवेशः परिसंपत्तियों के हस्तांतरण, नई इक्विटीज फ्लोट करने और सहायक कंपनियों में हिस्सेदारी लेने हेतु यह शर्त है कि मिनीरत्न केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों को प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत धारक कंपनी द्वारा स्थापित सहायक कंपनियों के संदर्भ में शक्तियां होगी और इसके अतिरिक्त यह प्रावधान है कि सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना संबंधित (सहायक कंपनी सहित) केंद्रीय सरकारी लोक उद्यम का स्वरूप नहीं बदलेगा और ऐसे मिनीरत्न केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों द्वारा अपनी सहायक कंपनी से निकलने से पहले सरकार का अनुमोदन लेना अपेक्षित होगा।

उपर्युक्त शक्तियों को उसी शर्तों पर प्रदत्त किया जाएगा जो नवरत्न केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों पर लागू होगी।

अनुबंध –6
(पैरा 2.4.3)

मिनीरत्न केंद्रीय सरकारी उद्यमों की सूची

श्रेणी –I सीपीएसईज़	
1.	एयरपोर्ट्स अथारिटी ऑफ इंडिया
2.	अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन लिमिटेड
3.	बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड
4.	भारत कोकिंग कोल लिमिटेड
5.	भारत डायनेमिक्स लिमिटेड
6.	बीईएमएल लिमिटेड
7.	भारत संचार निगम लिमिटेड
8.	ब्रिज एंड रूफ कंपनी (इंडिया) लिमिटेड
9.	केन्द्रीय भण्डारण निगम
10.	सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड
11.	सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड
12.	चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
13.	कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड
14.	ईडीसीआईएल (इंडिया) लिमिटेड
15.	गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड
16.	गोवा शिपयार्ड लिमिटेड
17.	हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड
18.	एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड
19.	हिंदुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड
20.	हिन्दुस्तान पेपर कॉरपोरेशन लिमिटेड
21.	आवास एवं शहरी विकास निगम लिमिटेड
22.	एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड
23.	भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड
24.	इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड
25.	भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम लिमिटेड
26.	इंडियन रेलवे फाइनेंस कार्पोरेशन लिमिटेड
27.	इंडियन रेनिवेल इंजीनरी डैवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड
28.	इंडियन ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन
29.	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड
30.	केआईओसीएल लिमिटेड
31.	मझगांव डॉक लिमिटेड इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड
32.	महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड
33.	एमओआईएल लिमिटेड
34.	मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड

35.	मिनरल एक्स्प्लोरेशन कारपोरेशन लिमिटेड
36.	मिश्र धातु निगम लिमिटेड
37.	एमएमटीसी लिमिटेड
38.	एमएसटीसी लिमिटेड
39.	नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड
40.	नेशनल प्रोजेक्ट्स कंसट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड
41.	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लि.
42.	राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
43.	एनएचपीसी लिमिटेड
44.	नोर्दन कोलफील्ड्स लिमिटेड
45.	नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड
46.	नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड
47.	ओएनजीसी विदेश लिमिटेड
48.	पवन हंस हेलीकाप्टर लिमिटेड
49.	प्रोजेक्ट्स एंड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड
50.	रेलटेल कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
51.	रेल विकास निगम लिमिटेड
52.	राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड
53.	राइट्स लिमिटेड
54.	एसजेवीएन लिमिटेड
55.	सिक्युरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
56.	साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
57.	दूरसंचार कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड
58.	टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड
59.	वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
60.	वापकोस लिमिटेड

श्रेणी –II सीपीएसईज़

61.	आर्टीफिशियल लिम्ब्स मैन्यूफैक्चरिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया
62.	भारत पंप्स एंड कंप्रेशर्स लिमिटेड
63.	ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिग कंसल्टेंट्स (आई) लिमिटेड
64.	केन्द्रीय रेलसाइड वेयरहाउस कंपनी लिमिटेड
65.	इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड
66.	एफसीआई अरावली जिप्सम एंड मिनरल्स इंडिया लिमिटेड
67.	फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड
68.	एचएमटी (इंटरनेशनल) लिमिटेड
69.	इंडियन मेडिसिन्स एंड फार्मास्युटिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड
70.	मेकॉन लिमिटेड
71.	राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड
72.	राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड

अनुबंध –7
(पैरा 3.1.4)

केंद्रीय सरकारी उद्यमों में कारपोरेट अभिशासन पर दिशानिर्देशों की मुख्य–मुख्य बातें निम्नवत हैं

निदेशक मण्डल का गठन

1. निदेशक मण्डल के गठन के मामले में इन दिशानिर्देशों में यह प्रावधान किया गया है कि कार्यकारी निदेशकों की संख्या निदेशक मण्डल की वास्तविक संख्या के 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए; तथा सरकार द्वारा नामित निदेशकों की संख्या अधिकतम 2 तक सीमित होगी। कार्यपालक अध्यक्ष वाले सूचीबद्ध केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों के मामले में गैर–सरकारी निदेशकों की कुल संख्या निदेशक मंडल की कुल सदस्य संख्या के कम–से–कम 50% होगी। गैर कार्यपालक अध्यक्ष वाले सूचीबद्ध एवं असूचीबद्ध केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों के मामले में कम से कम एक तिहाई निदेशक गैर–सरकारी निदेशक होंगे। सरकार ने गैर–सरकारी निदेशकों के रूप में नियुक्ति पर विचार किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षणिक योग्यताओं, आयु तथा अनुभव से सम्बन्धित पूर्व निर्धारित मानदण्डों का भी निर्धारण किया है। इन मार्ग निदेशों में सम्बन्धित खण्डों का समावेश किया गया है ताकि गैर–सरकारी निदेशकों की स्वतंत्रता सुनिश्चित की जा सके तथा हितों के सम्भावित संघर्ष से बचा जा सके। यह भी प्रावधान किया गया है कि सरकारी वित्तीय संस्थानों के अतिरिक्त किसी अन्य संस्थान द्वारा नामित निदेशकों को गैर–सरकारी निदेशक नहीं माना जाएगा।

2. यह भी अनिवार्य कर दिया गया है कि निदेशक मण्डल की बैठकें प्रत्येक 3 माह में कम से कम एक बार तथा साल में 4 बार आयोजित की जाएँ तथा सभी सम्बन्धित जानकारी निदेशक मण्डल को प्रस्तुत की जाए। इसके अतिरिक्त निदेशक मण्डल को सभी सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबन्धकों के लिए आचार संहिता बनानी चाहिए। इस सम्बध में केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों को सहायता देने के लिए दिशानिर्देशों में एक मॉडल संहिता शामिल की गई है। दिशानिर्देशों में अन्य बातों के साथ–साथ यह प्रावधान किया गया है कि निदेशक मण्डल को एकीकरण तथा जोखिम प्रबन्धन प्रणाली का सुरेखण सुनिश्चित करना चाहिए और कम्पनी को निदेशक मण्डल के नए सदस्यों के लिए उपयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करना चाहिए।

लेखापरीक्षा समिति

3. लेखापरीक्षा समिति से सम्बन्धित प्रावधानों के अन्तर्गत यह अपेक्षित है कि केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों के द्वारा एक अर्हताप्राप्त तथा स्वतंत्र लेखापरीक्षा समिति स्थापित की जाए और उसमें कम–से–कम 3 निदेशकों को सदस्य के रूप में शामिल किया जाए। इसके अतिरिक्त इस समिति के दो तिहाई सदस्य स्वतंत्र निदेशक होने चाहिए जिसका अध्यक्ष स्वतंत्र निदेशक होगा। लेखापरीक्षा समिति को कम्पनी के वित्तीय मामलों में काफी शक्तियां प्रदान की गई हैं और साल में इसकी कम–से–कम 4 बैठकें आयोजित की जानी चाहिए।

सहायक कम्पनियाँ

4. सहायक कम्पनियों के मामले में यह प्रावधान किया गया है कि धारक कम्पनी का कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक सहायक कम्पनी के निदेशक मण्डल में निदेशक हों और धारक कम्पनी की लेखापरीक्षा समिति सहायक कम्पनियों से सम्बन्धित सभी वित्तीय विवरणों की समीक्षा करेगी। सहायक कम्पनियों से सम्बन्धित सभी महत्वपूर्ण लेन–देन एवं अन्य व्यवस्थाओं की जानकारी धारक कम्पनी के निदेशक मण्डल को देना अपेक्षित है।

प्रकटन

5. प्रकटन सम्बन्धी प्रावधानों के अन्तर्गत सभी लेन–देन को लेखापरीक्षा समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। दिशानिर्देशों में यह अनिवार्य कर दिया गया है कि वित्तीय विवरण तैयार करते समय विहित लेखांकन मानकों का अनुपालन किया जाए और यदि कोई अन्तर हो तो उनका स्पष्ट उल्लेख किया जाए। साथ ही, निदेशक मण्डल को जोखिम निर्धारण तथा न्यूनतमीकरण प्रक्रियाओं के बारे में अवगत कराया जाए तथा वरिष्ठ प्रबन्धन ऐसे सभी वित्तीय एवं वाणिज्यिक लेनदेन का प्रकटन निदेशक मण्डल के समक्ष करे जिनमें उनका व्यक्तिगत हित हो अथवा जहां संघर्ष की कोई सम्भावना हो।

अनुपालन

6. दिशानिर्देशों में यह भी अनिवार्य कर दिया गया है कि कम्पनी की वार्षिक रिपोर्ट में नैगम अभिशासन सम्बन्धी एक पृथक भाग हो जिसमें अनुपालन से संबंधित ब्यौरा हो। केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों को इन दिशानिर्देशों के अनुपालन के सम्बन्ध में लेखापरीक्षकों/कम्पनी सचिव से एक प्रमाणपत्र प्राप्त करना होगा। वार्षिक आम बैठक में अध्यक्ष महोदय के भाषण में नैगम अभिशासन सम्बन्धी दिशानिर्देशों के अनुपालन का भी उल्लेख किया जाएगा और इसे कम्पनी की वार्षिक रिपोर्ट का एक भाग बनाया जाएगा। केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों को अपने प्रशासनिक मंत्रालयों को त्रैमासिक अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है और सम्बन्धित मंत्रालय लोक उद्यम विभाग को समेकित रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

अनुबंध –8
(पैरा 6.2)

केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों की अनुसूची–वार सूची

अनुसूची 'क'

1.	एयरपोर्ट्स अथारिटी ऑफ इंडिया
2.	एयर इंडिया लिमिटेड
3.	बीईएमएल लिमिटेड
4.	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड
5.	भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड
6.	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
7.	भारत संचार निगम लिमिटेड
8.	केन्द्रीय भण्डारण निगम
9.	कोल इंडिया लिमिटेड
10.	कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
11.	डेडिकेटिड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
12.	इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
13.	इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड
14.	फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स (त्रवणकोर) लिमिटेड
15.	भारतीय खाद्य निगम
16.	गेल (इंडिया) लिमिटेड
17.	हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड
18.	हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड
19.	हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड
20.	हिंदुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड
21.	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
22.	एचएमटी लिमिटेड
23.	आवास एवं शहरी विकास निगम लिमिटेड
24.	आई टी आई लिमिटेड
25.	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
26.	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड
27.	भारतीय रेल वित्त निगम लिमिटेड
28.	कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड
29.	कुद्रेमुख आयरन ओर कंपनी लिमिटेड
30.	एमएमटीसी लिमिटेड
31.	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड
32.	मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड
33.	मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड
34.	मेकॉन लिमिटेड
35.	एमओआईएल लिमिटेड
36.	मुंबई रेलवे विकास कॉर्पोरेशन लिमिटेड
37.	नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड
38.	राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड
39.	नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड
40.	एनएचपीसी लिमिटेड
41.	राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड
42.	राष्ट्रीय वस्त्र निगम लिमिटेड
43.	न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड
44.	एनटीपीसी लिमिटेड
45.	नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड
46.	नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड
47.	तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड
48.	ऑयल इंडिया लिमिटेड
49.	ओएनजीसी विदेश लिमिटेड
50.	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन
51.	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
52.	पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड
53.	राइट्स लिमिटेड
54.	रेलटेल कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
55.	रेल विकास निगम लिमिटेड
56.	राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड
57.	राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड
58.	रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड
59.	सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड
60.	सिक्युरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
61.	शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
62.	सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लि0
63.	स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
64.	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड
65.	दूरसंचार कंसल्टेंट्स (इंडिया) लिमिटेड
66.	टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड

अनसूची 'ख'

1.	एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड
2.	बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड
3.	भारत कोकिंग कोल लिमिटेड
4.	भारत डायनेमिक्स लिमिटेड
5.	भारत गैस रिर्सोसेस लिमिटेड
6.	भारत पेट्रो रिसोर्सेज लिमिटेड
7.	भारत पंप्स एंड कंप्रेशर्स लिमिटेड
8.	ब्रह्मपुत्र क्रेकर्स और पॉलिमर्स लिमिटेड
9.	ब्रह्मपुत्र वेली फर्टिलाइजर कारपोरेशन लिमिटेड
10.	जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहयोग परिषद
11.	ब्रेथवेट एंड कंपनी लिमिटेड
12.	ब्रिज एंड रूफ कंपनी (इंडिया) लि.
13.	ब्रिटिश इंडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड
14.	बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड
15.	सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
16.	सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड
17.	सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड
18.	सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड
19.	चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
20.	कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड
21.	कॉटन कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
22.	ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
23.	इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लि.
24.	फर्टिलाइजर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
25.	गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड
26.	गोवा शिपयार्ड लिमिटेड
27.	हस्तशिल्प एवं हथकरघा निर्यात निगम लिमिटेड
28.	हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड
29.	हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लिमिटेड
30.	एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड
31.	हिंदुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड
32.	हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड
33.	हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड
34.	हिंदुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड
35.	एचएमटी (इंटरनेशनल) लि.
36.	एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड
37.	एचएमटी वाचेज लिमिटेड
38.	भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड
39.	भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन
40.	इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड
41.	इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन लिमिटेड
42.	भारतीय रेअर अर्थ्स लिमिटेड
43.	भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड
44.	इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड
45.	एमएसटीसी लिमिटेड़
46.	मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड
47.	महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड
48.	मिनरल एक्स्प्लोरेशन कारपोरेशन लिमिटेड
49.	मिश्र धातु निगम लिमिटेड
50.	राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड
51.	नेशनल जूट मैन्युफैक्चर्स कारपोरेशन लिमिटेड
52.	नेशनल प्रोजेक्ट्स कन्स्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड
53.	राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
54.	नेशनल स्माल इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड
55.	नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
56.	नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड
57.	उड़ीसा मिनरल डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड
58.	पीईसी लिमिटेड
59.	पवन हंस हेलीकाप्टर लिमिटेड
60.	प्रोजेक्ट्स एंड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड
61.	स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड
62.	साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
63.	यूरेनियम कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
64.	वापकोस लिमिटेड
65.	वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड

अनुसूची 'ग'

1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह वन एवं वृक्षारोपण विकास निगम लिमिटेड

2. आर्टिफिशियल लिम्ब्स मैन्युफैक्चरिंग कारपोरेशन ऑफ लिमिटेड
3. बीबीजे कंस्ट्रक्शन लिमिटेड
4. बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड
5. बीएचईएल इलैक्ट्रिक मशीन्स लिमिटेड
6. भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड
7. बिसरा स्टोन लाइम कंपनी लिमिटेड
8. ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड
9. सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
10. केन्द्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम लिमिटेड
11. केन्द्रीय रेलसाइड वेयरहाउस कंपनी लिमिटेड
12. प्रमाणन इंजीनियर्स इंटरनेशनल लिमिटेड
13. दिल्ली पुलिस आवास निगम
14. शैक्षिक कंसल्टेंट्स (इंडिया) लि.
15. एफसीआई अरावली जिप्सम एंड मिनरल्स (इंडिया) लि.
16. फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड
17. हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड
18. हिन्दुस्तान इन्सेक्टीसाइड्स लिमिटेड
19. हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स विनिर्माण कंपनी लिमिटेड
20. हिन्दुस्तान प्रीफेब लिमिटेड
    हिन्दुस्तान साल्ट लिमिटेड
22. एचएमटी बियरिंग्स लिमिटेड
23. एचएमटी चिनार वाचेज लिमिटेड
24. हुगली डॉक और पोर्ट इंजीनियर्स लिमिटेड
25. एच एस सी सी (इंडिया) लि.
26. होटल कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
27. जूट कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड
28. कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड
29. नगालैंड पल्प और पेपर कंपनी लिमिटेड
30. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम
31. राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड
32. राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम
33. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम
34. भारतीय राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम
35. राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम
36. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम
37. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम
38. नेपा लिमिटेड
39. पूर्वोत्तर हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम लिमिटेड
40. पूर्वोत्तर क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड
41. राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड
42. रिचर्डसन और क्रूडास (1972) लिमिटेड
43. एसटीसीएल लिमिटेड
44. तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड

अनुसूची 'घ'

1. बड्र्स जूट एंड एक्सपोर्टस् लिमिटेड
2. हिंदुस्तान फ़्लोरोकार्बन लिमिटेड
3. इंडियन मेडिसिन्स फार्मास्युटिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड
4. उड़ीसा ड्रग्स एंड केमिकल्स लिमिटेड
5. राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड

अनुबंध –9
(पैरा 7.3.3)

"रूग्ण/ शुरूआती तौर पर रूग्ण एवं कमजोर केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों के पुनरूद्धार और पुनर्संरचना हेतु तंत्र को युक्तिसंगत बनानाः पुनर्संरचना हेतु सामान्य सिद्धांत एवं तंत्र" के लिए दिशानिर्देश दिनांक 29 अक्टूबर, 2015 को जारी किया गया

1. ये दिशानिर्देश रूग्ण अथवा शुरूआती तौर पर रूग्ण केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों के पुनर्संरचना/ पुनरूद्धार या उन्हें बंद करने के लिए तंत्र को युक्तिसंगत बनाने तथा इस प्रयोजन के लिए उपलब्ध बहु प्रक्रियाओं के विकल्पों को प्रतिस्थापित करने के लिए हैं।

2. रूग्ण और शुरूआती तौर पर रूग्ण केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों के पुनर्संरचना/पुनरूद्धार के लिए कई तंत्र मौजूद हैं। रूग्ण औद्योगिक कंपनी अधिनियम 1985 में यथा परिभाषित रूग्ण औद्योगिक कंपनियों को औद्योगिक वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड (बीआईएफआर) के पास भेजा जाता है जो पुनर्संरचना योजना का सुझाव देता है और संवर्धनकर्ताओं एवं हितबद्ध पक्षकारों से त्याग एवं वचनबद्धताओं की मांग करता है। केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों द्वारा अपने प्रशासनिक मंत्रालय के मार्गदर्शन के अंतर्गत स्वयं तैयार की गई उद्यम की पुनर्संरचना या पुनरूद्धार योजना पर विचार करने के लिए दिनांक 6 दिसम्बर 2004 के संकल्प सं. 16(25)/2004–वित्त के जरिए सरकार को सलाह देने हेतु लोक उद्यम पुनर्गठन बोर्ड (बीआरपीएसई) का गठन किया गया है। प्रशासनिक मंत्रालय भी लोक हित में किसी ऐसे केंद्रीय सरकारी उद्यम के लिए पुनरूद्धार अथवा पुनर्संरचना योजना तैयार कर सकता है जिसमें रूग्ण या प्रारंभिक रूप से रूग्ण केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों का व्यापक पुनर्संरचना, विनिवेश, बंद करना आदि शामिल हो और उसे उपयुक्त निर्णय के लिए सीधे सक्षम प्राधिकरण को भेज सकताहै।

3. कारगर कार्यचालन हेतु किसी केंद्रीय सरकारी लोक उद्यम के पर्यवेक्षण का प्राथमिक दायित्व उसके प्रशासनिक मंत्रालय का होता है और रूग्ण एवं प्रारंभिक रूप से रूग्ण केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों के पुनर्संरचना और पुनरूद्धार के लिए अंतिम निर्णय लेने या कमजोरी के प्रारंभिक चिह्न दर्शाने वाले केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों के लिए उचित उपाय करने हेतु अंतर–मंत्रालयी परामर्श के बाद और आवश्यकतानुसार पीआ. ईबी/ईएफसी तंत्र के जरिए वित्त मंत्रालय की सहमति से, जैसा भी आवश्यक हो, के बाद सक्षम प्राधिकरण अंतिम राय कायम करेगा। इस प्रक्रिया को समयबद्ध, व्यापक, निष्पादन आधारित और कुशल बनाना लोक हित में होगा ताकि आगे और घाटे को कम करने के लिए ऐसे निर्णय समयबद्ध रूप से लिए और कार्यान्वित किए जाएं। अतः ऐसे मामलों में अनुपालन किए जाने वाले व्यापक सिद्धांत और निर्देशों का निर्धारण किए जाने की जरूरत है।

4. **दिशानिर्देशः**

4.1. कंपनी अधिनियम 2013 के **अध्याय XIX** में रूग्ण कंपनियों के पुनर्संरचना और पुनर्स्थापन तथा **अध्याय XX** में कंपनियों का प्रचालन समाप्त करने का उल्लेख किया गया है। यह निर्णय कि क्या कोई कंपनी रूग्ण हो गई है, न्याधिकरण (राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण) द्वारा लिया जाएगा। प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग को केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों के ऋणों की जानकारी रखनी होती है और केंद्रीय सरकारी लोक उद्यम को कंपनी अधिनियम 2013 के उपबंधों के अंतर्गत रूग्ण निकाय घोषित किए जाने हेतु उपयुक्त माने जाने की स्थिति आने से बचने के लिए अग्रिम कार्रवाई करनी होती है।

4.2. प्रशासनिक मंत्रालय अपने केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों को निम्नलिखित श्रेणियों में विशिष्ट क्रम में वर्गीकृत करने के लिए वित्त वर्ष की समाप्ति के छह माह के भीतर अथवा वार्षिक खातों को अंतिम रूप दिए जाने के एक माह के भीतर, जो भी पहले हो, प्रत्येक वित्त वर्ष के अंत में उनके निष्पादन का विश्लेषण करेगा।

4.2.1 **रूग्ण केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमः** किसी केंद्रीय सरकारी लोक उद्यम को रूग्ण माना जाएगा यदि वह निम्नलिखित में से किसी मानदंड को पूरा करता होः

क. यदि उसे कंपनी अधिनियम 2013 के उपबंधों के अनुसार रूग्ण घोषित किया गया हो।

ख. यदि उसका निवल मूल्य ऋणात्मक हो।

4.2.2 **प्रारंभिक रूप से रूग्ण केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमः** किसी केंद्रीय सरकारी लोक उद्यम को प्रारंभिक रूप से रूग्ण तब माना जाएगा जब वह निम्नलिखित मानदण्ड में से किसी एक को पूरा करता होः

क. यदि उसका निवल मूल्य किसी वित्त वर्ष में प्रदत्त पूंजी के 50% से कम हो।

ख यदि उसने निरंतर तीन या इससे अधिक वर्षों में हानि उठाई हो।

4.2.3 **कमजोर केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमः** किसी केंद्रीय सरकारी लोक उद्यम को कमजोर या इष्टतम से कम स्तर पर निष्पादन करने वाला माना जाएगा यदि वह इनमें से किसी एक मानदण्ड को पूरा करता होः

क यदि पिछले तीन वर्षों के दौरान उसके कारोबार या प्रचालनात्मक लाभों में औसतन 10% से अधिक की गिरावट आई हो।

ख यदि उसका कर पूर्व लाभ अन्य स्रोतों से आय से कम हो।

ग यदि उसकी व्यापार प्राप्तियां और वस्तु–सूची केंद्रीय सरकारी लोक उद्यम के निवल मूल्य के 50% से अधिक हो।

घ यदि ऋण के रूप में अभिज्ञात न किए गए कंपनी के विरूद्ध दावे उसके निवल मूल्य से अधिक हों।

ड. सरकार द्वारा केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों के निष्पादन में कमजोरी के प्रारंभिक चिह्नों को ज्ञात करने के लिए निर्धारित कोई अन्य मानदण्ड।

4.3. निवल मूल्य के सभी संदर्भों में उसका तात्पर्य वही होगा जो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2(57) के अंतर्गत परिभाषित है।

4.4 प्रशासनिक मंत्रालय निम्नलिखित कार्रवाई करेगाः

(क) प्रशासनिक मंत्रालय ऐसे कमजोर केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों में कमजोरी के प्रारंभिक चिह्नों को रोकने के लिए उन्हें **"पर्यवेक्षण एवं गहन समीक्षा"** के अधीन रखेगा। इसमें बोर्ड में स्वतंत्र विशेषज्ञ सदस्यों का नामांकन, बोर्ड स्तर पर व्यावसायिक, प्रचालनात्मक एवं वित्तीय संबंधी सुधारात्मक उपायों के लिए तिमाही गहन समीक्षा या विशेष समीक्षा, गिरते हुए निष्पादन या गैर–निष्पादन के लिए जवाबदेही तय करना या प्रशासनिक मंत्रालय अथवा विभाग द्वारा उपयुक्त समझे गए या जरूरी कोई अन्य सुधारात्मक उपाय शामिल हो सकता है।

(ख) प्रशासनिक मंत्रालय पुनर्संरचना/पुनरूद्धार योजना तैयार करने की प्रक्रिया शुरू करेगा जिसमें वित्त वर्ष की समाप्ति के छह माह अथवा वार्षिक खातों को अंतिम रूप दिए जाने के एक माह, जो भी पहले हो, के भीतर ऊपर दिए गए वर्गीकरण के अनुसार रूग्ण एवं प्रारंभिक रूप से रूग्ण केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों के लिए विनिवेश अथवा निजीकरण या बंद करने के विकल्प शामिल होंगे।

(ग) रूग्ण एवं प्रारंभिक रूप से रूग्ण केंद्रीय सरकारी उद्यमों के लिए पुनर्संरचना और पुनरूद्धार योजना वित्तीय वर्ष की समाप्ति के नौ माह के भीतर तैयार की जाएगी।

(घ) व्यावसायिक माहौल, प्रचालनात्मक मुद्दों, प्रौद्योगिकी विकल्पों और ऐसे केंद्रीय सरकारी लोक उद्यम के प्रचालन के क्षेत्र में वित्तीय व्यवहार्यता का अनुभव एवं विशेषज्ञता रखने वाले किसी बाह्य विशेषज्ञ एजेंसी को सरकार द्वारा नियोजित किया जाएगा तथा वह भावी कार्ययोजना तैयार करने के लिए प्रशासनिक मंत्रालय के पर्यवेक्षण में कार्य करेगी।

4.5 प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग एजेंसी और अन्य विशेषज्ञों की सहायता से आवश्यकतानुसार पुनर्संरचना एवं पुनरूद्धार योजना तैयार करेगा और उसमें विशिष्ट रूप से निम्नलिखित शामिल होंगेः

4.5.1 प्रासंगिकता और कार्यचालन का परिप्रेक्ष्यः

क) केंद्रीय सरकारी लोक उद्यम के गठन की पृष्ठभूमि और प्रयोजन

ख) कंपनी के विकास पर उसके प्रभाव के साथ–साथ आर्थिक एवं विनियामक माहौल

ग) उदारीकरण और उसके व्यावसायिक प्रचालन पर उसका प्रभाव

घ) नए व्यवसाय अवसरों, अपनी आर्थिक व्यवहार्यता को पुनःप्राप्त करने एवं उसे बनाए रखने की प्रौद्योगिकी को अंगीकार करने की केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों की क्षमता

ड) केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों के पुनरूद्धार या उसकी रूग्णता की शुरूआत को रोकने के लिए किए गए प्रयास और विशेष हस्तक्षेप तथा केंद्रीय सरकारी लोक उद्यम के स्वास्थ्य पर उसका प्रभाव।

4.5.2 पुनर्संरचना/पुनरूद्धार हेतु कार्यनीतिक योजना :

(क) प्रशासनिक मंत्रालय/ विभाग को घरेलू एवं वैश्विक क्षेत्रगत व्यावसायिक माहौल के आलोक में केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों द्वारा पूरा किए गए राष्ट्रीय और कार्यनीतिक हितों को स्पष्ट रूप से सामने लाना चाहिए।

(ख) राष्ट्रीय कार्यनीतिक या रक्षा हितों को पूरा करने के लिए इस क्षेत्र में केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों की विशिष्ट भूमिका को दर्शाने के लिए घरेलू अथवा अन्य देशों के निजी क्षेत्र में अन्य प्रदाताओं के जरिए वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति हेतु मौजूदा बाजारों का विश्लेषण किए जाने की जरूरत है।

(ग) व्यावसायिक माहौल और अन्य संगत तथ्यों को ध्यान में रखते हुए किसी केंद्रीय सरकारी लोक उद्यम को देश के कार्यनीतिक हितों की पूर्ति हेतु **उच्च वरीयता या वरीयता** वाले केंद्रीय सरकारी लोक उद्यम के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। इस प्रयोजनार्थ, 14वें वित्त आयोग की रिपोर्ट का संदर्भ लिया जाएगा।

(घ) सभी अन्य रूग्ण केंद्रीय सरकारी लोक उद्यम जिनसे किसी कार्यनीतिक राष्ट्रीय/रक्षा हितों की पूर्ति अपेक्षित नहीं है, उन्हें **गैर वरीयता वाले** केंद्रीय सरकारी लोक उद्यम के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए।

4.5.3 पुनर्संरचना/पुनरूद्धार हेतु व्यावसायिक योजना :

क. उच्च वरीयता या वरीयता वाले केंद्रीय सरकारी लोक उद्यम

क) उच्च वरीयता वाले सभी केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों के लिए कार्यनीतिक राष्ट्रीय हित और आर्थिक रूप से व्यवहार्य व्यावसायिक अवसरों को ध्यान में रखते हुए व्यवसाय योजना तैयार की जाएगी।

ख) कार्यनीतिक व्यवसाय मॉडल के लिए सरकारी नीति समाभिरूपता हेतु अपेक्षा को स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए ताकि ऐसे उद्यमों की आर्थिक व्यवहार्यता को पूरा किया जा सके। इसके अतिरिक्त, यदि आवश्यक हो तो, ऐसे कार्यनीतिक प्रचालनों के लिए व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण किया जाना होगा।

ग) उच्च वरीयता वाले क्षेत्र के लिए सरकार से विशिष्ट वित्तीय एवं गैर–वित्तीय सहायता की मांग करते हुए व्यावसायिक योजना तैयार की जाएगी। इसमें कार्यनीतिक विनिवेश या संयुक्त उद्यम आदि शामिल होंगे।

ख. गैर–वरीयता वाले केंद्रीय सरकारी लोक उद्यम

क) गैर वरीयता वाली श्रेणी के केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों के लिए लघु या मध्यम अवधि में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए व्यावसायिक और आर्थिक व्यवहार्यता मॉडल पर व्यवसाय योजना तैयार की जाएगी।

ख) व्यवसाय मॉडल को निष्पादन दक्षता बेंचमार्कों, आर्थिक प्रचालन के व्यवहार्य स्तर और समय के साथ व्यवहार्यता एवं सततधारणीयता हेतु व्यवसाय कार्यनीति को सहायता प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिकी अंगीकरण/उन्नयन हेतु निर्देश पर आधारित होना चाहिए।

ग) विलय, पृथक्करण या विभिन्न व्यावसायिक कार्यकलापों के जरिए व्यवसाय का पुनर्संरचना ।

घ) मध्यावधि एवं दीर्घावधि में सततधारणीय होने के लिए उसे वांछनीय बाजार हिस्से का समर्थन करना चाहिए।

ड.) व्यावसायिक माहौल, आर्थिक व्यवहार्यता और वित्तपोषण के पैटर्न के संबंध में व्यवसाय योजना से जुड़े पूर्वानुमानों को बाजार में वैधता प्राप्त होनी चाहिए और उनकी विश्वसनीयता स्थापित होनी चाहिए।

4.5.4 प्रचालनात्मक पुनर्संरचनाः

क) व्यवसाय योजना को ध्यान में रखते हुए, अपेक्षित मानव संसाधन का आकलन करने और उसे युक्तिसंगत बनाने की जरूरत है।

ख) यह देखा जाए कि केंद्रीय सरकारी लोक उद्यम द्वारा न्यूनतम अवधि में इस योजना के कार्यान्वयन के जरिए मौजूदा वैश्विक/घरेलू बेंचमार्कों के अनुसार क्षेत्रगत कुशलता बेंचमार्कों को मध्यावधि में प्राप्त किया जा सके।

ग) अपेक्षित प्रौद्योगिकी को अंगीकार करने हेतु विकल्प और संयुक्त उद्यम, विनिवेश या निजीकरण सहित विभिन्न प्रबंधन विकल्पों के जरिए आवश्यकतानुसार उनके उन्नयन को प्रचालनात्मक पुनर्संरचना योजना में शामिल किया जाएगा।

घ) नई प्रौद्योगिकी के सतत प्रापण और उसका उन्नयन सुनिश्चित करने के लिए प्रस्तावित व्यवसाय योजना के अनुसार विभिन्न प्रचालनों के विलय या पृथक्करण के विकल्प।

4.5.5 वित्तीय पुनर्संरचना योजनाः

क) उच्च वरीयता वाले और वरीयता वाले केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों के लिए कार्यनीतिक राष्ट्रीय/रक्षा हित में न्यूनतम और अपरिहार्य व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण के साथ वित्तपोषण के विभिन्न तरीकों को शामिल करते हुए व्यापक वित्तीय पुनर्संरचना योजना तैयार की जानी चाहिए। वित्तीय योजना के अंतर्गत अनुमत्य सीमाओं के भीतर विनिवेश के जरिए सीमित निजी निवेश पर भी विचार किया जाएगा।

ख) अन्य (गैर–वरीयता प्राप्त) केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों के मामले में वित्तीय योजना प्रचालनों की आर्थिक व्यवहार्यता पर आधारित होनी चाहिए। निजी और/या संस्थागत वित्तपोषण प्राप्त करने के विभिन्न विकल्पों का पता लगाया जाएगा।

ग) अगले पांच वर्षों के लिए अनुमानित लाभप्रदता/नकद प्रवाह के विवरण। ये पूर्वानुमान व्यावहारिक और बाजार वैध होंगे।

4.6 रूग्ण केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों के पुनर्संरचना/पुनरूद्धार/बंद करने के लिए पालन किया जाने वाला तंत्र और पद्धति

क) संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग उपर्युक्त पैरा 4.2 के अनुसार केंद्रीय सरकारी लोक उद्यम को रूग्ण सीपीएसई, प्रारंभिक रूप से रूग्ण सीपीएसई या कमजोरी के प्रारंभिक चिह्नों वाले सीपीएसई के रूप में वर्गीकृत करेगा। ऐसा वित्त वर्ष की समाप्ति के छह माह अथवा वार्षिक खातों को अंतिम रूप दिए जाने के एक माह, जो भी पहले हो, के भीतर किया जाएगा। संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग तदनुसार लोक उद्यम विभाग को भी सीपीएसई के दर्जे की सूचना देगा।

ख) संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग उपर्युक्त सिद्धांतों के अनुसार रूग्ण केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों के लिए पुनर्संरचना/पुनरूद्धार/बंद करने हेतु भावी योजना तैयार करने के लिए उत्तरदायी होगा। ऐसा मौजूदा रूग्ण सीपीएसईज़ के मामले में इन दिशानिर्देशों को जारी किए जाने के तीन माह के भीतर और धीरे–धीरे रूग्ण हो रहे किसी सीपीएसई के मामले में वित्त वर्ष की समाप्ति के नौ माह के भीतर किया जाएगा।

ग) प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग व्यवसाय, प्रचालनात्मक और वित्तीय पुनर्संरचना योजनाएं तैयार करने के लिए विश्वसनीय विशेषज्ञ संगठन की सेवाएं लेगा। नियोजित किए जाने पर ऐसी विशेषज्ञ संस्था को व्यावसायिक रूप से विश्वसनीय, कार्यान्वयन योग्य और वास्तविकता पर आधारित पुनर्संरचना योजना तैयार करने के लिए प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग के सीधे नियंत्रण में कार्य करना चाहिए। विशेषज्ञ (विशेषज्ञों)/विशेषज्ञ संगठन (संगठनों) को नियोजित करने के आरएफपी चरण के दौरान बाजार वैधीकरण के लिए उपयुक्त तंत्र अपनाया जाना चाहिए और बाजार वैधीकरण की जांच की जानी चाहिए तथा प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग द्वारा भी उसकी पुष्टि की जानी चाहिए।

घ) विभिन्न चरणों के लिए विनिर्दिष्ट समय–सीमा के साथ कार्यान्वयन योजना को वस्तुपरक, परिमाणनीय और निगरानी तंत्र द्वारा समर्थित होना चाहिए।

अनुबंध –10
(पैरा 7.5.1)

रूग्ण/घाटे में चल रहे केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों (सीपीएसईज़) को समयबद्ध तरीके से बंद करने और उनकी चल एवं अचल परिसम्पत्तियों के निपटान हेतु दिशानिर्देश दिनांक 14 जून, 2018 को जारी किए गए।

सीपीएसईज़ को बंद करने की प्रक्रियाओं को शीघ्र पूरा करने और संबंधित मंत्रालयों/विभागों/सीपीएसईज़ आदि के दायित्व के निर्धारण के लिए, रूग्ण/घाटे में चल रहे केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों (सीपीएसईज़) को समयबद्ध तरीके से बंद करने तथा उनकी चल एवं अचल परिसम्पत्तियों के निपटान हेतु निर्धारित दिशानिर्देश निम्नानुसार हैं :

1 अनुप्रयोज्यता:

ये दिशानिर्देश सभी रूग्ण/घाटे में चल रहे सीपीएसईज़ पर लागू होंगे, जहां–

(i) प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग द्वारा बंद किए जाने के लिए सीसीईए/मंत्रिमंडल का अनुमोदन/ सैद्धांतिक रूप से अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया हो; या

(ii) प्रशासनिक मंत्रालय/ विभाग द्वारा सीपीएसई को बंद करने का निर्णय लेने के बाद सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त करने की प्रक्रिया चल रही हो।

नोट: ये दिशानिर्देश परिसमापन (लिक्विडेशन) की प्रक्रियाधीन उन सीपीएसईज़ पर लागू नहीं होंगे जहां परिसमापक की नियुक्ति की जा चुकी है। तथापि, ऐसे सीपीएसईज़ के प्रशासनिक मंत्रालय/ विभाग नीति आयोग के परामर्श से और परिसमापन प्रक्रिया की विधिक अपेक्षाओं के अनुसार सीपीएसई को बंद किए जाने एवं उसकी चल/ अचल परिसम्पत्तियों के निपटान से संबंधित विभिन्न कार्यकलापों के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करेंगे।

2 परिभाषाएं:

(i) **तैयारी की तारीख (पी0)** वह तारीख होगी जिस पर सीपीएसईज़ को बंद करने के लिए प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा निर्णय लिया जाता है।

(ii) **आरंभ की तारीख(टी0)** बंद किए जाने हेतु मंत्रिमंडल/ सीसीईए के निर्णय की सूचना देते हुए कार्यवृत्त जारी किए जाने की तारीख **आरंभ की तारीख** होगी। वे सीपीएसईज़ जिनको बंद किए जाने के लिए अनुमोदन पहले ही प्राप्त किया जा चुका है, वहां बंद करने की प्रक्रिया को इन दिशानिर्देशों के अनुसार तेज गति (फास्ट ट्रैक) से किया जाए।

(iii) **सीपीएसई** : सभी सरकारी कंपनियां और कुछ वैधानिक निगमों जिसमें केंद्रीय सरकार की इक्विटी 50% से अधिक है उन्हें सीपीएसईज़ के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इन कंपनियों की सहायक कंपनियों में जिसमें किसी सीपीएसई की इक्विटी 50% से अधिक है उन्हें भी सीपीएसई के रूप में वर्गीकृत किया गया है यदि वह भारत में पंजीकृत है।

(iv) **भूमि प्रबंधन एजेंसी (एलएमए)** एक ऐसा सीपीएसई है, जैसे की एनबीसीसी/ईपीआईएल और जिसे दिशानिर्देशों के पैरा 5 में यथा उल्लिखित कार्य करने का अनुभव है। इसे बंद किए जाने वाले सीपीएसई के प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग/ निदेशक मंडल द्वारा नामित किया जाएगा, जो भूमि के निपटान में इसका प्रबंधन, रख–रखाव और सहायता करेगा। यदि सीपीएसई के स्थान पर किसी सरकारी निकाय को एलएमए के रूप में नामित किया जाता है, तो इसे आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा किया जाएगा।

(v) **नीलामी एजेंसी (एए)** एक सीपीएसई है जैसे एमएसटीसी, जिसे पारदर्शी तरीके से ई–नीलामी के जरिए चल एवं अचल परिसम्पत्तियों के निपटान हेतु बंद किए जा रहे सीपीएसई के प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग/बोर्ड द्वारा नामित किया गया हो।

(vi) **आरक्षित मूल्य:** भूमि के निपटान के लिए आरक्षित मूल्य, समान उपयोग के लिए उक्त स्थान में प्रचलित सर्किल रेट और गत 3 वर्षो में आस पास के क्षेत्रों में समान आकार की बेची गई भूमि परिसंपत्तियों का औसत मूल्य, जो भी उच्चतम हो, के आधार पर निर्धारित किया जाए।

(vii) **एकल बोली:** नीलामी द्वारा भूमि के विक्रय के मामले में, एकल बोली की स्थिति में वित्त मंत्रालय के दिशानिर्देश/ उपबंध तथा सीवीसी के दिशानिर्देश लागू होंगे।

3. संबंधित संगठनों/ निकायों की भूमिका

3.1 बंद करने के लिए केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों के निदेशक मण्डलों की भूमिका

जहां मंत्रिमण्डल/सीसीईए द्वारा सीपीएसईज़ को बन्द करने का निर्णय अथवा बन्द करने हेतु सिद्धान्त रूप में अनुमोदन दिया गया है, उन मामलों में केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों के निदेशकों द्वारा बंद करने के प्रस्ताव को तैयार करने और उसके कार्यान्वयन में अपेक्षित सभी प्रकार की सहायता और सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। ऐसा न करने पर प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सहित कार्यात्मक निदेशकों को हटाने पर विचार करेगा और अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त भार संबंधित संयुक्त सचिव को और अन्य कार्यात्मक निदेशकों का कार्यभार प्रशासनिक मंत्रालय/ विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी को दे दिया जाएगा। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशकों सहित कार्यात्मक निदेशकों को हटाने संबंधी सूचना पीईएसबी को दे दी जाएगी।

3.2 प्रशासनिक मंत्रालयों/ विभागों की भूमिका

3.2.1 **तैयारी संबंधी कार्यकलापः** प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग ऐसे सीपीएसईज़ के लिए अग्रिम तैयारी संबंधी कार्यकलाप करेंगे जिनके संबंध में बंद करने के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन दिया गया है और जिनका उल्लेख दिशानिर्देशों के पैरा (1) (ii) में दिया गया है, और उसमें निम्नलिखित शामिल होगाः

(क) एकमुश्त अदायगी (ओटीएस) के रूप में न्यूनतम मूल्य पर सेक्योर्ड ऋणदाताओं के बकायों का निपटान करने के लिए उनके साथ बात–चीत करना। प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग सेक्योर्ड ऋणदाताओं के साथ भुगतान अनुसूची, ब्याज एवं अर्थदंड छूट सहित सर्वोत्तम अदायगी की समीक्षात्मक जांच करेगा ताकि उसके लिए न्यूनतम बजटीय सहायता अपेक्षित हो।

(ख) वित्त मंत्रालय के परामर्श से सरकारी गारंटियों द्वारा कवर किए गए देयताओं के निपटान हेतु रूपरेखाओं का निर्धारण किया जाएगा।

(ग) अन्य देयताओं का आकलनः प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग सेक्योर न किए गए ऋणदाताओं सहित उन सभी अन्य देयताओं का आकलन करेगा जिनका भुगतान किया जाना है।

3.2.2 उन सीपीएसईज़ के संबंध में जिनका बंद करने का सैद्धांतिक रूप से अनुमोदन दे दिया गया है और जिनको प्रशासनिक मंत्रालय/ विभाग ने बंद करने का निर्णय लिया है जैसा कि दिशानिर्देशों के पैरा 1 (ii) में उल्लेख किया गया है उन से संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग उस केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यम को बन्द करने हेतु विस्तृत प्रस्ताव तैयार करने और उसे प्रारंभिक तारीख से 03 माह के भीतर मंत्रिमण्डल/सीसीईए के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु उत्तरदायी होगा। प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी महत्वपूर्ण ब्यौरो, देयताओं के ब्यौरे, विक्रय हेतु पेश, चल और अचल परिसम्पत्तियों सहित वित्तीय लेन–देन के साथ, को केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यम के बन्द करने के प्रस्ताव के अनुमोदन पैरा में शामिल किया गया है। सीपीएसई को बंद करने के संबंध में प्राधिकारी के निर्णय प्राप्त करने के उपरांत प्रशासनिक मंत्रालय/ विभाग बजटीय सहायता के लिए अनुरोध करेगा और भूमि से संबंधित मामलों पर राज्य सरकारों के साथ बातचीत करने सहित दायित्वों के निपटान और परिसंपत्तियों का निपटान निम्नानुसार करेगाः

(क) बजटीय सहायता के लिए अनुरोधः व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय से आरंभ की तारीखसे 15 दिनों के भीतर बजटीय सहायता के लिए अनुरोध करेगा।

(ख) देयताओं का निपटान :

(i) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरणों को आरंभ की तारीख से दो माह के भीतर देय राजस्व, करों, उपकरों और दरों संबंधी वैधानिक बकायों/देयताओं, के भुगतान के लिए केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यम को अनुदेश देना।

(ii) आरंभ की तारीख से 5 दिनों के भीतर कर्मचारियों और अन्य स्टेक होल्डर्स को बन्द करने संबंधी सूचना देने हेतु एक सामान्य नोटिस जारी करने के लिए केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यम को अनुदेश देना और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के तहत यथा लागू ढंग से बन्द करने के संबंध में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय को सूचना/आवेदन करना। समयबद्ध सीमा/अन्तिम कट–ऑफ तिथि में वीआरएस पैकेज़ को कार्यान्वित करना और आरंभ की तारीख से तीन माह के भीतर अथवा अतिरिक्त राशि के लिए संसदीय अनुमोदन मांगने की आवश्यकता के कारण

अपेक्षित अतिरिक्त समय के भीतर कर्मचारियों की मजूरी/वेतन और वैधानिक बकायों का निपटान करना।

(iii) वीआरएस का विकल्प न लेने वाले कर्मचारियों के पृथक्कीकरण के लिए कानूनी औपचारिकताओं को पूरा करने हेतु आरंभ की तारीख से चार माह के भीतर कानून के अनुसार प्रतिपूर्ति के भुगतान के द्वारा कार्यवाई करना।

(iv) (सेक्योर्ड) सुरक्षित ऋणदाताओं का निपटान करना। आरम्भ की तारीख से तीन माह के भीतर निपटान पूरा किया जाना चाहिए जब तक कि प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग के नियंत्रण से परे कोई वित्तीय बाधा न हो।

(v) अन्य देयताओं का निपटान अगली प्राथमिकता होनी चाहिए।

(ग) परिसंपत्तियों का निपटान

यदि कोई केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यम किसी अन्य केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यम की सहायक कम्पनी है और यदि ऐसी धारक कम्पनी को ऐसी परिसम्पत्तियों की आवश्यकता है तो जहां कहीं आवश्यक हो राज्य सरकार के परामर्श से आरम्भ की तारीख से 30 दिनों के भीतर उसे बुक मूल्य पर धारक कंपनी को हस्तांतरित किया जा सकता है। इसी प्रकार यदि प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग को अपने उपयोग के लिए परिसम्पत्तियों की आवश्यकता है तो उसे आरम्भ तिथि से 30 दिनों के भीतर बुक मुल्य पर उसे हस्तांतरित किया जा सकता है। शेष परिसम्पत्तियों के मामले में अगले पैरा 4.2 और 4.3 में उल्लिखित दिशा निर्देश लागू होंगे।

(घ) राज्य सरकार के साथ वार्तालाप

संबंधित मंत्रालय/विभाग के सचिव, भूमि के उपयोग/ किसी अन्य उपयोग और राज्य सरकार को भूमि वापस लौटाने के संबंध में राज्य सरकार से बातचीत आरंभ करेंगे और इस मंत्रणा को आरंभ की तारीख से दो माह के भीतर समाप्त करेंगे।

3.3 नीति आयोग की भूमिका

बंद करने के सभी मामलों में, दी गई समय सीमा के अनुसार नीति आयोग निर्णयों के कार्यान्वयन की निगरानी करेगा। नीति आयोग में एक ओवर साइट समिति होगी। जो इस संबंध में सरकार के निर्णय के कार्यान्वयन की निगरानी का कार्य करेगी। बंद करने हेतु अनुमोदित केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों की अचल परिसंपत्तियों के विक्रय से उत्पन्न किसी समस्या/विवाद के निपटान के लिए प्रशासनिक मंत्रालय/ विभाग नीति आयोग से संपर्क करेगा। नीति आयोग ऐसे मामलों का समाधान करने के लिए फ्रेमवर्क तैयार करेगा।

3.4 वित्त मंत्रालय की भूमिका

केंद्रीय सरकारी लोक उद्यम को बंद करने हेतु सक्षम प्राधिकारी का सैद्धांतिक अनुमोदन या अंतिम अनुमोदन लेते समय वित्त मंत्रालय विशेषज्ञ या किसी अन्य सहायता से बजटीय सहायता के आवेदन की जांच कर सकता है। एक बार बंद करने संबंधी प्रस्ताव के अनुमोदन के पश्चात वित्त मंत्रालय निधियों को निर्धारित समय सीमा में जारी करेगा। सीपीएसईज़ को बंद करने के सभी पहलुओं को क्रियान्वित करने के उद्देश्य से इसके लिए समयबद्ध रूप से निधियों को जारी करने की एक प्रणाली व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा तैयार की जाएगी ताकि अनुरोध प्राप्त होनेके एक माह के भीतर निधियों को जारी किया जा सके केवल उनको छोड़कर जहां पूरक अनुदान मांगों के लिए संसद का अनुमोदन अपेक्षित है।

3.5 आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय की भूमिका (एमओएचएंडयूए)

आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय उन मामलों में एलएमए को नामित करेगा जहां अपेक्षित अनुभव और संसाधनों सहित पब्लिक एजेंसी को दिशानिर्देशों के पैरा 2 (iv) के अनुसार एलएमए के रूप में अभिनिर्धारित किया जाना अपेक्षित है। आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय किफायती आवास के लिए अपेक्षित भूमि खंडों के बारे में एलएमए को सूचित करेगा। ऐसी भूमि के निपटान की प्रक्रिया आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के इस संबंध में दिशानिर्देशों के अनुसार की जाएगी। किफायती आवास के लिए भूमि के निपटान की प्रक्रिया के संबंध में बंदी के तहत सीपीएसई/ संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/ एलएमए के साथ एक उचित समन्वय बनाने के लिए एक प्रणाली आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय में तैयार की जाएगी।

4. बंद होने वाले सीपीएसईज़ की भूमिका/ कार्यकलाप

4.1 तैयारी संबंधी कार्यकलापः ऐसी सीपीएसईज़ जिनके संबंध में बंद करने के लिए सैद्धांतिक रूप से अनुमोदन प्रदान किया गया है और जिनके लिए प्रशासनिक मंत्रालय/ विभाग ने बंद करने का निर्णय लिया है जैसा कि दिशानिर्देशों के पैरा (1) (ii) में उल्लेख किया गया है ऐसे सीपीएसईज़ के लिए तैयारी की तारीख से तीन माह के भीतर अग्रिम तैयारी संबंधी कार्यकलाप करेंगे जिसमें निम्नलिखित शामिल होगा :

4.1.1 सांविधिक बकायों का अनुमानः सीपीएसईज़ अपने प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग के पर्यवेक्षण में केंद्र सरकार या राज्य सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकरणों को देय राजस्वों, करों, उपकरों एवं दरों के लिए सांविधिक बकायों/देयताओं का अनुमान लगाएंगे।

4.1.2 कर्मचारियों के बकायों का आकलनः

(i) कर्मचारियों को कार्यमुक्त करने के लिए, वीआरएस/ वीएसएस पैकेज, वर्ष 2007 के नोशनल वेतनमान पर तैयार करना चाहे, सीपीएसई जिस भी वेतनमान में चल रहा हो। ऐसे पैकेज के लिए वित्तीय भार का अनुमान।

(ii) जब तक कि कर्मचारियों को वीआरएस/वीएसएस का विकल्प दे कर/पृथक कर के या उन्हें पुनर्स्थापित करके कार्यमुक्त नहीं कर दिया जाता, तब तक कर्मचारियों के संबंध में मजूरी/वेतन और सांविधिक बकायों के भुगतान हेतु अपेक्षित निधि का अनुमान।

(iii) निधि की आवश्यकता तथा समय–सीमा को चरणबद्ध करके उपर्युक्त (i) और (ii) के लिए कुल अनुमानित बजटीय सहायता।

4.1.3 सुरक्षित ऋणदाताओं आदि के लिए देयताओं का अनुमान

(i) सुरक्षित ऋणदाता वे हैं जिनके पक्ष में कंपनी की परिसम्पत्ति पर प्रभार का सृजन किया गया हो और कंपनी पंजीयक के पास उसे दर्ज/पंजीकृत किया गया हो।

(ii) न्यूनतम मूल्य पर निपटान हेतु सुरक्षित ऋणदाताओं से प्राप्त प्रस्तावों तथा सांविधिक बकायों को तैयार करने और इस प्रकार निर्धारित कुल राशि का अनुमान जिसे सुरक्षित ऋणदाताओं को भुगतान किया जाना है।

4.1.4 केंद्र सरकार को देय बकायों का अनुमानः समय–समय पर सहायता स्वरूप दिए गए ऋण के रूप में प्राप्त की गई राशि के लिए केंद्र सरकार को प्रदेय बकायों को, मूल बकाया राशि और उस पर ब्याज के रूप में अलग–अलग करके उनका आकलन किया जाएगा।

4.1.5 अन्य देयताओं का अनुमानः असुरक्षित ऋणदाताओं सहित उन सभी अन्य देयताओं का अनुमान लगाना जिनका भुगतान किया जाना है।

4.1.6 चल परिसम्पत्तियों का अनुमानः

(i) संयंत्रों एवं मशीनरियों सहित चल परिसम्पत्तियों के रिकॉर्ड को अद्यतन बनाना। सभी चल परिसम्पत्तियों की वस्तु–सूची को किसी स्वतंत्र तीसरे पक्ष अर्थात सनदी लेखाकारों (चार्टर्ड अकाउंट) की फर्म से सत्यापित/प्रमाणित करवाना।

(ii) चल परिसम्पत्तियों के बुक मूल्य के साथ–साथ अनुमानित मौजूदा बाजार मूल्य और सीपीएसई/प्रशासनिक मंत्रालय/ विभाग द्वारा उनकी बिक्री से प्राप्य मूल्य का अनुमान।

(iii) जहां चल परिसम्पत्तियां पट्टे पर हैं, पट्टादाता से इस संबंध में विचार– विमर्श कि वह उसे बाजार मूल्य पर वापस लेगा अथवा उसकी नीलामी कराना चाहेगा।

(iv) यह सुनिश्चित करना कि क्या चल परिसम्पत्तियों का उपयोग धारक सीपीएसई, यदि कोई हो, द्वारा अथवा प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग द्वारा किया जाएगा।

(v) यह सुनिश्चित करना कि फैक्टरी/कार्यालय भवन (सुपरस्ट्रक्चर) का निपटान चल परिसम्पत्तियों के साथ या भूमि के साथ किया जाना अपेक्षित है।

(vi) बंद की जा रही सीपीएसई के ब्रांड नाम, गुडविल, ट्रेडमार्क आदि का बाजार मूल्य सुनिश्चित करना।

4.1.7 व्यापार प्राप्तियों, प्रतिभूतियों, ऋणों एवं अग्रिमों आदि सहित प्राप्तियों का अनुमान

4.1.8 बंद किए जाने हेतु अपेक्षित बजटीय सहायता का अनुमान

(i) केंद्र सरकार द्वारा निधि जारी किए जाने की समय–सीमाओं/ चरणों के साथ, कंपनी को बंद किए जाने के लिए वित्तपोषण हेतु अपेक्षित कुल अनुमानित निधि जिसमें उपर्युक्त पैरा 4.1.1 से 4.1.5 में उल्लिखित देयताएं शामिल होंगी।

(ii) सीपीएसई के अपने संसाधनों सहित परिसम्पत्तियों की बिक्री से प्राप्त होने वाली ऐसी राशि जो बंद किए जाने की प्रक्रिया के दौरान देयताओं के निपटान हेतु उपलब्ध हो सकती है, अपेक्षित बजटीय सहायता का परिकलन करते समय, निधियों को चरणबद्ध रूप से जारी करने एवं समय–सीमाओं के साथ ध्यान में रखी जाएगी।

4.1.9 भवनों सहित अचल परिसम्पत्तियां:

(i) शीर्ष–विलेख, पट्टे पर ली गई भूमि, फ्री–होल्ड भूमि, पट्टे की शर्तें, पट्टे की शेष अवधि, भूमि का मौजूदा उपयोग, भूमि के उपयोग से संबंधित एफएआर एवं अन्य अधिकार, क्या अधिप्रापण के समय सीपीएसईज़/केंद्र सरकार द्वारा भूमि क्षतिपूर्ति (आंशिक/पूर्ण) प्रदान की गई है, प्रदत्त क्षतिपूर्ति की राशि, भूमि के अधिग्रहण की स्थिति, अतिक्रमण यदि कोई हो, आदि जैसे विवरणों सहित भूमि रिकॉर्डों को जियो–मैपिंग के साथ अद्यतन बनाना।

(ii) यदि विकल्प उपलब्ध हो तो लोक प्रयोजन/आर्थिक कार्यकलापों के विस्तार आदि के लिए, केंद्र सरकार/राज्य सरकार/विभागों के कार्यालयों या लोक उद्यमों/संगठनों द्वारा उपयोग किए जाने के लिए भूमि के उपयोग को प्रशासित करने वाले स्थानीय कानूनों के अनुसार, सदृश या समान कार्यकलापों हेतु आगे उपयोग किए जाने के प्रयोजनार्थ, बंद किए जाने के लिए अभिप्रेत सीपीएसई की पट्टे पर ली गई भूमि के उपयोग/निपटान के संबंध में राज्य सरकार की सहमति/ स्वीकृति प्राप्त करना।

(iii) यह सुनिश्चित करना कि क्या अचल परिसम्पत्तियों का उपयोग धारक सीपीएसई, यदि कोई हो, द्वारा या प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग द्वारा किया जाना है और ऐसा न होने पर भूमि प्रबंधन एजेंसी (एलएमए) की नियुक्ति करना और उसके साथ जानकारी साझा करना।

4.2 चल परिसंपत्तियों का निपटान

(i) केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यम द्वारा संयंत्र और मशीनरी सहित चल परिसंपत्तियों के निपटान की प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग के पर्यवेक्षण के अंतर्गत "तैयारी की तिथि" के तुरन्त बाद आरम्भ किया जाएगा।

(ii) पट्टे की परिसंपत्तियों को पट्टा दाता को उसकी इच्छानुसार हस्तांतरित किया जाए।

(iii) आवश्यकतानुसार, सीपीएसई, प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग के परामर्श से चल परिसंपत्तियों के निपटान के साथ फैक्टरी भवन का भी निपटान कर सकता है।

(iv) ब्राण्ड नाम, गुडविल, ट्रेडमार्क आदि सहित चल परिसंपत्तियों की नीलामी की आवश्यकता पड़ने पर, प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग/सीपीएसई द्वारा इस काम को, आरम्भ तिथि से 03 माह के भीतर पूरा करने के लिए एक नीलामीकर्ता एजेंसी नामित की जाएगी।

(v) यदि सीपीएसई निर्धारित समय सीमा के भीतर संबंधित चल परिसंपत्तियों का निपटान नहीं कर पाता है तो सीपीएसई द्वारा इसके बारे में प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग और नीति आयोग को पांच दिनों के भीतर सूचित किया जाएगा। इसके बाद प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग 15 दिनों के भीतर इस मामले का निपटान करेगा और चल परिसंपत्तियों के निपटान पर निर्णय लेगा।

4.3 अचल परिसंपत्तियों का निपटानः भूमि और भवन

इस बात पर विचार करते हुए कि केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों की भूमि पट्टे पर या पट्टा मुक्त हो सकती है या कब्जे और उपयोग के प्रतिबंधित अधिकारों की शर्त के साथ भूमि अनुदान में मिली हो, सीपीएसई उक्त पैरा 4.1.9 में उल्लिखित मामलों की जांच के उपरांत प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग के गहन पर्यवेक्षण और मार्गनिर्देशों के तहत और यथाआवश्यक राज्य सरकार (सरकारों)/पट्टाधारक के परामर्श से निम्नलिखित कार्य करेगा।

4.3.1 पट्टे वाली भूमि का निपटान

(i) **शर्तों के अंतर्गत पट्टा भूमि** :– पट्टा भूमि इस विशेष शर्त के साथ कि इसे राज्य को वापस लौटा दिया जाएगा यदि सीपीएसईज़ के बन्द किए जाने के मामले में या जिस प्रयोजनार्थ भूमि आवंटित की गई थी उसके लिए उपयोग न किए जाने पर या पट्टा समझौता में विक्रय का कोई प्रावधान न होने की स्थिति में, पट्टा या भूमि अनुदान समझौते की शर्तों के अनुसार वित्तीय प्रतिपूर्ति प्राप्त होने पर आरंभ की तारीख से तीन माह के भीतर इसे राज्य सरकार को वापस लौटा दिया जाएगा। ऐसे मामलों में यदि भूमि अधिग्रहण के समय सीपीएसई/केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई वित्तीय प्रतिपूर्ति राशि दी गई है तो भूमि वापस लेते समय राज्य सरकार द्वारा वह राशि या उससे अधिक राशि का पुनःभुगतान/भुगतान किया जाएगा।

(ii) **अन्य पट्टा भूमिः**– यदि पट्टे की नियम एवं शर्तों में ऐसी भूमि के उपयोग/निपटान के संबंध में कोई प्रतिबंधित शर्तें नहीं है, और/या सीपीएसई को बन्द करने की स्थिति में राज्य/पट्टाधारक के पक्ष में किसी प्रकार के पूर्वक्रय अधिकार नहीं दिए गए तो ऐसी भूमि को फ्री–होल्ड भूमि के रुप में समझा जाए और पट्टे की विनिर्दिष्ट नियम एवं शर्तों के अध्यधीन फ्री–होल्ड भूमि के लिए यथा निर्धारित ढंग से उस पर कार्रवाई की जाए।

4.3.2 **फ्री– होल्ड भूमि का निपटानः** फ्री–होल्ड भूमि के निपटान के लिए महत्वपूर्ण कदम :

क) राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहण के बाद सामान्यतया सीपीएसई को फ्री–होल्ड भूमि आवंटित की जाती है या सीपीएसई द्वारा प्रत्यक्ष रुप से खरीदी जाती है। ऐसी भूमि के साथ भूमि उपयोग संबंधी किसी प्रकार की शर्तें हो भी सकती है और नहीं भी हो सकतीं। भूमि उपयोग की शर्त के साथ वाली फ्री–होल्ड भूमि के मामले में ऐसी भूमि का सर्वोत्तम संभावित उपयोग, भूमि के मूल भूमि उपयोग या स्थानीय मास्टर प्लान के अनुसार क्षेत्र के वर्तमान भूमि उपयोग को ध्यान में रखते हुए जो भी बेहतर हो, किया जाना चाहिए।

ख) सीपीएसईज़ की फ्री–होल्ड भूमि के निपटान के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए :

(i) एलएमए प्रथमतः आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय से किफायती आवास के लिए भूमि की आवश्यकता के संबंध में पता करेगा। ऐसी भूमि के निपटान की प्रक्रिया, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के इस संबंध में, दिशानिर्देशों के अनुसार कार्यान्वित की जाएगी। किफायती आवास के लिए भूमि को अभिज्ञात करने के बाद शेष भूमि का निपटान निम्न प्रकार से किया जाएगा।

(ii) सीपीएसई/ प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग, एलएमए के माध्यम से केन्द्र/राज्य सरकार के विभागों/ एजेंसियों से भूमि की खरीद के लिए प्रस्ताव आमंत्रित करेगें। मंत्रिमण्डल/सीसीईए के यथा अपेक्षित अनुमोदन के अध्यधीन सरकारी निकायों को भूमि का आवंटन किया जाएगा।

(iii) केन्द्र/राज्य सरकार के विभागों को आरक्षित मूल्य पर भूमि निम्न प्राथमिकता के क्रम में आवंटित की जाएगीः

(क) केंद्रीय सरकार के विभाग

(ख) राज्य सरकार के विभाग

(iv) इसके पश्चात केंद्रीय या राज्य लोक उद्यमों/ निकायों/ प्राधिकरणों को भूमि की बिक्री हेतु पेशकश की जाएगी। ऐसे निकायों द्वारा भूमि के विक्रय के मामले में वास्तविक फार्मेट या ई प्लेटफॉर्म पर एक सीमित बोली प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। इस प्रक्रिया को नीलामी एजेंसी के माध्यम से पूरा किया जा सकता है।

(v) यदि कोई सरकारी निकाय पूरी जमीन को (बिना इसके विभाजित किए) लेने का इच्छुक हो तो उसे प्राथमिकता दी जाएगी। ऐसे मामले में जब उपर्युक्त श्रेणी के संगठन, जमीन के खण्ड को लेने के इच्छुक हो तो इसके लिए, जमीन के क्षेत्र की विकास योजना को तैयार करने की आवश्यकता होगी। प्लाऋटग तथा आंतरिक अवसंरचना कार्य/सुविधाएं जरुरी होगी जो एलएमए द्वारा तैयार की जाएंगी तथा सीपीएसई/ प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग को प्रस्तुत की जाएंगी। प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग भूमि के विकास योजना पर विचार करेगा तथा इसका अनुमोदन करेगा जिसमें वित्तीय योजना शामिल होगी तथा यह कार्य किसी एलएमए या अन्य उपयुक्त एजेंसी को सौंपेगा ताकि दिशानिर्देश में दी गई प्राथमिकता के अनुसार ऐसे विभाजित जमीन खण्डों का आवटंन/अवस्थापन सुनिश्चत हो सके।

(vi) यदि उपर्युक्त (i) से (v) के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं होता है तो अचल परिसंपत्तियों का निपटान सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से नीलामी एजेंसी द्वारा पारदर्शी तरीके से किसी निकाय को किया जा सकता है। तथापि, बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख से पूर्व केन्द्रीय सरकार के विभागों से यदि कोई प्रस्ताव प्राप्त होता है जैसाकि उपर्युक्त पैरा 4.3.2 (ख) (iii) (क) में उल्लिखित है, तो उनको अधिभावी प्राथमिकता दी जाएगी। ऊपर (i) से (vi) में उल्लिखित प्रक्रिया को आरंभ की तारीख से 8 माह के भीतर पूरा कर लिया जाएगा। यदि एलएमए अधिकतम मूल्य प्राप्त करने के लिए भूमि का निपटान एक से अधिक भागों में करने का निर्णय लेता है तो प्रत्येक भाग के लिए निर्धारित समय– सीमा पृथक रूप से लागू होगी।

(vii) भूमि की बिक्री, एफएआर और अन्य अनुप्रयोज्य शर्तों के अनुसार अनुमत भूमि उपयोग और प्रतिबन्ध, यदि कोई है, के अनुसार तथा मंत्रिमंडल / सीसीईएके यथा अपेक्षित अनुमोदन के बाद की जाएगी।

(viii) उपर्युक्त विकल्पों में भूमि परिसपंत्तियों के मुद्रीकरण के व्यवहारिक न होने की स्थिति में, भूमि/संपत्ति का उपयोग

नीति आयोग के परामर्श और मंत्रिमण्डल/सीसीईए के यथा अपेक्षित अनुमोदन से आरंभ की तारीख से 11 माह के भीतर अनुमत सार्वजनिक उपयोगों जैसे, सार्वजनिक उद्यानों, सुविधाओं आदि के लिए किया जा सकता है।

(ix) जहां कहीं प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग को भूमि के निपटान में कोई कठिनाई आ रही हो तो वह नीति आयोग से परामर्श करेगा तथा इस संबंध में दी गई सलाह के अनुसार कार्रवाई करेगा।

5. भूमि प्रबंधन एजेंसी की भूमिका

प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग और बंद होने वाले केंद्रीय सरकारी लोक उद्यम का बोर्ड, पैरा 4.1.9 के अनुसार अचल परिसंपत्तियों को भूमि प्रबंधन एजेंसी (एलएमए) को सौंप सकता है, जोः

(i) अभिनिर्धारण, प्रबंध, रख–रखाव तथा यदि आवश्यक हो तो भुगतान आधार पर सीपीएसई के लिए अनुबंध पर सुरक्षा एजेंसी रखेगा जो परिसम्पत्तियों की निगरानी एवं सुरक्षा करेगी। एलएमए यह सुनिश्चित करेगा कि भूमि पर अधिक्रमण न हो, चल परिसंपत्ति की चोरी न हो तथा परिसर सुरक्षित रहे। एलएमए अनुबंध आधार पर सीपीएसई की परिसंपत्तियों का काम–काज करने वाले कुछ प्रमुख कर्मचारियों को काम पर लेगा जो सीपीएसई की ओर से सीपीएसईज़ की भूमि तथा अन्य अचल परिसंपत्तियों की देखरेख, प्रबंधन, रख–रखाव तथा रिकार्डों को अद्यतन करेंगे।

(ii) भूमि के मालिकाना हक, लीज होल्ड या फ्रीहोल्ड, लीज की शर्तों, लीज की शेष अवधि, क्या अधिग्रहण के समय जमीन का मुआवजा सीपीएसई/केंद्र सरकार द्वारा अदा किया गया, भूमि के स्वामित्व की स्थिति, अधिक्रमण यदि कोई है तथा वास्तविक आधार पर इसकी जांच जैसे विषयों के बारे में सूचना एकत्र करेंगे तथा प्रमाणित करेगा।

(iii) लागू स्थानीय कानूनों के अनुसार वर्तमान भूमि के उपयोग, एफएआर और भूमि के प्रयोग की जांच करेगा ताकि औद्योगिक, विनिर्माण या किसी अन्य प्रयोजन हेतु इसकी उपयुक्तता का निर्धारण हो सके।

(iv) किफायती आवास के लिए भूमि की आवश्यकता के बारे में आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय से पता करेगा ताकि ऐसी भूमि को आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के इस संबंध में दिशानिर्देशों के अनुसार अंतरित किया जा सके।

(v) लागू सर्किल रेट के आधार पर भूमि का मूल्यांकन, अधिकार (टाइटल) की प्रकृति, मास्टर प्लान एवं राज्य सरकार के प्रतिबंध, यदि कोई हो, से उत्पन्न होने वाली बाधाओं सहित उपयोग/ भूमि का मूल्यांकन/भवन के लिए आवश्यक अन्य सूचना एकत्र करना। इसके अतिरिक्त एलएमए, भूमि को बाजार अनुकूल इकाईयों में बांटते हुए भूमि के मूल्य में वृद्धि करने का प्रयत्न करेगा।

(vi) पैरा 2 (vi) के अनुसार भूमि का आरक्षित मूल्य निर्धारित करना

(vii) भूमि प्रबंधन एजेंसी (एलएमए) ऐसी सभी सूचना को एकत्र करेगी तथा सार्वजनिक डोमेन में इसे यथा शीघ्र तथा तैयारी की तारीख से तीन माह के भीतर भूमि प्रबंधन पोर्टल वेबसाइट पर प्रकाशित करेगी ताकि सभी पक्षों को इसकी जानकारी हो जाए जो ऐसी भूमि लेने के लिए इच्छुक हों।

(viii) यदि प्राप्त अभिरुचि की अभिव्यक्तियों (ईओआईज) से एलएमए इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि दिशानिर्देशों में निर्धारित प्राथमिकताओं के अनुसार अचल परिसम्पत्तियों के निपटान के लिए भूमि का टुकड़ो में विभाजन और उसके मुद्रीकरण को सुगम बनाने हेतु ऐसे भूमि का बंटवारा अपेक्षित होगा, तो वह मामले को प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग की जानकारी में लाएगा। एलएमए इसकी वित्तीय योजना के साथ एक भूमि विकास योजना तैयार करेगा और प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग के विचारार्थ और आगे अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करेगा।

(ix) एलएमए, प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों को उनके अनुमोदन के अनुसार, अचल परिसम्पत्ति के निपटान की स्थिति की अद्यतन मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और उसकी प्रति, नीति आयोग को भेजेगा।

(x) एलएमए, भूमि प्रबंधन शुल्क का हकदार होगा जो किफायती आवास के लिए और सरकारी विभागों/ एजेंसियों/ निजी निकायों के लिए भूमि के निपटान से प्राप्त मूल्य का 0.5% होगी जोकि एक करोड़ रू. की अधिकतम सीमा के अध्यधीन होगी।

(xi) उन मामलों में जहां एलएमए द्वारा निपटान की जा रही परिसम्पत्ति की निगरानी करना और कर्मचारियों को नियुक्त करना अपेक्षित होगा, जैसाकि उपर्युक्त पैरा 5 (i) में यथा उल्लिखित है, ऐसे व्ययों की प्रतिपूर्ति प्रशासनिक मंत्रालय/ विभाग द्वारा प्रतिमाह वास्तविक खर्चों के आधार पर की

जाएगी। ऐसा कोई व्यय करने से पूर्व जिसके लिए प्रतिपूर्ति अपेक्षित हो, एलएमए, प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करेगा।

(xii) अपने कुछ दायित्वों के निर्वहन के लिए एलएमए, उचित निबंधनों एवं शर्तों पर राज्य सरकार केन्द्रीय लोक उद्यमों से सेवाएं ले सकता है।

6. नीलामी एजेंसी के कार्य

नीलामी एजेंसी, पारदर्शी प्रक्रिया के जरिए ई–नीलामी के द्वारा कंपनी की परिसम्पत्तियों का निपटान करेगी। नीलामी एजेंसी को प्रति नीलामी 25.00 लाख रू. की अधिकतम सीमा के अध्यधीन, नीलामी से प्राप्त राशि के 1% का भुगतान किया जाएगा।

7. सभी दायित्वों के भुगतान के पश्चात, परिसंपत्तियों के विक्रय से प्राप्त आय को भारत के समेकित कोष में जमा कराया जाएगा।

8. कंपनी रजिस्टर में से कंपनी का नाम हटाने हेतु रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ को आवेदन

सभी दायित्वों के निपटान एवं भुगतान के तुरंत पश्चात, सीपीएसई का निदेशक मण्डल कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 248 के तहत कंपनी रजिस्टर से कंपनी का नाम हटाने के लिए रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को आवेदन करने के सभी आवश्यक उपाय करेगा। इस स्तर पर निदेशक मण्डल, कंपनी की सभी शेष परिसंपत्तियों को यथा आवश्यक किसी अन्य निकाय या केंद्रीय सरकार को अंतरण करने के संकल्प को पारित कर सकता है। सभी परिसंपत्तियों के निपटान/अंतरण की तारीख से दो माह के भीतर यह कार्य पूरा करना होगा, परंतु यह कार्य आरंभ की तारीख से 13 माह के भीतर ही पूरा करना होगा।

9. समय–सीमा

इन दिशा–निर्देशों के अनुसार केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमो को बंद करने के लिए विभिन्न चरणों की समय सीमा का एक मैट्रिक्स सरलता हेतु संलग्न है।

वे सीपीएसईज़ जिनको बंद किए जाने के लिए अनुमोदन पहले ही प्राप्त किया जा चुका है, वहां बंद करने की प्रक्रिया को इनदिशानिर्देशों के अनुसार तेज गति (फास्ट ट्रैक) से किया जाएगा।

सीपीएसईज़ को बंद करने के लिए क्रिया–कलापों की समय – सीमा

क्र.सं.	महत्वपूर्ण बिंदु /क्रिया–कलाप	समय–सीमा	दिशा–निर्देश के पैरा सं.
क.	**तैयारी की तारीख** : तैयारी की तारीख (पी0) वह तारीख होगी जिस पर सीपीएसई को बंद करने के लिए प्रशासनिक मंत्रालय निर्णय लेता है।		
1.	सांविधिक देय राशि का आकलन	पी0 + 3 माह	4.1.1
	कर्मचारियों की बकाया राशि का आकलन		4.1.2
	सुरक्षित लेनदारों आदि के प्रति देनदारियों का आकलन		4.1.3 - 3.2 1(a)
	केंद्र सरकार को देय बकाया राशि का आकलन		4.1.4
	अन्य देनदारियों का आकलन		4.1.5 & 3.2.1 (c)
	चल परिसंपत्तियों का आकलन		4.1.6
	प्राप्तियों का अनुमान		4.1.7
	अपेक्षित बजटीय सहायता का आकलन		4.1.8
	अचल परिसंपत्तियों के संबंध में तैयारी संबंधी सभी कार्य, अर्थातए भू–मैपिंग और अन्य औपचारिकताओं के साथ भू–अभिलेखों को अद्यतन करना, राज्य सरकार की प्रतिबद्धताओं को प्राप्त करनाए मूल्यांकन आदि करना।		4.1.9
	बंद करने के लिए विस्तृत प्रस्ताव मंत्रिमंडल /सीसीईए के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है		3.2.2
	'भूमि प्रबंधन पोर्टल वेब साइट' पर अचल परिसंपत्तियों/भूमि से संबंधित सूचना ।		5 (vii)
ख.	**आरंभिक तारीख**: मंत्रिमण्डल/ सीसीईए द्वारा रूग्ण/घाटे में चल रहे सीपीएसई को बंद करने के लिए अनुमोदन के कार्यवृत्तों को जारी करने की तारीख। इसे टी0 के रूप में दर्शाया गया है।		
2.	बंद करने के विषय में बताते हुए कर्मचारियों और अन्य हितधारकों के लिए जनरल नोटिस जिसमें बंद होने के बारे में सूचना दी गई हो	T_0 + 5 माह	3.2.2 (b) (ii)
	बंद करने के संबंध में श्रम एवं रोजगार मंत्रलय को सूचना देना		
3.	व्यय विभाग से बजटीय सहायता के लिए अनुरोध।	T_0 + 15 माह	3.2.2(a)
4.	होल्डिग कंपनी/प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग को परिसंपत्तियों का अंतरण	T_0 + 1 माह	3.2.2(c)
5.	राजस्व, करों आदि के प्रति सांविधिक देय राशि/देनदारियों का निपटान	T_0 + 2 माह	3.2.2 (b) (i)
	राज्य सरकार के साथ वार्तालाप		3.2.2 (d)

क्र.सं.	महत्वपूर्ण बिंदु /क्रिया–कलाप	समय–सीमा	दिशा–निर्देश के पैरा सं.
6.	एक बारगी निपटान के रूप में सुरक्षित लेनदारों का भुगतान	T_0 + 3 माह	3.2.2 (b) (iv)
	कर्मचारियों की मजूरी/वेतन एवं अन्य सांविधिक देय का भुगतान		3.2.2 (b) (ii)
	चल परिसंपत्तियों का निपटान		4.2
	राज्य सरकार को लीजहोल्ड भूमि को 'विक्रय नहीं' शर्त पर लौटाना		4.3.1(i)
7.	वीआरएस न लेने वाले कर्मचारियों की छंटनी	T_0 + 4 माह	3.2.2(b)(iii)
8.	किफायती आवास के लिए भूमि का अभिनिर्धारण, केंद्र सरकार के विभागों, राज्य सरकार के विभागों, केंद्र सरकार के निकायों/सीपीएसईज और राज्य सरकार के निकायों/ सरकारी लोक उद्यमों को भूमि की बिक्री/ अंतरण	T_0 + 8 माह	4.3.2 b) (i), (ii), (iii), (iv) & (v)
9.	क्र. सं. 8 के विकल्प के समाप्त होने के बाद किसी भी संस्था को जमीन की नीलामी।		4.3.2 b) (vi)
10.	सार्वजनिक पार्कों, सुविधाओं आदि जैसे सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए भूमि का उपयोग।	T_0 + 11 माह	4.3.2 b)(viii)
11.	सीपीएसई के नाम हटाने के लिए कंपनी रजिस्ट्रार के लिए आवेदन।	T_0 + 13 माह	8

नोटः उपर्युक्त समय–सीमा में मामला दर मामला आधार पर उपयुक्त संशोधन किया जाएगा जहां संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता होगी।

HERKULES

सत्यमेव जयते

भारत सरकार

भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय